चतुर्थ माला, खंड 19, अंक 11
Fourth Series, Vol.XIX. No. 11

सोमवार, 5 अगस्त, 1968/14 श्रावण, 1890 (शक)
Monday, August 5, 1968/Sravana 14, 1890 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[पाँचवाँ सत्र
Fifth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 6.1.84
Parliament Library

[खंड 19 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol.XIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok-Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 11 सोमवार, 5 अगस्त, 1968/ 14 श्रावण, 1890 (शक)

No. 11–Monday, August 5, 1968/Sravana 14, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :

ता.प्र.संख्या / S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
306	कोटा स्थित उर्वरक कारखाने के बारे में जांच	Inquiry into Fertilizer Factory, Kota ..	1–2
307	इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	Indian Drugs and Pharmacuticals Ltd. ...	2–7
313	दिल्ली में खोखों का गिराया जाना	Demolition of Khokhas in Delhi ...	7–9
314	भिक्षावृति को रोकने के लिये कानून	Laws to stop Beggary	9–12
315	विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा विनियोजन	Investment by Indians Settled Abroad ...	12–15
316	आंध्र प्रदेश में आदिवासियों और हरिजनों की दशा	Plight of Harijans and Adivasis in Andhra Pradesh ...	15–19

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्रश्न संख्या/ S. Q Nos.			
301	न्यूनतम मजूरी	Minimum Wages ..	19
302	आयातित और देशीय उर्वरकों का मूल्य	Price of imported and indigenous fertilizers ..	19–20
303	गुजरात और मैसूर में उर्वरक परियोजनायें	Fertilizer Projects in Gujarat and Mysore	20
304	रूस तथा पूर्वी यूरोप के अन्य देशों को इंजीनियरी के सामान का निर्यात	Export of Engineering Products to U. S. S. R. and other East European Country	20–21

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the questio actually asked on the floor of the House by him.

305 किसानों को अशोधित तेल की सप्लाई	Supply of Crude Oil to Farmers	21
308 अमरीका से सलाहकारों तथा विशेषज्ञों का दौरा	Visit of Advisors and Experts from U.S.A. ...	21–22
309 1966–67 के लिये उड़ीसा की योजना	Orissa Plan for 1966–67 ...	22–23
310 बटवारे के समझौते के अन्तर्गत देय राशियों का भुगतान	Payment of Dues under Partition Agreement.	23
311 दिल्ली में देशी शराब की बिक्री	Sale of Country Liquor in Delhi ...	23
312 दिल्ली की वृहद योजना के उल्लंघन में अनधिकृत निर्माण	Unauthorised Construction in Contravention of Master Plan of Delhi	23-24
317 मेडिकल कालेज, पांडिचेरी के कर्मचारियों के वेतन-मान	Pay Scales of the Employees of the Medical College, Pondicherry	24
318 विदेशी तेल कम्पनियों में पदों को समाप्त करना	Abolition of Posts in Foreign Oil Companies..	24–25
319 समाज कल्याण बोर्ड	Social Welfar Boards	25
320 अनाज के आयात के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for import of Foodgrains ...	26
321 दिल्ली में दिल के दोरे के मामले	Heart attak cases in Delhi	26
322 दिल्ली में अपमिश्रितकार स्नेहकों की बिक्री	Sale of Adulterated Car Libricants in Delhi ...	27
323 स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समितियां/बोर्ड	Advisory Committees in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development ...	27
324 दिल्ली में होटलों में शराब की बिक्री पर शुल्क	Duty on sale of Liquor in Hotels in Delhi ...	27–28

ता.प्र.संख्या /S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
325 आदिम जातीय क्षेत्रों के रूप में लाहोल और स्पिति	Lahaul and Spiti as Tribal Areas	28
326 जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये ऋण	Loans given by L.I.C.	28-29
327 बैंकों द्वारा औद्योगिक फर्मों को दिये गये ऋण	Loans given by Banks to Industrial Firms ...	29
328 इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली में नर्सों की स्थिति के बारे में समिति	Committee on the conditions of Nurses in Irwin Hospital, New Delhi	29–30
329 चर्मरोग	Skin Diseases	30
330 राजनैतिक दलों पर कर	Taxes on Political Parties	30-31
अतारांकित प्रश्न संख्या/ UNSTARRED QUESTION Nos.		
2526 भूतपूर्व नरेशों के विदेशों में खाते	Accounts of Ex-Princes in Foreign Banks ...	31
2527 अनाथालय	Poor Homes ...	31
2528 महाराष्ट्र के लिये नियत राशि	Allocations for Maharashtra ...	32
2529 सतलुज, व्यास, पोंग बांध तथा राजस्थान नहर के विस्थापित व्यक्ति	Sutluj Beas, Pong Dam and Rajasthan Canal Oustees	32–33
2530 आयकर विवरण	Income-tax Returns ...	33–34
2531 इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ मेनेजमेंट	Indian Institute of Management	34–35
2532 देश में चिकित्सा महा विद्यालय	Medical Colleges in the Country ...	35
2533 देश में मैडिकल कालेज	Medical Colleges in the Country ...	35–36
2534 मध्य प्रदेश में स्वर्णकारों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Goldsmiths in Madhya Pradesh	36
2535 मध्य प्रदेश को ऋण	Loans to Madhya Pradesh	36

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी	/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
2536 मध्य प्रदेश के सिनेमा मालिकों द्वारा देय कर	Taxes due from Cinema Owners of Madhya Pradesh		36–37
2537 मध्य प्रदेश से केन्द्रीय सरकार के भवनों का लिया गया किराया	Rent charged from Madhya Pradesh Govt. for the Central Government buldings ...		37
2538 सामाजिक नीति संकल्प	Social Policy Resolution		37
2539 दिल्ली में शांतिवन और विजयघाट	Shanti Van and Vijay Ghat Areas ...		37
2540 ग्रामीण क्षेत्रों में तेल के उत्पादों की मांग	Demand for oil products in Rural areas ...		38
2541 आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली	Ayurvedic System of Medicines		38
2542 मैसर्स औरियेंटल ट्रेडिंग कारपोरेशन के अंशधारी	Shareholders of M/s. Oriental Trading Corporation ..		38–39
2543 मशीनी, औजारों तथा इंजीनियरी संयंत्रों की उत्पादन क्षमता	Production Capacity of Machines, Tools and Engineering Plants		39
2544 बोकारो तापीय कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयले का अस्वीकार करना	NC. D. C. Coal rejected by Bokaro Thermal Plant Management		40
2545 बीजक में अधिक राशि दिखाना	Inflation of Invoices		40
2546 सरकारी क्षेत्रों के उर्वरकों कारखानों में स्टाकों का जमा होना	Accumulation of Stocks in Public Sector Fertilizer units		41
2547 तीसरी पंचवर्षीय योजना में राज्यों को धन का नियतन	Allocation of funds to States during Third Five Year Plan		41
2548 सरकारी क्षेत्र के कारखाने	Projectc in Publis Sector		41–42
2549 राजकीय औद्योगिक उपक्रमों का पुनर्गठन	Reorganization of State-owned Industrial Concerns		42

अता.प्र संख्या / U. S. Q Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
2551 वर्ष 1967-68 के लिये उड़ीसा की योजना	Orissa plan for 1967-68 ...	42–43
2552 ऋण देने सम्बन्धी नीतियों में परिवर्तन करना	Reorientation of Credit Policies	43
2553 चौथी योजना में करारोपण	Taxation during Fourth Plan	43–44
2554 उत्तर प्रदेश ने ट्यूब वैल लगाने के लिये बिजली कनेक्शन	Electric connections for Tube wells in U.P. ...	44
2555 दिल्ली में विदेशियों की मूर्तियां	Statues of foreigners in Delhi	45
2556 संसद् सदस्यों के लिये किराये पर दिया जाने वाला फर्नीचर	Furniture on hire for Members of Parliament.	45
2557 इर्विन अस्पताल (दिल्ली) में नर्सों की मृत्यु के कारणों की जांच	Enquiry into causes of death of Nurses of Irwin Hospital, Delhi ...	45–56
2558 श्री बीजू पटनायक द्वारा विदेशी मुद्रा के लिये प्रार्थना	Request by Shri Biju Patnaik for foreign exchange ...	46
2559 शान्ति वन, नई दिल्ली पर होने वाला व्यय	Expenditure on Shanti Vana, New Delhi	46
2560 राजघाट, नई दिल्ली में व्यय	Expenditure on Rajghat, New Delhi...	46
2561 नेल्लोर जिले में सोमा सीला परियोजना का निर्माण	Construction of Soma Sila Project in Nellore District	46–47
2562 अलीगढ़ में कासिमपुर बिजली घर में प्रदर्शन	Demonstrations at Kasimpur Power House, Aligarh	47
2563 खाद्यान्नों के लिये राज-सहायता के बारे में मद्रास के मुख्य मंत्री का मत	Madras Chief Minister's views on Food subsidy	47–48

2564 कासिमपुर बिजली घर, अलीगढ़ में जापानी मशीनरी	Japanese Machinery at Kasimpur Power House, Aligarh ...	48
2566 विदेशी तेल कम्पनियों में स्वेच्छा से छंटनी योजना	Voluntary retrenchment Scheme in Foreign oil companies	48-49
2567 केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	Central Social Welfare Board	49-50
2568 सरकारी कर्मचारियों के लिये परिवार नियोजन के नियम	Family Planning rules for Government Servants ... --	50
2569 सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समितियां/बोर्ड	Advisory Committee/Boards under I&P Ministry	50
2570 विदेशों को प्रतिनिधिमंडल	Delegations to Foreign Countries	51
2571 वित्त मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समितियां/ बोर्ड	Advisory Committee/Board in Finance Ministry	51
2572 निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में भ्रष्टाचार के मामले	Corruption Cases in W. H. & S. Ministry ...	51-52
2575 नये सिक्कों और नोटों पर राष्ट्रीय चिन्ह का अंक	Inscription of National Emblem on New Coins and Currency Notes ... —	52
2576 चण्डीगढ़ के लिये मेडिकल कालेज	Medical College at Chandigarh	52-53
2577 चण्डीगढ़ में सहकारी गृह-निर्माण समितियों के लिये प्लाट	Plots for Co-operative Housing Societies in Chandigarh	53
2578 पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड	Punjab National Bank, Ltd.	53
2579 भारतीय तेल निगम के काम में वृद्धि	Increase of work in the Indian Oil Corporation	53-54

2580 इंडियन आयल कारपोरेशन की बकाया राशियों में कमी — Reduction in outstandings of the Indian Oil Corporation 54–55

2581 तवा परियोजना के लिये ऋण सहायता — Loan assistance for Tawa project ... 55

2582 मध्य प्रदेश में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं का सर्वेक्षण — Survey of Irrigation and Power Projects by C.W.P.C. in M.P. ... 55

2583 देहातों में बिजली लगाने के लिये मध्य प्रदेश सरकार को सहायता — Assistance for rural electrification to M. P. Government 56

2584 सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा कलाई घड़ियों का पकड़ा जाना — Seizure of Wrist Watches by the Customs ... 56

2585 चांदी पकड़ी जाना — Seizure of Silver 57

2586 बम्बई में मादक पदार्थों का पकड़ा जाना — Narcotics recovered in Bombay ... 57

2587 पोरबंदर में चांदी की सलाखों का बरामद किया जाना — Recovery of Silver Bars at Porbandar 57–58

2588 केन्द्र द्वारा सलाल जल–विद्युत परियोजना को अपने नियंत्रण में लेना — Taking over of Salal Hydro-electric Project by the Centre 58

2589 बर्मा तेल कम्पनी के साथ साझेदारी — Partnership with Burmah Oil Company ... 58

2590 गुजरात में सुगन्ध बनाने की परियोजना (एरोमेटिक प्रोजेक्ट) — Gujarat Aromatik Project 59

2592 उर्वरक का आयात — Import of Fertilizers 59

2593 विदेशी सहायता के बारे में योजना आयोग के सदस्य का वक्तव्य	Statement regarding Foreign Aid by Planning Commission Member	60
2594 अमरीका से आयातित उर्वरक का मूल्य	Price of Fertilizer imported from U.S.A.	60-61
2595 पांडिचेरी के पास 'औरोविल्ले' का निर्माण	Construction of 'Aurouli' near Pondicherry ...	61
2596 कर्मचारियों के कुछ वर्गों के बारे में द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें	Second Pay Commission recommendations for certain categories of Employees ...	61-62
2597 मिट्टी के तेल का उत्पादन	Production of Kerosene Oil	62
2598 बर्मा शैल द्वारा तेल शोधक कारखानों का विस्तार	Expansion of Refinery by Burmah Shell	62
2599 राज्यों को सहायता	Assistance to States	63
2600 जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by L. I. C. Employees	63
2601 सरकारी उपक्रमों में नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी क्वार्टरों का रखा जाना	Retention of Government accommodation by retired Government Servants Employed tn Public Undertakings	64
2602 ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ का नियंत्रण	Controlling of Floods of Brahmaputra River..	64
2603 कर सम्बन्धी ढांचे का सरल बनाया जाना	Simplification of Tax Structure	65
2604 दार्जिलिंग जिले में भोजन तैयार करने में काम आने वाली गैस की बिक्री	Marketing of Cooking Gas in Darjeeling District ...	65-66
2605 कलकत्ता के अस्पताल	Calcutta Hospitals ...	66
2606 भारतीय तेल निगम द्वारा आयात किये गये तारकोल के ढोलों (ड्रमों) की चादरों का विक्रय	Sale of Imported Bitumen Drum Sheets by I. O. C.	66-67

अता.प्र.संख्या./U S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
2607 गेज इस्पात की चादरों का सम्मरण	Supply of Gauge Steel Sheets	67–69
2608 परिवार नियोजन का कार्य करने वाले व्यक्तियों को भूमि के आवंटन की शर्तें	Conditions for allotment of Land to Persons Practising Family Planning	69
2609 पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा सम्पत्ति की बिक्री	Sale of Property by Pak. Nationals ...	69–70
2610 बरौनी तेल शोधक कारखाना	Barauni Oil Refinery	70
2611 इलेक्ट्रानिक संगणक का लगाया जाना	Installation of Electronic Computers	70–71
2612 भारत सहायता क्लब द्वारा ऋण राहत	Debt Relief by Aid India Club	71
2613 उर्वरक संयंत्रों के लिये उपकरणों की रूसी पेशकश	Soviet offer of equipment for Fertilizer plants ...	71–72
2614 गंडक नदी घाटी परियोजना की क्रियान्विति	Execution of Gandak River Valley Project ...	72
2615 मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल	M/s Aminchand Pyarelal ...	72–73
2616 मैसर्स एडवांस इन्श्योरेंस कम्पनी	M/s Advance Insurance Company	73
2617 अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान को निर्देश	Instructions to All India Institute of Medical Sciences	73
2618 सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनायें स्थापित किया जाना	Settidg up of Industrial Projects in Public Sector	73–74
2619 यूनिट ट्रस्ट योजना	Unit Trust Scheme	74
2620 क्षय रोग अस्पताल, महरोली	T.B. Hospital, Mehrauli	74–75
2621 बैंक सेवा के लिये शुल्क	Banks Service Charges	75

2622 गोआ में पकड़ा गया निषिद्ध माल	Contraband Good Seized in Goa	75-76
2623 ट्राम्बे उर्वरक कारखाने द्वारा तैयार किये गये मिश्रित उर्वरक	New Complex Fertilizer Developed by Trombay Fertilizer Factory	6
2624 बूढ़ावस्था पेंशन योजना	Old Age Pension Scheme	76-77
2625 कृषि ऋण	Agricultural Credit	77
2626 दिल्ली में भूमि के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Land in Delhi	77-78
2627 बरौनी तापीय विद्युत परियोजना, विहार	Barauni Thermal Power Project, Bihar	78
2628 नेपाल से भारत को गांजे की तस्करी	Smuggling of Ganja etc, from Nepal to India	78-79
2629 दरभंगा नगर का विकास	Development of Darbhanga Town	79
2630 उदयपुर में उर्वरक कारखाने की स्थापना	Setting-up of Fertilizer Factory at Udaipur...	79
2631 राजस्थान नहर के प्रथम प्रक्रम को पूरा करना	Completion of the First Phase of Rajasthan Canal	79-80
2632 अमरीका और कनाडा से उर्वरक का आयात	Import of Fertilizers from U.S.A. and Canada	80
2633 राज्यों में मद्य-निषेध के लिये केन्द्रीय सहायता	Central aid for Prohibition in States	81
2634 मैथोनोल का मूल्य	Price of Methanol ...	81
2635 मैथोनोल	Methanol ...	81-82
2636 ट्राम्बे स्थित उर्वरक कारखाने में मैथोनोल संयत्र	Methanol at Trombay Fertilizer Plant	82
2637 जल तथा वापु को दूषित न होने देने के सम्बन्ध में पैट्रो-रसायन कारखानों को हिदायतें	Instructions to Petro-Chemical Plants against Pollution of Air and Water	82-83

अता.प्र.संख्या /U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
2638 कोलार स्वर्ण खानों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति	Experts Committee on Kolar Gold Fields ...	83
2639 दिल्ली में झुग्गियों का हटाया जाना	Clearance of Jhuggi in Delhi	83
2641 दिल्ली में गृह-निर्माण सहकारी समितियां	House Building Cooperative Societies in Delhi	84
2642 यूनिट ट्रस्ट योजना	Unit Trust Scheme	84
2645 दामोदर घाटी निगम का नियंत्रण	Control on Damodar Valley Corporation	84–85
2646 रक्त बैंक	Blood Banks ...	85
2647 उर्वरक परियोजनायें	Fertilizer Projects	85–86
2648 चौथी पंचवर्षीय योजना में उर्वरक परियोजनायें	Fertilizer Projects during Fourth Plan	86–87
2649 हल्दिया तेल शोधक कारखाने का निर्माण-कार्य	Construction of Haldia Refinery	87
2650 गांवों का विद्युतीकरण	Rural Electrification	87–88
2651 कोचीन तेल शोधक कारखाने से सम्बन्धित करार में परिवर्तन	Modification in Agreement relating Cochin Refinery	88
2652 विदेशी सहायता में कटौती का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	Repercussions on Indian Economy due to cut in Foreign Aid	88–89
2653 मुद्रा स्फीति	Inflation ...	89
2654 पैट्रोलियम कोक कारखाना	Petroleum Coke Factory	89
2655 गोहाटी तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों को दिये गये क्वार्टर	Quarters for Employees of Gauhati Oil Refinery	90
2656 बांधों का निर्माण	Construction of Dams	90
2658 आयातित तेल का विक्रय तथा लागत मूल्य	Sale Price and Cost Price of Imported Oil ...	91-92

अता प्र.संख्या/ U.S. Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Peges
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
2659 सामान्य पुन्ज से संसद् सदस्यों के लिये बंगलों का दिया जाना	Allotment of Bungalows to M. Ps. from the Central Pool	91
2660 जीवन बीमा निगम का व्यय	Expenses of Life Insurance Corporation ..	92
2661 पी० एल० 480 समकक्ष निधियों का धन	Amount of P. L. 480 Counterpart Funds	92–93
2662 असमान्य नागरिकों का उत्पन्न होना	Birth of Second Rate Citizens ...	93–94
2664 अफगानिस्तान को इंजीनियरों का दौरा	Visit of Engineers to Afghanistan	94
2666 नूनमती तेल शोधन कारखाने की पाइप लाइन में आग लगना	Fire in pipeline of Nonmati Oil Refinery	95
2667 वायु तथा जल का दूषित होना	Pollution of atmosphere and water	95
2668 सिंदरी तथा नांगल में स्कूल खोलना	Opening of Schools in Sindri and Nangal ...	95–96
2669 उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में तस्करी	Smuggling on Border Districts of U. P.	96
2670 उर्वरक निगम, गोरखपुर	Fertilizer Corporation, Gorakhpur ...	96
2671 कम्पनियों द्वारा आयकर का भुगतान न किया जाना	Non-Payment of Income-Tax by Companies..	96–97
2672 उत्तर प्रदेश के जिला बोर्डों द्वारा की गई अनियमितायें	Irregularities committed by District Boards of U. P.	97
2673 अफीम तथा ऊन की तस्करी	Smuggling of Opium and Wool	97-98
2674 मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्यों के बीच नर्मदा जल सम्बन्धी विवाद	Dispute between Madhya Pradesh and Gujarat States on Narmada Waters	98

2675	बीमारी के आधार पर क्वार्टरों का दिया जाना	Allotment of Accommodation on Grounds of Illness	98-99
2676	पत्रकारों के लिये सरकारी मकान	Accommodation for Journalists ...	99
2677	नगरीय विकास	Urban Development ...	99
2678	उर्वरक निगम के कारखाने में हानि	Loss in Fertilizer Corporation's Units..	99-100
2679	परिवार नियोजन सम्बन्धी आन्दोलन	Family Planning Movement	100
2680	बिक्री को बढ़ाने के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Sales Promotion ...	101
2681	बैंकों का मुनाफा	Profits of Banks	101-102
2682	राष्ट्रीय ऋण नीति	National Credit Policy	102
2683	चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र में तीसरे विद्युत संयंत्र का चालू किया जाना	Commissioning of Third Power Unit of Chandrapura Thermal Power Station ...	102-103
2684	कांगड़ा चाय बागान संस्था	Kangra Tea Planters' Association ...	103
2685	आयकर निर्धारण	I. T. Assessment	103-104
2686	देश में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना	Coal based Fertilizer Plants in the Country ...	104
2687	विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा तस्करी	Smuggling by Foreign Air Companies	104-105
2688	बिहार का वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Bihar ..	105
2689	चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये विदेशी सहायता	Foreign Aid for Fourth Five year Plan ...	105-106
2690	सरकारी उपक्रमों को हानि	Losses Incurred by Public Undertakings ...	106
2691	चम्बल परियोजना	Chambal Project	106-107
2692	राजस्थान में तेल की खोज	Oil Exploration in Rajasthan ..	107-108

2693 कनाट सर्कस, नई दिल्ली में मनीपुर हथकरघा विक्रय विभाग के लिये प्लाट — Plot for Manipur Handlooms Sale Development in Cannaught Circus, New Delhi ... 108

2694 पटना में अस्वच्छता की स्थिति — Insanitary Conditions in Patna 108

2695 कर्नल आर डी अय्यूर की पुर्नियुक्ति — Re employment of Col. R. D. Ayyar... 108–109

2696 आदिम जातिय लोगों में शिक्षा सम्बन्धी विषमता — Educational disparity amongst Tribals ... 109–110

2697 जीवन बीमा निगम की 'अपना घर बनाओ' योजना — "Own Your House" Scheme of L. I. C. 110

2698 पोंग बांध से विस्थापित हुए परिवारों का पुनर्वास — Rehabilitation of Oustee Families of Pong Dam 110–111

2699 आयुर्वेदिक औषधियों की कीमतों में वृद्धि — Increase in Prices of Ayurvedic Medicines ... 111

2700 विलिग्डन अस्पताल, नई दिल्ली में एक महिला रोगी की मृत्यु — Death of a woman patient in Willingdon Hospital, New Delhi 111–112

2701 सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सोना तथा चांदी पकड़ा जाना — Seizure of Gold and Silver by the Customs ... 112

2702 राष्ट्रीय सिंचाई नीति — National Irrigation Policy 112-113

2703 कोचीन शोधनशाला में जेट विमान के ईंधन का उत्पादन — Production of Jet fuel at Cochin Refinery 113

2704 आम चुनावों में कदाचार के संबंध में आयल इंडिया के प्रधान के विरुद्ध निंदात्मक टिप्पणियां — Strictures against the Chairman of Oil India Ltd. for Malpractices in the General Election 113

2705 केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण जारी किया जाना — Floating of loan by Central Government 113-114

2706 'आयल इंडिया लिमिटेड' द्वारा गोहाटी में एक ईसाई अस्पताल को एक कमरे वाले कक्ष का दान	Donation of one-room or wing by Oil India Ltd, to a Christian Hospital in Gauhati ...	114–115
2707 इंडिया सप्लाई मिशन, लंदन	India Supply Mission, London	115
2709 दिल्ली में सहकारी मकान निर्माण सम्बन्धी समितियों का पंजीकरण	Registration of Cooperative House Building Societies in Delhi	116
2710 दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समितियों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Cooperative House Building Societies in Delhi	116
2711 आयकर विवरण के निर्धारण में विलम्ब	Delay in the assessment of Income-Tax Returns ..	116–117
2712 त्रिपुरा में डुम्बर जल विद्युत परियोजना	Dumbur Hydro-Electric Project, Tripuru ...	117
2714 त्रिपुरा में नदियों की बिजली के उत्पादन की क्षमता	Tripura Rivers power Potential	118
2715 त्रिपुरा में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता	Availability of Power in Tripura ...	118–119
2716 उड़ीसा की बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनायें	Major and Medium Irrigation Schemes of Orissa ...	119
2717 नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हिन्दी में हस्ताक्षर	Signature of Reserve Bank Governor on Currency Notes in Hindi	119–120
2718 प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी	Officers on Deputation	120
2719 सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्तियां	Government Officers on Deputation	120
2720 गगा नदी पर एक बांध बनाने की पाकिस्तानी योजना	Pak Plan to Construct a Dam on the Ganges	120–121

2721 नलकूपों के लिये बिजली की दरें	Electricity rates for Tubewells	121
2722 उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों को सहायता	Aid to States of U. P. and Bihar	121–122
2723 पश्चिम बंगाल में मकान निर्माण योजनायें	Housing Schemes in West Bengal	122
2724 दिल्ली नगर निगम पार्षदों द्वारा अनधिकृत निर्माण	Unauthorised Constructions by Delhi Municipal Councillors	122
2725 मद्रास तेल शोधक कारखाना परियोजना में हड़ताल	Strike in Madras Oil Refinery Project	123
2726 पटना के लिये जल की सप्लाई	Water Supply in Patna	123
2727 पटना में पानी जमा होना	Water-Logging in Patna	123–124
2728 बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों को सहायता	Aid to States of Bihar and U. P. ..	124–127
2729 एलोपैथी दवाइयों का अमानकीकरण	Non-Standardisation of Allopathic Medicines	127
2730 बच्चों का कुपोषण	Malnutrition among Children ..	127–128
2731 आन्ध्र प्रदेश को सहायता	Aid to Andhra Pradesh	128–129
2732 संतति निग्रह के लिये देशी औषधि	Indigenous Drugs for Birth Control ..	130
2733 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती	Recruitment in Public Sector Undertakings ...	130–131
2734 स्टेट बैंक द्वारा हिन्दी में हस्ताक्षर किये गये चैकों को स्वीकार न किया जाना	Non-Acceptance of Cheques Certified in Hindi by State Bank	131
2735 मुंगेर जिले के उपमंडलों में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in the Subdivisions of the Monghyr District ...	131–132
2736 गंगा नदी के पानी से रहीमपुर में भूमि का कटाव	Erosian of land in Rahimpur by Ganga ...	132

2737	तुंगभद्रा नदी के पानी से बिजली पैदा करना	Power Generation from Tungabhadra Waters ...	132-133
2738	कनाट प्लेस पार्क, नई दिल्ली	Conaught Place Park, New Delhi	133
2739	जी० डी० एम० ओ० ग्रेड 2 अधिकारियों की पदोन्नति	Promotion of G.D.M.O. Grade II Officers ...	133-134
2740	राजस्थान में उठाऊ सिंचाई योजना	Lift Irrigation Scheme in Rajasthan	134
2741	बिना कष्ट मृत्यु (युथानेसिया)	Euthanasia	134-135
2742	बंजारों को अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों की सूचियों में शामिल करना	Banjaras in the Lists of Scheduled Castes and Tribes	135
2743	गोआ, दमन और दीव के हरिजन	Harijans of Goa, Daman and Dieu	135-136
2744	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme	136-137
2745	कलकत्ता में कूड़े का जमा होना	Accumulation of Garbage in Calcutta ...	137-138
2746	आयातित रेडियो पुर्जों का दिल्ली में दुकानों से सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ा जाना	Seizure by the Customs of Imported Radio Parts from Shops in Delhi ...	138
2747	नदी जल परियोजनायें	River Water Projects	138-139
2748	मध्य प्रदेश में मझली तथा बड़ी परियोजनाओं के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र	Irrigated Area under Medium and Major Projects in Madhya-Pradesh	139-140
2749	शोलापुर मेडिकल कालेज में दाखिले के लिये प्रति व्यक्ति फीस	Capitation Fee for Admission to Sholapur Medical College	140

2750	उत्तर प्रदेश में बांदा में छोटी नहरों का निर्माण	Construction of Minor Canals in Banda, U.P.	140–141
2751	चौथी पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र की नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल करना	Inclusion of River Valley Project of Maharashtra in Fourth Plan	141
2752	धन नियतन के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार का ज्ञापन	Memorandum from West Bengal Government on Funds Allocation	141–142
2753	माढरपुर में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह	Petro-Chemical Complex at Madharpur	142
2754	नई दिल्ली नगरपालिका में अंग्रेजी तथा हिन्दी में पानी तथा बिजली के बिल	Water and Electricity Bills in English and Hindi in N.D.M.C.	142–143
2755	मैसर्स ओरिएंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन	M/s. Oriental Timber Trading Corporation ...	143
2756	मैसर्स ओरिएंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन में झुनझुनवाला परिवार के लोगों के हिस्से	Jhunjhunwala Families having shares in M/s. Oriental Timber Trading Corporation	143–144
2757	मैसर्स ओरिएंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन	M/s. Oriental Timber Trading Corporation ...	144–145
2758	मैसर्स ओरिएंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा विदेश से आयातित कागज बनाने की मशीनें	Papet Manufacturing Machinery imported by M/s Oriental Timber Trading Corporation ..	145
2759	मैसर्स रामजीलाल झुनझुन वाला	M/s Ramji Lal Jhunjhunwala	145
2760	मैसर्स ओरिएंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा लिये गये ठेके	Contract taken by M/s. Oriental Timber Trading Corporation in Ootacamond	145–146

2761 मैसर्स ओरिएंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन तथा मैसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड	M/s. Oriental Timber Trading Corporation and M/s Mckenzies Ltd.	146
2762 मैसर्स ओरिएंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन तथा मैसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड	M/s Oriental Timber Trading Corporation and M/s Kckenzies Ltd, ...	147
2763 भारत के स्टेट बैंक द्वारा चांदी का निर्यात	Export of Silver by State Bank of India	148
2764 खाद्य प्रयोगशालायें	Food Laboratories	148-149
2765 खगरिया में टी० बी० अस्पताल	T.B. Hospital at Khagaria ...	149
2766 उर्वरकों के मूल्य	Prices of Fertilizers ...	149
2767 'वी' क्रास आर्मेचरों की खरीद	Purchase of 'V' Cross Armatures	149-150
2768 पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी महानिदेशक का पद	Post of Director General for Bakward Classes Welfare ...	150-151
2769 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के कृत्य	Functions of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduld Tribes	151
2770 महाराष्ट्र की बड़ी/मध्यम नदी घाटी परियोजनायें	Major/Medium River Valley Projects of Maharashtra	151-152
2771 राज्यों को साधनों का हस्तान्तरण	Transfer of resources to States	153
2772 आसाम में कच्चे तेल का सर्वेक्षण	Survey of crude oil in Assam ..	153
2773 राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्था	National Institute of Bank Management	153-154
2774 आसाम के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Assam ...	154-155
2775 डीजल तेल	Diesel Oil ...	155

2776 दिल्ली में एक गैर-सरकारी फर्म का विस्तार — Expansion of a private firm in Delhi ... 155

2777 गंडक परियोजना से जल का सम्भरण — Supply of water from Gandak project 155–156

2778 बिहार में बांधों के निर्माण और परियोजनाओं के सम्बन्ध में वार्ता — Discussions regarding construction of bunds and projects in Bihrr ... 156

2779 बूढ़ी गंडक द्वारा राष्ट्रीय राजपथ संख्या 28 का कटाव — Erosion caused by Budhi Gandak to National Highway No. 28 ... 156–157

2780 सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में एक रोगी महिला की मृत्यु — Death of a woman patient in Safdarjung Hospital, New Delhi .. 157–158

2781 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां — Scholarships for Scheduled Cast and Scheduled Tribe students ... 158

2782 केरल की पन-बिजली परियोजनाओं के कारण निष्क्रान्त व्यक्तियों को फिर से बसाना — Resettlement of evacuees of Hydro-Electric Projects of Kerala 158

2783 चिकित्सा स्नातक — Medical Graduates 159

2784 गुजरात में मौरवी स्थित जीवन बीमा निगम के कार्यालय का बन्द होना — Closure of L.I.C. office at Morvi in Gujarat .. 159

2785 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन — Annual reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes 159–160

2786 पश्चिम बंगाल में चिकित्सा कालेज — Medical colleges in West Bengal .. 160

2787	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का कार्यालय	Office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	161
2788	उत्तर प्रदेश में पूंजी विनियोजन के लिये संस्थागत वित्त-व्यवस्था	Institutional Finances for Investments in U.P. ...	161–162
2789	स्वतंत्रता के बाद से अब तक विदेशी सहायता	Foreign assistance since Independence ..	162
2790	केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमा शुल्क कलक्ट्रेट, इलाहाबाद में निरीक्षक	Inspectors in Central Excise Customs Collectorate, Allahabad ...	162
2792	इण्डिया गेट, नई दिल्ली में महात्मा गांधी की मूर्ति	Mahatma Gandhi's Statue at India Gate, New Delhi ...	162–163
2793	दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये दुकानें	Shops for Scheduled Caste/Tribe persons in Delhi	163–164
2794	बम्बई में नाइलोन का पकड़ा जाना	Nylon recovered in Bombay ..	164
2795	सफदरजंग हवाई अड्डे को स्टेडियम का रूप देना	Conversion of Safdarjang Airport into Stadium ...	164
2796	निर्यात-आयात बैंक से सहायता	Aid from Export-Import Bank	164–165
2797	उत्तर प्रदेश में जाली नोटों का परिचालन	Circulation of Counterfeit Currency Notes in U.P.	165
2798	बम्बई में चांदी का पकड़ा जाना	Seizure of Silver in Bombay ...	165–166
2799	ट्राम्बे उर्वरक कारखाने के लिये अमरीकी सहायता	U.S. Aid for Trombay Fertilizer Plant ...	166–167
2800	पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश के लिये योजना विनियोग में असन्तुलन	Imbalance in U.P.'s Share of Plan Investments ..	167

2801 बिजली तैयार करने संबंधी योजनायें	Power Generation Schemes	167–168
2803 ऋषिकेश में प्रतिजीवाणु (एन्टी बायोटिक) परियोजना	Antibiotics Project, Rishikesh	168
2804 पोर्ट ब्लेयर में विमानों के तेल का जमा करना	Stocking of Aviation Fuel at Port Blaiar	168–169
2805 अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेल के संसाधन	Oil Resources in the Andaman and Nicobar Islands ..	169
2806 सुन्दर नगर, नई दिल्ली में मोटर गैरजों का दुरुपयोग	Misuse of Garages in Sunder Nagar, New Delhi ...	169
2807 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों को छुट्टीयां	Leave Facilities to Work-charged Staff of C.P.W.D.. ...	170
2808 माही नदी पर कडाना बांध	Kadana Dam over Mahi River	170
2809 माही नदी पर कडाना बांध	Kadana Dam over Mahi River	171
2810 पूर्ति विभाग द्वारा विदेशों से सामान की खरीद	Purchases from foreign Countries by the Department of Supply ...	171–172
2811 सेवा निवृत्ति वेतन के मामले	Pension Cases	172
2812 स्वर्ण नियन्त्रण नियमों का उल्लंघन	Violation of Gold Control Rules	172
2813 केरल से जवान लड़कियों को पश्चिम जर्मनी को भेजा जाना	Young Girls from Kerala sent to West Germany	172–173
2814 केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क कार्यालय, दिल्ली से फाइलों की चोरी	Theft of files from Central Excise and Customs Office, Delhi. ...	173

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ / Page
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
2815 मनीपुर के छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां	Scholarship to Manipur Students	173–174
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	174–176
हिमालयवर्ती सीमा प्रदेशों से संयुक्त राज्य अमरीका के लिये प्रतिरक्षा सम्बन्धी जानकारी एकत्र करने के सम्बन्ध में अमरीकी कांग्रेस के अभिसाक्ष्य में किया गया रहस्योद्घाटन	Revelation made in US Congressiona testimony re-collection of information of defence interest to USA from Himalyan border. ...	174
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	176–178
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	178–179
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	179
इक्कीसवां प्रतिवेदन	Twentyfirst Report	179
बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक–जारी	Banking Laws (Amendment) Bill-Contd	179
विचार करने का प्रस्ताव प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to consider, as reported by Select Committee	
श्री नारायण दाण्डेकर	Shri N. Dandeker	181
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	185
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	188
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shri Sucheta Kripalani ..	189
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta ...	192
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	193
श्री विश्वनाथ मेनन	Shri Viswanatha Menon	194
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	195

तारा प्र.संख्या/ U.S. Q.Nos	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
श्री देवेन सेन	Shri Deven Sen	196
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka ...	196
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinivas Misra	196
श्री दडपाणी	Shri Dhandapani	199
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	200
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	201
स्कूटरों के निर्माण के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion re-Manufacture of Scooters	204
श्री सं. चं. सामन्त	Shri S.C. Samanta ..	204
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F.A. Ahmed	206

लोक-सभा
LOK-SABHA

सोमवार, 5 अगस्त, 1968/14 श्रावण, 1890 (शक)
Monday, August 5, 1968/Sravana 14, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कोटा स्थित उर्वरक कारखाने के बारे में जांच

*306. **श्री बेनी शंकर शर्मा :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 अप्रैल, 1968 को कोटा स्थित उर्वरक कारखाने के "फिलिंग टावर" में हुई दुर्घटना की जांच करने वाले जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) राजस्थान सरकार से जांच समिति की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Shri Beni Shankar Sharma : Mr. Speaker, I want to know from the hon. Minister how many persons were killed in this accident and how many were injured and whether the Government has made any arrangement to give compensation to them. If so, to which extent ?

श्री रघुरामैया : कानून के अन्तर्गत मुआवजा देने के सम्बन्ध में जाँच करने तक राजस्थान सरकार ने शीघ्र राहत के रूप में 300 रुपये से 500 रुपये तक मृतक मजदूरों के परिवारों और आश्रितों को दिया है ।

Shri Beni Shankar Sharma : These days multi-storeyed buildings are being constructed. And there is every likelihood of the labourers engaged in the construction work getting injured. Whether the Government is considering to frame a law by which the engaged labourers may be safeguarded and due compensation be given in case of there being injured.

श्री रघुरामैया : मैं समझता हूँ कि यह मामला राजस्थान सरकार से सम्बन्धित है, फिर भी जांच आयोग के प्रतिवेदन की प्रतिक्षा करनी चाहिए, इसके द्वारा हमें यह पता चलेगा कि यह घटना कैसी हुई ।

श्री वेणी शंकर शर्मा : मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार का विचार निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कोई विधान बनाने का हैं, यह सामान्य प्रश्न है ।

श्री रघुरामैया : अगर यह सामान्यतः सभी मजदूरों से सम्बन्धित हैं तो श्रम मंत्रालय का कार्य है ।

Shri Yeshwant Singh Kushwah : I want to know whether it is being examined by the Central Government or Rajasthan Government and when the report will be submitted.

श्री रघुरामैया : यह जांच राजस्थान सरकार द्वारा कराई जा रही है, उन्होंने एक आयोग स्थापित किया है । मैं कह नहीं सकता कि किस निश्चित तारीख तक यह प्रतिवेदन भेज दिया जायेगा, राजस्थान सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त कर दिया है ।

श्री वि० ना० शास्त्री : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि दूसरे कारखानों की अपेक्षा उर्वरक कारखानों में दुर्घटनाएं अधिक संख्या में होती है, मैंने हाल ही में नामरूप का दौरा किया था और मैंने पाया कि वहां काफी संख्या में दुर्घटनाएं हुई हैं ।

श्री रघुरामैया : दुर्घटनाओं का सम्बन्ध किन्हीं स्थानों से नहीं होता है ।

इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स, लिमिटेड

*307. **श्री मधु लिमये :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक संसद सदस्य से इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश और सरकारी क्षेत्र में शल्यक्रिया उपकरण फैक्टरी में अकुशलता, भाई भतीजावाद गलत कार्यक्रम बनाने और गवेषणा कार्य में अव्यवस्था के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या मुख्य आरोप लगाये गये हैं;

(ग) क्या किसी जांच का आदेश दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) जी हां ।

(ख) माननीय सदस्य, जिन्होंने यह प्रश्न पूछा है, के पत्र दिनांक 3 अप्रैल, 1968 की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1593/68**]

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) भारत सरकार को सन्तोष है कि प्रबन्धक, परियोजनाओं के कार्य-संचालन में सुधार करने के लिये हर संभव और आवश्यक कदम उठा रहे हैं, और जांच का कोई विशेष कारण नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : Will the hon. Minister inform how much drugs have been sold and the profit or loss thereon ?

श्री रघुरामैया : मेरे विचार में माननीय सदस्य का मतलब ऋषिकेश से है, वहां पांच टन पौटासियम साल्ट का उत्पादन हुआ है, और हंगरी के साथ इसके विक्रय के लिए बातचीत चल रही है, शीघ्र ही बाजार में कुछ सोडियम साल्ट विक्रय के लिए आने वाला है जिसका अभी हाल में परीक्षण के तौर पर उत्पादन किया जा रहा है । यह सर्वविदित है कि कारखाने को चालू करने में 11 महीने के करीब देर हुई है और फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में भी 3 से 4 महीने की देर हुई है ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, my question has not been replied to. I have asked how much goods of the factory have been sold and the total profits earned.

श्री रघुरामैया : जो कुछ भी उत्पादन किया जा रहा है उसको हंगरी के साथ बेचने के लिए बातचीत चल रही है ।

अध्यक्ष महोदय : यह अभी तक नहीं बेचा गया है ।

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : कारखाने का उत्पादन अभी शुरू हुआ है, मै नहीं जानता कि इसमें इतनी जल्दी लाभ कैसे हो सकता है ?

Shri Madhu Limaye : May I know on which date the factory started functioning ? Advertisement are appearing in the newspapers for a considerably long time that the products are ready and we are prepared to sell it. I want to know when the factory has started functioning and why not the goods have been sold so far ? The money of the public and the Government are invested in the factory but there is no profit is coming out. Mr. Speaker, you will come to know about the whole situation if you read my letter. So the reply of this question may clearly be given.

श्री रघुरामैया : बिक्री के लिए विज्ञापन का पहले निकालना जरूरी है जिससे बाजार में माल का प्रचलन किया जा सके, मैं मानता हूं कि उत्पादन देरी से हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब वे दूसरा प्रश्न पूछें ।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister is not stating the dates of its functioning. I will not ask the second question. I am asking the dates of its functioning and when the advertisement appeared in the newspaper. The hon. Minister may please give item-wise information.

श्री अशोक मेहता : उनका एक पत्र मिला है जिसका हमने पूरा उत्तर दे दिया है, अगर वे दूसरा पत्र देते हैं तो हम उसका विस्तार से उत्तर देंगे । हम यह नहीं बता सकते कि निगम ने किस तारीख को विशेष विज्ञापन निकाला था ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, you yourself decide it, whether it is broad question or not.

My question is whether the hon. Minister is not ready for special enquiry by a Parliamentary Committee ? It is useless to ask him. You have asked to various Committee to conduct special enquiry on my demand. You have asked the Estimates Committee and the issue of sulpher was referred to the Public Undertakings Committee. Will you ask the Public Undertakings Committee to examine. This case on the basis of my memorandum and other complaints ? I have no hope to get any justice from the Government and the hon. minister.

श्री अशोक मेहता : इसकी जांच की जा रही है, मैंने माननीय सदस्य को लिख दिया है, अगर वे उसको पढ़े तो उन्हें सब पता चल जायेगा ।

Shri Madhu Limaye : I have read it. Will the issue mentioned in my memorandum be referred to the Public Undertaking Committee.

अध्यक्ष महोदय : हम इसको भेज देंगे ।

श्री बूटा सिंह : ऐसा मालूम होता है कि इस विशेष सरकारी उपक्रम की निन्दा नियमित रूप से हो रही है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रूसी विशेषज्ञों ने इन एककों के कार्य पर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ? यदि हां, तो इस प्रतिवेदन में क्या मुख्य बातें हैं ।

श्री रघुरामैया : उन्होंने ऋषिकेष, हैदराबाद और मद्रास स्थित तीन एककों का दौरा किया और विभिन्न तकनीकी पहलुओं का अध्ययन किया है, इस सम्बन्ध में उन्होंने तकनीकी पक्षों को सुधारने और अतिरिक्त मशीनों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, यह अभी विचाराधीन है।

श्री बूटा सिंह : मैंने पूछा था कि क्या रूसी विशेषज्ञों द्वारा उपक्रम की वर्तमान कार्य पद्धति पर पुनर्विचार किया जा रहा है ? और क्या उन्होंने इसका मूल्यांकन किया है ? क्या उन्होंने इसको सन्तोषजनक बताया है ।

श्री रघुरामैया : मोटे तौर पर वे सन्तुष्ट हैं ।

Shri Atal Behari Vajpayee : There is a general complaint against the management of Factory at Rishikesh. The hon. Minister may consider it. Just it has been answered that negotiations are being going on with Hungary regarding the sale of finished goods. Does it not mean that there is no market for that goods in India and whether we are manufacturing the goods to send only to the foreign countries.

श्री रघुरामैया : जब इस कारखाने के निर्माण की बात सोची गई थी तब उदाहरण के लिए पैनिसिलिन की बहुत मांग थी, तब से इसकी माँग गिर गई है, भेषज विज्ञान की उन्नति के साथ साथ ऐसा होना स्वाभाविक है । कुछ मामलों में हम माल को इधर-उधर भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं । ऐसा करना आवश्यक है ।

Shri Nitiraj Singh Chaudhary ; The streptomcycin which is being manufactured in the factory, dose not dissolve fully, when dissolved before administering the injections. May I know whether the attention of the hon. Minister has been drawn in this regard, if so, what steps are being taken.

श्री रघुरामैया : जी हां, स्ट्रेप्टोमाइसिन को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये, इसके बारे में कई बातों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मंत्री महोदय ने पैनिसिलिन का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके पास यह निर्यात करने के लिए पर्याप्त मात्रा में है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य है या नहीं कि रूसी सहायता से इस कारखाने को स्थापित करने का उद्देश्य कुछ विशेष प्रभाव शाली औषधियों और रासायनिकों का स्वदेशी उत्पादन करना था जो कि हमें भारी मूल्य में आयात करना पड़ता था । यदि हां, तो वे कैसे निर्यात के आर्डर के बारे में कह रहे हैं जबकि अपने ही देश के आर्डरों के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, दूसरा यह समाचार मिला है कि ऐसे कुछ प्रभावशाली व्यक्ति, जिनका स्वार्थ निहित है कि देश में इनका निर्माण न होकर विदेशों से आयात किया जाय, इस कारखाने के उत्पादन और कर्मचारियों को रखने की गति को धीमी करना चाहते हैं । क्या यह सत्य है ? यदि नहीं, तो उत्पादन के आरम्भ न होने के वास्तविक कारण क्या हैं ?

श्री रघुरामैया : यह बात नहीं है कि ऐसे व्यक्ति, जिनका स्वार्थमय हित है, आयात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्पादन में देरी कर रहे हैं बल्कि वास्तविकता यह है कि कुछ व्यक्ति जानबूझ कर ईर्ष्यावश इसकी निन्दा कर रहे हैं...

एक माननीय सदस्य : वे कौन लोग हैं ?

श्री रघुरामैया : वे जो भी हों, ऐसे कुछ लोग हैं जो यह कर रहे हैं ।

श्री मधु लिमये : कौन लोग ऐसा कर रहे हैं ?

श्री रघुरामैया : ये संसद के बाहर के लोग हैं, मेरे विचार में माननीय सदस्य के प्रश्न का दूसरा भाग हैदराबाद स्थित कारखाने से सम्बन्धित है । विभिन्न सल्फा औषधियां बाजार में उपलब्ध हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मैं ऋषिकेष स्थित कारखाने की बात कर रहा हूँ, क्या इसमें रासायनिक का उत्पादन केवल निर्यात के लिए हो रहा है अथवा देश को इसमें आत्म निर्भर बनाने के लिए हो रहा है ।

श्री अशोक मेहता : जहां तक एण्टी-बायोटिक्स कारखाने का सम्बन्ध है, इसमें कुछ समय लगेगा, यहां तक कि रूसी विशेषज्ञों ने कहा है कि हम इसमें तेजी ला रहे हैं । एण्टी बायोटिक्स का उत्पादन देश में ही किया जा रहा है । जहां तक पैनिसिलिन का सवाल है देश के अन्दर इसकी कोई मांग नहीं है और अगर विदेशों से इसके लिए आर्डर मिलते हैं तो इसमें परेशान होने की क्या बात है ?

श्री कार्तिक उराव : अकुशलता, भाई-भतीजावाद, गलत कार्यक्रम और इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स के गवेषणा केन्द्रों में अव्यवस्था एक बात हो सकती है परन्तु इनको बनाने वाली परिस्थितियां दूसरी बात हो सकती है, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या हाल में अधिकारियों व कर्मचारियों को किसी आधार पर नौकरी से निकालने के मामले हुए हैं ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि वे कौन हैं और किस आधार पर उनको निकाला गया है ?

श्री रघुरामैया : इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं और हमने उनकी जांच की है । सम्बन्धित मामलों की भलि-भांति जांच करके प्रबन्धक ने अपने अधिकार के अनुसार जो कुछ किया है उससे हम संतुष्ट हैं । सरकार के लिए यह बड़ा कठिन है कि वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप करे ।

श्री लोबो प्रभु : ऐसे चार कारखानों का रिकार्ड यहां है जो सन्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि यह गलत आरम्भ, व ठीक स्थापित न होने व कुप्रबन्ध के कारण हो, परन्तु प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या मंत्रालय जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो इस मामले की जवाबदेही के लिए सरकारी उपक्रम समिति के विस्तृत जांच की आवश्यकता है । इसकी शीघ्र कार्यवाही की जाए ताकि हमारा विनियोजित धन व्यर्थ न जाय और औषधियां उपलब्ध हो सकें ।

श्री अशोक मेहता : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मुझे उस पर आश्चर्य है, ऋषिकेष में स्थित कारखाना संसार में अनूठा है, यहां तक रूस में भी ऐसा कारखाना नहीं है ।

श्री रवि राय : क्या अकार्यकुशलता में अनूठा है ?

श्री अशोक मेहता : अगर माननीय सदस्य इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, रूस के एक कारखाने में अधिक से अधिक दो या तीन एण्टी-बायोटिक्स, का उत्पादन होता है जबकि इस कारखाने में छः या सात एण्टी-बायोटिक्स का उत्पादन होता है । इसका संगठन देखभाल तथा व्यवस्था विशेष रीति से करनी होती है । मैं समझता हूं कि तकनीकी रूप से यह हुनर का कार्य है जिसका हमें अभिमान है और इस प्रकार इसकी निन्दा नहीं करनी चाहिए ।

श्री तीरुमल राव : क्या सरकार को मालूम है कि इस कारखाने में अन्तर-प्रान्तीय प्रतिस्पद्धा व ईर्ष्या चल रही है ताकि निपुण व्यक्तियों को बाहर निकाला जाय ? यदि हां, तो सरकार इस अन्दरुनी प्रतिस्प्रद्धा का समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रघुरामैया : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने कुछ समय पहले मुझसे इसका जिक्र किया था मैं नहीं समझता कि इसका कोई आधार है ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : A delegation of twelve members of Lok Sabha visited Surgical Instruments Plant, Madras at theend of May and there we saw that knives are being manufactured for Ashoka Hotel at that plant and pistols are being produced for Defence purposes. The officials stated that so much stock is lying that there is no market for it. The Government hospitals do not purchase our goods. What steps are being taken by the Government to solve the problem of this plant and see that it produce only surgical instruments for which it has been set up.

श्री रघुरामैया : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसमें अधिक सचाई नहीं है । यह सच है कि कारखाने को चालू करने से पूर्व भारतीय स्थिति के अनुसार ठीक-ठीक बाजार का सर्वेक्षण नहीं किया गया, वहां के निर्मित औजार उच्च कोटि के हैं । परन्तु जब सस्ता माल उपलब्ध है तो अस्पताल वाले मंहगी वस्तुओं को खरीदना नहीं चाहते हैं चाहे वे उच्चतम कोटि की क्यों न हों । इसलिए हम उत्पादन को इधर-उधर बेचने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । मेरे विचार में परिवार नियोजन विभाग ने इसके लिए काफी आर्डर दिए हैं और हम इस कारखाने का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : इस सत्य को देखते हुए कि ऋषिकेष कारखाने की निन्दा की जा रही है, जो ठीक नहीं है, और जिसकी वजह से कारखाने के सुचार कार्य में बाधा पड़ रही है, क्या मंत्री महोदय स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक विवरण देंगे जिससे सम्बन्धित पक्षों की निन्दा द्वारा की जा रही शरारतों को दूर किया जा सके ?

श्री अशोक मेहता : सभा के नियमानुसार अगर ऐसे विवरण की मांग की जाएगी तो मैं यह दे दूंगा ।

दिल्ली में खोखों का गिराया जाना

*313. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1968 में दिल्ली में तिलक नगर में कुछ खोखे सरकार की हिदायतों पर गिराये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में दिल्ली प्रशासन से परामर्श किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) यह सच है कि तिलक नगर में मई, 1968 में कुछ खोखे गिराये गये थे ।

किन्तु यह कहना सही नहीं है कि यह खोखे गिराने का अभियान भारत सरकार के अनुदेशों पर किया गया था ।

(ख) यह अभियान दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों द्वारा चलाया गया था ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Hardayal Devgun : I want to ask from the hon. Minister whether he is aware of the statements of the Chief Executive Councilor of Delhi and also other officers in which they stated that the Delhi Administration is quite ignorant about the demolishing of these Khokhas, and that neither they have any information nor have they been consulted in this behalf ?

श्री ब० सु० मूर्ति : मेरे विचार से जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है वह सत्य नहीं है, क्योंकि 13 जनवरी, 1968 को उप-राज्यपाल के कार्यालय में एक बैठक हुई थी, जबकि इस कार्यवाही का निर्णय किया गया । उसी मास की 20 तारीख को भी एक अन्य बैठक हुई जबकि जिला मजिस्ट्रेट भी उसमें बुलाये गये थे ।

श्री नाथ पाई : प्रश्न या तो हिन्दी में हो अथवा अंग्रेजी में, खिचड़ी भाषा में नहीं । यह "खोखा" डिमालीशन क्या होता है ? खोखे गिराये गये ऐसा कहें । बम्बई में श्री के० के० शाह को खोखा शाह कहते हैं ।

श्री ब० सु० मूर्ति : खोखा शब्द खोंचे वालों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है । खोखा फटरी पर बेचने वालों द्वारा लकड़ी से बनाये गये एक छोटे से निर्माण के अतिरिक्त कुछ नहीं है ।

Shri Herdayal Devgun : He means the meeting was held on the 16th January ?

श्री ब० सु० मूर्ति : 13 जनवरी, 1968 को तथा फिर 20 तारीख को । दो बठकें हुई थीं ।

Shri Hardayal Devgun : The hon. Minister says that there were two meetings. After the meeting in January, the police action was taken in the month of May. I want to know whether they informed the Delhi Administration and took the corporation into confidence before taking police action; or whether Shri Shukla directly ordered the police to demolish those Khokhas ? The reason for my question is that there is an allegation against them that the police is under them, the Home Ministry has got those Khokhas demolished, the Delhi Admn. and the Delhi Corporation has not been taken into confidence, and thus the Government is doing such activities of subversion in Delhi.

श्री ब० सु० मूर्ति : नगर निगम के अधिकारियों की शिकायत पर 28 मई के अपराह्न में उप-राज्यपाल के कार्यालय में यह मामला विचारार्थ आया था कि स्थानीय पुलिस उन्हें कोई सहायता नहीं दे रही है । जिला मजिस्ट्रेट को बुलाया गया था तथा उन्होंने यह शिकायत की थी कि उनको किसी प्रकार की सहायता के लिये नहीं कहा गया था ।

श्री कंवरलाल गुप्ता : यह प्रश्न बिल्कुल नहीं समझे हैं, पहले उन्हें प्रश्न समझना चाहिये ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवम नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : महोदय जब यह प्रश्न हमें भेजा गया था तब हमने आपको लिखा था कि यह प्रश्न हमारे मंत्रालय से नहीं प्रत्युत गृह कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित है । परन्तु इसी बीच जानकारी आपके पास पहुंच गई, प्रकाशित हो गई तथा इसीलिये आपने कहा "इसे यहीं रहने दो।" वास्तव में यह प्रश्न गृह-कार्य मंत्रालय के लिये है। पुलिस हमारे अधीन नहीं है और इसलिए हम इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं है।

Shri Atal Behari Vajpayee : The question may be transferred to the Home Ministry.

Shri Hardayal Devgun : We had asked the Home Minister. We wanted him to reply. We meant that the Home Ministry is desiroius of uprooting the Jan Sangh Government in Delhi.....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सूची में यह प्रश्न काफी दूर था तथा हर आदमी यह सोचता था कि इसकी बारी नहीं आयेगी; परन्तु इसकी बारी आ गई है तो जो कुछ जानकारी आपके पास है वह आप दे सकते है।

Shri Atal Behari Vajpayee : May I know whether the attention of the Home Minister has been drawn to the Statement of the Lt. Governor that no orders were issued to demolish those khokhas, if so, how does, then the Home Minister says that certain officers got those khokhas demolished ? Who were those officers and who authorised them to get those khokhas demolished ?

Shri Satya Narayan Sinha : I would request you to transfer this question to the Home Minister for details.

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रश्न को उत्तर के लिये गृह-कार्य मंत्री को भेज दें। यह बिल्कुल ठीक है तथा उन्होंने यह बात कही थी। इस प्रश्न को आज जैसी ही वरियता प्राप्त होगी तथा यदि उस दिन अधिक सदस्य अनुपस्थित होंगे तो इसकी बारी भी आ जायेगी।

Shri Atal Behari Vajpayee : It is a bad luck for Delhi that when the Health Minister is asked, he says that the Home Minister should reply and when Home Minister is asked.....

Shri Sheo Narain : When Shri Devgun has stated that he has asked it from the Home Minister, then, why should he worry about the Health Minister ?

Laws to Stop Beggary

***314. Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Social Welfare be pleased to state:

(a) the State Governmet which have enacted laws to stop beggary; and

(b) the extent to which these laws have been successful ?

The Minister in the Department of Social Welfare (Dr. S.M.T. Phulrenu Guha) : (a) The following states have enacted prevention of beggary act:-

Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Jammu and Kashmir. Kerala, Madras, Maharashtra, Mysore, West Bengal and Delhi.

(b) Although the results are generally encouraging, no evaluation has been under taken by the Government of India because the implementation of the Acts is the responsibility of the State Governments concerned.

Shri Raghuvir Singh Shastri : Is the Govt. aware that the beggary is done not only by the needy persons but by the richmen and contractors also... ..

Shri Kanwar Lal Gupta : Government also does it.

Shri Raghuvir Singh Shastri : The contractors kidnap little children and put the blind and handicaped children on this jobs. They distribute these children in different localities of Delhi and thus earn about Rs. 500/- a day. I want to know whether the Government has done anysurvey as to how many persons are engaged in this work on commercial basis ?

डा० श्रीमती फूलरेणु गुह : हमारे पास वह जानकारी नहीं है । परन्तु यदि हमसे कहा जाये तो हम यह जानकारी देने की कोशिश करेंगे ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : In Delhi, the Govt. has opened a poor house where the arrested beggers are brought and kept and are taught to do some work. There are about 1200 beggers. Is it true that this scheme has totally failed because when they go away from that place they again indulge in beggary and the Govt. is waseting about Rs. 5-7 lakhs on this scheme every year ? What measures are being taken up to improve this state of affairs ?

डा० श्रीमती फूलरेणु गुह : यह मामला दिल्ली प्रशासन के अधीन है । यदि आप चाहें तो हम रिपोर्ट मंगाकर आपके सामने पेश कर देंगे ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : यह कहा गया है कि इसके परिणाम प्रायः उत्साहवर्द्धक रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने विभिन्न स्थानों जैसे प्लेटफार्म आदि पर जाकर लोगों को भीख मांगते देखा है जो कि केवल भीख ही नहीं मांगते बल्कि यात्रियों द्वारा फेंके गये टुकड़े भी उठाकर खाते हैं ? क्या इसी से पता लगता है कि परिणाम बड़े उत्साह बर्द्धक हैं ? यदि नहीं तो फिर क्या है ? दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि यदि आप उन्हें कोई अन्य रोजगार नहीं देते तब तक भिक्षावृत्ति को रोकने की आप कैसे आशा करते हैं ?

डा० श्रीमती फूलरेणु गुह : जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, इस सम्बन्ध में कानून राज्य सरकारों द्वारा लागू किये जाते हैं । भारत सरकार तो राज्य सरकारों को इस कार्य के लिये वित्तीय सहायता तथा मार्ग दर्शन प्रदान करती है । भारत सरकार इस योजना के अधीन स्वीकृत व्यय का 50 प्रतिशत वहन कर रही है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Has the Govt. ever surveyed as to how many beggars are there in each State ? Have they ever totalled them. If so, what laws have been formulated in this behalf and will the Govt. declare those laws ?

I want to know whether the Govt. considers only that person a beggar who begs money or cloth only ? Some senior Ministers of our Govt. also go to beg alms to foreign countries, what laws does the Govt. propose enact to check these Ministers from begging ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इसका कोई उत्तर नहीं होता ।

Shri Hukam Chand Kachwai : You get me an answer for my first question atleast. She may state the number of beggars in each State.

श्री बी० शंकरानन्द : इस देश में, भिक्षावृत्ति हो अथवा छूत छात, दुर्भाग्य से दोनों ही अभी तक चल रही है, तथा जो सारे सामाजिक कानून चाहे वे भिक्षावृत्ति को, रोकने के लिये बनाये गये हैं चाहे छूत-छात को, वे या तो ठीक से लागू नहीं किये जाते, या फिर उनकी अवहेलना की जाती है या आधे मन से लागू किया जाता है । क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या मंत्रालय को ज्ञान है कि ये सामाजिक कानून इस देश में पूरी शक्ति तथा निश्चय के साथ लागू नहीं किये जाते हैं, यदि हां, सरकार इस मामले को लेकर कोई नये कानून बनाने का विचार कर रही है तथा सारे मामले को भारत सरकार के अधीन ला रही है, ताकि भिक्षावृत्ति और छूत छात समाप्त हो जाये ?

डा० श्रीमती फूलरेणु गुह : यह एक सुझाव है ।

श्री क० लकप्पा : मंत्री महोदय ने उन राज्यों का नाम बताया है जहां भिखारियों को सहायता देने के उपाय किये गये हैं । मैं अपने राज्य मैसूर के बारे में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा जहां कि उन्होंने एक भिक्षुक सहायता समिति का गठन किया है । इस समिति के सदस्य सब पराजित कांग्रेसी हैं तथा उस समिति के सदस्यों की संख्या उस केन्द्र से सहायता प्राप्त करने वाले भिखारियों की संख्या से भी बडी है । क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या भारत सरकार इस मामले की जांच करेगी तथा भारत से भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिये कोई ठोस उपाय करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : या तो भिखारियों की संख्या बढ़ा दीजिये या फिर समिति के सदस्यों की संख्या घटा दीजिये ।

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : यह भी एक सुझाव है·····(व्यवधान)

श्री स्वैल : माननीय सदस्य ने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है । उन्होंने कहा है कि व्यवस्थापकों की संख्या भिखारियों की संख्या से अधिक है । मन्त्री महोदय को इस का उत्तर देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं ही स्पष्ट कर दिया कि क्या वह भिक्षुकों की संख्या बढ़ायेंगे या समिति के सदस्यों की संख्या कम करेंगे । उन्होंने कहा कि यह विचार करने के लिये एक सुझाव है ।

श्री मनुभाई पटेल : मन्त्री महोदय ने यह पाया है कि जहां भी यह 'भिखारी' अधिनियम लागू है वहां कुछ सफलता मिली है । परन्तु कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां यह 'भिखारी अधिनियम लागू नहीं हैं । अतः दूसरे राज्यों से चल कर वे लोग उन राज्यों में एकत्रित हो जाते है जहां यह अधिनियम लागू नहीं है तथा वहां समस्या खड़ी कर देते हैं । इन परिस्थि०

तियों में, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी यह अधिनियम लागू करेगी ।

डा० (श्रीमती) फूल रेणु गुह : हमें यह देखना होगा कि कानून के अनुसार क्या किया जा सकता हैं ।

Shri Ghayoor Ali Khan : I want to know how much money is given in beggary in every State every year ?

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : यह हमें मालूम नहीं है ।

Investment by Indians Settled Abroad

***315. Shri Shiv Kumar Shastri :**
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Ramavatar Sharma :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the people of Indian origin settled in some foreign countries have sought facilities from Government for investment of their capital in India ;

(b) if so, the decision taken by Government in this regard ; and

(c) whether it is a fact that it is likely to have a salutary effect on the foreign exchange position of India ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) Yes, Sir

(b) At present persons of Indian origin are allowed to make investment in Indian Joint Stock companies engaged in industrial activities. The question of allowing them to make investments in proprietorship and partnership concerns as well as in trading and business concerns is under the consideration of the Government.

(c) It is too early to estimate the effect upon the foreign exchange position of India.

Shri Shiv Kumar Shastri : To which country most of these persons belong who are doing business in foreign countries, and who propose to invest money here ; and also, how much money do they want to invest ?

Shri K. C. Pant : Most of them are from North-East Africa. It is difficult to say how much money they will invest.

Shri Shiv Kumar Shastri : By what time will their proposal be implemented ?

Shri K. C. Pant : As I said, they are allowed to invest if they fulfil certain condition of Joint Stock Companies. Recently, it was considered to permit them to invest money in the proprietorship and partnership as also the business concerns if they are able to fulfil their conditions also.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : इस वर्ष के आरम्भ में मैं पूर्वी अफ्रीका में था तथा नैरोबी में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण भारत मूलक व्यापारियों से मिला । उनके पास लगभग 500 करोड़

रुपये की विदेशी मुद्रा है तथा वे उस पूंजी को भारत में लगाने को बड़े आतुर हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार उनके भारत आने का स्वागत करेगी तथा क्या इस बार बातचीत करेगी कि क्या वे भारत में पूंजी लगा सकते हैं अथवा नहीं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं नहीं जानता कि किस आधार पर यह 500 करोड़ रुपये के आंकड़े दिये गये है। यदि एक ही व्यक्ति सभी की ओर से आंकड़े दे सकता है तो मैं नहीं जानता कि ये कहां तक ठीक हैं। परन्तु यदि वह धन यहां लाना चाहते हैं तो उनका निश्चय ही स्वागत है यदि वे यह मानले कि वे इसे वापस नहीं ले जायेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या भारत सरकार उन्हें निमन्त्रण देगी अथवा उनका स्वागत करेगी यदि एक साथ मिलकर इस मामले को लेकर आयें ?

श्री मोरारजी देसाई : यह पहले ही किया जा चुका है तथा हमने उनको बता दिया है।

Shri Om Prakash Tyagi : Is the Government aware that they have a large amount in foreign exchange and whether the Government itself has given an encouragement to them or whether they, on their own, have requested that they want to invest money in India ? Besides that, since the enactment of a new law in East Africa, how many Indians have come over here to invest money and how much have they invested so far ?

Shri K. C. Pant : So far as talks are concerned, they too have talked and but their difficulties and we too, in our turn, told them about the facilities-as I said a little while ago, that we can provide them.

Shri Om Prakash Tyagi : My question was whether the Govt. of India on its own contacted to those Indians who have large amounts of foreign exchange, to invest that money in India ; or they theirselves tried for it ?

Shri Morarji Desai : Again it will not said that we have started begging.

Shri Om Prakash Tyagi : There is no question of begging here. They are our countryman and now they want to invest their money here. If it is wrong to call it begging when we ask own men to invest money here. No efforts are being made by Govt. of India to call them here.

Shri Morarji Desai : We have told them that they may come here and we will welcome them.

Shri Prakash Vir Shastri : Is it a fact that Govt. come to know about such cases also where the assurances or facilities proposed to be provided to those people there so inadequate that they preferred to invest money in other countries like Sweden and Switzerland rather than in India ? Are there legal difficulties in Governments' may owing to which Government is unable to give them full facilities ? If so, is there any Bill in the Parliament so that there difficulties might be removed ?

Shri K. C. Pant : There is no question of legal difficulties. The point is that the profit which they make here as also the money which they invest here, There should not

be taken back by them so that there is no loss of foreign exchange. After answering that only we can consider and only these conditions we have put.

श्री दी० चं० शर्मा : इनमें से कुछ भारतीय केन्या में जा कर बस गये तथा ब्रिटिश नागरिकता स्वीकार कर ली तथा वे ब्रिटेन जाने को उत्सुक थे ; परन्तु उनका यहां स्वागत नहीं किया गया । क्या मैं जान सकता हूं कि एसे कितने लोग भारत आये तथा उनको कितनी अबधि के लिए वीजा दिये गये ; तथा कितने लोगों ने यहां अपना धन लगाया और कितना धन लगाया ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : प्रश्न का पहला भाग तो वैदेशिक कार्य मन्त्री से किया जाना चाहिये, तथा दूसरे भाग के लिए मुझे सूचना चाहिये ।

श्री रंगा : हम अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि विदेशी यहां आये तथा हमारे देश में अपनी पूंजी लगायें । और यहां कुछ व्यक्ति हमारे अपने हैं जिनके धन की हमें बड़ी आवश्यकता है तथा जिनको अपनी समस्याओं के लिए हमारी सहृदयता की भी बड़ी आवश्यकता है । क्या हमें यह आश्वासन प्राप्त हो सकता है कि वित्त मंत्रालय तथा वित्त मन्त्री इस समस्या को केवल व्यापार की दृष्टि से नहीं देख रहे बल्कि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से भी देख रहे हैं जहां हमें सहृदयता दिखानी है तथा साथ ही उन्हें निमंत्रण देना तथा मनाना भी है कि वे हमारी इन शर्तों पर कि वे लाभ और लगाई गई पूंजी को वापस नहीं ले जाये जिसको लगाने की अनुमति उन्हें लन्दन, स्विटजरलेंड तथा अन्य स्थानों पर प्राप्त है ।

श्री मोरारजी देसाई : इसका कोई लाभ नहीं यदि पैसा इस प्रकार आता है कि वे उसे यहां लगायें तथा तुरन्त ही जब चाहे उसे वापस ले ज यें । मैंने उन्हें यहां तक बता दिया हैं कि जो लोग भारत मूलक हैं तथा अब भारत में नहीं रहते, उनसे यह नहीं पूछा जायेगा कि वे वह रुपया केसे लाये, किस रूप में लाये । यहां तक मैंने उन्हें आश्वासन दे दिया है । इस से आगे मैं और क्या करूं ?

Shri Sarjoo Pandey : There are many Indians in foreign countries where their monies are confiscated and they are sent back to India ; and the Government here has put such conditions on them that they are not able to earn their living here ; so, I want to know what steps will the Government take to see that those Indians, who are in foreign countries, may come over here in India, invest their money and earn their business ?

Shri K. C. Pant : As I said, previously we never permitted anyone to invest money in the proprietorship, partnership commercial or business concerns but when they requested for it we have permitted them. Only this much of undertaking will have to be given that they should not take back the money invested and the profit earned. Excepting these, we have not put any other condition which might cause any difficulty to them.

Shri Prem Chand Verma : The Deputy Prime Minister has assured that we would not ask them where from they bring money and I admit that it is a very good assurance. Besides this, I would like to know from him whether he is prepared to assure the House that he would keep a check on the black money which might be put in by certain people here through those people ?

Shri Morarji Desai : I cannot assure that.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मंत्री महोदय ने कहा है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा लाई गई विदेशी पूंजी का वह स्वागत करेंगे। इसके पश्चात् भी कोई ऐसी बाधा है जो उन लोगों को भारत आने से रोक रही है। अत: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यही केवल एक शर्त है कि भारत मूलक उन विदेशियों को केवल अपनी पूंजी वापस ले जाने की अनुमति नहीं होगी अथवा क्या कोई और भी शर्तें हैं ? इस संदर्भ में, क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इन सुविधाओं के अतिरिक्त क्या और भी कोई विशिष्ट सुविधाओं की मांग उन लोगों ने की है ?

श्री मोरारजी देसाई : जहां तक मैं समझता हूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके मार्ग में केवल यही एक कठिनाई है कि जो यह पैसा वे लगा रहे हैं उससे उन्हें लन्दन में अधिक लाभ हो रहा है और वे चाहते हैं कि मैं उन्हें यह आश्वासन दूं कि वे वहां से यहां अधिक कमा सकेंगे तथा यह आश्वासन देने में मैं असमर्थ हू।

Shri Sheo Narain : The hon. Finance Minister has said that he is prepared to welcome them, but I want to know that except this welcome, whether you would give any special consideration to them ?

Plight of Harijans and Adivasis in Andhra Pradesh

*316. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the plight of the Harijans and Adivasis of Andhra Pradesh is very miserabl; and

(b) if so, whether Government propose to take any effective steps for their amelioration ?

Dy. Minister in the Department of Social Welfare and in the Ministry of Petrolium and Chemicals (Shri Muthyiral Rao.) (a) No, Sir. such a general statement is not warranted by the circumstances.

(b) The question of Government taking specail steps in this context, therefore, does not arise.

The Government, however, have been taking effective steps for the amelioration of the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes as envisaged in the Constitution of India. So far, nearly Rs. 14 crores have been utilised from the backward classes sector alone on the welfare of Harijans and Adivasis in Andhra Pradesh.

Shri Prakash Vir Shastri : Although the condition of the Harijans and Adivasis is miserable through out the country, but in Andhra Pradesh it is extraordinerily grave because the Minister of the Government there expose their hatred towards them quite publicly as has been done recently by a Minister of Andhra Pradesh, Shri Thimma Reddy who was much in discussions here and in Andhra Pradesh. The Dy. Minister has just now stated about various steps being taken to improve the condition of those people, so may I know that there would be no repitition of such incidents and also what steps you have taken or going to take to ensure equal rights to those people in Andhra Pradesh ?

Shri Muthyal Rao : Previously too, this question had come in the House and there was enough discussion over it. A decision was taken and you are also aware of that.

Then citing an example of a Minister say something if it is said that the condition of all the Harijans is grave, I am not prepared to admit it.

Shri Prakash Vir Shastri : Perhaps I could not make the hon. Minister understand my question. I want to repeat that in view of the condition prevailing in Andhra Pradesh whether this Department of Govt. of India is going to take certain special measures in this regard so that such incidents do not recur on Government level ? This was my question.

Shri Muthyal Rao : There has been no such incident officially. My hon. friend is perhaps refering to that case where in Kac' Kicharla a Harijan child was murdered. I myself went there for an on the spot enquiry and have submitted a report in this regard. It is true that a Harijan child was killed. But the charge made by certain persons in the House that a Harijan women was made nacked and was taken in a procession, is quite untrue. I mysalf went there and made investigations. The incident of the death of a child is correct but that of a Harijan women having been taken in procession is quite wrong. It is my district also and I am stating this after making full invetigations.

Shri Prakash Vir Shastri : My second point is that not going into the details whether that is the district or constituency of the hon. Minister, I want to say that the death of that child is not only one incident; after that there have been many more incidents also which have been published in the newspapers of Andhra Pradesh and others, about killing the Harijans or misbehaving with them in many ways. But did you ever hear anything about these incidents ? In the Adivasi area of Adilabad, certain Christian Mission aries are exploiting the poverty and converting those poor Adivasis into chirstians, if so, what measures are you taking to check it ?

Shri Muthyal Rao : Let me make it clear that in the areas where that Harijan child has been killed is not my constituency. Mehboob Nagar, which has been mentioned here, is my constituency. Now as he said it, I shall go to both the places and inquiry and after that, I will submit a report to the House.

Shri Ram Gopal Shalwale : Please reply to the question regarding christian missionaries.

श्री पी. एंथनी रेड्डी : मुझे दुख है कि माननीय सदस्य एक व्यक्तिगत मामले का साधरणीकरण कर रहे हैं। वस्तुत: आन्ध्र प्रदेश सरकार आदिवासियों के उत्थान और पुनर्वास के लिये पर्याप्त सुविधा जुटा रही है। हरिजनों और आदिवासियों के भाग्य-सुधार के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार जितना भी हो सकता है, उतना प्रयत्न कर रही है।

श्री मुत्याल राव : मैं जानकारी देने के लिये माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं।

Shri Shiv Charan Lal : May I know whether Government had been giving the false assurances for improving the lot of Harijans and Adivasis for the last 20 years and did nothing to materialize them ? Such incidents happened not only in Andhra Pradesh but in Sikandarabad also.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न आन्ध्र प्रदेश से सम्बन्धित है न कि सम्पूर्ण भारत से।

Shri Chandrajeet Yadav : Is it a fact that the depress class people like Harijans etc. are still backward in social and economic spheres, though a number of times announcements had been made and various efforts are made for improving the lot of the depresed

class ? Even now such horrifying incidents are taking place. The land, which should have been distributed among the landless people of these backward classes, had not been given to them. It is often othersr. May I know whether Government will make such a scheme in fourth Five year Plan period, as will help in improving the condition of this section of society ?

Shri Muthyal Rao : I do agree with the fact that the lot of Harijans has not yet improved fully. But at the same time I am compelled to say that the condition of Harijans has improved a lot. Their financial position is not as much satisfactory as it should have been. There is now more education, the people of these classes are on higher posts in Government offices. Some of them, are Ministers and some are legislators. As soon as the financial condition of country will improve, their financial condition will also improve. We will ask the State Governments too to do the needful in the matter.

Shri Rabi Rai : I think that the Minister has not taken this question seriously. The 'patriot' gave this news. We ourselves went to Hyderabad. Is the Minister aware of the fact that a boy was burnt to death in Nichalappa village and the case related to that incident has already been dismissed. if so, it means the villagers will perpetuate the altrocities on them; and in view of it whether Central Government will contact the Chief Minister of Andhra Pradesh and urge upon him to improve the lot of Harijans in Andhra Pradesh ?

Shri Muthyal Rao : I can say nothing about the dismissal of the case. The Government has fulfilled its duty and the Court has did its duty. Secondly, we are doing as much as we can for the welfare of Adivasis.

Shri Kamble : May I know the steps being taken by the Government to improve the condition of Harijans ?

Shri Muthyal Rao: I said that the economic condition of the country is not sound.

An Hon.Member : Is it so for Harijans only ?

Shri Muthyal Rao: It is so for all.

श्री हेम बरुआ : चूंकि आन्ध्र प्रदेश में 'रेड्डी' और 'खामा' दो जातियां ही प्रधान है और प्रभुत्वपूर्ण हैं। आदिवासी और हरिजन उन्हीं के अत्याचारों से परेशान हैं। फादर फेरर को भी इसीलिये वहां बुलाया कि वहां आकर वे उचित कार्य करें। इस संदर्भ में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार हरिजनों और आदिवासियों को रेड्डियों के स्तर पर लाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इसी प्रकार की शिकायत श्री शिवनारायण की थी।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उन समाचार पत्रों की, जिन्होंने श्री थिम्मों रेड्डी तथा जलाये गये लड़के की घटनाओं का समाचार दिया, उन्हें साम्प्रदायिक घोषित किया है ? दोषी व्यक्तियों को किन आधारों पर विमुक्त कर दिया गया हैं ? क्या सरकार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करेगी।

श्री मुत्याल राव : इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि आन्ध्र प्रदेश ने जो करणीय था, वह किया। न्यायालय ने उस पर अपना निर्णय दे दिया। आन्ध्र प्रदेश की सरकार इसके विरुद्ध अपील करेगी या नहीं, इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या यह सच है कि हरिजन कल्याणार्थ निर्मित कोषों का अधिकांश धन तथा कथित हरिजन नेताओं ने हरिजन-कल्याण के निमित्त खर्च न करके अन्य कार्यों के लिये खर्च किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार हरिजन कल्याण के विषय को एक केन्द्रीय सूची का विषय बनायेगी ?

श्री अशोक मेहता : जी, नहीं। अब हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे सामान्य कल्याण कार्यक्रम में अनुसूचित जातियां तथा आदिम जातियां अपना यथोचित भाग ले सकें। चौथी योजना में उनके लिये नियत राशि के अतिरिक्त सामान्य विकास कार्यक्रम में भी उनके लिये अनुपात से धन निश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री नायनार : क्या श्री काकुलम-खम्मा और नलगोन्डा जिलों में अनेक पुलिस के कैम्प लगे हुए हैं जो आदिवासियों को तंग करते हैं। क्या सरकार उनकी परेशानियों को दूर करने के लिये कदम उठायेगी ?

श्री मुत्याल राव : हम आन्ध्र प्रदेश सरकार से पुलिस के कैम्पों के बारे में रिपोर्ट मांगेंगे, तथा हरिजनों के कल्याण पर केन्द्रीय सरकार भी ध्यान देगी। साथ ही यह भी ठीक है केरल जैसे राज्यों में हरिजनों के कल्याण के लिये नियत राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है।

श्री श्रीधरन : मन्त्री महोदय को ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहियें। वह अपने शब्द वापिस लें।

श्री नायनार : यह केरल सरकार पर आरोप लगाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : किसी भी पक्ष से आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाये जाने चाहिये। (अन्तर्बाधाएं)

कृपया आप सब बैठ जायें।

श्री अशोक मेहता : मैं आश्वासन देता हूं कि किसी भी सरकार पर आक्षेप करने का इरादा हमारा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : किसी राज्य सरकार पर आक्षेप करना उचित नहीं है।

Shri A. B. Vajpayee : Sir, are you giving permission to cast the aspersion against any State Govern ment ? If not, then I propose that he should be asked to withdraw his remakrs.

एक माननीय सदस्य : इसे कार्यवाही वृतांत से निकाला जाये।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यहां तो उपमन्त्री ने स्पष्ट रुप से कहा है कि कुछ राज्य सरकारें, जैसे केरल सरकार. धन का दुरुपयोग कर रही है, यह आरोप मात्र नहीं है। क्या इसे कार्यवाही वृतांत में जाने दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे भली भांति पता है कि क्या चीज वृतांत से निकाली जाये और क्या नहीं।

श्री विश्वनाथ मेनन : उपमन्त्री झूंठे हैं। (अन्तर्वाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : शोरगुल पर्याप्त हो चुका है। केवल शोर मचाने से ही तो कोई समस्या हल नहीं हो जाती। मैं मन्त्रिमंडल के वरिष्ठ मन्त्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की छानबीन करें और जिन राज्यों में इस प्रकार के धन का दुरुपयोग हुआ है, उनके आंकड़े बिना उन पर आरोप लगाये सभा पटल पर रखें। उन्हीं के आधार पर यह ज्ञात होगा कि आरोप ठीक था अथवा गलत।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : आप उनसे अनुरोध न करें बल्कि उन्हें आदेश दें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

न्यूनतम मजूरी

***301. श्री कं० हाल्दर :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारियों के लिये न्यूनतम मजूरी निश्चित करने सम्बन्धी सूत्र को, जिस पर चार वर्ष पूर्व समझौता हुआ था, किसी सरकारी विभाग ने अब तक कार्यान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सूत्र को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) न्यूनतम वेतन निश्चित करने के लिये सरकार ने न कोई सूत्र स्वीकार किया है और न ही कोई निर्धारित किया है।

(ख) तथा (ग) ये सवाल नहीं उठते।

आयातित और देशीय उर्वरकों का मूल्य

***302. श्री दामानी :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) आयातित और देशीय उर्वरकों के विक्रय मूल्य में कितना अन्तर है : और

(ख) यदि देशीय उर्वरक का मूल्य अधिक है तो उसे कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : क्योंकि विषय खाद्य और कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित है : माननीय सदस्य महोदय इसे खाद्य और कृषि मंत्री से पूछें ।

गुजरात और मैसूर में उर्वरक परियोजनायें

*303. श्री स० अ० अंगड़ी : क्या पैट्रोलियम और रासायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में 200 करोड़ रूपये की लागत से एक उर्वरक कारखाना खोलने का गुजरात सरकार का विचार है :

(ख) यदि हां तो इस बारे में अन्तिम रूप से क्या निर्णय किया गया है :

(ग) क्या यह भी सच है कि मैसूर राज्य में एक उर्वरक कारखाना खोलने का मैसूर सरकार का विचार है : और

(घ) यदि हां तो यह मामला इस समय किस अवस्था में है ?

पैट्रोलियम और रासायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : जी नहीं । तथापि मैसर्स टाटा कैमिकल्स से मिथापुर में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यह विचाराधीन है ।

(ग) और (घ) : जी नहीं तथापि, मैसर्स मालाबार फर्टीलाईजर एण्ड केमिकल्स लि० को मंगलौर में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसैंस दे दिया है । वित्त सम्बन्धी व्यवस्था को अभी अन्तिम रूप देना है ।

रूस तथा पूर्वी यूरोप के अन्य देशों को इंजीनियरी के सामान का निर्यात

*304. श्री सु० क० तापड़िया :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आस्थगित भुगतान के आधार पर रूस तथा पूर्वी यूरोप के अन्य देशों को इंजीनियरी के सामान का निर्यात करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या विश्व बैंक दल ने जिसने हाल ही में भारत का दौरा किया था भारत सरकार के इस कदम पर कड़ी आपत्ति की है क्योंकि विश्व बैंक दल के अनुसार आस्थगित भुगतान की सुविधायें केवल विकासशील तथा अल्प-विकसित देशों के लिये ही है तथा रूस जैसे विकसित देश के लिये नहीं है : और

(ग) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) रूस तथा पूर्वी यूरोप के अन्य देशों को इंजीनियरी माल के निर्यात के भुगतान की शर्तें जैसे अन्य देशों की भांति निर्यातकों और आयातकों के बीच बातचीत और प्रत्येक मामले कीपरिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, तय की जाती हैं।

किसानों को अशोधित तेल की सप्लाई

305. श्री राने : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों ने कृषि प्रयोजन के लिये कितना अशोधित तेल मांगा था तथा वास्तव में उन्हें कितना तेल मुहैया किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि कृषि प्रयोजन के लिए कम मात्रा में अशोधित तेल दिये जाने के कारण तेल कम्पनियों तथा उनके एजन्टों ने किसानों को नियंत्रित मूल्य से 150 से 200 प्रतिशत तक अधिक मूल्य पर अशोधित तेल बेचा;

(ग) भविष्य में किसानों को नियंत्रित मूल्य पर अशोधित तेल मुहैया करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महाराष्ट्र में बहुत सी भूमि पर सिंचाई कुओं में तेल के पम्प लगा कर की जाती है, क्या सरकार महाराष्ट्र को अधिक मात्रा में अशोधित तेल मुहैया करेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) लाइट डीजल आयल, जिसे कुछ क्षेत्रों में अशोधित तेल भी कहा जाता है, कि सप्लाई के लिए कोई राज्य-वार कोटे नहीं हैं। तमाम उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, किसानों को शामिल करते हुए, को पूर्णतया पूरा किया जाता है। तथापि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्यों की प्रत्येक महीने की संभाव्य आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है और सप्लाई के लिए तदनुसार बन्दोबस्त किये जाते हैं। तेल कम्पनियों को स्थायी अनुदेश दे रखे हैं कि वास्तविक मांग के पूर्वानुमानों से यदि किसी महीने में कम या अधिक मांग हो तो लाइट डीजल आयल की सप्लाई में कमी बेशी कर दी जाये।

(ख) सही स्थति की निश्चित रूप से जानकारी की जा रही है और इस विषय में सूचना सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ग) अत्यावश्यक पदार्थ अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को स्थानीय परिस्थितियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लाईट डीजल आयल के मूल्यों को प्रकाशित तथा लागू करने की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

(घ) देश लाईट डीजल आयल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तमाम राज्यों महाराष्ट्र को शामिल करते हुए, आवश्यकताओं को पूर्णतया पूरा किया जायेगा।

अमरीका से सलाहकारों तथा विशेषज्ञों का दौरा

308. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1967-68 में भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय के निमंत्रण पर कितने अमरीकी सलाहकारों तथा विशेषज्ञों ने भारत का दौरा किया ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : भारत-अमरीका तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत 1967-68 में भारत सरकार के अलग-अलग मन्त्रालयों के निमन्त्रण पर भारत आये अमरीकी परामर्श दाताओं और विशेषज्ञों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है :–

कृषि विभाग	78
शिक्षा मन्त्रालय	201
श्रम और नियोजन विभाग	7
सिंचाई और बिजली मन्त्रालय	8
वाणिज्य मन्त्रालय	3
राजस्व और बीमा विभाग	4

इन आंकड़ों में वे 170 परामर्श दाता भी शामिल हैं, जो ग्रीष्म कालीन विज्ञान संस्थानों (सम्मर साईंस इंस्टीट्यूट्स) के लिए 6 सप्ताह से 4 महीनों तक की अल्पावधि के लिए शिक्षा मन्त्रालय के निमन्त्रण पर भारत आये थे ।

1966-67 के लिए उड़ीसा की योजना

309. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य के लिए वर्ष 1966-67 में योजना में रखी गयी धनराशि व्यय कर ली थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वार्षिक योजना का खर्च पूरा करने के लिए उन्होंने राज्य में आन्तरिक संसाधनों को जुटाया था ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे संसाधनों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) जी हां ।

(घ) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 309, जिसका उत्तर 5 अगस्त, 1968 को दिया जायगा, के भाग (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में लोक-सभा की मेज पर रखा गया विवरण

1966-67 की वार्षिक आयोजना के लिए उड़ीसा सरकार के आन्तरिक साधन

	(करोड़ रुपयों में)
1. चालू राजस्व का अधिशेष	9.83
2. जनता से लिये गये ऋण (शुद्ध) :	

(1) राज्य सरकार द्वारा लिए गये	6. 09
(2) सरकारी उद्यमों द्वारा लिए गये	2. 00
3. छोटी बचतों द्वारा इक्ट्ठी की गई रकमों में राज्य सरकार का हिस्सा	2. 02
4. अनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध)	1. 51
5. विविध पूंजीगत प्राप्तियों का शेष	(–) 13. 53
6. सरकारी उद्यमों का अंशदान	0. 80
जोड़	8. 72

Payment of Dues Under Partition Agreement

310 Shri Onkar lal Berwa : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a sum of Rs- 33 crores of Pakistan is outstanding against India under the Partition Agreement ;

(b) if so, whether India propose to make the payment of this amount ; and

(c) if so on what basis ?

Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) : Under the partition arrangements, it is the Government of Pakistan which was and is a debtor to the Government of India, rather than the other way round implied by the Honourable Member in the questien put by him.

दिल्ली में देशी शराब की बिक्री

311. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में देशी शराब 10 रुपये प्रति बोतल बिक रही है ;

(ख) क्या घटिया किस्म की शराब की बिक्री में उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों की सांठगांठ होने के कारण शराब इतने कम दामों पर बिक रही है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई जांच कराने का है और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते

दिल्ली की वृहद् योजना के उल्लंघन में अनधिकृत निर्माण

312. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की वृहद् योजना की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करके अनेक अनधिकृत निर्माण किये गये हैं ;

(ख) नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किये गये हैं ; और

(ग) क्या यह सच है नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सिविल अधिकारी विफल रहे हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मन्त्री : (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है ।

मेडिकल कालेज, पांडिचेरी के कर्मचारियों के वेतनमान

317. **श्री नम्बियार :**
श्री रमानी :
श्री पी० राममूर्ति :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी कालेज तथा जूनियर अस्पताल के कर्मचारियों को, जो मेडिकल कालेज से सम्बद्ध हैं, भारत सरकार द्वारा देश के अन्य भागों में चलाये जा रहे मेडिकल कालेजों के कर्मचारियों को दिये गये वेतनमानों के बराबर वेतनमान नहीं मिल रहे हैं ;

(ख) यदि हां तो उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) वेतनमानों में असमानता को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मन्त्री : (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) और (ख) अलावा उन कुछ मामलों के, जिनमें वेतनमान 1960 में किये गये वेतन संशोधनों के बाद निर्धारित किये गये थे, मेडिकल कालेज, पांडिचेरी तथा उससे सम्बद्ध अस्पताल में सामान्यतः केन्द्रीय सरकार के वेतन मान लागू होते हैं ।

(ग) ऐसे मामलों में सरकार पात्रता के आधार पर विचार करेगी ।

विदेशी तेल कम्पनियों में पदों को समाप्त करना

318. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री अब्राहम :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री भगवानदास :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोखले आयोग की नियुक्ति के पश्चात् संगणक लगाने के परिणामस्वरूप विदेशी तेल कम्पनियों में कुल कितने पद समाप्त किये गये हैं : और

(ख) विदेशी तेल कम्पनियों को ऐसे पद समाप्त करने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) गोखले आयोग की नियुक्ति के पश्चात् संगणक लगाने के परिणाम स्वरूप कोई पद समाप्त नहीं किये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण बोर्ड

*319. **श्री द० रा० परमार** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अधीन प्रत्येक राज्य में राज्य समाज कल्याण बोर्ड है ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्य समाज कल्याण बोर्डों के सदस्य तथा प्रधानों के नामांकन अथवा नियुक्तियां किनके द्वारा की जाती हैं और राज्य समाज कल्याण बोर्डों के प्रत्येक सदस्य तथा प्रधान की वेतन तथा भत्तों सहित उपलब्धियां क्या हैं ;

(ग) इन राज्य बोर्डों के कार्य तथा कर्तव्य क्या हैं और जब प्रत्येक राज्य में अलग समाज कल्याण विभाग है, तो इन बोर्डों का महत्व तथा उपयोगिता क्या है ;

(घ) गुजरात समाज कल्याण बोर्ड के सदस्यों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं ; और

(ङ) उनका नामांकन अथवा निर्वाचन किनके द्वारा किया जाता है ?

सामाजिक कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में, केरल, लक्कदीव, मिनिकोय द्वीप और दादरा नागर हवेली को छोड़कर प्रत्येक राज्य में एक राज्य समाज कल्याण बोर्ड है।

(ख) राज्यों के बोर्ड का गठन राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सलाह से किया जाता है। बोर्डों के गैर-सरकारी स्वैच्छिक कार्यकर्ता, सरकारी अधिकारी तथा राज्य विधान मण्डल के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। 50 प्रतिशत गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं, जिनमें सभापति शामिल नहीं हैं, का नामांकन केन्द्रीय बोर्ड करता है और शेष का राज्य सरकारें। संघ राज्य क्षेत्र करते हैं। अधिकारियों का नामांकन राज्य सरकारें करती हैं। सभापति का नामांकन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सभापति और राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र के बीच आपसी समझौते से किया जाता है। बोर्ड के सभापति और सदस्यों को कोई वेतन नहीं मिलता।

(ग) राज्यों के समाज कल्याण बोर्डों का गठन, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्वैच्छिक समाज कल्याण संगठनों को दी जानी वाली सहायता से हो रहे काम की निगरानी, निरीक्षण, मार्गदर्शन के लिए किया जाता है। राज्यों के समाज कल्याण बोर्डों और समाज कल्याण विभाग समाज कल्याण कार्य में एक दूसरे की सहायता करते हैं।

(घ) सभापति सहित गुजरात राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की संख्या 21 है। सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ङ) इसका उत्तर भाग (ख) में दे दिया गया है।

अनाज के आयात के लिये विदेशी मुद्रा

320. श्री स० चं० सामन्त : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अनाज की आशातीत फसल के कारण अनाज का आयात कम हो जायगा और उसके परिणामस्वरूप इस मद पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बच रहेगी;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत बचत होने की संभावना है और इसे कैसे प्रयोग में लाया जायेगा; और

(ग) आशातीत फसल के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष में अनाज के आयात के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) (ख) और (ग) : अनाज की व्यापारिक खरीद तथा पी० एल० 480 सम्बन्धी और दूसरी सहायता के अन्तर्गत आयातित अनाज के भाड़े की अदायगी पर 1968-69 में 121 करोड़ रुपये की मुक्त विदेशी मुद्रा खर्च होने की सम्भावना है। यह रकम 1967-68 में खर्च की गई रकम से 54 करोड़ रुपया कम है। इस वर्ष अनाज के आयात पर कम विदेशी मुद्रा खर्च होने से हम विदेशी ऋणों पर निर्भर रहे बिना या जमा विदेशी मुद्रा में से खर्च किये बिना आयात सम्बन्धी अपनी अन्य आवश्यकताओं को ज्यादा आसानी से पूरा कर सकेंगे। रासायनिक खाद और कच्चे माल जैसी कुछ मदों पर इस वर्ष अधिक विदेशी मुद्रा खर्च होगी। पर यह ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं है कि अनाज का आयात कम होने के कारण हुई विदेशी मुद्रा की बचत आयात की अन्य मदों पर कैसे खर्च की जायगी या इसके कारण सहायता पर निर्भरता में कमी कैसे होगी।

दिल्ली में दिल के दौरे के मामले

321. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में देश के अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की अपेक्षा दिल के दौरे के रोगियों की संख्या अधिक है ;

(ख) क्या इसके कारण पता लगाने का कोई प्रयत्न किया गया है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) मोटापा, शहरी जीवन का बोझ तथा बैठे-बैठे काम करते रहना इस रोग होने के कुछ कारण हैं।

(ग) आवश्यकता इस बात की है कि इससे पीड़ित व्यक्तियों को इसके कारणों की समुचित जानकारी करा दी जाये।

दिल्ली में अपमिश्रितकार स्नेहकों की बिक्री

322. **श्री क० लकप्पा** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अपमिश्रितकार स्नेहकों की बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में अनेक तेल शोधक कारखाने चल रहे हैं, और इसका निर्माण कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन स्नेहकों के उत्पादन के लिए इन तेल शोधक कारखानों को लाइसेन्स दिये गये थे ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) इस बारे में सरकार के पास कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समितियां/बोर्ड

323. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय से सम्बद्ध विभिन्न सलाहकार समितियों/बोर्डों अथवा ऐसे अन्य संगठनों के नाम क्या हैं तथा उनके सदस्यों के काम क्या हैं और उनमें प्रत्येक को क्या क्या काम सौंपे गये हैं;

(ख) प्रत्येक समिति अथवा बोर्ड में कितने सदस्य सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं और कितने सदस्य सरकारी अधिकारी हैं ;

(ग) क्या सदस्यों का नामनिदेशन एक ही बार के लिये होता है और यदि नहीं तो किसी सदस्य को कितनी बार पुनः नामनिदेशित किया जा सकता है और एक बार नामनिदेशन की अवधि कितनी है ; और

(घ) वर्ष 1967-68 में इन संगठनों पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) (ख) (ग) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1593/68]

Duty on sale of Liquor in Hotels in Delhi

324. **Shri Bal Raj Madhok** :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of Finance be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration have proposed to increase duty on the sale of liquor in some hotels of Delhi; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia) : (a) No, Sir, but the linence fee has been increased.

(b) As this is a transferred subject, Government of India's approval is not necessary.

आदिम जातीय क्षेत्रों के रूप में लाहौल और स्पिति

*325. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के लाहौल तथा स्पिति क्षेत्र अब आदिम जाति क्षेत्र नहीं रहे हैं ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों के लोगों को उन लोगों से वंचित कर दिया गया है; जो आदिम जातियों के लोगों को उपलब्ध हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमतीफूलरेणु गुह) : (क) (ख) और (ग) संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के अन्तर्गत केवल एक राज्य में ही अनुसूचित क्षेत्र हो सकते हैं, संघ शासित क्षेत्र में नहीं । अतः लाहौल और स्पिति को पंजाब राज्य से निकाल कर हिमाचल संघ शासित क्षेत्र में आ जाने पर इन क्षेत्रों का 'अनुसूचित क्षेत्र' के रूप में जो कानूनी दर्जा था, वह जाता रहा ।

ऊपर बताए गए परिवर्तन से उस क्षेत्र के आदिवासी जातियों पर कोई खास असर नहीं पड़ता क्योंकि पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत जो विनियम उनके लाभ के लिये बने थे, उन पर कोई असर नहीं पड़ता । कथित अनुसूची के अन्तर्गत जो आदिमजाति सलाहकार परिषद विहित थी, वह भंग हो गई है ; किन्तु हिमाचल सरकार के लिये यह मार्ग खुला है कि वह इस प्रकार का सलाहकार निकाय बनाए ।

उस क्षेत्र के कानूनी दर्जे में परिवर्तन से आदिवासी विकास खंडों तथा शैक्षणिक रियायतों जैसी विकास गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ता ।

जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये ऋण

326. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम से पिछले पांच वर्षों में एक लाख रुपये से अधिक ऋण लेने वाले साथों, पक्षों तथा व्यक्तियों के नाम क्या हैं, इस ऋण पर ब्याज की दर कितनी है तथा वह किस प्रयोजन के लिये लिया गया ;

(ख) क्या किसी ऋण लेने वाले ने उसका दुरुपयोग किया है और यदि हां, तो क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ; और

(ग) क्या जीवन बीमा निगम ने पिछले पांच वर्षों में शेयर खरीदने के लिये कोई ऋण दिया था और यदि हां, तो किसको ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) (ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

बैंकों द्वारा औद्योगिक फर्मों को दिये गये ऋण

327. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65, 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में बैंकों द्वारा ऐसी औद्योगिक फर्मों को कुल कितना धन पेशगी दिया गया था जिनके एक अथवा अधिक निदेशक बैंक के भी निदेशक हैं ।

(ख) उपर्युक्त वर्षों के अन्त में उक्त फर्मों के नाम ऋण की बकाया राशि कितनी-कितनी थी ; और

(ग) उपर्युक्त वर्षों में बैंकों द्वारा निदेशकों को कुल कितना धन पेशगी दिया गया था और उक्त वर्षों के अन्त में उनके नाम ऋण की कितनी राशि बकाया थी ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1594/68**)

इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली में नर्सों की स्थिति के बारे में समिति

328. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री अंबुचेजियान :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली में नर्सों के लिये प्रशिक्षण की सुविधाओं तथा उनकी दशाओं में सुधार करने के मार्गोपायों का विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां तो उसके विचारार्थ विषय क्या है; और

(ग) यह समिति अपना प्रतिवेदन सम्भवतः कब तक देगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यह समिति छात्र-नर्सों के प्रशिक्षण में सुधार करने के लिये मार्गोपायों पर विचार करेगी तथा इसके साथ साथ नर्सों के प्रशिक्षण से सीधा सम्बन्ध रखने वाली बातों का जिनमें उनके आवास तथा भोजन की व्यवस्था भी सम्मिलित है, अध्ययन करेगी ।

(ग) यह समिति सम्भवतः अगस्त, 1968 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगी ।

चर्मरोग

329. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर भारत में कुष्ट रोग, धवल रोग, चित्ते, रति रोग तथा अन्य चर्म रोग दक्षिण भारत की अपेक्षा बढ़ रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच हैं कि इस प्रकार के चर्म रोग अन्य देशों की अपेक्षा भारत में अधिक हैं :

(ग) यदि हां, तो ऐसे चर्म रोगों के क्या कारण हैं :

(घ) क्या यह सच है कि ऐसे रोगों के उपचार के लिये भारत में उचित प्रबन्ध नहीं है और इसलिये यह रोग फैल रहें हैं; और

(ङ) क्या सरकार केन्द्र के तत्वाधान में चर्म रोगों की चिकित्सा के लिये एक अस्पताल उत्तर भारत में स्थापित करने पर विचार कर रही हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) अन्य देशों की अपेक्षा भारत में कुष्ठ तथा फंगस रोगों जैसे कुछ चर्म रोग अधिक होते हैं ।

(ग) देश की तरगर्म जलवायु अत्यधिक घनी आबादी तथा अपर्याप्त सफाई व्यवस्था होने के कारण ये रोग हो जाते हैं ।

(घ) और (ङ) जी नहीं ।

राजनैतिक दलों पर कर

330. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उन राजनैतिक दलों को आयकर तथा धनकर देना होता है जिनके पास आस्तियां हैं और जिन्हें नियमित रूप से आय होती है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन राजनैतिक दलों का आयकर तथा धनकर के लिये निर्धारण किया जा रहा है और गत पाच वर्षों के निर्धारण का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न स्थानों में कांग्रेस पार्टी की बड़ी बड़ी आस्तियां हैं और उसे वहां से काफी आय होती है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या उनकी आस्तियों और आय का निर्धारण करने के लिये कोई जांच पड़ताल की गई थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां । यदि राजनैतिक पार्टियों को कर योग्य अय होती है, तो उन पर आय-कर लगता है । उन पर धन-कर

नहीं लगता क्योंकि फिलहाल यह केवल व्यक्तियों तथा अविभाजित हिन्दू परिवारों पर ही लगता है ।

(ख) राजनीतिक पार्टियों के पिछले पांच वर्षों के कर निर्धारणों के विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं है । यह सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(ग) तथा (घ) इस सम्बन्ध में नवीनतम सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

भूतपूर्व नरेशों के विदेशों में खाते

2526. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या वित्त मन्त्री 8 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1799 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 को 38 भूतपूर्व नरेशों तथा राज परिवारों के सदस्यों की कुल कितनी राशि विदेशी बैंकों में जमा थी ।

(ख) क्या ये खातेदार इन राशियों से प्राप्त होने वाले ब्याज पर भारत में अथवा उन देशों में, जहां उनकी राशि जमा है आय कर देते हैं; और

(ग) यदि आयकर तथा सम्पत्ति कर भारत में दिये जाते हैं तो किसी पूर्ण निर्धारण वर्ष में इन मदों पर संयुक्तरूप से कुल कितनी राशि दी गई ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) (ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

अनाथालय

2527. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 40 केन्द्रों में अनाथालय खोलने के बारे में उनके विभाग द्वारा बनाई गई योजना को कहां तक कार्यान्वित किया गया है ;

(ख) इस योजना पर कुल कितनी लागत आएगी ;

(ग) गत तीन वर्षों में कितने अनाथालय खोले गये ; और

(घ) इस योजना की कार्यान्विति में देरी के क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) श्रीमती एम० चन्द्रशेखर की अध्यक्षता में जो अध्ययन दल था, उसने 40 चुने हुए क्षेत्रों में चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के दौरान उतने ही मार्गदर्शी केन्द्र स्थापित करके भिक्षा वृत्ति के उन्मूलन हेतु एक तीव्र कार्यक्रम की सिफारिश की थी ।

(ख) पांच वर्ष की अवधि के लिए 8,95 करोड़ रुपये ।

(ग) और (घ) चतुर्थ पंच वर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

महाराष्ट्र के लिये नियत राशि

2528. **श्री देवराव पाटिल :** क्या वित्त मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 123 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968–69 के लिये महाराष्ट्र की योजना के लिए नियत की जाने वाली धनराशि को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) उसमें केन्द्र तथा महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा कितना-कितना होगा और राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि किस प्रकार जुटाएगी ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) योजना आयोग ने, 1968–69 के लिए 139 करोड़ रुपये के आयोजना-परिव्यय की स्वीकृति दी है, जिसमें 52.3 करोड़ रुपया केन्द्र देगा और 86.7 करोड़ रुपया राज्य सरकार देगी। राज्य अपने हिस्से का खर्च अपने बजट में होने वाली बचत से पूरा करेगा।

राज्य के अपने साधनों में होने वाली वृद्धि के आधार पर परिव्यय में वृद्धि करने का प्रश्न योजना आयोग के विचाराधीन है।

सतलुज, व्यास, पोंग बांध तथा राजस्थान नहर के विस्थापित व्यक्ति

2529. **श्री हेम राज :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतलुज व्यास नदी सम्पर्क, पोंग बांध तथा राजस्थान नहर के निर्माण के परिणाम-स्वरूप हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों में कितने व्यक्ति स्थापित होंगे ;

(ख) उन्हें बसाने के लिए राजस्थान सरकार ने कितनी एकड़ भूमि नियत की है ;

(ग) प्रत्येक राज्य के हिस्से में कितनी एकड़ भूमि आती है और प्रत्येक राज्य को किस आधार पर उसका नियतन किया गया है।

(घ) क्या पोंग बांध इलाके के विस्थापित व्यक्तियों से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी मांग क्या है और उनमें से कौन कौन सी मांग मान ली गई है और उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा ?

सिंचाई व बिजली मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) लगभग 25,000।

(ख) राजस्थान सरकार ने यह मान लिया है कि विस्थापितों के लिए 3.25 लाख एकड़ भूमि अलग रख ली जाए।

(ग) उपर्युक्त भूमि का राज्य-वार आवण्टन विचाराधीन है।

(घ) जी, हां।

(ङ) मोटे तौर पर विस्थापितों की मुख्य मांगें भूमि आवन्टन और राजस्थान नहर क्षेत्र में उनको बसाये जाने के समय सुविधाएं उपलब्ध करने के बारे में हैं।

अधिकतर मांगों के बारे में निर्णय हो चुका है। विस्थापितों को उचित आधार पर भूमि देने का निर्णय किया गया है किन्तु हर विस्थापित को कम से कम 5 एकड़ और अधिक से अधिक 15.625 एकड़ भूमि दी जाएगी। भूमिहीन मजदूरों और मिस्त्रियों को भी लगभग एक एकड़ वास भूमि दी जाएगी। विस्थापितों को यथा-संभव संहत ब्लाकों में बसाया जाएगा। उनको दी जाने वाली अन्य सुविधाओं में आबाजाही शिवर, सुरक्षा झोंपड़ियां, पीने के पानी का प्रबन्ध, स्कूल, तकनीकी संस्थानों में स्थान सुरक्षित करना, घरों के निर्माण के लिये ऋण, इत्यादि शामिल होंगी।

आय कर विवरण

2530. श्री धीरेन्द्र नाथ देव
श्री अ० दीपा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में करदाताओं ने राज्यवार कुल कितने आयकर विवरण भरे ;

(ख) दर्ज किए गए मामलों में से वर्षवार कितने मामले निपटाये गये ;

(ग) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में गत वर्षों के मामलों के लम्बित पड़े रहने के कारण 50 प्रतिशत मामलों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता ; और

(घ) यदि हां, तो उनके निपटारे के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) दायर की गयी आय-कर विवरणियों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, आंकड़ों के बारे में सूचना राज्यवार नहीं बल्कि आय-कर आयुक्तों के कार्य-क्षेत्रवार रखी जाती है। आयुक्तों के विभिन्न कार्य-क्षेत्र में कर- निर्धारण वर्ष 1965-66, 1966-67 1967-68 के सम्बन्ध में कर-निर्धारण के जो मामले निपटाने के लिए हैं उनकी संख्याएं अनुबन्ध में दी गयी है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1596/68]

(ख) :

वर्ष	पूरे किये गये कर-निर्धारणों की संख्या
1965-66	23,89,027
1966-67	24,18,094
1967-68	25,56,554

(ग) जी हां। इसका कारण यह है कि 1963-64 से 1967-68 तक 4 वर्षों में काम का भार 80 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया है, जो मुख्यत: कर निर्धारितियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण हुआ है।

(घ) कर-निर्धारण के बकाया काम को निपटाने के लिए सरकार ने निम्न लिखित उपाय किये हैं :

(i) कर निर्धारण को पूरा करने को सांविधिक अवधि को धीरे धीरे घटा कर 4 वर्ष से 2 वर्ष किया जा रहा है।

(ii) अतिरिक्त आय-कर अधिकारी तथा सहायक कर्मचारी काम पर लगाये जा रहे हैं।

(iii) विशेष सूक्षम निगरानी के लिए निरीक्षी सहायक आयुक्तों की संख्या में उचित वृद्धि की जा रही है।

(iv) कुछ समय पहले चालू की गयी छोटी आय के मामलों के शीघ्र निपटान की योजना को अधिक उदार बना दिया गया है।

बकाया मामलों की संख्या में चालू वर्ष के अन्त तक एक तिहाई कमी लाने की दृष्टि से प्रत्येक आय-कर आयुक्त के कार्य क्षेत्र के लिए कर-निर्धारणों के काम को पूरा करने का एक योजनाबद्ध समय-नियोजित कार्यक्रम बनाया गया।

इंडियम इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट

2531. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट के विशेषज्ञों के हाल ही के अध्ययन में गुजरात राज्य प्लास्टिक संपरिवर्तकों की उत्पादन क्षमता के विरुद्ध 1973-74 में गुजरात में पौलीथीन, पी० वी० सी० और पौलीस्टिरीन की 21,000 मीट्रिक टन की मांग का अनुमान लगाया गया है ;

(ख) क्या राज्य में प्लास्टिक यूनिटों की उत्पादन क्षमता तथा मांग में इतने बड़े अन्तर को देखते हुए गुजरात राज्य में प्लास्टिक की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने के लिये कोई योजना बनाई गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और इस योजना के अन्तर्गत 1973-74 में राज्य में ऐसे यूनिटों की कुल क्षमता कितनी होगी ;

(घ) क्या ऐसे यूनिटों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और यदि हां, तो किन फर्मों द्वारा इन प्रस्तावों के अन्तर्गत कितनी अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने का विचार है ; और

(ङ) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ङ) तक : ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य सरकार के कहने पर इंडियन इन्स्टीट्यूट

आफ मैनेजमेंट ने अध्ययन किया है। रिर्पोट की एक प्रति मंगवाई गई है और सूचना यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

देश में चिकित्सा महाविद्यालय

2532. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन किन चिकित्सा महाविद्यालयों में एम० बी० बी० एस० के पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ख) प्रत्येक महाविद्यालय में व्यावहारिक प्रशिक्षण समेत पाठ्यक्रम की अवधि कितनी है;

(ग) उन महाविद्यालयों के नाम क्या हैं जिनमें विद्यार्थियों को उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समान परीक्षा पास करने के पश्चात् दाखिल कर लिया जाता है और उन महाविद्यालयों के क्या नाम हैं जिनमें विद्यार्थियों को प्रि-मैडिकल परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास करने के पश्चात् दाखिल किया जाता है ;

(घ) प्रत्येक महाविद्यालय में वर्ष के किस महीने में दाखिला दिया जाता है ; और

(ङ) प्रत्येक महाविद्यालय में छात्रों के चयन का तरीका क्या है अर्थात् क्या उनका चयन यूनिवर्सिटी की पिछली परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है अथवा पृथक परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) मैडिकल कालेजों के नामों की एक सूची संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1597/68**]

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् के अनुसार एम० बी० बी० एस० की उपाधि के लिए अधिस्नातक मेडिकल पाठ्यचर्या की अवधि **साढ़े पांच वर्ष** है जिसमें एक वर्षिय अनिवार्य रोटेटिंग इण्टनशिप भी सम्मिलित है।

(ग), (घ) और (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

देश में मैडिकल कालेज

2533. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के मैडिकल कालेजों में एम० बी० बी० एस० में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कितने स्थान रक्षित किये जाते हैं ;

(ख) प्रत्येक कालेज में छात्राओं के लिए यदि कोई स्थान रक्षित किये जाते हैं तो कितने;

(ग) जिस राज्य में कालेज हो उसके स्थायी निवासियों के लिए प्रत्येक कालेज में यदि कोई स्थान रक्षित किये जाते हैं तो कितने ;

(घ) अन्य राज्यों के छात्रों के लिए प्रत्येक कालेजों में यदि कोई स्थान रक्षित किये जाते हैं तो कितने ;

(ङ) जम्मू और काश्मीर राज्य के छात्रों के लिये प्रत्येक कालेज में यदि कोई स्थान रक्षित किये जाते हैं तो कितने ;

(च) श्री नगर के मैडिकल कालेज में अन्य छात्रों के लिए पारस्परिक आधार पर यदि कोई स्थान रक्षित किये जाते हैं तो कितने; और

(छ) प्रत्येक कालेज में प्रति वर्ष कुल कितने स्थान उपलब्ध होते हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं विकास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) – सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(छ) मैडिकल कालेजों में वार्षिक प्रवेष-क्षमता भिन्न भिन्न है । 1967 के वर्ष में देश के मैडिकल कालेजों में प्रवेश–क्षमता के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1598/68]**

Central Assistance to Goldsmiths in Madhya Pradesh

2534. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the Amount sanctioned by Government upto June, 1968 to give relief to goldsmiths in Madhya Pradesh ; and

(b) the number of goldsmiths to whom assistance has been given so far ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) Upto June, 1968, a total sum of Rs. 132.00 lakhs has been advanced by the Centre to the Goverament of Madhya Pradesh for purpose of rehabilitation loan assistance to goldsmiths.

(b) 35862 goldsmiths and their children have received assistance under the rehabilitation schemes of goldsmiths in Madhya Pradesh so far.

Loan to Madhya Pradesh

2535. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Finance be pleased to state ;

(a) whether Government have granted any loan to the Madhya Pradesh Government during 1967-68 in order to enable the State Government to Improve its financial postition and ;

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) & (b) Three loans aggregating Rs. 16.20 crores were sanctioned by the Government of India to the Govt. of Madhya Pradesh during the year 1967-68 for improvement of its ways and means position.

Taxes Due From Cinema Owners of Madhya Pradesh

2536. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Finance be pleased to state

(a) the amount of Income-tax and Wealth-tax arrears due from cinema-owners of Madhya Pradesh for the past two years ending of 31st March, 1968 and the name there of; and

(b) the measures being adopted to realise full amount of these taxes from them ?

The Deputy Prime Minister & Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) & (b) The information is not readily available and is being collected. The same will be laid on the Table of the House as early as possible.

Rent Charged From Madhya Pradesh Government For the Central Goverment Buildings

2537. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) the details of rent charged from the Madhya Pradesh Government in respect of the Central Government buildings let out to the State Government ; and

(b) the amount of rent realised from them so far and the amount outstanding against the State Government ?

The Deputy Minister of Works, Housing Supply (Sardar Iqbal Singh): (a) & (b) : Details in respect of buildings in Delhi are attached. [Placed in Library. See No L. T. 1598/68]

सामाजिक नीति संकल्प

2538. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या समाज कल्याण मन्त्री सामाजिक विकास परिषद द्वारा हाल ही में तैयार किये गये सामाजिक नीति संकल्प की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : नहीं, श्रीमान । सामाजिक विकास परिषद एक सरकारी संस्था नहीं हैं । सामाजिक विकास परिषद की गतिविधियों के लिए सरकार की कोई प्रारम्भिक जिम्मेदारी नहीं है ।

दिल्ली में शांतिवन और विजय घाट क्षेत्र

2539. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में शांतिवन और राजघाट का क्षेत्र पिछली जुलाई के आरम्भ में पहली बार हुई जोर की वर्षा में ही पानी से भर गया था ; और

(ख) क्या शांतिवन और विजय घाट क्षेत्र में नाली व्यवस्था को सुधारने के लिये दिल्ली नगर निगम द्वारा तैयार की गई योजना सरकार ने स्वीकार कर ली है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री म० सू० मूर्ति): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में तेल के उत्पादों की मांग

2540. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तेल के उत्पादों की अब मांग अधिक हैं ;और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार देश में बढ़ी हुई मांग को कैसे पूरा करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां। पिछले वर्ष की तुलना में अभी तक इस वर्ष मांग अधिक पाई गई है।

(ख) शोधनशालाओं की क्षमताओं में वृद्धियों से इस बढ़ती हुई मांग को सन्तोषजनक तरीके से पूरा किया जा रहा है।

Ayurvedic System of Medicines.

2541 **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of Health, Family Planning and Urban Development be pleased to state :

(a) whether any scheme is under consideration with a view to encourage Ayurvedic System of medicines to facilitate people to make use of this cheap system of medicine for eradicating diseases scientifically;

(b) whether it is also a fact that Government allocate large amounts as grants for allopathic system and very small amount for Ayurvedic system; and

(c) if so, the amount allocated by Government for allopathic system and for Ayurvedic system separately during the last twenty years ?

Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) (a) The Government of India have introduced a number of schemes during the successive FiveYear Plans to promote the development of the Ayurvedic System of Medicine.

(b) &(c) : The comparative allocations for Allopathic System and Indigenous Systems of Medicine including Ayurveda during the three Five Year Plans and the Annual Plans for the years 1966-67 and 1967-68 are as follows :

Allopathic System.	Indigenous Systems of Medicine including Ayurveda.
(in crores)	
Rs. 281.85	Rs. 16.46

Shareholders of M/s. Oriental Trading Corporation.

2542 **Shri Hukam Chand Kachwai** :
Shri Ram Charan :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Shareholders of M/s. Oriental Trading Corporation Ltd., are members of one Joint Hindu Family;

(b) whether it is also a fact that these shareholders are running the following independent industries :

(1) M/s. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.,
(2) M/s. Kalyan Pulp and Paper Mills (P) Ltd.,
(3) M/s. Mackenzies Ltd.,
(4) M/s. National India Trading (P) Ltd.,
(5) M/s. Pulp Industries Ltd.,
(6) M/s. Rayon Pulp Manufacturing Co.,
(7) M/s. Glass Carbois and Prest Wares,
(8) M/s. Navrang Rai Nand Kishore (Burma),
(9) M/s. Jhunjhunwala Jarvis Ltd.,
(10) M/s. Jhunjhunwala Bros. Ltd.,
(11) M/s. Shri Ram Ram Niranjan,
(12) M/s. Ram Niranjan Jhunjhunwala and Bros.,
(13) M/s. Gurusum Factory, Bisaru,
(14) M/s. N. Ganduram and Sons,
(15) M/s. Jhunjhunwala Family Trust;

(c) The amount paid by the above firms etc. as income-tax for the years 1966-67 and 1967-68; and

(d) the amount of foreign exchange made available to these firms during these two years and the number and names of the Directors thereof ?

The Deputy Prime Minister & Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) (a) : No, Sir.

(b) : This question is being enquired into by the Income-tax authorities.

(c) & (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Production Capacity of Machines, Tools and Engineering Plants

2543. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the present production capacity and the actual production of machines, tools and engineering plants in the public sector in 1968; and

(b) the names of foreign countries collaborating in the said industries, the extent of their collaboration and the details of programmes for future development ?

The Deputy Prime Minister & Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) : A statement is enclosed showing the information regarding production during 1967-68 in relation to installed capacity/planned target, and the main foreign countries who are collaborating with the concerned enterprises by the supply of technical know how for the manufacture of one or more products; in some of these cases the collaborators also supply plant and equipment, assist in the initial training programmes, etc. [Placed in Library See. No. L. T. 1599/68] The programmes of future development of the projects will depend on the anticipated demand pattern for the products which are now manufactured or which could be taken up for manufacture; the priority of such demands; the availability of resources; and various other factors all of which are being now considered in the context of the Fourth Plan.

बोकारों तापीय कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयले का अस्वीकार करना

2544. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बोकारो तापीय कारखाने के प्रबन्धकों ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा सप्लाई किए गए कोयले को प्रयोग के लिए अनुपयुक्त घोषित करके अस्वीकार कर दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि वही कोयला जब एक ठेकेदार को नीलाम कर दिया गया, तो बोकारो कारखाने के प्रबन्धकों ने ठेकेदार द्वारा सप्लाई किए गए उसी कोयले को उपयुक्त मान कर स्वीकार कर लिया; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं और यदि नहीं, इस मामले में तथ्य क्या है ?

सिंचाई व बिजली मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा सप्लाई किए गए किसी प्रकार के कोयले को भी डी० वी० सी० के बोकारों कारखाने के प्रबन्धकों ने अस्वीकार नहीं किया। डी० वी० सी० बहुत समय से अपने बोकारों केन्द्र के लिए किसी भी बाहरी संस्था से कोयला नहीं खरीद रही है क्यों कि इसके लिए इनकी बरमों पर स्थित अपनी खान से उत्पन्न कोयला और कर्णपुरा पर स्थित राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की वाशरी द्वारा सप्लाई किए गए मध्यम ग्रेड का कोयला पर्याप्त है। पहले डी०वी०सी० खुले टेण्डर मंगाया करती थी और प्रतियोगिता आधार पर कोयला खरीदती थी। टेण्डर देने वालों में से एक पार्टी, जिस ने कुछ अवसरों पर सब से कम दरें बताई थीं, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयले की खानों में से एक को सप्लाई स्रोत के रुप में शामिल कर लिया करती थी।

बीजक में अधिक राशि दिखाना

2545. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत को आयात की गई वस्तुओं के बीजकों में अधिक राशि दिखाई जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) : ऐसे कुछ मामले सरकार के देखने में आए हैं।

(ख) : बीजक में दिये गये मूल्यों की छानबीन की जाती है और सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत आयातकर्त्ताओं तथा जहां भी आवश्यक हो वहां माल के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाती है। विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम का प्रवर्तन निदेशालय भी मामलों की जांच पड़ताल करता है तथा आवश्यक कार्यवाही करता है।

सरकारी क्षेत्रों के उर्वरक कारखानों में स्टाकों का जमा होना

2546. श्री दामानी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों में उर्वरक का भारी स्टाक जमा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसको बेचने और किसान को शीघ्र सप्लाई कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) कुछ कारखानों में फास्फेटी उर्वरकों के कुछ स्टाकों के जमा हो जाने की रिपोर्ट है ।

(ख) फास्फेटी उर्वरकों के आयात में कमी कर दी गई है ताकि घरेलू उत्पादक अपने स्टाकों को बेच सकें ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में राज्यों को धन का नियतन

2547. श्री स० अ० अगाड़ी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से अब तक महाराष्ट्र, मैसूर तथा आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न शीर्षक के अन्तर्गत दी गई राशि तथा उनके द्वारा खर्च की गयी राशि का वर्ष वार ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री : (श्री मोरारजी देसाई) : एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है, [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1600/68**] जिस में महाराष्ट्र, मैसूर तथा आन्ध्र प्रदेश की सरकारों का तीसरी पंच-वर्षीय आयोजना के दौरान विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत वार्षिक आयोजना परिव्यय दिखाया गया है। विवरण में इन राज्यों को इसी अवधि में दी गयी केन्द्रीय सहायता की रकमें भी बतायी गयी हैं । इन सभी रकमों का उपयोग किया गया ।

सरकारी क्षेत्र के कारखाने

2548. श्री अब्दुल गनी दार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कितने कारखाने लाभ में चल रहे हैं और कितने कारखाने घाटे में चल रहे हैं;

(ख) क्या कुल कारखानों को मिला कर सरकार को घाटा हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) : स्थिति हर साल बदलती रहती है । चूंकि सब सरकारी उपक्रमों ने 1967–68 के लेखों को अभी बन्द नहीं किया है, इसलिए उस वर्ष के लाभ हानि का पूरा ब्यौरा अभी मालूम नहीं है । 1966–67 में, 77 औद्योगिक और वाणिज्यक उपक्रमों में से 18 उपक्रम निर्माणाधीन थे । मूल्यह्रास, ब्याज और कर की रकम घटाने के बाद शुद्ध लाभ हानि की स्थिति इस प्रकार हैं :

(1) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को 19.81 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

(2) चालू उपक्रमों में से 26 को कुल मिलाकर 30.83 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ, पर 17 अन्य उपक्रमों को, कुल मिलाकर 32.63 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

(3) जहां तक प्रोत्साहन विषयक और विकास-सम्बन्धी उपक्रमों का सम्बन्ध है, 7 उपक्रमों को 12.18 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ और 5 को कुल मिलाकर 0.80 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

(4) तीन वित्तीय संस्थानों में से एक को 10 लाख रुपये का लाभ हुआ और दूसरे को 5 लाख रुपये की हानि हुई । जहां तक जीवन बीमा निगम का सम्बन्ध है, 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुई 2 वर्ष की अवधि में, उसे 74 करोड़ रुपये का लाभ हुआ जिसमें से केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 3.61 करोड़ रुपया था ।

राजकीय औद्योगिक उपक्रमों का पुनर्गठन

2549. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों के पुनर्गठन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार करली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का आयोग की सिफारिशों को किस प्रकार और कब क्रियान्वित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) : सम्भवतः माननीय सदस्य प्रशासनिक सुधार आयोग की 'गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान' सम्बन्धी रिपोर्ट में की गयी सिफारिश संख्या 1 की ओर संकेत कर रहे हैं; जिसमें आद्योगिक और निर्माण सम्बन्धी क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं के लिए सामान्यतः स्थापित किये जाने वाले सांविधिक निगम के स्वरूप के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया है । सरकार ने यह फैसला किया है कि ऐसी जनोपयोगी सेवाओं की व्यवस्था करने वाले कुछ उद्यमों के लिए, जो मुख्यतः आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए हों, संविधिक निगम द्वारा प्रबन्ध सम्भवतः ज्यादा अच्छा होगा और एकाधिकार क्षेत्र में चलने वाले उद्यमों सहित अन्य उद्यमों के लिए, जिनका वाणिज्यिक पक्ष प्रमुख हो, वर्त्तमान प्रकार की कम्पनी अधिक उपयुक्त हो सकती है । नये उद्यमों की स्थापना करते समय सरकार की नीति इन निर्णयों के अनुसार होगी ।

वर्ष 1967–68 के लिये उड़ीसा की योजना

2551. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार वर्ष 1967-68 में निर्धारित राशि व्यय करने में समर्थ हुई है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित खर्च का ब्यौरा क्या है तथा जहां खर्च निर्धारित राशि से कम हुआ है उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र द्वारा वर्ष 1966–67 और 1967–68 में उड़ीसा को ऋणों तथा अनुदानों के रूप में कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) राज्य सरकार द्वारा सूचित प्रत्याशित व्यय के आंकड़ों के आधार पर मालूम होता है कि उड़ीसा सरकार ने राज्य की 1967–68 की योजना के स्वीकृत परिव्यय का निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया था।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया है। [[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1601/68**]

ऋण देने सम्बन्धी नीतियों में परिवर्तन करना

2552. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सरकार से वित्तीय संस्थाओं को ऋण देने सम्बन्धी नीतियों में आमूल परिवर्तन करने के लिये कहा है ताकि चौथी योजना की अवधि में उपलब्ध साधनों का बहुत भाग बड़े उद्योगपतियों की फर्मों के पास न पहुंच जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के आमूल परिवर्तन लाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : एप्रोच टू द फोर्थ फाइव ईयर प्लान (चौथी पंच वर्षीय आयोजना की भूमिका) पुस्तक के मिली-जुली आर्थिक-व्यवस्था का संचालन नामक सातवें अध्याय में निम्न सुझाव दिये गये हैं :—

"वाणिज्यिक एकाधिकार (सीनी प्लीज) पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से, इस सिद्धान्त की स्थापना करना आवश्यक है कि पहले के लाईसेंसों के सम्बन्ध में काम के परिणामों को देखते हुए ही औद्योगिक-गृहों को नये औद्योगिक लाईसेंस दिये जायें। इस सम्बन्ध में एक नया कदम भी उठाया जा सकता है और वह यह है कि वित्तीय संस्थाओं की ऋण-सम्बन्धी नीतियों को नयी दिशा दी जाय ताकि इस बात की रोक-थाम की जा सके कि उपलब्ध वित्तीय साधनों का बहुत बड़ा अंश केवल बड़े व्यापारिक गृहों के हिस्से में न आ जाय। यह कल्पना करना ठीक ही होगा कि बड़े बड़े औद्योगिक-गृह दरमियाने दर्ज के या नये उपक्रमियों के मुकाबले, प्रायोजनाओं के लिए अपनी तरफ से ज्यादा रकम लगाये और गैर प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों के लिए उन्हें रकमें न दी जाये।"

आयोजना आयोग अभी इन सुझावों पर विचार कर रहा है और उन्हें क्रियान्वित करने की प्रणालियां अभी तय की जानी है।

चौथी योजना में करारोपण

2553. श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए चौथी योजना अवधि में प्रतिवर्ष अतिरिक्त करारोपण के द्वारा लगभग 200करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के साथ हाल ही में इस अतिरिक्त करारोपण की सम्भावना के बारे में बात चीत की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो करारोपण के द्वारा अतिरिक्त धन जुटाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) योजना आयोग ने 'ऐप्रोच टू दि फोर्थ फाइव ईयर प्लान' (चौथी पंचवर्षीय आयोजना की भूमिका) सम्बन्धी अपनी पुस्तिका में यह अनुमान लगाया है कि चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन जुटाने पड़ेंगे। अतिरिक्त साधन जुटाने के उपायों में नये कर लगाना ही नहीं, बल्कि बचतों के संग्रह के लिए विशेष प्रयत्न करना और सरकारी उपक्रमों द्वारा ली जाने वाली कीमतों में परिवर्तन करना भी शामिल है। इस मामले पर और विचार किया जा रहा है और अन्तिम अनुमान चौथी पंचवर्षीय आयोजना में शामिल कर दिये जायंगे।

(ख) और (ग) : योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय आयोजना के लिए साधन जुटाने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर 17 और 18 मई, 1968 को राष्ट्रीय विकास परिषद ने विचार किया था। मुख्य मंत्रियों ने सामान्यतः यह स्वीकार किया कि अतिरिक्त साधन जुटाने की आवश्यकता है, यद्यपि ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि इस प्रयोजना के लिए ऐसे उपाय किये जायें जिनमें कर न लगाना पड़े। चौथी आयोजना के अन्तिम रूप से तैयार किये जाने से पहले इस मामले पर और विचार किया जायगा।

Electric Connections for Tube Wells in U.P.

2554. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Uttar Pradesh prior to the imposition of the President's rule had liberally sanctioned the electric connections to the farmers for tube wells during their regime;

(b) whether Government propose to continue the aforesaid liberal policy; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (c) The liberalised procedures and terms and conditions for the grant of power connections in the rural areas in Uttar Pradesh have been continued. District Power Committees have been authorised to sanction loads up to 50 H.P. with free line concessions for private tubewells/pumping sets up to 2 furlongs for loads up to 5 H.P. and 3 furlongs above 5 H. P. loads. Consumer holdings above 10 acres are given connections in three months under consumer deposit scheme. Under this scheme, the consumers have to deposit the estimated cost which is refundable in 10 six monthly instalments together with interest at 6% Consumers having holdings up to 10 acres and desiring earlier connections without waiting for their turn under the normal programme can also take benefit of this scheme under which connection is assured within 3 months.

Statues of Foreigners in Delhi

2555. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a museum is being constructed at a cost of Rs. 50 lakhs to keep the statues of foreigners removed from Delhi; and

(b) if so, the reasons for incurring such a huge expenditure on this score and not sending these statues back to England ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) No. However, it is proposed to develop a park on the site of the Coronation Memorial for the installation of these statues. Phase I of the project amounting to Rs. 3.74 lakhs was sanctioned by Government and this work is nearing completion.

(b) There is no objection to any of these statues being taken to England provided some individual/party comes forward with such a proposal.

Furniture on hire for Members of Parliament

2556. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that C. P. W. D. has declared a large portion of furniture given on hire in Delhi to Members of Parliament to be unserviceable;

(b) whether it is also a fact that they have decided to purchase new furniture to replace the same;

(c) if so, whether any Committee has been appointed to approve that furniture; and

(d) if so, the names of the members of this Committee ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) No.

(b) No, but furniture is being procured by the C. P. W. D. for M. Ps. who have desired to have new furniture items either as new scale furniture or as replacement of old items, partially or fully.

(c) The furniture design has been selected by a one man Committee appointed by the Joint House Committee of Lok Sabha and Rajya Sabha and the same pattern is being followed for procurement of new furniture.

(d) The one man Committee appointed by the Lok Sabha and Rajya Sabha House Committees consisted of Shri Pilloo Mody, Member of Parliament.

Enquiry into Causes of Death of Nurses of Irwin Hospital, Delhi

2557. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri S. M. Banerjee :

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the Departmental Enquiry being held into the mysterious death of some nurses of Irwin Hospital, New Delhi recently has been completed; and

(b) if so, the findings thereof and the action taken thereon ?

The Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) The Commission of Enquiry has not yet completed its work.

Request by Shri Biju Patnaik for foreign Exchange

2558. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3882 on the 13th March, 1968 and state :

(a) whether Shri Biju Patnaik, ex-Chief Minister of Orissa, had approached the Government for foreign exchange at the time of issue of his passport and its renewal;

(b) if so, the amount of foreign exchange demanded; and

(c) the amount of foreign exchange granted to him at the time of issue of his passport and at its renewal separately ?

The Deputy Prime Minister & Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Does not arise

Expenditure on Shanti Vana, New Delhi

2559. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) the name of the head under which the expenditure is being incurred on the memorial of Late Shri Jawaharlal Nehru which is under construction at Shanti Vana; and

(b) the amount likely to be spent till the completion of the construction work of the said memorial ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) "104-Delhi Capital Outlay"

(b) An expenditure of Rs, 34.69 lakhs is expected to be incurred on completion of the works sanctioned so far.

Expenditure on Rajghat, New Delhi

2560. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) the head under which the amount being spent on the Samadhi of Mahatma Gandhi under construction at Rajghat is debited; and

(b) the total amount earmarked for the completion of Samadhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) "104--Delhi Capital Outlay"

(b) Rs. 94.26 lakhs, including works completed or to be completed.

नेल्लोर जिले में सीमा सीला परियोजना का निर्माण

2561. **श्री क० सूर्य नारायण :** क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने नैल्लोर जिले में सीमा सीला परियोजना के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत क्या है तथा इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई व बिजली मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सीमा सीला परियोजना की रिपोर्ट केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को 1956 में प्राप्त हुई थी। इस परियोजना की अनुमित लागत 17 करोड़ रुपये बताई गई थी। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने परियोजना की जांच की थी और जल दाब पहलुओं पर अपनी टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी थीं। राज्य सरकार ने आयोग को सूचना दी थी कि अधिक मित्व्ययिता लाने के उद्देश्य से परियोजना का संशोधन किया जा रहा है। संशोधित परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

Demonstrations at Kasimpur Power House, Aligarh

*2562. **Shri Shiv Kumar Shastri :** **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Prakash Vir Shastri : **Shri Ram Avtar Sharma :**

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether agitations and demonstrations are held from time to time by some Political parties and persons under their influence in the Kasimpur Power House in Aligarh district;

(b) whether it is also a fact that the production capacity of the said power house has been adversely affected as a result thereof; and

(c) if so, the measures being taken to prevent them ?

The Deputy Minister for Irrigation and Power (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) There was a strike in the Kasimpur Power House from the Ist to the 18th July, 1968.

(b) & (c) The strike did not adversely affect the power generation of the Station which continued to operate. Measures were taken to protect workers who did not take part in the strike.

खाद्यान्नों के लिये राजसहायता के बारे में मद्रास के मुख्य मंत्री का मत

2563. **श्री नम्बियार :** **श्री रमानी :**
श्री अ० कु० गोपालन : **श्री उमा नाथ :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान खाद्यान्नों के लिये राजसहायता के बारे में 30 जून, 1968 को मदुरै में मद्रास के मुख्य मंत्री की पत्रकारों के साथ हुई बातचीत की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी है कि वह राज्य सरकारों द्वारा अन्न-सम्बन्धी राजसहायता देने पर खर्च की गयी रकम के लिए कुछ भी वित्तीय सहायता नहीं दे सकेगी।

कासिमपुर बिजली घर, अलीगढ़ में जापानी मशीनरी

2564. **श्री शिवकुमार शास्त्री** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला अलीगढ़ के कासिमपुर बिजली घर में लगाई गई विभिन्न देशों की मशीनों में से जापानी मशीनें सबसे अच्छी सिद्ध हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए भारत में ऐसे और अधिक जापानी संयंत्र लगाने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई व विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जापानी फर्म द्वारा बनाया गया 30 मेगावाट का यूनिट जिसे 1963-64 में हर्दुबागेंज में लगाया गया था, संतोषजनक रूप से काम कर रहा है। बहुत से सैट जो अन्य देशों द्वारा बनाए गए हैं और देश में चल रहे हैं, वे भी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं।

यह निर्णय किया गया है कि जहां तक संभव हो, कोई और उत्पादन संयन्त्र बाहर से न मंगाया जाए क्योंकि इनको बनाने के लिये आवश्यक क्षमता अब देश में उपलब्ध है।

विदेशी तेल कम्पनियों में स्वेच्छा से छंटनी योजना

2566. **श्री अ० कु० गोपालन** :
श्री उमानाथ :
श्री भगवानदास :
श्री नायनार :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोखले आयोग की नियुक्ति के पश्चात् 'स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना' के अन्तर्गत, विदेशी तेल कम्पनियों के अन्तर्गत कुल कितने कर्मचारियों ने नौकरियां छोड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति को स्वीकार करने के लिये कर्मचारियों पर दबाव डाला गया है;

(ग) क्या ऐसी स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) गोखले आयोग की नियुक्ति के पश्चात् 'स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना' के अन्तर्गत, विदेशी तेल कम्पनियों से नौकरियां छोड़ने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 836 है।

(ख) इस पर जांच आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

(ग) सरकार को कुछ व्यक्तिगत शिकायतें मिली थीं।

(घ) इन्हें जांच आयोग के पास भेज दिया गया था।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

2567. श्री द० रा० परमार : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सदस्यों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) इस बोर्ड के सदस्यों तथा प्रधान का नामांकन अथवा निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है तथा इस बोर्ड के सदस्यों तथा प्रधान की वेतन और भत्तों सहित उपलब्धियां क्या-क्या हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार के समाज कल्याण विभाग के कृत्यों और कर्तव्यों की तुलना में इस बोर्ड के कृत्य तथा कर्तव्य क्या हैं;

(घ) इस बोर्ड की उपयोगिता तथा महत्व क्या हैं, जबकि केन्द्रीय सरकार एक अलग विभाग चला रही है; और

(ङ) इस बोर्ड द्वारा खर्च की जा रही राशि को केन्द्रीय सरकार के अनुदानों के अतिरिक्त और किन-किन स्त्रोतों से प्राप्त किया जाता है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के 30 सदस्य हैं। सदस्यों के नाम संलग्न सूची में दिए गये हैं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1602/68]**

(ख) अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार करती है। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की नामजदगी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की सिफारिशों पर भारत सरकार करती है। संसद के प्रतिनिधियों की नामजदगी लोक सभा के अध्यक्ष तथा राज्य सभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। समाज कल्याण क्षेत्र के तीन विशेषज्ञों की नियुक्ति भारत सरकार करती है। शेष सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों तथा योजना आयोग द्वारा की जाती है।

अध्यक्ष (या अध्यक्षा) को 2500 रुपये मासिक तन्ख्वाह तथा 75 रुपये मासिक प्रतिकर भत्ता दिया जाता है तथा सामान्य नियमों के अन्तर्गत अपने कार्य सम्बन्धी ड्यूटी पर वह यात्रा भत्ते के हकदार हैं। अन्य सदस्यों को उस यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते, जो बोर्ड की बैठकों में आने के लिए मिलता है, के सिवाय कोई तन्ख्वाह या अन्य भत्ता नहीं मिलता।

(ग) और (घ) समाज कल्याण गतिविधियों के सुधार और विकास में सामान्यतया सहायक होना केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का कार्य एवं कर्तव्य है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग का समाज कल्याण क्षेत्र में एक दूसरे के

प्रति पूरक कार्य है । उन समाज कल्याण गतिविधियों, जो स्वैच्छिक क्षेत्र में अच्छी तरह चलाई जा सकती हैं, को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। कुछ चुनी हुई प्रयोगात्मक और मार्गदर्शी प्रकार की योजनाओं को सरकार कार्यान्वित करती है ।

(ङ) भारत सरकार के अनुदान; और कुछ नहीं ।

Family Planning Rules for Government Servants

2568. Shri S. D. Baswant : Will the Minister of Health, Family Planning and Urban Development be pleased to state :

(a) whether any rules relating to the Family planning have been made applicable to Government servants;

(b) the number of Departments of the Central Government where these rules have been introduced; and

(c) whether State Governments have also made applicable these rules to their employees and if so, the names of such States ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) (a) No, Certain executive orders have, however, been issued granting special casusl leave to Central Government servants who undergo sterilization operation or such female Government servantsas may have IUCD insertion. These orders are of general application to all the Central Government employees.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise. However, on this subject some State Governments have issued orders in respect of their employees. A summary of the orders issued is enclosed. [Placed in Library. See No L. T. 1603/68]

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समितियां/बोर्ड

2569. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय से सम्बद्ध विभिन्न सलाहकार समितियों, बोर्डों अथवा ऐसे अन्य संगठनों के नाम क्या हैं तथा उनके सदस्यों के काम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक को क्या-क्या काम सौंपे गए हैं;

(ख) प्रत्येक समिति अथवा बोर्ड में कितनें सदस्य सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं और कितने सदस्य सरकारी अधिकारी हैं;

(ग) क्या सदस्यों का नामनिर्देशन एक ही बार के लिए होता है और यदि नहीं, तो किसी सदस्य को कितनी बार पुनः नामनिर्देशित किया जा सकता है और एक बार नाम-निर्देशन की अवधि कितनी है; और

(घ) वर्ष 1967-68 में इन संगठनों पर कुल कितना धन व्यय हुआ ?

सिंचाई व विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1604/68]

विदेशों को प्रतिनिधिमंडल

2570. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष उनके मन्त्रालय की ओर से कितने प्रतिनिधिमंडल, मन्त्री, अधिकारी या अन्य विशेषज्ञ सरकारी खर्च पर विदेश गये;

(ख) उन्होंने किन-किन देशों का तथा कितने समय तक दौरा किया;

(ग) प्रत्येक दौरे पर कितनी राशि खर्च हुई और उसमें विदेशी मुद्रा का कितना अंश था; और

(घ) प्रत्येक यात्रा के परिणामस्वरूप सरकार को क्या लाभ हुआ और क्या करार किये गये और उनका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

वित्त मन्त्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समितियां/बोर्ड

2571. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय से सम्बद्ध विभिन्न सलाहकार समितियों, बोर्डों अथवा ऐसे अन्य संगठनों के नाम क्या है तथा उनके सदस्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक को क्या क्या काम सौंपे गये है;

(ख) प्रत्येक समिति अथवा बोर्ड में कितने सदस्य सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं और कितने सदस्य सरकारी अधिकारी हैं;

(ग) क्या सदस्यों का नाम निर्देशन एक ही बार के लिये होता है और यदि नहीं तो किसी सदस्य को कितनी बार पुनः नाम निर्देशन किया जा सकता है और एक बार नामनिर्देशन किया जा सकता है और एक बार नामनिर्देशन की अवधि कितनी है; और

(घ) वर्ष 1967-68 में इन संगठनों पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ।

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में भ्रष्टाचार के मामले

2572. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल से 30 जून, 1968 तक की अवधि में उनके मन्त्रालय में दाण्डिका भ्रष्टाचार, घूस, चोरी तथा अन्य अपराधों के कितने मामलों का पता लगाया और उनमें श्रेणीवार कितने अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों का हाथ था;

(ख) कितने मामलों में मुकदमा चलाया गया और कितने मामले केन्द्रीय जांच विभाग को सौंपे गये थे;

(ग) 1967--68 में कितने मामले पकड़े गये थे, कितने मामलों में दण्ड दिया गया और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है और उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे मामलों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Inscription of National Emblem on New Coins and Currency Notes

2575. Shri Bal Raj Madhok :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three-lion symbol of the National Emblem without "Satyamev Jayate" is inscribed on the new coins and currency notes;

(b) the dates since when the circulation of the National Emblem and these coins has been started;

(c) the reasons for mutilating the National Emblem, when the new coins have been introduced after the acceptance of the National emblem; and

(d) the reasons for not including Satyamev Jayate in this inscription on new coins subsequently in case the coins were introduced earlier than the acceptance of the National emblem ?

The Deputy Prime Minister & Ministry of Finance (Shri Morarji Desai) (a) The inscription on the coins and notes now in circulation is not the National Emblem, but the design of the Capital of the Asoka Pillar which was adopted in lieu of the king's head which used to appear on notes and coins before India became independent.

(b) The State Emblem with the motto was adopted from 30th May, 1949. The decision to incorporate the design of the Capital of Asoka Pillar on notes etc. was taken in August, 1948.

(c) & (d) Do not arise in view of (a) above. However, the matter was considered and a decision taken to maintain the status-quo on the coins and notes, particularly in view of the limited space available.

चण्डीगढ़ के लिये मैडिकल कालेज

2576. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में एक मैडिकल कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) और (ख) चण्डीगढ़ में एक मैडिकल कालेज खोलने के सम्बन्ध में चण्डीगढ़ प्रशासन से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह विषय विचाराधीन है।

चण्डीगढ़ में सहकारी गृह-निर्माण समितियों के लिये प्लाट

2577. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी आधार पर बनी आवास समितियों को प्लाट आवंटित करने के सम्बन्ध में चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन ने सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड

2578. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या वित्त मन्त्री 22 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8047 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली रेलवे रसीदों के आधार पर अग्रिम धन दिये जाने के बारे में पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उपप्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) से (ग) विषय पर अभी भी विचार हो रहा है।

भारतीय तेल निगम के काम में वृद्धि

2579. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम का काम हाल ही में बहुत अधिक बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इस बढ़े हुए काम को समुचित ढ़ंग से निपटाने के लिये वर्तमान प्रबन्ध निदेशक ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) (क) और (ख) जी हां। बिक्री में काफी वृद्धि हो जाने के कारण भारतीय तेल निगम के विपणन विभाग का काम बढ़ गया है।

(ग) भारतीय तेल निगम के पास पैट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मात्राओं को संभालने के लिये वितरण सुविधाएं सुदृढ़ की गई और की जा रही हैं ।

इंडियन आयल कारपोरेशन की बकाया राशियों में कमी

2580. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री 8 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6648 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक ने निगम की बकाया राशियों को वसूल करने के लिये एक व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक की कार्याविधि में वसूल की जाने वाली बकाया राशियों में कमी न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) बकाया राशि को कम करने के लिये वर्तमान प्रबन्ध निदेशक को क्या प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० रघुरमैया) (क) और (ख) उपभोक्ताओं की बकाया को कम करने के प्रश्न पर भारतीय तेल निगम लगातार पुनरीक्षण करती रही । इसके प्रबन्धकों ने बकाया राशियों को कम करने के लिए सभी सम्भाव्य तरीके अपनाये हैं और अपना रहे हैं । इन में से कुछ निम्न हैं:—

(i) जिन क्षेत्रों में बकाया राशियां अधिक हैं वहां अफसरों के विशेष दल नियुक्त किये गये हैं;

(ii) सम्भरण और निपटान महा निदेशालय के व्यापार में वृद्धि से उक्त निदेशालय की बकाया राशियों की वसूली से सम्बन्धित पद्धतियों को सीधा करने के लिए एक प्रवर अधिकारी नियुक्त किया गया है;

(iii) सम्भरण और निपटान महा निदेशालय आदि को बिल भेजने का कार्य यन्त्रीकृत किया गया है जिससे बिलों को पेश करने के समय में कमी हुई है;

(iv) उपभोक्ताओं की बकाया राशियों के विवरण पत्र, क्षेत्र-स्टाफ को शीघ्र भेजने का तरीका अपनाया गया है;

(v) प्रत्येक ब्रांच मैनेजर उपभोक्ताओं की बकाया राशियों की स्थिति का नियमित रूप से विश्लेषण करता है और बिक्रय अधिकारियों को इकत्रण के स्पष्ट लक्ष्य बताये जाते हैं । इससे बकाया राशियों को, विशेषकर प्राइवेट पार्टियों के बारे में, नियन्त्रण में रखने में सहायता मिली है; और

(vi) विपणन प्रभाग के प्रवर प्रबन्धक जिसमें चेयरमैन और निगम के निदेशकों का बोर्ड शामिल है, इस विषय पर लगातार निगरानी रख रहे हैं ।

(ग) शुरू के वर्षों में प्रत्येक संस्था को प्रारम्भिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और पद्धतियों को व्यवस्थित करने में समय लगता है। उस समय कारपोरेशन का मुख्य ध्येय, अन्य प्रतिष्ठापित तेल कम्पनियों की कठिन प्रतियोगिता में, अधिकत्तम बिक्री करना था। ऐसी स्थिति में व्यापक रूप से उधार सुविधाएं देना जरुरी था।

(घ) अन्य कार्यों के साथ इस कार्य पर भी पूरा ध्यान देना उच्च प्रबन्धों का कर्तव्य है। अतः प्रोत्साहन देने का प्रश्न नहीं उठना चाहिये। फिर भी, चैयरमैन और भारतीय तेल निगम के निदेशकों का बोर्ड किसी अधिकारी के विशेषकर अच्छे कार्य को सदैव तोड़ कर सकते हैं।

तवा परियोजना के लिए ऋण सहायता

2581. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं० 2725 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में तावा परियोजना के लिए नियत शत-प्रतिशत ऋण-सहायता देने का इस बीच निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) जी, अभी नहीं।

(ख) तवा परियोजना के लिए शत-प्रतिशत निर्धारित सहायता देने का प्रश्न पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट और प्राक्कलनों, जो अभी राज्य सरकार से प्राप्त होने है, की स्वीकृति तथा उसके कार्यान्वन के लिए योजना में प्रबन्धित राशि के प्रश्न से जुड़ा हुआ है।

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं का सर्वेक्षण

2582. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं और 1967-68 में मध्य प्रदेश में जिन सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया गया, उनका ब्यौरा क्या है और उक्त सर्वेक्षण कब कब किये गये; और

(ख) अब तक कौन से सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी वाला एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1605/68]

देहातों में बिजली लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को सहायता

2583. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री 23 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न सं० 1595 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहातों में बिजली लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने आवंटन के रूप में जिस अतिरिक्त ऋण अथवा सहायता के लिए कहा था उसकी इस बीच व्यवस्था कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो आवंटित राशि कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) से (ग) धन की कमी के कारण 1967-68 के दौरान किसी भी राज्य को ग्राम विद्युतीकरण के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकी ।

सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा कलाई घड़ियों का पकड़ा जाना

2584. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नी० रं० लास्कर :
श्री अम्बुचेजियान :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने 3 जून, 1968 को बम्बई में थाना जिले के गावान गांव के एक मकान से 13 लाख रु० के मूल्य की 11,000 कलाई की घड़ियां पकड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ विदेशियों को गिरफ्तार किया गया था;

(घ) यदि हां तो उनके तथा अन्य अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) इन घड़ियों को बेचने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) और (ख) बम्बई केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता-कार्यालय के अधिकारियों ने 2/3 जून 1968 की रात को थाना जिले के गवान गांव में एक मकान की तलाशी ली और स्विट्जरलैण्ड में बनी 11,677 कलाई घड़ियां पकड़ी जिनका मूल्य लगभग 12 2 लाख रुपया होता है ।

(ग) और (घ) अबतक कोई गिरफ्तारियां नहीं की गयी हैं । मामले की जांच पड़ताल की जा रही है ।

(ङ) वर्तमान व्यवस्था यह है कि जब्त-शुदा घड़ियों को, निपटान योग्य होने पर, केन्टीन स्टोर्स विभाग (भारत) और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिये बेच दिया जाता है ।

चांदी पकड़ी जाना

2585. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मई, 1968 को वापी के निकट एक पड़ताल चौकी पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक लाख रुपये के मूल्य की चांदी पकडी थी;

(ख) यदि हां तो क्या यह भी सच है कि इस मामले में कुछ पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि उनके पास से कुछ ऐसे दस्तावेज पकड़े गये थे, जिनसे विदेशों के साथ बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापार करने वाले एक गुट का सुराग मिलता है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई). (क) जी, हां। सीमाशुल्क अधिकारियों ने 30 मई, 1968 को वापी के निकट एक पड़ताल-चौकी पर लगभग एक लाख रुपये मूल्य की चांदी इस वाजिब विश्वास में पकड़ी कि चादी अवैध निर्यात के लिए थी।

(ख) कोई पत्रकार गिरफ्तार तो नहीं किया गया है, परन्तु इस मामले में एक ऐसे व्यक्ति से, जांच-पड़ताल के सिलसिले में पूछ-ताछ की गयी है, जो पत्रकार है।

(ग) अभी तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है। मामले की जांच-पड़ताल चल रही है।

(घ) अब तक पकड़े गये दस्तावेजों से तस्कर आयात-निर्यात में संलग्न किसी गिरोह का कोई संकेत नहीं मिला है।

बम्बई में मादक पदार्थों का पकड़ा जाना

2586. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमा शुल्क अधिकारियों ने 20 जून 1968 को मध्य बम्बई में एक ट्रक से 4300 पौंड मादक पदार्थ बरामद किये थे ; और

(ख) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय बम्बई के कर्मचारियों ने बम्बई पुलिस की सहायता से 20 जून, 1968 को बम्बई की बेलासिस रोड़ पर एक ट्रक से 4409 पौंड भांग पकड़ा।

(ख) दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

पोरबन्दर में चांदी की सलाखों का बरामद किया जाना

2587. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोरबन्दर (गुजरात) में सीमा शुल्क पुलिस ने 8 जून, 1968 को एक नौका पकड़ी थी और उस नौका के खड़े होने के स्थान के निकट 45,000 रुपये के मूल्य की चांदी की सलाखें पकड़ी गई ; और

(ख) यदि हां तो सरकार द्वारा उस माल, मामले में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 8 जून 1968 को सीमा शुल्क अधिकारियों ने पोरबन्दर के पास एक स्थान पर जमीन में घस गये एक जलयान को पकड़ा, और जलयान तथा उसके आसपास तलाशी लेने पर 51,385 रुपये की मूल्य की चांदी की 88.118 किलोग्राम वजन की छड़े बरामद की। बाद में उस क्षेत्र की तलाशी लेने पर 2,80,614 रुपये मूल्य की चांदी की 521.835 किलोग्राम वजन की 17 छड़े और बरामद हुई।

(ख) मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। इस सम्बन्ध में सात व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे जो बाद में जमानत पर रिहा कर दिये गये हैं।

केन्द्र द्वारा सलाल जल विद्युत परियोजना को अपने नियंत्रण में लेना

2588. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि केन्द्रीय सरकार का चनाव नदी (जम्मू तथा काश्मीर) पर सलाल जल-विद्युत परियोजना को अपने नियन्त्रण में लेने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस योजना पर अनुमानत: कुल कितना खर्च आएगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) सलाल परियोजना के लिए परियोजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

बर्मा तेल कम्पनी के साथ साझेदारी

2589. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा शेल तेल कम्पनी ने भारत सरकार के साथ आयल इंडिया लिमिटेड ने अल्प संख्यक अंशों के आधार पर साझेदारी जारी रखने के लिये सहमति प्रकट की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में सुगन्ध बनाने की परियोजना (एरोमेटिक पराजैक्ट)

2590. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत सरकार तथा पश्चिम जर्मनी के बीच गुजरात में सुगन्ध बनाने वाला कारखाना स्थापित करने के लिये कोई समझौता हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, परियोजना पर कितने व्यय का अनुमान है तथा उसकी अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) भारत सरकार और फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी की एक, प्राइवेट कम्पनी मैसर्स फ्राइड क्रुप्प जी० एम० बी० एच० कैमीनलेजन बाय के बीच एक करार हुआ था, फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी सरकार के साथ नहीं ।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 7.5 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा अंश सहित 22 करोड़ रुपये है और 1971-72 तक उत्पादन शुरु हो जाने की आशा है । परियोजना का रुपांकन प्रतिवर्ष 21,000 मीटरी टन ओ-जाइलीन, 17,000 मीटरी टन पी-जाइलीन, 2,500 मीटरी टन मिश्रित जाइलीन और पी-जाइलीन को 24,000 मीटरी टन डी० एम० टी० में परिवर्तित करने के लिये किया गया है । मैसर्स फ्राइड क्रुप्प कैमीनलेजन टैकनालोजी और इंजीनियरी डीजाइन देने आयातित उपकरण की सप्लाई तथा इंजीनियरिंग, निर्माण और सन्यन्त्रों को चालू करने में सहायता करेंगे ।

उर्वरक का आयात

2592. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री न० कु० सांघी :

क्या **निर्माण, आवास और पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक का आयात करने के लिये कुछ देशों के साथ कोई दीर्घकालीन प्रबन्ध किये गये है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इन देशों के नाम क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस की ओर ध्यान दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरक के मूल्य में भारी उतार चढ़ाव से भारत को हानि न हो ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशी सहायता के बारे में योजना आयोग के सदस्य का वक्तव्य

2593. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान योजना आयोग के सदस्य श्री आर० वेंकटरामन के इस भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि "अब समय आ गया है जब हमें विदेशी सहायता के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये और यह बुद्धिमत्ता नहीं है कि हम ऋण लेते रहे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) 'ऐप्रोच टु दि फोर्थ फाइव इयर प्लान', (चौथी पंचवर्षीय आयोजना की भूमिका) नामक पुस्तिका में यह कहा गया है चौथी पंचवर्षीय आयोजना का एक मुख्य उद्देश्य, जितनी भी जल्दी हो सके, आत्म निर्भरता की ओर बढ़ना है। लगातार विदेशी सहायता (जिसमें अन्न सहायता भी शामिल है) लेकर विकास करना अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए प्रयत्न यह होना चाहिए कि चौथी पंचवर्षीय आयोजना के अन्तिम वर्ष तक विदेशी सहायता की रकम, ब्याज और ऋण शोधन की रकम को छोड़कर वर्तमान स्तर के मुकाबले लगभग आधी रह जाय।

योजना आयोग के सदस्य द्वारा दिये गये वक्तव्य में, इस पुस्तिका में बतायें गये उद्देश्यों पर ही जोर दिया गया है।

अमरीका से आयातित उर्वरक का मूल्य

2594. **श्री रमानी :**
श्री पी० राम मूर्ति :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री भगवान दास :

क्या निर्माण आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में भारत में अमरीका से प्रति वर्ष आयात किये गये उर्वरक का मूल्य क्या था और इस वर्ष के दौरान आयात किये जाने वाले उर्वरक के लिये कितना मूल्य दिया जायेगा ; और

(ख) मूल्य में प्रति वर्ष वृद्धि के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) वर्ष 1962 से अगस्त, 1968 तक अमरीका से खरीदे गए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1606/68]।

(ख) मूल्यों में समय समय पर कई कारणों से, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय पूर्ति और मांग की स्थिति, सामग्री की विशिष्टयां, बोरियों में भरने आदि पर निर्भर करते हैं, उतार-चढ़ाव होता रहा है।

पांडिचेरी के पास "औरोविल्ले" का निर्माण

2595. **श्री रमानी :**
श्री चक्रपाणि :
श्री उमानाथ :
श्री भगवान दास :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री नम्बियार :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री 6 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9688 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी के पास औरोविल्ले के निर्माण पर कुल अनुमानित व्यय और सरकार द्वारा दी गई सहायता के सम्बन्ध में इस बीच जानकारी इकट्ठी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) आरोविल्ले के 1968-73 में किये जाने वाले विकास कार्य के प्रथम चरण का अनुमानित व्यय 41,72,50,000 रुपये है।

इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार ने नकदी या अन्य प्रकार की कोई सहायता अभी तक नहीं दी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्मचारियों के कुछ वर्गों के बारे में द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें

2596. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरे वेतन आयोग ने उन श्रेणियों के लिये जिनके पदोन्नति के अवसर 50 प्रतिशत से कम हैं, सलेक्शन ग्रेड के पद बनाये जाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस सिफारिश पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) (ख) तथा (ग) दूसरे वेतन आयोग ने ऐसे गैर-सचिवालयी कार्यालयों के निम्न श्रेणी क्लर्कों के लिए एक चुनाव ग्रेड की स्थापना की सिफारिश की थी, जहां उन्नति-पदों का अनुपात निम्न श्रेणी

क्लर्कों के पत्रों के 50 प्रतिशत से कम हो। दूसरे वेतन आयोग की यह सिफारिश अगस्त, 1960 में वित्त मन्त्रालय के 26 अगस्त, 1960 के कर्यालय ज्ञापन संख्या एफ 12(5) संस्थापन (स्पेशल)/60 (प्रति संलग्न) [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1607/68**] द्वारा कार्यान्वित की गई थी।

मिट्टी के तेल का उत्पादन

2597. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में मिट्टी के तेल का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) हमारी आवश्यकता और देश में होने वाले उत्पादन में कितना अन्तर है ; और

(ख) यह कमी कैसे पूरी की जाने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) 21,57,000 मीटरी टन

(ख) 4,49,000 मीटरी टन

(ग) कमी आयात द्वारा पूरी की जाती है।

बर्मा शैल द्वारा तेल शोधक कारखानों का विस्तार

2598. **श्री चक्रपाणि :**
श्री पी० राममूर्ति :
श्री के० एस० अब्राहम :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बर्मा शैल से अपने तेल शोधन कारखानों के विस्तार करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गैर-सरकारी तेल शोधन कारखानों के विस्तार के लिये शर्तों में छूट देने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां।

(ख) बम्बई के पास एक उर्वरक संयन्त्र को लगाने और उसके लिए अपेक्षित नेफ्था के उत्पादन के लिए बम्बई में बर्मा शैल शोधनशाला का प्रतिवष्टि प्रतिवर्ष 2 मिलियन मीटरी टन तक विस्तार के बारे में, मैसर्स बर्मा आयल कम्पनी और शैल पैट्रोलियम कम्पनी ने संयुक्त रूप में दिसम्बर 1967 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

(ग) और (घ) मामला परीक्षाधीन है।

राज्यों को सहायता

2599. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों के कर्मचारियों और अध्यापकों के वेतनों और भत्तों को बढ़ाने के लिये उन राज्यों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; जहां अभी राष्ट्रपति का शासन लागू है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह वित्तीय सहायता न दी जाने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी. नही ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) राष्ट्रपति का शासन हो जाने से भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अपनायी जानेवाली नीति में कोई फरक नहीं पड़ता ।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की हड़ताल

2600. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने स्वचालित मशीनों के प्रयोग तथा उनकी मांगे स्वीकार न की जाने के विरोध में अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस निगम द्वारा बातचीत के माध्यम से समझौता न किये जाने के क्या कारण है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ऐसी रिपोर्ट मिली है कि जीवन बीमा निगम के श्रेणी III और IV कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघ, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संस्था ने निगम में अनिश्चित हड़ताल करने के लिए हाल ही में हड़ताल सम्बन्धी मत संग्रह किया था । मत-संग्रह के परिणाम तथा उन पर संस्था के फैसले का अभी पता नहीं चला है ।

(ख) इस समय यह सवाल नहीं उठता ।

(ग) अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है क्योंकि इस संस्था ने विकल्प में ऐसे कोई प्रस्ताव पेश नहीं किये हैं जिनके भार का अतिरिक्त वार्षिक व्यय की सीमा के अन्दर रहते हुए प्रबन्ध करने के लिए निगम सहमत हो जाता, क्योंकि निगम के लिए अपने व्यय के अनुपात को उचित सीमाओं के अन्दर नियत्रित रखना आवश्यक है । मामला अब समझौता अधिकारी के सामने हैं ।

सरकारी उपक्रमों में नियुक्त सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी क्वाटरों का रखा जाना

2601. श्री स० मो० बनर्जी : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों को जिन्हें सरकारी उपक्रमों/निगमों में पुनः नियुक्त किया जाता है, दिल्ली में क्वाटर रखने की अनुमति दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें से कुछ कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क), (ख) और (ग) आवंटन नियमावली के उपबन्धों के अनुसार सामान्य पूल निवास स्थानों में रह रहे सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में उनके पुनः नौकरी पा जाने पर उसे अपने पास बनाए रखने के अधिकारी नहीं हैं। तथापि, कुछ मामलों में जिनमें सरकारी कर्मचारी ने सेवानिवृत्त होने पर कोई महत्वपूर्ण कार्य ले लिया है तो वास को अपने पास बनाये रखने की अनुमति दे दी गयी है। ऐसे मामलों का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता हैं।

अब यह निर्णय किया गया है कि ऐसे सभी मामलों का पुनरीक्षण किया जाये तथा निवास स्थानों को खाली कराने की आवश्यक कार्यवाही की जाये। अतएव इस रियायत को उन सरकारी कर्मचारियों को देने का प्रश्न ही नहीं उठता जिन्हें इसे देने से अस्वीकार कर दिया गया है।

ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ का नियन्त्रण

2602. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ को नियंत्रित करने के लिए किन्हीं प्रस्तावों के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) क्या नदी में से मिट्टी निकालने के किसी प्रस्ताव को व्यवहार्य पाया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) असम में वर्तमान तटबन्धों को ऊंचा और पक्का करने उपयुक्त बाढ़ सूचनाएं देने और सामयिक रख-रखाव पर ध्यान केन्द्रित करने का विचार है। डिटेन्शन जलाशय की तकनीकी तथा आर्थिक सम्भाव्यता की पूरी तरह जांच करने का भी विचार है।

(ख) कटाव रोधी उपाय के रूप में तलकर्षण की संभाव्यता को देखने के लिए कुछ स्थानों पर ब्रह्मपुत्र में प्रयोगात्मक तलकर्षण करने का विचार है। बाढ़ नियंत्रण के लिए नदी का तलकर्षण अव्यावहार्य समझा गया है।

कर सम्बन्धी ढांचे का सरल बनाया जाना

2603. श्री कं० हाल्दर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर ढांचे को युक्तिसंगत और सरल बनाने के सम्बन्ध में श्री भूतलिंगम द्वारा दिये गये अन्तिम प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) कर ढांचे को युक्तिसंगत तथा सरल बनाने के लिये श्री एस० भूतलिंगम ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में जो सिफारिशें की है, सरकार उनका अभी अध्ययन कर रही है। इस सिलसिले में आयकर आयुक्तों, वाणिज्य-मंडलों तथा अन्य सरकारी संस्थाओं के अभिमत भी इन सिफारिशों के बारे में मांगे गये हैं। सरकार द्वारा, श्री भूतलिंगम की अन्तिम रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के बारे में निर्णय तभी किया जायगा जब वह उसके प्रभावों को ध्यान पूर्वक सर्वांगीण अध्ययन तथा माननीय सदस्यों, विशेषज्ञ निकायों तथा जनता के अभिमतों पर विचार कर चुकेगी।

अन्तिम रिपोर्ट में सुझाये गये कुछ ऐसे मामलों को वित्त अधिनियम 1968 के द्वारा कार्यान्वित किया गया है जिनकी ओर सरकार का ध्यान पहले से ही लगा हुआ था, और जिनको स्वीकार करने से कर के ढांचे में कोई सहत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होते थे। इन सुझावों का सम्बन्ध था, देशी कम्पनियों द्वारा सामान्य लाभांशों के अधिवितरण के संदर्भ में, उन कम्पनियों पर 'लाभांश कर' की समाप्ति करना ; वेतन पाने वाले कर-दाताओं के वाहनों के रख-रखाव तथा टूट-फूट पर होने वाले खर्च पर मानक कटौती निर्धारित करना तथा किराये पर दी गयी सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य का हिसाब जोड़ने के सभी मामलों में सम्पत्ति के सम्बन्ध में सभी स्थानीय करों की पूरी कटौती देना।

दार्जिलिंग जिले में भोजन तैयार करने में काम आने वाली गैस की बिक्री

2604. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग जिले में भोजन तैयार करने में काम आने वाली गैस की बिक्री करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या पहाड़ी लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो यहां से भिन्न अवस्थाओं में रहते हैं क्या सरकार इस प्रस्ताव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) जी नहीं, दार्जिलिंग जिले में इंडेन गैस की व्यवस्था के लिये भारतीय तेल निगम के पास कोई तत्काल योजना नहीं है।

(ग) बरौनी शोधनशाला से इस समय तरल पैट्रोलियम गैस सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है।

कलकत्ता के अस्पताल

2605. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता के अस्पतालों के प्रबन्ध के बारे में कोई गम्भीर शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो ये शिकायतें क्या है ; और

(ग) सरकार ने कलकत्ता के अस्पतालों में वर्तमान कदाचार, कुप्रबन्ध तथा रोगियों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख) और (ग) सूचना ऐकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय तेल निगम द्वारा आयात किये गये तारकोल के ढोलों (ड्रमों) की चादरों का विक्रय

2606, श्री समर गुह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री 22 अप्रेल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1360 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने उनके प्रयोग में न लाई गई आयातित तारकोल के ढोलों की चादरों को बेचने के लिये इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय से कोई अनुमति ली थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी चादरों को बेचने के लिये अनुमति दी गई थी ;

(ग) क्या उस पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का सरकार का विचार है जिसमें इन चादरों के बेचने के लिए अनुमति दी गई थी ;

(घ) क्या भारतीय तेल निगम ने ये चादरें सार्वजनिक टेंडर मंगा कर अथवा अन्यथा बातचीत द्वारा बेची थी ;

(ङ) इस्पात की उक्त चादरों को खरीदने के लिए किन किन फर्मों ने क्या क्या कीमतें लगायी थीं ; और

(च) उक्त चादरें कब और किसको बेची गयी तथा कितनी मात्रा में और कितनी कीमत पर बेची गई ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां।

(ख) 2,000 मीटरी टन।

(ग) भारतीय तेल निगम को लौहा और इस्पात उप-नियन्त्रक बम्बई और लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक कलकत्ता से प्राप्त हुए पत्रों की प्रतियां सभा-पटल पर रख दी हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1608/68]

(घ) भारतीय तेल निगम ने ये चादरें सार्वजनिक टेंडर और बातचीत द्वारा बेची थीं।

(ङ) पार्टियों के नाम	पार्टियों द्वारा लगाये गये दाम
1. वेद प्रकाश एण्ड कम्पनी	1600 रुपये प्रति मीटरी टन
2. भोरूका ड्रम एण्ड एलाईड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लि० बम्बई	1700 रुपये प्रति मीटरी टन
3. स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता	1710 रुपये प्रति मीटरी टन
4. हिन्द ग्लैवनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता	1750 रुपये प्रति मीटरी टन
5. रिहैवीलिटेशन इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन (भारत सरकार का एक उपक्रम) कलकत्ता	भारतीय तेल निगम के पुस्तक मूल्य पर।

(च) लौहा और इस्पात उप-नियन्त्रक बम्बई से अनुमति प्राप्त करने के बाद (उसके पत्रों दिनांक 4 मई, 1968 की प्रतियां संलग्न हैं) इस्पात निम्न प्रकार पार्टियों को पेश किया गया था:–

1. स्टैण्डर्ड ड्रम्ज एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी।	1710 रुपये प्रति मीटरी टन की दर से 1300 मीटरी टन
2. हिन्द ग्लैबनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी।	1750 रुपये प्रति मीटरी टन की दर से 600 मीटरी टन
3. रिहैवीलिटेशन इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन	भारतीय तेल निगम की पुस्तक मूल्य की दर से 100 मीटरी टन।

गेज इस्पात की चादरों का सम्भरण

2607. श्री समर गुह : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री 22 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1360 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी विकास महा-निदेशालय ने ढोल निर्माताओं (फैब्रिकेटर) के कोटे में उनके तेल कम्पनियों से सीधे मिलने वाली 18 तथा 24 गेज की इस्पात चादरों की मात्रा कमी तदनुसार कमी वेशी की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका आज तक का विवरण क्या है ;

(ग) ऐसे उपभोक्ताओं को जिनके पास ढोल बनाने के संयन्त्र नहीं है, देशी अथवा आयातित इस्पात की चादरें देने के वशिष्ट कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या भारतीय तेल निगम को ऐसे सार्थों को, जिनके पास ढोल बनाने के लिये लाइसेंस नहीं है, ढोल बनाने के लिये आर्डर देने का अधिकार है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) विटूमैन ड्रमों के लिए 24 गेज की चादरें : तकनीकी विकास महानिदेशालय बिटूमैन ड्रमों के निर्माण के लिए 24 गेज चादरों का आवंटन नहीं करता है और न ही किया है। अतः सामंजन का प्रश्न नहीं उठता। विटूमैन का उत्पादन करने वाले विभिन्न यूनिटों की आवश्यकताओं के अनुसार पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तेल उद्योग को चादरों का आवंटन करता है।

लूव बैरलज़ (ढोलों) के लिए 18 गेज की चादरें : इस्पात प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए 18 गेज चादरों के कोटे का आवंटन तकनीकी विकास महा-निदेशालय ढोल निर्माताओं को करता है। यह आवंटन सामान्यतः निर्माताओं की आंकित क्षमताओं के अनुसार होते है। यदि आपतकालीन स्थितियों को पूरा करने के लिए अग्रिम आंवटन किये जाते हैं तो उत्तरोत्तर आवंटनों में उचित सांमजन किया जाता है।

(ख) तकनीकी विकास महा निदेशालय ने 1966-67 में किये गये कम/अधिक आवंटनों के सामंजनों की सिफारिश की है ; जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

फर्म का नाम	वास्तविक शेयर	कुल आवंटन	(मीटरी टनों में मात्रा) सांमजित की जाने वाली मात्रा
1. मैसर्स इण्डस्ट्रियल कन्टेनर्स लि०, कलकत्ता	4268	2528	1740 (कम आवंटन)
2, मैसर्स स्टेन्डर्ड ड्रम और बैरलज़ मैन्यू-फैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई।	7854	7889	35 (अधिक आवंटन)
3. मैसर्स स्टील कन्टेनर्स लि० बम्बई	4485	5294	809 (अधिक आवंटन)
4. मैसर्स हिन्द ग्लैवनाइजिंग और इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लि०, हावड़ा	3241	5966	2725 (अधिक आवंटन)

(ग) 24 गेज इस्पात से बनाये गये विटूमैन ढोलों का विटूमैन पैकिंग के अलावा और कोई प्रयोग नहीं है; जब कभी शोधनशालाएं इस उत्पाद का उत्पादन आरम्भ करें। अतः तेल उद्योग को चादरें देने में वर्तमान ढंग का प्रयोग किया जाता है। इस तरह इस दुर्लभ मद का सही प्रयोग सुनिश्चित किया जाता है।

(घ) अपनी बैरलज़ या ड्रमों की आवश्यकताओं के लिए किस को आर्डर दें यह भारतीय तेल निगम को फैसला करना है, इस बारे में पात्रता का प्रश्न नहीं उठता।

Conditions for Allotment of Land to Persons Practising Family Planning

2608. Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the **Minister of Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a particular State has made an announcement to the effect that Government land for the purpose of constructing houses would be allotted only to those Government servants, military personnel, freedom fighters, ex-servicemen, and the goldsmiths affected by the Gold Control Order, who would limit their families upto two or three children and in case they already have more than three children, they would not increase the number of their children further; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Yes, according to the available information, a State Government has announced that among others, the concession regarding the grant of land to individuals including the different sections of society, freedom fighters, ex-servicemen and Government servants would not be available to those families who do not restrict their size to three living children, if they have less than 3 children, or to their present size, if they have more than 3 children.

(b) This is a matter entirely within the jurisdiction of the State Government.

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा सम्पत्ति की बिक्री

2609. श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों के नाम एक पत्र संख्या 3 (50)-ई० एण्ड पी०/61-575 दिनांक 7 जून, 1961 जारी किया था, जिसमें उनसे यह कहा गया था कि वे उन पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के विरूद्ध, जो भारत में अवैध तौर से अपनी सम्पत्ति बेचने का प्रयास करते हैं, संगत कानून लागू करें; और

(ख) क्या बिहार सरकार ने उपरोक्त पत्र के अनुसरण में सभी जिला रजिस्ट्रारों को एक परिपत्र संख्या 2-आर० 3-309/65-548 दिनांक 9 फरवरी, 1965 जारी किया था, जिसमें उनसे यह कहा गया था कि 'जब भी कोई मुसलमान कोई अचल सम्पत्ति बेचे, तो पंजीकरण करने वाले अधिकारी को चाहिये कि वह क्रेता तथा विक्रेता दोनों का ध्यान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के उपबन्धों की ओर दिलाये ?"

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : जी, हां। ये गोपनीय हिदायतें हैं, जो इस उद्देश्य से जारी की गई हैं कि अचल सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त रकमों का गैर कानूनी तरीके से हस्तान्तरण न किया जा सके ।

बरौनी तेल शोधक कारखाना

2610. श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी तेल शोधक कारखाने में प्रत्येक श्रेणी के स्वीकृत पदों की संख्या क्या है; और

(ख) उनमें से कितने पद भरे जा चुके हैं; और

(ग) वर्ष 1966–67 और 1967–68 में बरौनी तेल शोधक कारखाने द्वारा अपने कर्मचारियों को कितने घंटों का समयोपरि भत्ता दिया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) स्वीकृत पद और वास्तविक रूप में भरे जा चुके पदों की संख्या निम्न प्रकार है:—

क्रम संख्या	वेतन मान	पदों की संख्या	
		स्वीकृत पद	भरे गये पद
1.	1600 रुपये से 3000 तक	6	6
2.	1300 रुपये से 1600/1800 रुपये तक	8	8
3.	1100 रुपये से 1400 रुपये तक	17	17
4.	700 रुपये से 1250 रुपये तक	43	41
5.	400 रुपये से 950 रुपये तक	135	128
6.	न्यूनतम।अधिकतम 375/625 रुपये से अधिक नहीं (*57 पदों की स्वीकृति दो महीनों के लिए थी)	*1930	1672

(ग) 1966–67 के दौरान – 7,12,907 घण्टे
1967–68 के दौरान – 9,05,300 घण्टे

इलेक्ट्रानिक संगणक का लगाया जाना

2611. श्री उमानाथ : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री अब्राहम : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 में देश में विभिन्न स्थानों पर कुल कितने इलेक्ट्रानिक संगणक लगाये गये हैं;

(ख) इनके लगाने पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है;

(ग) इन संगणकों पर कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं; और

(घ) ये संगणक किन किन स्थानों पर लगाये गये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) तक : सूचना इकट्ठी की जा रही है और ज्योंही वह प्राप्त हो जायगी, सभा की मेज पर रख दी जायगी।

भारत सहायता क्लब द्वारा ऋण राहत

2612. श्री गणेश घोष :
श्री अनीरुद्धीन
श्री नायनार
श्री प० गोपालन:

क्या **वित्त मंत्री** 22 जुलाई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ऋण में राहत के लिए भारत सहायता क्लब द्वारा दी जा रही राशि के साथ क्या शर्तें लगाई गई हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : भारत सहायता संघ के सदस्यों द्वारा 1968–69 के लिए ऋण-परिशोध सम्बन्धी सहायता के रूप में सूचित की गई 1012 लाख डालर की रकम में से 898.5 लाख डालर की रकम के बारे में दोनों पक्षों द्वारा शर्तें तय की जा चुकी हैं। ये शर्तें संलग्न मेंविवरण संक्षेप में बताई गई हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1609/68]**

उर्वरक संयन्त्रों के लिये उपकरणों की रूसी पेशकश

2613. श्री श्रीनिवास मिश्र:
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री नि० रं० लास्कर
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री न० कु० सांधी
श्री रा० दा० सिंह देव :
श्री वीर भद्र सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने भारत को उर्वरक संयन्त्रों के लिए उपकरणों की सप्लाई करने की पेश-कश की है;

(ख) यदि हां, तो उस पेशकश का ब्यौरा क्या है तथा उसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पेश किये गये उपकरण गैस फीड स्टाक पर आधारित यन्त्रों के लिये हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार उर्वरक संयन्त्रों के डिजाइनों में ऐसा परिवर्तन करने का है ताकि उनमें रूसी उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सके ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) तक : प्रश्न नहीं उठता।

गंडक नदी घाटी परियोजना की क्रियान्विति

2614. **श्री मधु लिमये** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंडक नदी घाटी परियोजना की क्रियान्विति के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) अब तक कुल कितना व्यय हुआ है;

(ग) इस परियोजना के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता का वचन दिया गया था तथा कितनी सहायता दी जा चुकी है;

(घ) क्या उत्तरी बिहार के पिछड़ेपन को देखते हुए उस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) एक विवरण संगलन है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1610/68**]

(ख) इस परियोजना के बिहार के भाग पर मई, 1968 के अन्त तक लगभग 41 करोड़ रुपये व्यय हुये थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 मार्च, 1968 तक लगभग 14.41 करोड़ रुपये का व्यय किया है।

(ग) इस परियोजना पर व्यय करने के लिये बिहार सरकार को मार्च, 1968 के अन्त तक 24.88 करोड़ रुपये ऋण के रूप में और 5.03 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता दी गई। इस वर्ष के लिये 11.50 करोड़ रुपये का ऋण और 2.50 करोड़ रुपये के अनुदान के लिए प्रबन्ध किया गया है जिसके प्रति अब तक बिहार राज्य सरकार को 2.58 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिये गये है। उत्तर प्रदेश सरकार को मार्च, 1968 के अन्त तक 1075.33 लाख रुपये का ऋण दिया गया है। 1968–69 के बजट में 6.50 करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया है जिसमें से उत्तर प्रदेश सरकार को अब तक 1.6 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार समान रूप से इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक है। इस कार्य को पूरा करने के लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल

2615. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मंत्री 3 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 76 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स अमीचन्द प्यारेलाल से 2,28,000 रुपये का कुल वैयक्तिक जुर्माना वसूल कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस फर्म से, जिसने जाली सीमा-पार प्रमाण पत्र पेश किये थे, जुर्माना वसूल न करने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तीन मामलों में से दो में 1,28,000 रुपये की पूरे निजी दण्ड की वसूली हो चुकी है।

(ख) तीसरे मामले में कर-निर्धारिती ने एक रिट-याचिका दायर की है जो बम्बई के उच्च न्यायलय में विचाराधीन है।

मैसर्स एडवांस इन्श्योरेंस कम्पनी

2616. श्री मधु लिमये : क्या वित्त मन्त्री 3 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 394 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स एडवांस इन्श्योरेंस कम्पनी के मामले के बारे में जांच इस बीच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ग) इस कम्पनी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) तथा (ग) एडवांस इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा दायर की गई एक रिट याचिका के आधार पर उच्च न्यायालय ने आदेश देकर इस मामले की जांच पड़ताल स्थगित करा दी है। रिट याचिका विचाराधीन है।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान को निर्देश

2617. श्री मधु लिमये : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान को एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें संसद सदस्यों को कोई जानकारी न देने का निर्देश दिया गया है; और

(ख) यदि हां तो 22 मार्च, 1968 के परिपत्र की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) और (ख) : निदेशक के नाम भेजे गये 22-3-1968 के पत्र में इस बात पर बल दिया गया था कि संस्थान के कर्मचारियों को अपनी शिकायतें यदि कोई हों तो, निवारण अधिकृत माध्यम से करवाना चाहिये।

सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनायें स्थापित किया जाना

2618. श्री रा० कृ० सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने यह निर्णय किया है कि 1968-69 के दौरान सरकारी क्षेत्र में कोई नई बड़ी औद्योगिक परियोजना आरम्भ नहीं की जानी चाहिए;

(ख) क्या अर्थ व्यवस्था के विकास पर इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ग) क्या, 1975 तक पांच सदस्यों के प्रत्येक परिवार की कम से कम 100 रु० प्रति मास की आय सुनिश्चित करने के उद्देश्य पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा ?

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : योजना आयोग ने यह निर्णय नहीं किया है कि 1968–69 में सरकारी क्षेत्र में कोई नई बड़ी औद्योगिक प्रायोजना शुरू नहीं की जानी चाहिये। हालांकि 1968–69 में सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं में लगाई जाने वाली रकम का अधिकतर भाग पहले से चल रही प्रायोजनाओं में लगाए जाने के लिये है, फिर भी रासायनिक खाद जैसे उच्च प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्रों में 1968–69 में कुछ नई प्रायोजनायें शुरू करने का विचार है। इनमें ट्रोम्बे रासायनिक खाद प्रायोजना, सिंदरी युक्तिकरण (रेशनलाइजेशन) योजना, सहकारी रासायनिक खाद प्रायोजना, कांडला आदि शामिल हैं।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

यूनिट ट्रस्ट योजना

2619. श्री रा० कृ० सिंह : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट को अब तक कुल कितना अंशदान प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इसके एक बड़े भाग को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनियोजित करने का है ?

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) दोबारा खरीदे गये यूनिटों की रकम को छोड़ कर, भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा बेचे गये कुल यूनिटों की रकम, जून, 1968 के अन्त तक 41.13 करोड़ रुपया थी।

(ख) यूनिट ट्रस्ट की कार्यकारी समिति स्वयं ही ट्रस्ट की निवेश-नीति निर्धारित करती है और सरकार इस सम्बन्ध में कोई हिदायत जारी नहीं करती।

क्षय रोग अस्पताल, महरौली

2620. श्री रा० कृ० सिंह : क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महरौली के क्षय रोग अस्पताल के लगभग 100 कर्मचारियों ने एक 'स्टाफ नर्स' की ज्यादती के विरोध में हाल ही में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के कार्यालय के सामने धरना दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य अस्पतालों के कर्मचारियों द्वारा भी ज्यादतियों सम्बन्धी ऐसी शिकायतें की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच कराई गई है और उसका क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास उप मन्त्री : (श्री बी०एस० मूर्ति) : (क) 8 जुलाई, 1968 को क्षय रोग अस्पताल, महरौली के 94 कर्मचारियों ने हड़ताल की तथा हड़ताल 2 दिन तक रही ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) स्टाफ नर्स के कथित कठोर व्यवहार के सम्बन्ध में छान-बीन की जा चुकी है तथा विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तियों की गवाही ली जा चुकी है । ये कागजात समझौता अधिकारी को भेज दिये गये हैं तथा वह उनकी जांच कर रहा है ।

बैंक सेवा के लिये शुल्क

2621. श्री लो० बो० प्रभु : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय बैंकों द्वारा बैंक सेवा के लिये शुल्क बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत के रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के ऋण लेने की दरों और ऋण देने की ऐसी अधिकतम दर निर्धारित करने जिसका सम्बन्ध ऋण प्राप्त करने की दरों और कर्मचारियों पर व्यय तथा लाभ उचित राशि से हो, के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) भारतीय बैंक संघ ने अपने सदस्यों को उन सेवा-प्रभारों (सर्विस चार्जेज) की एक सूची भेजी थी, जिसके अनुसार वे वस्तुओं की सुरक्षा, प्रेषणाओं और प्राप्त होने वाले तथा भेजे जाने वाले बिलों की उगाही करने के सम्बन्ध में 2 मई, 1966 से अपने ग्राहकों से रकम वसूल कर सकते थे । पता चला है कि प्रभारों में वृद्धि करने का उद्देश्य उन्हें युक्ति-संगत बनाना तथा उनका मानकीकरण करना था । लेकिन रिजर्व बैंक के साथ बात-चीत करने के बाद 11 जून, 1968 से उन्होंने सेवा प्रभारों की नयी दरें समाप्त कर दी हैं और इस प्रकार 2 मई, 1968 से पहले की स्थिति बहाल कर दी है ।

(ग) 50 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा की कुल मांग और सावधिक देनदारी वाले मुख्य भारतीय बैंकों तथा विदेशी बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज के सम्बन्ध में 9½ प्रतिशत वार्षिक की अधिकतम सीमा पहले से ही लागू है । सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले हर तरह के निर्यात-ऋणों पर 6 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से ब्याज की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गयी है, जिसके बदले उन्हें निर्यात-ऋण (ब्याज-सम्बन्धी राजसहायता) योजना, 1968 के अन्तर्गत सरकार 1½ प्रतिशत वार्षिक की राजसहायता भी देती है ।

गोआ में पकड़ा गया निषिद्ध माल

2622. श्री बाबू राव पटेल : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार वर्षों में पहली बार सीमा शुल्क अधिकारियों ने गोआ में हाल में 15 लाख रुपये से अधिक मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा है;

(ख) क्या सरकार यह महसूस करती है कि गोआ में, सीमा शुल्क विभाग को तस्कर व्यापार रोकने के लिये वर्तमान 13 व्यक्तियों के अलावा अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है;

(ग) इसके क्या कारण हैं कि गोआ सीमा शुल्क अधिकारिमों के पास एक भी स्टीम लांच नहीं हैं, और न ही सशस्त्र कर्मचारी हैं और न ही पकड़े हुए माल को रखने के लिये कोई अच्छा कमरा है;

(घ) क्या यह भी सच है कि पकड़े गये माल की सार्वजनिक नीलामी नहीं की जाती है और उसे केवल ऐसे माल को लेने के लिए बनायी गयी स्थानीय सहकारी समितियों को बेच दिया जाता है; और

(ङ) गोआ में तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ङ) : इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाने द्वारा तैयार किये गये मिश्रित उर्वरक

2623. श्री बाबू राव पटेल : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्राम्बे उर्वरक कारखाने द्वारा तैयार किये गये तथा कथित नये मिश्रित उर्वरक में कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन से तत्व प्रयोग में लाये गये हैं और इसने महाराष्ट्र की भूमि में क्या-क्या चमत्कार किये बताये जाते हैं;

(ख) इस नये मिश्रित उर्वरक का प्रति टन मूल्य पुराने साधारण उर्वरक की तुलना में कितना कम अथवा अधिक है और इसके द्वारा उपज तथा लाभ की दृष्टि से किसान को क्या अन्तर पड़ेगा;

(ग) क्या इस नये मिश्रित उर्वरक के उत्पादन के लिये एक नया कारखाना बनाने की आवश्यकता होगी और यदि हां, तो उस की अनुमानित लागत, वार्षिक उत्पादन क्षमता तथा इसके अन्य आर्थिक पहलू क्या हैं; और

(घ) क्या इस नये उर्वरक का उत्पादन आरम्भ करने से पुराने उर्वरक कारखाने बेकार हो जायेंगे और यदि नहीं, तो उन्हें जारी रखने के क्या कारण हैं; जबकि अधिक अच्छा और अधिक कारगर उर्वरक सम्भवतः कम लागत पर तैयार किया जा सकता है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (घ) तक : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वृद्धावस्था पेंशन योजना

2624. श्री बाबू राव पटेल : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा तैयार की गयी वृद्धावस्था पेंशन योजना की मोटी-मोटी बातें क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि यह योजना 1967 में रद्द कर दी गई थी और क्या इसे पुनः आरम्भ किये जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस योजना के लिये कितनी रकम नियत करने का विचार है; और

(घ) कितने राज्य वृद्ध तथा असमर्थ निराश्रितों को पेंशन देते हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमतीफूलरेणु गुह) : (क) वृद्धावस्था पेंशन योजना अभी विचाराधीन है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नही उठता; और

(घ) आठ राज्य और दो संघ शासित क्षेत्र।

Agricultural Credit

2625. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government are aware that adequate credit facilities for agricultural purposes do not still exist in rural areas; and

(b) if so, the steps being taken by Government for providing credit particularly direct credit to the farmers in time and for utilising their savings ?

The Deputy Prime Minister & Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The cooperative credit structure has been recognised as the primary institutional agency for disbursing agricultural credit. The share of the agricultural cooperative credit societies in the total borrowings by cultivators rose from 3.1 per cent in 1951-52 to about 25 per cent in 1961-62. This percentage is expected to be larger now. The cooperatives are being further strengthened to undertake a larger volume of credit business. A crop loan system to provide timely credit and also to ensure the supply of necessary inputs has already been introduced in most of the States. Further, the commercial banks have now been urged to increase their assistance to the agricultural sector for production, marketing and development. The banks have been implementing their branch expansion programmes under the guidance of the Reserve Bank in a planned and coordinated manner, with emphasis on opening branches in hitherto unbanked areas, with a view not only to mop up rural savings but also to disburse additional credit to agriculture. The Indian Banks' Association has recently set up an Agricultural Finance Corporation to purvey agricultural credit on a large scale. In cooperatively weak States, the Government also propose to set up Agricultural Credit Corporations to disburse short and medium term agricultural credit.

Rise in Prices of Land in Delhi

2626. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Chandra-Shekhar Singh :
Shri Dhireswar Kalita :
Dr. Ranen Sen :

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the survey conducted by the National Buildings Organisation according to which the Delhi Development authority has been held responsible for the rise in prices of land in Delhi;

(b) the other conclusions of the survey; and

(c) the reaction of Government thereto ?

Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) The national Building Organisation did not carry out any survey but had remitted a study to the Institute of Economic Growth, Delhi, who have prepared first draft of the Report and it is yet to be finalised.

(b) The conclusions of the survey would be available only when the Report is finalised.

(c) The question of Government's reaction whould arise only when the Report is ready.

बरौनी तापीय विद्युत परियोजना, बिहार

2627. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बरौनी तापीय विद्युत् परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) बरौनी ताप बिजली घर की स्वीकृत उत्पादन क्षमता में 15–15 मे० वाट के तीन सैट और 50–50 मै० वाट के दो सैट शामिल है। 15–15 मै० वाट के तीन सैट लगाये जा चुके हैं और 50–50 मै० वाट के बाकी दो सैटों को लगाया जा रहा है। बरौनी में 50–50 मै० वाट के दो सैटों को चालू करने के काम से और बरौनी से पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर से छपरा तक 132 के० वी० परिक्षण पथों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। उत्तरी बिहार तथा दक्षिणी बिहार की बिजली प्रणालियों के बीच एक दृढ़ सम्पर्क स्थापित करने के लिये मोकामेह पर गंगा पुल के आरपार 100 एम० वी० ए० का एक 132 के० वी० केबल बिछाया जा रहा है।

गांजे की तस्करी

2628. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल से भारत में चोरी छिपे लाये जाने वाले निषिद्ध गांजे तथा अन्य वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिये नेपाल सरकार का सहयोग प्राप्त करने के बारे में उस सरकार से परामर्श करने हेतु केन्द्र को बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

दरभंगा नगर का विकास

2629. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( ) क्या दरभंगा नगर (बिहार) के विकास के लिये कोई योजना थी;

(ख) क्या हाराबी, दिघी और गंगा सागर तालाबों का गहरा किया जाना, उन्हें मिलाना तथा उनको नया रूप देना भी उक्त योजना का भाग था;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दरभंगा शहर (बिहार) के विकास का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख), (ग) और (घ) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

उदयपुर में उर्वरक कारखाने की स्थापना

2630 श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार द्वारा उदयपुर में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में अपनी मंजूरी दे दी है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान नहर के प्रथम प्रक्रम को पूरा करना

2631. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान नहर के प्रथम क्रम का काम जो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 1968-69 तक पूरा होना था, अभी निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे रह गया है;

(ख) क्या काम पूरा करने का लक्ष्य पुनः निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पूर्ण हुए कार्य की सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग नहीं उठाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। संसाधनों की कमी के कारण परियोजना पर कार्य कुछ हद तक अनुसूचित समय से पीछे रह गया है।

(ख) परियोजना के पहले चरण को 1970-71 तक पूरा करने के लिये अब प्रयत्न किया जा रहा है।

(ग) और (घ) नई परियोजनाओं से उत्पन्न सिंचाई क्षमता के प्रति उसके उपयोग में सदा ही कुछ कमी रहती है। 1966-67 के अन्त तक उत्पन्न 2.73 लाख एकड़ की सिंचाई क्षमता के प्रति 1967-68 में लगभग दो लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की गई। इसके कुछ कारण क्षेत्र के विकास के लिये संसाधनों की कमी तथा इस समय राजस्थान नहर का सारा साल न चलना है।

अमरीका और कनाडा से उर्वरक का आयात

2632. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका और कैनाडा में, जहां से भारत उर्वरकों की अपनी सप्लाई का 60 प्रतिशत आयात करता है, उर्वरकों के भारी उत्पादन के कारण उनके मूल्यों में काफी गिरावट आई है;

(ख) क्या मूल्यों में इस कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार का उर्वरकों की सप्लाई के लिये इन दो देशों के साथ दीर्घकालीन करार करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अमरीकी ए० आई० डी० प्राधिकारियों के परामर्श से इस सुझाव पर विचार किया जा रहा हैं। कनाडा की फर्मों से दीर्घकालीन ठेके करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।

राज्यों में मद्य-निषेध के लिये केन्द्रीय सहायता

2633. श्री को० सूर्यनारायण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम बार मद्य निषेध लागू करने के कारण किसी राज्य को राजस्व की जो हानि होगी, केन्द्रीय सरकार पांच वर्षों तक उसकी 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति करने के लिये सहमत हो गई है;

(ख) इस वचन को पूरा करने के लिये केन्द्र को कितना धन देना पड़ेगा; और

(ग) क्या उन राज्यों को भी जिन्होंने मद्य निषेध समाप्त कर दिया था, परन्तु केन्द्रीय सरकार के इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए पुन: मद्य निषेध लागू करना चाहते हैं, केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्र के दायित्व का ठीक ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह राज्यों द्वारा वास्तविक रूप में अपनाये गये कार्यक्रमों पर निर्भर करता है । यदि वे सब राज्य भी, जहां नशाबन्दी लागू नहीं है, इसे लागू कर देते हैं तो इस सम्बन्ध में केन्द्र पर 5 वर्षों में 315 करोड़ रुपये का दायित्व आने का अनुमान है ।

(ग) जी हां, लेकिन यह सहायता उन राज्य सरकारों को नहीं मिलेगी जो वर्तमान नशाबन्दी को समाप्त कर दें और इसे फिर से लागू करना चाहें ।

मैथोनोल का मूल्य

2634. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम उर्वरक का मूल्य अन्य देशों में विद्यमान मूल्य से अधिक लेता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां ।

(ख) ट्राम्बे में उत्पादित मैथेनोल का मूल्य अधिक है क्योंकि सयन्त्र अभी तक निर्धारित क्षमता प्राप्त नहीं कर सका है ।

मैथोनोल

2635. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितना मैथेनोल होता है;

(ख) प्रति वर्ष कितना मैथेनोल विदेशों से आयात किया जाता है; और

(ग) देश में मैथेनोल की कुल कितनी मांग है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) वर्ष 1967-68 के दौरान, देश में 9620 मीटरी टन मैथानोल तैयार हुआ ।

(ख) 1967-68 के दौरान, 4748 मीटरी टन मैथानोल आयात किया था ।

(ग) मैथानोल की वर्तमान वार्षिक मांग लगभग 20,000 मीटरी टन है ।

ट्राम्बे स्थित उर्वरक कारखाने में मैथेनोल संयंत्र

2636. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम का ट्राम्बे स्थित मैथेनोल कारखाना अपनी निर्धारित क्षमता से आधी क्षमता पर काम कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस कारखाने में प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता है तथा रुपयों में कितनी हानि होती है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख)इस समय मैथेनोल सन्यन्त्र अपनी निर्धारित क्षमता का लगभग 60 प्रतिशत कार्य कर रहा है । कम उत्पादन का कारण रूपांकन (डिजाइन) में कमियां और कैटेलिस्ट की असफलता है ।

(ग) 1966-67 में जब संयन्त्र केवल 6 महीने चला था, तब 32.32 लाख रुपये की हानि हुई और 1967-68 में 6.62 लाख रुपये की हानि हुई ।

संयन्त्र ने 1966-67 में 2416 मीटरी टन और 1967-68 में 9620 मीटरी टन मैथेनोल उत्पादित किया जिसका मूल्य क्रमशः 33.56 लाख रुपये और 127.85 लाख रुपये था ।

जल तथा वायु को दूषित न होने देने के सम्बन्ध में पेट्रो-रसायन कारखानों को हिदायतें

2637. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी पेट्रो-रसायन कारखानों को कोई ऐसी हिदायतें जारी की गई है कि केन्द्रीय विधान अधिनियमित हो जाने तक वे ऐसे पूर्वोपाय करें जिनसे उनके कारखानों से निकलने वाले खतरनाक मल-निश्राव के कारण उनके आस-पास के क्षेत्र में जल तथा वायु को दूषित हो जाने से बचाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोलार स्वर्ण खानों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

2638. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विशेषज्ञ समिति ने कोलार स्वर्ण खानों विशेषकर 'चेम्पियन रीफ' के उत्तरी भाग की खनन समस्याओं की जाँच की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। एक विशेषज्ञ समिति इसलिए नियुक्त की गयी थी कि वह हवा के आने-जाने की दृष्टि से और चट्टानों के फटने से पैदा होने वाली समस्या की दृष्टि से चैम्पियन रीफ खानों के उत्तरी भागों में काम करने की स्थिति की जांच करे और खानों में खुदाई का काम फिर से शुरू करने के उपाय ढूंढ़ निकाले।

(ख) समिति ने, उत्तरी भागों के पूर्वी हिस्से में काम शुरू करने की एक योजना की सिफारिश की है। इस योजना के अनुसार, काम शुरू किये जाने के बाद करीब 18 महीनों में, 46,000 ग्राम सोने का उत्पादन होगा और इसके 2½ वर्ष बाद 5 लाख ग्राम सोने का वार्षिक उत्पादन होगा। इस क्षेत्र से कुल 34 लाख ग्राम सोना प्राप्त होगा। योजना की मंजूरी दे दी गयी है।

दिल्ली में झुग्गियों का हटाया जाना

2639. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन मास में दिल्ली में कोई झुग्गियां नहीं हटाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार झुग्गी वालों को कोई अतिरिक्त सुविधाएं देने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यह विषय विचाराधीन है।

दिल्ली में गृह-निर्माण सहकारी समितियां

2641. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी गृह-निर्माण सहकारी समितियां हैं;

(ख) उनमें से कितनी गृह-निर्माण सहकारी समितियों को अब तक भूमि आवंटित की गई है;

(ग) इनमें से कितनी सहकारी समितियों ने भूमि के विकास का कार्य पूरा कर लिया है;

(घ) क्या यह सच है कि इस काम की प्रगति बहुत धीमी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो दिल्ली में भूमि का विकास कार्य शीघ्र कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी।

यूनिट ट्रस्ट योजना

2643. **श्री सीताराम केसरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट को कुल कितनी आय हुई;

(ख) क्या लाभ की राशि को पुनर्नियोजित करने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 3.67 करोड़ रुपया।

(ख) और (ग) यूनिट ट्रस्ट, यूनिट होल्डरों को, उनके यूनिटों पर बांटे जानेवाले लाभ की रकमों को और अधिक यूनिट खरीदने के लिये आप से आप फिर निविष्ट करने की सुविधा प्रदान करके, उनके लिए पुनर्निवेश सम्बन्धी आयोजना की व्यवस्था करता है ताकि वे कुछ समय के अन्दर अपनी पूंजी का निर्माण कर सकें। ट्रस्ट बचत और बीमा आयोजना और बाल-उपहार-आयोजना जैसी योजनाओं को चालू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इन योजनाओं का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

दामोदर घाटी निगम का नियन्त्रण

2645. **श्री सीताराम केसरी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार दोहरे और बहुपाक्षीय नियन्त्रण के कारण दामोदर घाटी निगम की प्रगति में रूकावट आ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसे ऐसा स्वायत्त शासी निकाय बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी जो सीधे केन्द्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी हो; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं ।

सिंचाई व बिजली उप मन्त्री (श्री सिध्देश्वर प्रसाद) (क) से (ग) दामोदर घाटी निगम, जैसाकि अब बना हुआ है, एक स्वायत्त संस्थान है । दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 48 के अन्तर्गत निगम अपने कार्य चालन में नीति के प्रश्नों पर केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार कार्य करेगा । इसलिए निगम की परियोजनाओं की प्रगति दोहरे और बहुपाक्षीय नियन्त्रण के कारण धीमी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

Blood Banks

2646. **Shri Sitaram Kesra :** Will the Minister of Health, Family Planning and Urban Development be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news published in the newspapers from time to time to the effect that many irregularities prevail in the Blood Banks functioning in various parts of the country;

(b) whether Government are aware that only Rs. 25/- are paid to the persons who donates blood but a receipt for Rs. 30/- is obtained from him;

(c) whether Government are also aware that the officers of the Blood Banks sell blood at a price much higher than the fixed one; and

(d) if so, the reaction of Government thereto and the steps being taken to check these irregularities ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a), (b) & (c) : No.

(d) Does not arise.

उर्वरक परियोजनायें

2647. **श्री हिम्मत सिंहका :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी नीति को, जिसके अन्तर्गत उर्वरक की सभी परियोजनायें नेफ्था पर आधारित होनी थी, पुनरीक्षित करने का निर्णय किया है और इस पुनरीक्षित नीति के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत वार्षिक उत्पादन नेफ्था पर आधारित होगा और शेष 30 प्रतिशत उत्पादन कोयला, प्राकृतिक गैस, विद्युत-विश्लेषण तथा आयातित तरल अमोनिया जैसी अन्य उत्पादन-सामग्री पर निर्भर करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र की मध्य प्रदेश में कोरबा उर्वरक परियोजना तथा कोठागुडम में उर्वरक कारखाने की परियोजना को इस

बीच पुनः चालू किया गया है और यदि हां, तो इन परियोजनाओं को पुनः क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कोयले पर आधारित उक्त दो उर्वरक परियोजनाओं की क्रियान्वित के लिये पुनरीक्षित समय-सूची क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) अन्य कच्चे मालों को छोड़ कर खाली नेफ्था पर सारी उर्वरक परियोजनाओं को आधारित करना सरकार की नीति नहीं रही है। अतः नीति में परिवर्तन का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग) कोरवा और कोथागुडम में कोयले पर आधारित उर्वरक संयन्त्रों को लगाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में उर्वरक परियोजनायें

2648. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में प्राकृतिक गैस तथा आयातित अमोनिया पर आधारित कोई उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है और यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है और क्या वे सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जायेंगी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में; और

(ख) वर्ष 1970-71 तथा 1975-76 तक उर्वरकों की कितनी खपत होने का अनुमान है और उर्वरकों के उत्पादन का अस्थायी लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है और गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में कितनी-कितनी उर्वरक उत्पादन क्षमता अधिष्ठापित की जायेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) जी हां। नामरूप का 152,000 मीटरी टन नाइट्रोजन क्षमता का विस्तार प्राकृतिक गैस पर आधारित है। आयातित अमोनिया पर आधारित 90,000 मीटरी टन नाइट्रोजन की क्षमता के एक उर्वरक कारखाने की महाराष्ट्र (शिवा नहोवा) में स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। पहला सरकारी क्षेत्र में है और बाद का गैर सरकारी क्षेत्र में।

(ख)	उत्पादन	1970-71 (मीटरी टन)	1975-76 (मीटरी टन)
(I)	नाइट्रोजीनस उर्वरक (एन के रूप में)	2.0 मिलियन	अन्तिम रूप देना हैं।
(II)	फास्फेटिक उर्वरक	1.0 मिलियन	अन्तिम रूप देना है।

	खपत	1970–71 (मीटरी टन)	1975–76 (मीटरी टन)
(I)	नाइट्रोजीनस उर्वरक (एन के रूप में)	2.4 मिलियन	5.0 मिलियन
(II)	फास्फेटिक उर्वरक	1.0 मिलियन	2.50 मिलियन (अस्थायी)

वर्तमान संयन्त्र और निर्धारित परियोजनाए 1970–71 तक 2.164 मिलियन मीटरी टन की क्षमता स्थापित करेंगी जिसमें से 0.672 मिलियन मीटरी टन गैर-सरकारी क्षेत्र में होंगी-और सहकारी क्षेत्र में कुछ नहीं होगा। परन्तु 1972–73 तक सहकारी क्षेत्र में 215, 000 मीटरी टन नाइट्रोजन की क्षमता स्थापित हो जायेगी।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने का निर्माण–कार्य

2649. श्री हिम्मत सिंहका : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया तेल शोध कारखाने के निर्माण-कार्य में देशीय सामग्री और उपकरणों का अधिक से अधिक प्रयोग हो इसके लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस तेल शोधक कारखाने में प्रयोगार्थ कितनी आयातित (एक) सामग्री (दो) उपकरण की आवश्यकता है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) हल्दिया शोधनशाला की स्थापिति के लिये जो सहयोग करार फ्रांस और रूमानिया की एजेन्सियों से हुये हैं उनमें अनुबद्ध है कि देशीय सामग्री और उपकरणों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जायेगा। शोधनशालाओं के लिये उपकरणों के विभिन्न मदों की सप्लाई के लिये देशीय निर्माताओं को अपनी कार्यक्षमता बताने के लिये कहा गया है।

(ख) यह ब्यौरा शोधनशाला के प्रक्रिया रूपांकन कार्य पूरा, अर्थात् सितम्बर, 1968 के अन्त तक, होने के पश्चात् उपलब्ध होगा।

गावों का विद्युतीकरण

2650. श्री हिम्मत सिंहका : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 के अन्त तक प्रत्येक राज्य में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा उस समय प्रत्येक राज्य में कितने गावों में बिजली नहीं थी;

(ख) वर्ष 1968–69 में प्रत्येक राज्य में गावों के विद्युतीकरण का क्या कार्यक्रम है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में अब तक कितने प्रतिशत गावों में बिजली लगाई जा चुकी है तथा कौन से राज्य में गावों का सबसे कम विद्युतीकरण हुआ है ?

सिंचाई व बिजली उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1966–67 से ग्राम विद्युतीकरण में सिंचाई पंपों को ऊर्जित करने पर बल दिया जाने लगा है। प्रत्येक राज्य में कितने गांवों को बिजली दी गई और कितने गांवों में बिजली नहीं लगाई गई, इस बारे में स्थिति संलग्न विवरण में बताई गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1611/68] क्योंकि पंपों को ऊर्जित करने पर बल दिया जाने लगा है, 1968-69 में केवल पंपों को ऊर्जित करने के लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं। इन लक्ष्यों को संलग्न विवरण के कालम 7 में बताया गया है। असम, बिहार, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रायः विद्युतीकरण की प्रगति अखिल भारतीय औसत से कम है।

कोचीन तेल शोधक कारखाने से सम्बन्धित करार में परिवर्तन

2651. श्री हिम्मत सिंहका : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने से सम्बन्धित करार में कुछ परिवर्तनों पर विचार–विमर्श करने के लिये अमरीकी तेल कम्पनी फिलिप्स पैट्रोलियम का एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जून, 1968 में नई दिल्ली आया था;

(ख) यदि हां, तो इस करार में क्या संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस वार्ता का क्या परिणाम निकला है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां; जून 1968 में और जुलाई, 1968 में भी।

(ख) और (ग) बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है।

विदेशी सहायता में कटौती का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

2652. श्री दामानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि चालू वर्ष में भारत को मिलने वाली सहायता में कमी हो सकती है; और

(ख) यदि हां तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है तथा अर्थव्यवस्था की विकास की दर को बनाये रखने के लिये भारत सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत सहायता संघ का संयोजक होने के नाते विश्व बैंक चालू वर्ष में भारत को मिलने वाली सहायता में कमी की सम्भावना से परिचित है और इस संबंध में चिन्तित है।

(ख) वर्ष के आरम्भ में शीघ्र प्राप्त होने वाली उपलब्ध सहायता, पहली अप्रैल, 1968 से 3973.3 लाख डालर की गैर-प्रायोजना सहायता के लिये किये गये नये करारों और

1616.4 लाख डालर की और प्रत्याशित सहायता के कारण, जिसके लिये पहले से ही संकेत मिल चुके हैं, हमारी अर्थव्यवस्था पर तुरन्त कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। सरकार निर्यात-प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन (आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देश में वैसी वस्तुएं तैयार करने) पर जोर दे रही है और स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है।

मुद्रा स्फीति

2653. **श्री महाराज सिंह भारती :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रा स्फीति को रोकने के लिये सरकार ने यह निर्णय किया है कि भविष्य में दीर्घकालिक ऋण के आधार पर आयात किये जाने वाले कृषि उत्पादकों की बिक्री के मूल्य के बराबर मूल्य की मुद्रा परिचालन का नियम घटाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप अगले तीन वर्षों में मुद्रा–स्फीति कितनी कम होने की आशा है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Petroleum Coke Factory

2654. **Shri Maharaj Singh Bharti:** Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) whether the Petroleum Coke Factory in the country had closed down due to constant fall in the consumption of indigenous petroluem coke from 1963-64 onwards due to issue of import licence for petroleum coke;

(b) if not, whether the petroleum Coke Factory is working to its full capacity at present;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) whether the production of petroleum coke can be increased in view of the increasing production of petroleum;

(e) if so, the extent to which the production is proposed to be increased and its mode of consumption;

(f) whether Government have ever explored the possibilities of export of petroleum coke; and

(g) if so, the prospects of its export in future ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): (a) No, Sir.

(b) Yes.

(c) Does not arise.

(d) and (e) The production of raw petroleum Coke is limited to the extent of the capacity of the Coking Units installed in the oil refineries at Digboi, Gauhati and Barauni.

(f) and (g) Small exports have been made so far. No exportable surplus of petroleum coke is expected in the near future.

Quarters for Employees of Gauhati Oil Refinery

2655. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) the number of employees of Gauhati Oil Refinery who have not been provided quarters so far;

(b) whether it is a fact that the cost of construction of bungalows for high officers is more than the cost of 100 quarters for lower staff; and

(c) if so, whether Government have adopted the same policy for providing housing accommodation to the workers in public sector all over the country ?

The Minister of Petroleum & Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) 584.

(b) No, Sir.

(c) The Government in its Circular dated 2nd December, 1966 has issued a directive to all public sector undertakings in the country prescribing scales of accommodation for employees in different pay ranges.

Construction of Dams

2656. Shri Maharai Singh Bharati : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether Government have constructed or are constructing dams on such rivers the minimum water discharge of which is less than 1000 cusecs and the level of water for all the power houses is or would be less than 3000 feet; and

(b) the reasons for which Government have not taken decision to construct dam or several harrages on the Ganga in the Himalayas in spite of the fact that although no dam has been constructed on the Ganga, yet only through barrages 10,000 cusecs of water from the height of 12,000 feet is available throughout the year ?

Deputy Minister for Irrigation and Power (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir,

(b) Scheme for Power development have been and are under investigation on the "Bhagirathi, and "Alakhnanda", the two main arms on the "Ganga". The first stage of the 210 Mw Maneri-Bhali Project envisaging of installation of 3 units of 35 M W each has been sanctioned.

Sale Price and Cost Price of Imported Oil

2658. Shri Sharda Nand : Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) the respective cost prices of various kinds of oils imported by foreign Oil Companies in India normally and the prices at which they are sold here in India;

(b) whether Government have been any steps to curb the profits earned by these foreign companies; and

(c) if so, the details thereof ?

Minister of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Snri Asoka Mehta) .....

(a) Prod-uct	C. I. F. Price (January-June, 1968)	Basic ceiling selling Price ex-oil companies' storage points (inclusive of duty but exclusive of sales tax, ect.) Rs./KL
1. Aviation Gasoline 73 on	Rs. 310.82 per K/L	varies from Rs. 921,32 (at Cochin) to Rs. 946,89 (at Calcutta).
2. Aviation Lubricants and greases	Varies from Rs. 1192.66 to Rs. 10,544.26 per K/L for the various grades according to actual imports.	Current selling price of imported grades inclusive of duties and exclusive of sales tax etc. Varies from Rs. 1850 to Rs. 14,920 per K/L
3. Other Lubricants	Varies from Rs. 1238.93 to Rs. 1732.32 per K/L for the various grades according to actual imports.	Varies from Rs. 1520 to Rs. 3150 per K/L

(b) and (c) The prices of petroleum products were examined by the Damle Committee and Working Group on Oil Prices and they recommended that the gross return on capital employed should be restricted to 12% which is generally in line with the policy followed by the Tariff Commission. Government have implemented the recommendations of these two bodies.

Allotment of Bungalows to M. P. S. from the Central Pool

2659. Shri Sharda Nand :
Shri Bharat Singh Chauhan

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) the names of Members of Parliament belonging to various political parties and of Independent Members of Parliament who have been allotted bungalows category-wise from the General Pool as also the location thereof; and

(b) the rules governing such allotment ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) and (b) 71 general pool bungalows/flats stand allotted to 72 Members of Parliament. A statement giving the names of the Members of Parliament, parties to which they belong and the particulars of general pool residences allotted them is attached. **[Placed in Library See L. T. 1612/68]**

General pool residences are allotted on an Adhoc basis to certain categories of Members of Parliament such as former Ministers of Central Government, Ex-Ambassadors, Ex-Chief Ministers/Ministers of the States, leaders of recognised opposition parties and other M. P. S. at the discretion of the Minister for Parliamentary Affairs in consultation with the Speaker, Lok Sabha or Chairman, Rajya Sabha and Chairmen of the two House Committees. The general pool residences are allotted on payment of full pooled standarad rent under F. R. 45-A of the residence, less 25% rebate in rent admissible to the Members of Parliament,

जीवन बीमा निगम का व्यय

2660. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा इस समय किये जाने वाले अत्यधिक खर्च के कारणों की जांच करने तथा इस खर्च को घटा कर उचित स्तर तक लाने के उपायों की सिफारिश करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये सवाल नहीं उठते ।

पी० एल० 480 समकक्ष निधियों का धन

2661. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जून, 1968 को भारत स्थित अमरीकी दूतावास के पास पी० एल० 480 समकक्ष निधियों की कितनी राशि थी;

(ख) उस दूतावास द्वारा अब तक इस राशि से कितना रुपया निकाला गया है;

(ग) यह धन किस प्रयोजन के लिये निकाला गया है ;

(घ) क्या सरकार ने इस धन को भारत में किन्हीं उत्पादन कार्यों में लगाये जाने के सम्बन्ध में अमरिकी सलाहकार को कोई सुझाव दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुझाव दिये गये हैं; और

(च) इस सम्बन्ध में अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) (ख) और (ग)

1. 30 जून, 1968 तक पब्लिक ला 480 के अन्तर्गत भारत को बेची गई कृषि वस्तुओं से संयुक्त राज्य अमेरिका के पास कुल मिला कर 2054.86 करोड़ रुपये की रकम जमा थी जिसे पब्लिक ला 480 प्रतिरूप निधि भी कहते हैं ।

11. इस में से, सन् 1956 से लेकर 30 जून, 1968 तक, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने जो रकम खर्च की है, उसका ब्यौरा इस प्रकार है:—

	(करोड़ रुपयों में)
(क) भारत सरकार को ऋण	1128.85
(ख) भारत सरकार को अनुदान	332.72

(ग)	भारत सरकार की सलाह से, भारत में संयुक्त भारत–अमरीकी उपक्रमों को "कूले" ऋण	68.34
(घ)	संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यय	158.68
	जोड़	1688.59

III. 30 जून, 1968 को, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास, पब्लिक ला 480 प्रतिरूप निधि की अवितरित रकम 366.27 करोड़ रुपया थी। इस रकम को इन प्रयोजनों के लिये निर्धारित किया गया है:–

(क)	भारत में आर्थिक विकास की प्रायोजनाओं के वित्त–पोषण के लिए भारत सरकार को ऋण:	143.77
(ख)	भारत सरकार में आर्थिक प्रायोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए भारत सरकार को अनुदान:	41.28
(ग)	कूले-ऋण:	64.51
(घ)	संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यय:	116.71
	जोड़	366.27

(घ), (ङ) और (च) जिन प्रयोजनों के लिए अवितरित रकमों का इस्तेमाल किया जायेगा उसका उल्लेख, पब्लिक ला 480 करारों में और ऊपर के पैरा 111 में दिया गया है। इसलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के सामने इस प्रकार के और नये प्रस्ताव रखे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन निधियों को उत्पादक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाय।

Birth of Second Rate Citizens

2662. Shri om prakash Tyagi :
Shri Shri Gopal Saboo :
Shri Liladhar Kotoki :

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Minister of State in his Ministry has warned the nation that after a lapse of 10 or 15 years, mentally and physically second rate citizens would be born in India;

(b) if so, the basis for this warning; and

(c) the preventive measures being adopted by Government in this regard ?

The Deputy Minister for health, Family planning and Urban Development : (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) Malnutrition and under-nutrition can not only interfere with physical growth but also retard mental development. Infants and pre-school children suffer most from malnu-

trition and under-nutrition, and after 10 or 15 years when they are adults, many of them may not attain their fullest physical and mental potentialities

(c) The following steps have been teken by various Departments of Government to combat the problem of malnutrition in the country :-

There is a coordinated approach towards the problem of mal-nutrition by the various Departments of the Government. This comprises large-scale supplementary feeding programmes amongst the vulnerable sections, production of nutritions processed food and its distribution, increased production of food in every possible manner, nutrition education and extension, applied nutrition programmes, and treatment and screening of early cases of malnutrition. The following measures are adopted to improve the level of nutrition among children :

1. Supplementary feeding is provided through the following programmes which are run with the aid of various agencies :-

(a) Feeding under the Applied Nutrition programme ;

(b) Feeding through Balwadis ;

(c) CARE feeding programme; and

(d) UNICEF milk feeding programme.

2. Imparting nutrition education to mothers, to enable them to utilise commonly available cheap foods for providing nutrition diet to their children.

3. Treatment of early cases of malnutrition through M. C. H. Centres.

4. The Department of food have taken steps to combat protein malnutrition among children and other vulnerable groups by starting projects for the manufacture or high-protein foods such as 'Balahar', Multi purpose Food and Weaning Food.

अफगानिस्तान को इंजीनियरों का दौरा

2664. डा० रानेन सेन : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफगानिस्तान की सरकार के निमन्त्रण पर इंजीनियरों का एक विशेषज्ञ दल जून, 1968 में अफगानिस्तान गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके दौरे का उद्देश्य क्या था तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) अफगानिस्तान नरेश के आमन्त्रण पर सिंचाई व बिजली मन्त्री दो इंजीनियरों और एक कृषि विशेषज्ञ को साथ लेकर जून, 1968 में अफगानिस्तान गए ।

(ख) अफगानिस्तान जाने का उद्देश्य यह था कि वहां के आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाए और सिंचाई, बिजली और कृषि के क्षेत्र में आपसी सहयोग की सम्भाव्यताओं का अन्वेषण किया जाए ।

इस दौरे के फलस्वरूप, चुनी हुई परियोजनाओं के अनुसन्धान के लिये तथा नहरों के अभिकल्प बनाने के लिये कुछ इंजीनियरों की सेवाएं अफगानिस्तान सरकार को देने का विचार है । उनको कृषि विशेषज्ञों की सेवाएं देने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

Fire in Pipeline of Noonmati oil Refinery

2666. **Shri Mrityunjay prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a fire broke out in petrol flowing in the main pipeline of Noonmati Oil Refinery on the 7th or 8th July, 1968 and it spread to about half a mile long distance ;

(b) whether it is also a fact that there was a danger of fire being spread because of the overflowing of waste oil from oil tank for the last two days and the said fire had broken out in spite of preventive measures; and

(c) whether fire of this nature had broken out last year also and if so, whether any investigations have been made into its causes and the preventive measures suggested ?

The Minister of petroleum & Chemicals and Social welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) No, Sir. A fire broke out in the open channel carrying the storm water of the refinery and the surrounding areas, at a distance of half a mile from the Refinery on 8th July.

(b) Some quantity of intermediate gasoline was seen to overflow from the tank at 6 a. m. on 8th July and the tank was immediately changed over.

(c) Last year, there was a fire in the dry grass outside the refinery perimeter. No enquiry was held as the fire had nothing to do with the refinery operations, feedstocks or products; preventive measures were, however, taken to avoid recurrence of similar fires.

Pollution of Atmosphere and water

2667. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Health, Family planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that there is an increased pollution of atmosphere in thickly populated cities due to the smoke and other injurious gasses emanating from the factories and that there is also an increased pollution of water by sewage discharge and discharges of petroleum and chemical affluents in the rivers;

(b) if so, whether Government propose to make necessary amendments in the present law to check air pollution and water contamination; and

(c) whether it is proposed to enforce the present law strictly till the enactment of the new law ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) Steps are being takan to ascertain whether there is really any increase in air pollution or not; but this investigation being new, will take a long time . As regards control of pollution of water, lagislation is contemplated.

(c) Yes.

Opening of School in Sindri and Nangal

2668. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the reasons behind the disparity between the expenditure incurred on constructing eight schools in Sindri including two higher secondary schools and five schools in

Nangal including one higher secondary school and one model school, whereas an amount of Rs. 8. 97 lakhs was spent in Sindri and an amount of 10. 69 lakh rupees was spent in Nangal;

(b) if so, the reasons for not opening a model school in sindri when 5, 000 students are studying in these schools whereas only 2, 200 students are studying in nangal; and

(c) whether a model school is proposed to be opened in sindri also ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Ashoka Mehta) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Smuggling on Border Districts of U. P.

2669. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news published in Aj (Varanasi) on the 20th June, 1968 that Barhni town in Basti District of U. P. and Krishan Nagar in Nepal have become the main centres of smuggling and other places like Shoratgarh, Tilahya, Naugarh have also become quite notorious for smuggling trade; and

(b) if so, the action taken so far by Government to prevent it ?

Deputy Prime Minister & Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, sir.

(b) There has been some smuggling of foreign goods from Nepal across the borders of U. P. All preventive and intelligence formation on the Indo-Nepal border have been atlerted and preventive measures have been strengthened. Further steps to check the smuggling are also under consideration.

Fertilizer Corporation, Gorakhpur

2670 **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether a copy each of the public notices issued by the Fertilizer Corporation, Gorakhpur asking for information for making appointments against posts of different categories from amongst the farmers and members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes uprooted as a result of setting up the Fertilizer factory in Eastern U. P. would be laid on the Table; and

(b) if so, when and if not the reasons therefor ?

Minister of Petroleum and Chemicats and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) & (b) : No, Sir. The question relates to information that can be collected by the Members of the Lok Sabha directly from the Fertilizer Corporation of India vide Lok Sabha Bulletin No. 2005-Part II dated 18-11-1958.

Non-Payment of Income-Tax by Companies.

2671 **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the nature of punishments awarded to the Indian and foreign companies for not depositing the Income-tax in Central Government Treasury up to June, 1968 with in seven days after calculating the same from their income at source consequent upon the introduction of new Income-tax provision with effect from lst April, 1968 as also the names there of;

(b) the names of such Companies who acted according to such provisions and deposited the Income-tax within seven days; and

(c) the addresses of the companies referred to in parts (a) and (b) above ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The information about the names of the Indian and Foreign companies on whom penalty has been levied or against whom prosecution has been launched for not depositing the tax deducted at source within seven days for the period from 1.4 1968 to 30-6-1968, is not readily available. It will be collected and laid on the Table of the House.

(b) and (c) : This information is not readily available and its collection will involve enormous time and labour. The addresses of companies referred to in part (a) will be laid on the Table along with the reply to part (a).

Irregularities Committed by District Boards of U. P.

2672. Shri Molahu Parsad : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the information regarding the irregularities committed by District Boards in U. P. for the purchase of materials has since been collected from the State Government concerned;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) The details are given in the attached statement. [Placed in library See. No. L. T. 4653/68]

(c) Does not arise.

अफीम तथा ऊन की तस्करी

2673. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत तथा नेपाल की सीमा के साथ लगते पहाड़ी क्षेत्र से भारत में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख रुपये की अफीम चोरी छिपे भारत में लाई जाती है;

(ख) क्या तिब्बती ऊन भी भारत में भारी मात्रा में चोरी छिपे लाई जा रही हैं;

(ग) क्या इन वस्तुओं के बदले में भारतीय खाद-खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुएं चोरी छिपे तिब्बत में जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जहां तक सरकार को पता है, नेपाल अथवा तिब्बत से भारत में अफीम का कोई तस्कर आयात नहीं होता है ।

(ख) तिब्बती ऊन का भारत में थोड़ा कुछ तस्कर-आयात देखने में आया है ।

(ग) सरकार के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि भारतीय खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुएं चोरी छिपे बड़े पैमाने पर तिब्बत ले जाई जाती हैं ।

(घ) सीमा पर सभी निरोधक एवं गुप्तचर्या कर्मचारी दलों को सतर्क कर दिया गया है और निरोधक व्यवस्था को दृढ़तर कर दिया गया है ।

Dispute Between Madhya Pradesh and Gujarat States on Narmada Waters

*2674. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) the respective stands of the Governments of Madhya Pradesh and Gujarat in regard to the Narmada waters;

(a) whether it is a fact that the Gujarat Government have started to implementing the scheme of constructing a huge dam on Narmada river in their territory; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power(Dr. Siddheshwar Prasad): (a) The main points on which no agreement has been reached and the points of view of the State Governments of Madhya Pradesh and Gujarat are indicated below:

(1) the requirements of Madhya Pradesh Government are 36 million acres feet of water to irrigate 9.77 Million acres. Gujarat's requirements total to 23.5 million acre feet to provide irrigation facilities to 6.96 million acres.

(2) Madhya Pradesh inter alia proposes the construction of a dam at Jalsindhi to be jointly executed by Madhya Pradesh and Maharashtra. Gujarat proposes a high dam at Navgam which would submerge the Jalsindhi site.

(3) Gujarat proposes to build an irrigation canal from Navgam with full supply level of 300.

(b) No, Sir.

However some preliminary works like colony buildings, approach roads etc. have been done for the sanctioned Navgam Project.

(c) Does not arise.

Allotment of Accommodation on Grounds of Illness

2675. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state:

(a) the criterion for giving priority to Government employees in the matter of allotment of Government accommodation to them on account of illness in their families;

(b) the rules followed so far in regard to giving such priorities; and

(c) the number of Government quarters allotted to Government employees during the last year and the basis thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a), (b) and (c) The priority in the matter of allotment of Government accommodation to eligible Government employees is given in accordance with the provisions contained under S. R.-317-B-9 of the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963 on grounds of serious illness of self or member of his family. The provision contained under this rule reads as follows:-

"S. R.-317-B-9 : Notwithstanding the provisions of S.R.-317-B-7 allotment of a residence may be made by the Director of Estates on out-of-turn basis to an officer on grounds of serious illness of self or a member of his family in consultation, if necessary with the prescribed medical authority. The priority for allotment in such cases will be the date on which the application of the officer for out-of-turn allotment is received by the Director of Estates."

During the last year i. e. from 1st January, 1967 to 31st December, 1967, 562 quarters have been allotted to Government employees on out-of-turn basis on medical grounds in so far as general pool accommodation in Delhi/New Delhi is concerned.

Accommodation for Journalists

2676. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state:

(a) the number of Journalits provided with Government accommodation this year;

(b) the total number of applications received so far by Government from Journalists seeking accommodation; and

(c) the number of accredited and non-accredited journalists amongst them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Sardar Iqbal Singh) : (a) Six journalists have been allotted General Pool accommodation this year.

(b) and (c) During this year 19 applications have been received from journalists and Photographers and all are accredited journalists /Photographers.

Urban Development

2677. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Health, Family Planning and Urban Development be pleased to state:

(a) the names of State Governments which are making efforts to implement the recommendations of the Department of Urban Development regarding urban Development;

(b) whether there are any State Governments which have not implemented their recommendations; and

(c) the stand taken by the Urban Development Department in regard to unauthorised colonies coming up in the areas of Uttar Pradesh and Haryana near Delhi and the details of the instructions issued by the Central Government to these State Governments and the recommendations sent by the State Covernments in this behalf ?

Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) & (b) All the State Governments are making efforts in the matter.

(c) The problem of the unauthorised colonies is for the State Governments concerned to tackle. The Government of India are interested in the orderly Development of the National Capital Region for which a physical land use plan is being drawn up in consultation with the States.

उर्वरक निगम के कारखानों में हानि

2678. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक निगमों के कुछ कारखाने घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967–68 में प्रमुख कारखानों में अनुमानतः कितना लाभ अथवा हानि हुई; और

(ग) इन कारखानों के कार्य-संचालन को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) 1967–68 के दौरान भारतीय तेल निगम के सिन्द्री, नांगल और ट्राम्बे स्थित तीन कारखाने थे। उनमें से केवल ट्राम्बे स्थित कारखाने में हानि हुई।

(ख)	सिन्द्री	लाभ	23.50 लाख रुपये
	नांगल	लाभ	328.70 लाख रुपये
	ट्राम्बे	हानि	181.18 लाख रुपये

(ग) वर्ष 1967–68 के दौरान संयन्त्रों के व्यवस्थित अध्ययन करने और उनके कार्य-संचालन में सुधार के उपाय बताने के लिये तीन तकनीकी विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया था। समितियों की सिफारिशें लागू की जा रही हैं।

परिवार नियोजन सम्बन्धी आन्दोलन

2679. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन संबंधी आन्दोलन का देश की आबादी पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) इस कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दूर तक क्रियान्वित करने के लिये सरकार और क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर): (क) परिवार नियोजन आन्दोलन ने लोगों में छोटा परिवार रखने की आवश्यकता के बारे में बहुत जागरुकता उत्पन्न की है और अधिक से अधिक संख्या में लोग परिवार नियोजन के अभ्यासों और तरीकों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये विशेष रूप से गांधीग्राम, सिंगूर चेतला आदि स्थानों पर किए गये अध्ययनों में से कुछ में जन्म-दर की उल्लेखनीय कमी पाई गई है। अखिल भारतीय स्तर पर सर्वेक्षण न होने के कारण देश की जनसंख्या पर इस आन्दोलन के प्रभाव के बारे में ठीक ठीक आंकड़े अभी इतनी जल्दी नहीं दिए जा सकते। फिर भी, कुछ जन-विद्याकारों ने अनुमान लगाया है कि अब तक किये गए परिवार नियोजन उपायों के फलस्वरूप वर्ष 1967–68 में 10 लाख से भी अधिक बच्चों का जन्म रोका गया।

(ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1614/68]

बिक्री को बढ़ाने के लिये विदेशी मुद्रा

2680. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिक्री को बढ़ाने के लिये विदेशों में जाने वाले फर्मों के व्यक्तियों तथा प्रतिनिधियों को दी गई विदेशी मुद्रा की राशि में 20 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय भारत के रिजर्व बैंक ने किया है; और

(ख) इस बात का सत्यापन करने के लिए कि बिक्री को बढ़ाने के स्पष्ट आधार पर की गई यात्राओं के लिये दी गई विदेशी मुद्रा वास्तव में इसी प्रयोजनार्थ खर्च की गई थी, भारत के रिजर्व बैंक में विनिमय नियंत्रण विभाग में क्या तरीके तथा प्रणालियां अपनाई जाती है और बिक्री को बढ़ावा देने के लिये की गई ऐसी विदेशी यात्राओं पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा के परिणामस्वरूप सम्बन्धित फर्म अथवा कम्पनी का निर्यात कहां तक बढ़ा है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। इस सम्बन्ध में विभिन्न अनुपातों में वृद्धि करना स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) निर्यात-प्रोत्साहन के सम्बन्ध में विदेश-यात्रा करने के लिए विदेशी-मुद्रा के अनुज्ञापत्र (परमिट) इस बात के आधार पर जारी किये जाते हैं कि सम्बद्ध पक्ष वापस लौटने के दो महीनों के भीतर एक विवरण देगा जिसमें उन देशों के नामों, जिनकी उसने यात्रा की हो, बुक किये गये आर्डरों, सप्लाई किये गये माल आदि की सूचना का ब्यौरा होगा।

बैंकों का मुनाफा

2681. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1968 को समाप्त होने वाली छमाही में देश के वाणिज्यिक बैंकों में मुनाफा कम हो रहा था अथवा उन्हें घाटा हो रहा था;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष तथा उससे पहले वर्ष की इसी अवधि में औसतन कितने प्रतिशत मुनाफा कम हुआ;

(ग) घाटा होने के मुख्य कारण क्या थे तथा क्या कोई छोटे बैंक बन्द होने की स्थिति में हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बैंकों के मुनाफे में इस कमी के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) 30 जून, 1968 को समाप्त हुई छमाही में वाणिज्यिक बैंकों को हुए लाभ या हानि के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। बैंकों के लिए छमाही तलपट तैयार करना या प्रकाशित करना न तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार आवश्यक है, न समवाय अधिनियम, 1956 के अनुसार। सरकार को इस बात का पता नहीं है कि इस समय केवल इस कारण किसी बैंक

के बन्द होने की सम्भावना पैदा हो गयी है कि उसे 30 जून, 1968 को समाप्त हुई छमाही में हानि हुई थी।

राष्ट्रीय ऋण नीति

2682. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ऋण परिषद ने 24 जुलाई, 1968 को दिल्ली में हुई अपनी बैठक में पूंजी विनियोजन की प्राथमिकता के प्रस्ताव पर निर्णय किया था तथा राष्ट्रीय ऋण नीति के मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये थे;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त बैठक में इस बारे में क्या क्या निर्णय किये गये; और

(ग) इसके अनुसरण में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

उप प्रधान मंत्री और वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ऋण परिषद ने 24 जुलाई 1968 को दिल्ली में हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की है कि बैंकों को 1968–69 में कृषि और लघु उद्योगों की ऋण सम्बन्धी प्रत्याशित आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। जहां तक मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का संबंध है, परिषद का यह मत था कि उपयुक्त ऋण नीतियों द्वारा, इन उद्योगों में, आयोजना में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार औद्योगिक उत्पादन के विकास का उच्चतम सम्भव अनुपात प्राप्त करने के लिये पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिये।

(ग) रिजर्व बैंक अपनी नीति बनाते समय राष्ट्रीय परिषद की सिफारिशों का पालन करेगा और इस बात की सुनिश्चत व्यवस्था करने के लिये उपयुक्त उपाय भी करेगा कि बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण परिषद द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के अनुरूप हों।

चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र में तीसरे विद्युत संयंत्र का चालू किया जाना

2683. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र का तीसरा विद्युत संयंत्र चालू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इससे दामोदर घाटी निगम की बिजली पैदा करने की क्षमता कितनी बढ़ गई है;

(ग) दामोदर घाटी निगम द्वारा तैयार की गई अतिरिक्त बिजली को विभिन्न राज्यों को किस प्रकार सप्लाई किया जायेगा; और

(घ) दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली सप्लाई किए जाने वाले विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति कितनी बिजली उपलब्ध होगी और बिजली की प्रति व्यक्ति अखिल भारतीय उपलब्धता की तुलना में यह कितनी कम अथवा अधिक है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। चन्द्रपुर बिजली घर का तीसरा यूनिट चालू हो गया है।

(ख) दामोदर घाटी निगम बिजली प्रणाली की प्रतिष्ठापित क्षमता 921 मैगावाट से बढ़कर 1061 मैगावाट हो गई है।

(ग) दामोदर घाटी निगम के सारे उत्पादन केन्द्र पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में काम कर रहे एक ग्रिड से जुड़े हुए हैं और इस ग्रिड से दोनों राज्यों को बिजली विभिन्न स्थलों पर स्थित बहुत से ग्रिड उपकेन्द्रों द्वारा दी जा रही है। चन्द्रपुर ताप बिजली घर जिसमें तीसरा यूनिट चालू किया गया है इस ग्रिड के साथ जुड़ा हुआ है और इस यूनिट से उपलब्ध बिजली निगम द्वारा सेवित क्षेत्र में वितरण के लिए ग्रिड में मिलाई जा रही है।

(घ) दामोदर घाटी निगम द्वारा सेवित पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य में 1968-69 के अन्त तक प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता क्रमशः लगभग 135 यूनिट और 70 यूनिट हैं जब कि अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति उपलब्धता 86 यूनिट है।

कांगड़ा चाय बागान संस्था

2684. **श्री हेमराज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके हाल के कांगड़ा के दौरे में कांगड़ा चाय बागान संस्था ने उन्हें कोई अभ्यावेदन पेश किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर विचार किया गया है; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

आयकर निर्धारण

2685. **श्री हेम राज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जुलाई, 1968 को 25,000 रुपये से अधिक आय वाले व्यापारियों के कर निर्धारण के कितने मामले लम्बित थे और उसी तिथि तक इस राशि से कम कर निर्धारण के कितने मामलों को निपटा दिया गया था; और

(ख) दोनों वर्गों के कितने कर निर्धारण के मामले अभी निपटाये जाने हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) मांगी गई सूचना केवल 31 मई 1968 तक ही उपलब्ध हैं और वह इस प्रकार हैं :

(I) 25000 रुपये अथवा इससे अधिक आय वाले व्यापारिक कर-निर्धारणों की संख्या जो 31-5-1968 को निपटान के लिए पड़े थे।	3,00,922
(II) 25000 रुपये से कम आय वाले व्यापारिक कर-निर्धारणों की संख्या जो 1 अप्रेल, 1968 से 31 मई, 1968 की अवधि में पूरे किये गये।	1,59,283
(III) सभी श्रेणी के कर-निर्धारण मामलों की संख्या जो 31 मई, 1968 को पूरे किये जाने थे।	45,73,362

देश में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना

2686. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि परामर्शदाता इंजीनियरों की एक फर्म ने देश में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने स्थापित करने के बारे में एक अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकले और इस बारे में उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और अमोनिया और अन्य प्रकार के उर्वरकों की तुलना में कोयले पर आधारित उर्वरकों के गुण दोष क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रीयल एण्ड इंवेस्टमैण्ट कारपोरेशन के लिये देश में कोयले पर आधारित उर्वरक संयन्त्र की स्थापना के लिये एक अध्ययन किया है।

(ख) अध्ययन में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर-चन्दा क्षेत्र में, 200,000 मीटरी टन नाइट्रोजन की क्षमता के, एक ऐसे संयन्त्र को स्थापित करने की सिफारिश की गई है।

(ग) प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा तस्करी

2687. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित यह समाचार सच है कि भारत में विदेशी विमान कम्पनियां बड़े पैमाने पर तस्करी करती हैं, जिसके कारण भारत को विदेशी मुद्रा की बहुत अधिक हानि होती है।

(ख) क्या इस सारे मामले की कोई जांच की गई है;

(ग) इससे भारत को प्रति वर्ष अनुमानतः कितनी हानि होती हैं; और

(घ) इस सुसंगठित तस्करी को रोकने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किए गये हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क)सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि विदेशी वायु कम्पनियां बड़े पैमाने पर तस्कर आयात निर्यात करती हैं।

(ख), (ग) तथा (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये सवाल नहीं उठते।

बिहार को वित्तीय सहायता

2688. श्री शिवचन्द झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये राष्ट्रपति शासन की अवधि में बिहार सरकार को विशिष्ट वित्तीय सहायता देने का केन्द्रीय सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) राष्ट्रपति का शासन हो जाने से भारत सरकार द्वारा राज्यों के वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली नीति में कोई फरक नहीं पड़ता।

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये विदेशी सहायता

2689. श्री शिव चन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये सहायता तथा ऋण प्राप्त करने के लिये वित्त मंत्री विदेशों में जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वह कब जायेंगे तथा किस किस देश में जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये अब तक अनुमानतः कितनी विदेशी सहायता के वचन प्राप्त हुए हैं तथा कितनी सहायता के लिये बातचीत जारी रखी जायेगी ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) चूंकि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि चौथी पंचवर्षीय आयोजना कितनी बड़ी होगी और उसके अन्तर्गत क्या क्या कार्य किया जायेगा, इसलिए इस अवधि के लिए

आवश्यक सहायता का ठीक ठीक अनुमान इस समय नहीं किया जा सकता । फिर भी, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ ने चौथी आयोजना की प्रस्तावित योजनाओं के लिए 250 करोड़ रुपये की सहायता देने की सूचना दी है ।

Losses Incurred by Public Undertakings

2690. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state .

(a) whether Government have taken any specific steps to institute an appropriate enquiry with the losses being incurred by the public undertakings and into the inconsistency of the results of their capital investment;

(b) if so, the details and the conclusions arrived at so far;

(c) whether his Ministry propose to set up a Parliamentary Enquiry Committee to investigate into the affairs of the public undertakings running in losses; and

(d) if so, the time by which the said Committee would be set up and the number of members to be appointed thereon ?

The Deputy Prime Minister & Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) (b) and (c) The Annual Report on the Working of Industrial and Commercial Undertakings of the Central Government for the year 1966-67, the latest year for which the accounts of all the enterprises are available, was placed on the Table of the House on the 10th May, 1968. Some undertakings have done well in terms of profits and return on capital, while others have not done so. The question of increasing the efficiency of public sector undertakings and improving their profitability is kept under constant review by the Government, and a number of suggestions have been also made in this regard by the Administrative Reforms Commission.

The Parliamentary Committee on Public Undertakings has made and is making a number of horizontal as well as vertical studies on the working of Public Enterprises. There is no proposal under consideration to set up any new Parliamentary Enquiry Committee.

(d) Does not arise.

Chambal Project

2691. **Shri Onkar lal Bohra** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount invested so far under the Chambal project and the manner in which Government are getting the return;

(b) the details of the facilities provided and the amount of compensation paid to the residents of hundreds of villages, who had been rendered homeless and landless as a result of this project; and

(c) the extent to which priority has been given in the matter of providing water, electricity etc. to the residents and the public affected by this project ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) A sum of about Rs. 109 crores has so far been invested on the Chambal Project (both in Madhya Pradesh and Rajasthan). The direct returns are in the shape of water rate, betterment levy, sale of electricity. There are many indirect returns due to extension of irrigation and provision of electricity for industri alisation.

(b) Details of facilities provided:-

Madhya Pradesh

(i) A rehabilitation grant of Rs. 500/- was given to those who were given no compensation under the Land Acquisition Act;

(ii) Fair weather roads to connect newly formed villages with the main roads;

(iii) Provision of schools, dispensaries and wells.

Rajasthan.

(i) Displaced persons have been allotted lands in the new colonies;

(ii) Fair weather link roads connecting new colonies with the main roads. Bridges and causways have also been constructed at a number of places.

(iii) Community services like schools, wells and places of worship etc. have been constructed.

(iv) General welfare measures, such as seed stores, cooperative centres, dispensaries, chaupals, wells anicuts, bunds, etc.;

(v) A rehabilitation grant of Rs. 500/- along with 5 bighas of land for cultivation to every displaced family, who had no land or property in the submerged area.

Amount of Compensation paid :

Madhya Pradesh Government,	
Stage I	**Rs. 300 lakhs (approx.)**
Rajasthan Government,	
Stage I	**Rs. 55.32 lakhs**
Stages II & III	**Rs. 89.24 lakhs (approx.)**

(c) Top priority is given for providing well for drinking water in the rehabilitated areas. Electricity is also provided wherever possible. Further surveys are in progress to extend electricity to some more areas.

Oil Exploration in Rajasthan

2692. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the upto-date results of oil exploration in Rajasthan and the action being taken by the Central Government in regard to the explorations conducted for oil gas in desert regions of Jaisalmer and other areas; and

(b) the number of licences granted so far for fertilizer plants in Rajasthan and the names of parties to whom such licences were granted and the number of those licences which have been utilized so far and the reasons for the non-utilization of the remaining licences ?

The Minister of Petroleum & Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) Aeromagn etic, geological, gravity and magnetic surveys have been completed in the Jaisalmer area. Reconnaissance seismic surveys have also been completed except in the area around and to the south of Shahgarh. In one of the wells drilled to test oil and gas petentialities of the structures delineated by the seismic survey, natural gas was encountered. It is proposed to drill some more wells in this area.

Geological surveys have been conducted in the Bikaner district and gravity and magnetic surveys are in progress in this area. Further steps will depend upon the results obtained.

(b) Licences for setting up Fertilizer Plants were granted to M/s Rajasthan Fertilizer and Chemicals Limited and (2) DCM'S group of Sri Ram Fertilizers. The licence granted to M/s Rajasthan Fertilizers and Chemicals Limited was revoked in April, 1967 as the party had not made any progress to set up a plant. The licence granted to DCM is being utilised by them.

The Zinc Smelter of Hindustan Zinc Limited, Dubari, Udaipur (A Government of India Undertaking) has been licenced to produce superphosphate.

कनाट सर्कस, नई दिल्ली में मनीपुर हाथकरघा विक्रय विभाग के लिये प्लाट

2693. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **निर्माण आवास, तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने मनीपुर हाथ करघा विक्रय डिपो खोलने के लिए कनाट सर्कस, नई दिल्ली में किसी विशिष्ट प्लाट के लिए कोई निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्लाट राज्य सरकार को दे दिया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) मणीपुर सरकार ने अपना स्टेट एम्पोरियम बनाने के लिए कनाट प्लेस में आई० ए०सी० कार्यालय के सामने अथवा अन्य किसी अच्छे बाजार में एक प्लाट के लिए इच्छा की थी। इरविन रोड पर राज्य सरकारों के लिए एम्पोरिया बनाये जा रहे हैं तथा उनमें से एक प्लाट मणीपुर सरकार को आवंटित करने का प्रस्ताव है।

Insanitary Conditions in Patna

2694. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Patna city is the dirtiest of all the cities in the country;

(b) whether it is also a fact that the citizens of Patna are given the least facilities by Patna Municipal Corporation despite the highest amount of tax realised from them;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the steps proposed to be taken by Government for making Patna a clean city and for its proper development and the amount of expenditure proposed to be incurred on it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) (b) (c) and (d) The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

कर्नल आर० डी० अय्यर की पुर्ननियुक्ति

2695. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कर्नल आर० डी० अय्यर को स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक और विशेष कार्य अधिकारी के रूप में पुन: नियुक्त किया है हालांकि उनकी सेवा-निवृत्ति होने की आयु पूरी हो गई है तथा इस प्रकार से अस्पतालों सम्बन्धी राव समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की अवहेलना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब०सू० मूर्ति): (क) कर्नल आर० डी० अय्यर स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के पद पर दुबारा नियुक्त नहीं हुए हैं सेवा निवृत्ति के बाद उन्हें शल्यचिकित्सा सलाहकार तथा विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है । राव समिति की रिपोर्ट में इस विषय का कोई उल्लेख नहीं हैं और इस प्रकार उसके सुझाओं की उपेक्षा करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) सरकार के पास अनुभवी सर्जनों की कमी है । साथ ही मौलाना आजाद मेडिकल कालेज और इर्विन अस्पताल से अवैतनिक सर्जनों की सेवायें समाप्त कर दिये जाने के बाद शल्यचिकित्सा के स्नातकोत्तर छात्रों के कार्य की देख रेख करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए कोई विशेष निपुण सर्जन नहीं था । दूसरे में राव समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित कराने तथा उस कार्य के मार्गदर्शन कराने वाले एक ऐसे अधिकारी की आवश्यकता भी थी जिसको अस्पताल तथा आम प्रशासन सम्बन्धी कार्य का पर्याप्त अनुभव हो और चिकित्सा के क्षेत्र में जिसका लोग सम्मान करते हों । इन सब कामों के लिए कर्नल अय्यर को सर्वाधिक उपयुक्त अधिकारी समझा गया ।

आदिम जातीय लोगों में शिक्षा सम्बन्धी विषमता

2696. श्री ओंकार लाल बोहरा : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में आदिम जातीय लोगों में शिक्षा की प्रतिशतता में बहुत अन्तर होने के कारण क्या हैं; और

(ख) सब राज्यों में आदिम जातीय लोगों की शिक्षा को समान स्तर पर लाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) भारत के साढ़े तीन करोड़ अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्य भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले विभिन्न आदिवासी समुदायों के हैं, और वे सामाजिक-आर्थिक निष्पत्ति के विभिन्न स्तरों पर हैं । शिक्षा सम्बन्धी संग्रहणशीलता न केवल आदिवासियों में अपितु देश के देहाती क्षेत्रों में रहने वाली अन्य जातियों में भी विभिन्न रूप में हैं । इन विभिन्नताओं का मूल इन कारणों से है ।

परम्परा, भूगोल, परिवार का आकार और व्यवसाय, माता-पिता का रवैया, स्थानीय स्कूल और अध्यापकों की ख्याति, स्वेच्छिक एजेन्सियों की शिक्षा प्रदान करने में रूचि ।

अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा आगे बढ़ाने वाली बहुत परियोजनाएं कार्यान्वित हो चुकी हैं। छात्रवृत्तियां, पूर्ण छूट, पुस्तकों का मुफ्त वितरण, औजार, कपड़े, छात्रवास सुविधाएं इनमें शामिल हैं। पिछड़े हुए आदिवासियों के लिए बहुत से आवास विद्यालय खोले गए हैं और कुछ नए स्कूल भी, आवश्यकतानुसार तथा राशियों की प्राप्ति के अनुसार, खोले जा रहे हैं। प्रारम्भिक स्तर पर प्रतिशतता में जो अन्तर है वह अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा होने पर शीघ्र मिट जायेगा। इससे आगे का विकास लोगों के रवैये तथा पहले बताए गए अन्य कारकों पर निर्भर होगा।

जीवन बीमा निगम की 'अपना घर बनाओ' योजना

2697. **श्री ओंकार लाल बोहरा :** क्या वित्त मन्त्री 21 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5391 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने उन नगरों के बारे में निर्णय कर लिया है जहां 'अपना घर बनाओ' योजना लागू की जायगी; और

(ख) यदि नहीं, तो यह निर्णय कब कर लिया जायेगा ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 'अपना घर बनाओ' योजना का अधिक शहरों में विस्तार करने के प्रश्न पर जीवन बीमा निगम द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) लगभग एक महीने के अन्दर।

पोंग बांध से विस्थापित हुए परिवारों का पुनर्वास

2698. **श्री हेमराज :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बांध से विस्थापित हुए कितने परिवारों को अब तक राजस्थान में बसाया जा चुका है तथा किस-किस स्थान पर :

(ख) क्या यह सच है कि उन लोगों पर वहां रहने वाली जरायम पेशा जातियों के लोगों द्वारा हमले किये गये हैं तथा उनकी फसलों को लूटा गया है और राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ग) क्या सरकार को उनसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राजस्थान नहर परियोजना की सूरतगढ़ शाखा पर अब तक पोंग बांध से विस्थापित 216 परिवारों को भूमि दी गई है।

(ख) और (ग) विस्थापितों से लगभग 2500 रुपये की फसल आपराधिक कबीलों द्वारा लूटे जाने की कुछ शिकायतें मिली थीं। राज्य सरकार ने इस बारे में तुरन्त कार्यवाही की। अपराधी पकड़ लिये गये और विवादग्रस्त फसलें उनसे वसूल की गई और असली मालिकों

को दे दी गई। जांच के बाद जो कसूरवार पाए गए उनके खिलाफ मुकद्दमा चलाया गया है। निवासियों को आश्वासन दिलाने के लिए क्षेत्र में एक विशेष पुलिस चौकी स्थापित कर दी गई है।

आयुर्वेदिक औषधियों की कीमतों में वृद्धि

2699. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल आयुर्वेदिक औषधियां बनाने वाली कुछ कम्पनियों को अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाने की अनुमति दी गई हैं जब कि सतारा के आयुर्वेद अर्काशाला लिमिटेड को ऐसी अनुमति नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं, आयुर्वेदिक अर्काशाला लिमिटेड के प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली में एक महिला रोगी की मृत्यु

2700. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1967 में नेवराज नामक एक व्यक्ति की पत्नी मुख में मध्य स्थानिका लक्षण (मेडि-आस्टिनल सिंड्रोम) रोग के कारण विलिंग्डन अस्पताल में भर्ती की गई थी और वह अन्ततोगतवा डाक्टर तथा प्रभारी नर्स की ओर से बरती गई असावधानी के कारण मर गई ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रभारी डाक्टर तथा प्रभारी नर्स के दुर्व्यहार अशिष्टता तथा कठोरता के विरूद्ध श्री नेवराज की ओर से शिकायत आई है; और

(ग) यदि हां, तो सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी बातें न होने पायें, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री व०सू० मूर्ति): (क) यह सच है कि श्री नेवराज की धर्मपत्नी को उपचार के लिए विलिंग्डन अस्पताल में 3 अप्रैल, 1967 को भरती किया गया। उसकी मृत्यु मेडिआस्टिनल ग्रोथ के (मेडिआस्टिनल सिण्ड्रोम, नामतः छाती का फूल जाना) रोग के कारण हुई। उसकी डाक्टर अथवा प्रभारी नर्स की किसी प्रकार की लापरवाही के कारण नहीं हुई।

(ख) यह सच है कि प्रभारी डाक्टर तथा प्रभारी नर्स के दुर्व्यवहार, अशिष्टता तथा कठोरता के विरूद्ध श्री नेवराज की ओर से एक शिकायत चिकित्सा अधीक्षक को मिली थी।

(ग) इस शिकायत के बारे में चिकित्सा अधीक्षक ने जांच पड़ताल की थी। प्रभारी डाक्टर तथा प्रभारी नर्स के दुर्व्यवहार, अशिष्टता तथा कठोरता के बारे में शिकायत सही साबित नहीं हुई।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सोना तथा चांदी पकडा जाना

2701. श्री म० ला० सोंधी : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गये तस्कर सोने और चांदी का हिसाब किस प्रकार रखा जाता है; और

(ख) वर्ष 1967-68 में पकड़े गये सोने और चांदी की मात्रा तथा उसका मूल्य अलग-अलग क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जब्त-शुदा सोना-चांदी भारत सरकार की मिन्ट में जमा किया जाता है। पकड़े गये सारे सोने और चांदी का उचित हिसाब-किताब भी रखा जाता है।

(ख) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा 1967-68 में 5911.32 किलोग्राम सोना और 74,645 किलोग्राम चांदी पकड़ी गई जिनका अन्तर्राष्ट्रीय दर पर मूल्य क्रमश: 4.98 करोड़ रुपये और 3.68 करोड़ रुपये होता है।

National Irrigation Policy

2702. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that American experts are of the view that India have not framed any National Irrigation Policy so far; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) A team of U. S. AID Consultants, following a 3 month study of land and water use problems in India, had formed the opinion that the major cause of India's difficulty in achieving an adequate level of agricultural production was the lack of a national policy directed towards maximum yields from resource use.

(b) The opinion formed by the Americans arises out of a wrong concept of irrigation intensities adopted in this country. In the context of our land and water availabilities, extensive irrigation is generally envisaged. This means that full required water would be given to the irrigable area which would be less than 100./· of the holdings. The misconception that this intensity meant spreading the water thinly over the whole command is not true. Moreover, on account of the water supply being less than land resources, it is generally preferred to aim at the optimum production per unit of water, which benefits the community, rather than per unit of land which benefits the owner. The U. S. Technicians fawour intensive irrigation which is based on U. S. experience, where less then 10./· of the population is employed on agriculture with vastly bigger holdings.

Most of the pre-plan schemes in this country consisted of diversion structures utilising run of the river water. Storage schemes, new being planned after Independence, have resulted in more assured supplies in winter which has resulted in a change in the

cropping pattern on account of assurance of regular and sufficient supplies. Increased water allowance has also resulted in increased irrigation intensities. The introduction of chemical fertilisers has also brought in a change in irrigation practices, which is being taken into account in the new projects. The irrigation practice is being reoriented to meet the demands of the changing agricultural techniques. This question will also be looked into by the proposed Irrigation Commission.

कोचीन शोधनशाला में जेट विमान के ईंधन का उत्पादन

2703. श्री यशपाल सिंह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री 29 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 813 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शोधनशाला में जेट विमान के ईंधन का उत्पादन करने के प्रस्ताव को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आम चुनावों में कदाचार के सम्बन्ध में आयल इण्डिया के प्रधान के विरुद्ध निंदात्मक टिप्पणियां

2704. श्री अदिचन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, आयल इण्डिया लिमिटेड के प्रधान के विरुद्ध आसाम तथा नागालैण्ड उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई निंदात्मक टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है, जिसमें आसाम विधान सभा के लिये उनका चुनाव भ्रष्टाचार के आधार पर अवैध घोषित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले को ध्यान में रखते हुए उस सरकारी उपक्रम के प्रधान के रूप में उनको बनाये रखने की वांछनीयता पर विचार किया है तथा इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां ।

(ख) सम्बन्धित मामले पर विचार करने के पहले निर्णय की प्रति अध्ययन के लिए मंगवाई जा रही है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण जारी किया जाना

2705. श्री अदिचन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 4.25 प्रतिशत ब्याज दर पर कुल मिलाकर 135 करोड़ रुपये के ऋण जारी किये हैं, जो वर्ष 1975 में लौटाये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की शर्तें क्या है और ऋण प्राप्त करने की अन्तिम तारीख तक कितनी राशि प्राप्त हुई ; और

(ग) इस ऋण का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) माननीय सदस्यों का ध्यान 1 अगस्त, 1968 को सभा पटल पर रखे गये विवरण की ओर दिलाया जाता है, जिसमें चालू वर्ष के केन्द्रीय सरकार के बाजार उधार का ब्यौरा तथा उसके निष्कर्ष दिये हुए हैं । वर्ष 1975 में लौटाये जाने वाले 4.25 प्रतिशत ब्याज की दर वाले ऋण की अन्तिम सूचना के अनुसार कुल मिलकर 142.11 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से 76.23 करोड़ रुपये नकद प्राप्त हुए हैं तथा 65.88 करोड़ रुपये परिवर्तित हैं ।

(ख) ऋण से प्राप्त हुई राशि का उपयोग पुनः भुगतान के उत्तरदायित्व को पूरा करने के बाद अन्य पूंजी आय के साथ साथ पूंजी विनियोजन तथा विकास कार्यों के लिये पुनः ऋण देने के लिये भी किया जायेगा ।

विवरण

25 अप्रैल, 1968 को 6.50 प्रतिशत ब्याज की दर वाले 27 वर्षीय अर्थात् वर्ष 1995 में लौटाये जाने वाला 175 करोड़ रुपये का ऋण जारी किया गया था तथा यह भी घोषणा की गई थी कि अधिक राशि प्राप्त होने पर सरकार को 10 प्रतिशत अधिक राशि रखने का अधिकार है । नकद धन लेने के साथ साथ उन लोगों को जिनके पास 3.75 प्रतिशत ब्याज की दर वाले राष्ट्रीय योजना बचत पत्र पांचवी माला (1968--3.75 प्रतिशत) थे जिन्हें इस वर्ष लौटाया जाना था उनकी राशि को भी इस ऋण की, धन राशि में परिवर्तित करने की सुविधा दी गई थी । धन प्राप्त करना 11 मई, 1968 को आरम्भ किया गया था तथा पूरी पूंजी प्राप्त होने पर उसे उसी दिन बन्द कर दिया गया था । कुल 178.56 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे जिनमें से 60.81 करोड़ रुपये नकद प्राप्त हुए थे तथा शेष 117.75 करोड़ रुपये परिवर्तित थे ।

5 जुलाई, 1968 को 4.25 प्रतिशत ब्याज की दर वाले 7 वर्षीय अर्थात् वर्ष 1975 में लौटाये जाने वाला 135 करोड़ रुपये का ऋण जारी किया गया था तथा यह भी घोषणा की गई थी कि अधिक राशि प्राप्त होने पर सरकार को 10 प्रतिशत अधिक राशि रखने का अधिकार है । नकद रुपया लेने के साथ साथ उन लोगों को जिनके पास 3.50 प्रतिशत दर वाले वर्ष 1968 में लौटाये जाने वाले ऋण पत्र थे, उनकी राशि को भी इस ऋण की धन राशि में परिवर्तित करने की सुविधा दी गई थी । कुल 140.65 करोड़ रुपये प्राप्त हुये थे, जिनमें से 74.78 करोड़ रुपये नकद प्राप्त हुये थे तथा शेष 65.87 करोड़ रुपये परिवर्तित थे ।

'आयल इण्डिया लिमिटेड' द्वारा गौहाटी में एक ईसाई अस्पताल को एक कमरे वाले कक्ष का दान

2706. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'आयल इण्डिया लिमिटेड' ने गौहाटी स्थित सतीबाड़ी ईसाई अस्पताल को एक कमरे वाला कक्ष दान में दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस दान की राशि कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार ऐसी संस्थाओं को इतने दान दिये जाने का प्रोत्साहन देती है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) जी नहीं। आयल इण्डिया लिमिटेड ने गोहाटी स्थित सतीबाड़ी ईसाई अस्पताल को, अस्पताल के एक कमरे की मरम्मत आदि के अनुमानित खर्च (लगभग 11,450 रुपये) की प्रतिपूर्ति करना इस शर्त पर मान लिया है, कि गौहाटी में काम करने वाले इसके कर्मचारियों के उपचार के लिये उस कमरे पर आयल इण्डिया लिमिटेड का पूर्व अधिकार होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डिया सप्लाई मिशन, लंदन

2707. श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री न० कु० सांघी :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डिया सप्लाई मिशन, लंदन के कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई है।

(ख) यदि हां, तो कितनी शुद्ध बचत होगी ; और

(ग) क्या भारत के सरकारी क्षेत्र के उद्योगों ने इस 'मिशन' की सेवाओं का उपयोग किया हैं अथवा वे सामान खरीदने के लिए किन्हीं गैर सरकारी कम्पनियों को सीधे ही क्रयादेश दे रहे हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (सरदार इकबाल सिंह) (क) जी हां।

(ख) कर्मचारियों की संख्या में कमी कर देने के परिणाम स्वरूप लगभग 51,000 पौंड की राशि की प्रतिवर्ष बचत हुई है। पूर्ति विभाग के सचिव के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमन्डल हाल ही में इंडिया सप्लाई मिशन, लंदन में गया था, उस द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार वहां की सिबन्दी में और अधिक कमी कर देने के बाद आशा है कि लगभग 37,000 पौंड की अतिरिक्त वार्षिक बचत होगी।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्वायत निकाय होने के कारण सीधे ही खरीद करने में स्वतन्त्र हैं। फिर भी इंडिया सप्लाई मिशन, लंदन ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से क्रय करता है जो इसकी सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं।

दिल्ली में सहकारी मकान निर्माण सम्बन्धी समितियों का पंजीकरण

2709. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में सहकारी मकान निर्माण समितियों का पंजीयन बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का किस तरह यह सुनिश्चित करने का विचार है कि राजधानी में निम्न आय वर्ग के लोगों विशेषकर सरकारी कर्मचारियों को उचित मूल्य पर रिहायशी प्लाट मिल सकें ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब०सू० मूर्ति) (क) जी, हां ।

(ख) इसका कारण नकली सहकारी समितियों की संख्या में वृद्धि है ।

(ग) 125 वर्ग गज तक के रिहायशी प्लाट निम्न आय वर्ग के लोगों को आरक्षित दरों पर लाटरी निकाल कर नियतित किये जाते हैं । ये प्लाट केवल उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिनके पास दिल्ली में अपना कोई अन्य रिहायशी प्लाट या मकान नहीं है और जो लगातार गत पांच वर्षों से दिल्ली में ही रह रहे हैं ।

दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समितियों को भूमि का आवंटन

2710. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) दिल्ली की उन सहकारी गृह–निर्माण समितियों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं जिनको आवंटित की गई भूमि की कीमत उनके द्वारा सरकार के पास जमा करा दी गई है ; और

(ख) उन्हें भूमि का कब्जा कब दिये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री व०सू० मूर्ति) (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी ।

आयकर विवरण के निर्धारण में विलम्ब

2711. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री घी० ना० देव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विवरण के निर्धारण में विलम्ब होने के कारण कुछ कर दाताओं के विदेशों में, विशेषतः पाकिस्तान में चले जाने की गुंजाइश होती है; और

(ख) क्या उनके मन्त्रालय को इस प्रकार से अन्तर्ग्रस्त राशि का सही अनुमान है और उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आयकर निर्धारण में विलम्ब होने से कर दाताओं के भारत से निर्गमन में कोई अन्तर नहीं पड़ता। इसके विपरीत, आयकर अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है कि यदि आयकर अधिकारी के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण है कि कर दाता के भारत लौटने की संभावना नहीं हैं, तो उसे अधिकार है कि वह ऐसे करदाता को भारत से बाहर जाने की अनुमति नहीं दे, जिसने अपना आयकर नहीं चुकाया है।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

त्रिपुरा में डुम्बुर जल विद्युत परियोजना

2712. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र मनीपुर की डुम्बुर जल विद्युत परियोजना को दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कार्यान्विति के लिए शामिल किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस परियोजना को कार्यान्वित करने में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है ;

(ग) अब तक हुई वास्तविक प्रगति क्या है और उस पर कुल कितना व्यय हुआ ;

(घ) परियोजना में धीमी गति से कार्य होने के क्या कारण हैं ;

(ङ) परियोजना कब पूरी होने की आशा है ; और

(च) आरम्भ में परियोजना पर कितनी लागत का अनुमान था और इसकी क्रियान्विति में विलम्ब होने से लागत में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) डुम्बुर पन-बिजली परियोजना, जिसे गुमती परियोजना के नाम से भी पुकारा जाता है, को तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था।

ख) और (ग) स्टाफ को नियुक्त करना, परियोजना बस्ती का निर्माण सिविल कार्यों को निर्माणार्थ सौपना और मशीनरी तथा उपस्कर के सम्भरण के लिए आदेश देना जैसे प्रारम्भिक कार्य पूरे हो चुके हैं। पहुंच-सड़क अब पूरी होने को ही है और फोरबे पावर चैनल पर कार्य शुरू कर दिया गया है। अभी तक 56.18 लाख रुपये खर्च हुए हैं और त्रिपुरा प्रशासन ने सूचना दी है कि कार्य अनुसूची अनुसार प्रगति कर रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) परियोजना के 1970-71 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

(च) परियोजना की मूल अनुमित लागत 309 61 लाख रुपये थी। अभी तक परियोजना अधिकारियों ने संशोधित अनुमानों को प्रस्तुत नहीं किया है।

त्रिपुरा की नदियों की बिजली के उत्पादन की क्षमता

2714. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या सिचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात् बिजली के उत्पादन के लिए त्रिपुरा में भिन्न भिन्न नदियों की क्षमता का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है ;

(ख) प्रत्येक नदी नाले के बारे जांच का क्या परिणाम निकला है और किन नदियों पर जल विद्युत् परियोजनायें व्यवहार्य पायी गयी ;

(ग) इनमें से किन जल विद्युत् परियोजनाओं की ब्यौरेवार योजनायें तथा व्यवहारिकता प्रतिवेदन तैयार हो गये हैं और किन परियोजनाओं पर कार्य पहले ही आरम्भ किया जा चुका है और इनमें से प्रत्येक परियोजना की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी जल विद्युत् परियोजनाओं को क्रियान्वित करना आरम्भ किया जायेगा और इस योजना में प्रत्येक परियोजना को कहां तक पूर्ण किया जायेगा; और

(ङ) चौथी योजना में उक्त जल-बिद्युत् परियोजनाओं के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

सिचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) त्रिपुरा में गुमती, खोवाई और मनु नामक तीन महत्वपूर्ण नदियों पर पन-बिजली परियोजनाओं से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। लघु पन-बिजली स्कीमों के विकास के लिए त्रिपुरा में कई सरिताओं का प्रारम्भिक सर्वेक्षण भी किया गया है। अभी तक केवल गुमती पन-बिजली परियोजना को ही आर्थिक और तकनीकी रूप से संभव पाया गया है।

(ग) गुमती पन-बिजली परियोजना, जिसे कार्यान्वन के लिए स्वीकार कर लिया गया है, के सम्बन्ध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस परियोजना के सम्बन्ध में कार्य शुरू कर दिया गया है, परियोजना बस्ती बना ली गई है, पहुँच सड़क पूरी होने को है और फोर्ब बिजली चैनल कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। मशीनरी को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कर दी गई है। इस परियोजना के चौथी योजनावधि में पूर्ण होने की संभावना है।

(घ) और (ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

त्रिपुरा में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता

2715. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या सिचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में इस समय प्रति व्यक्ति कितनी बिजली उपलब्ध होती है तथा यह मात्रा देश के अन्य भागों में प्रत्येक राज्य संघ राज्य-क्षेत्र में उपलब्ध प्रति व्यक्ति की तुलना में कितनी कम या अधिक है।

(ख) चालू वर्ष में तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र की बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये क्या क्या योजनायें बनाई गई हैं तथा उनके लिये कितना धन नियत करने की आवश्यकता है ; और

(ग) चालू वर्ष के अन्त में तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र की प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता समूचे देश में तथा राज्य-संघ राज्य-क्षेत्रवार प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता की तुलना में कितनी कम या अधिक होगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ग) 1967–68 वर्ष के लिए अपेक्षित जानकारी का विवरण (परिशिष्ट–I) संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1615/68] क्योंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त पर प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता का बताना संभव नहीं है।

(ख) 1968–69 वर्ष के लिए अपेक्षित जानकारी का विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या स्थिति होगी इस बारे में कुछ बताना संभव नहीं है क्योंकि चौथी योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

उड़ीसा की बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनायें

2716. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में सिंचाई की उन बड़ी तथा मध्यम योजनाओं के नाम क्या हैं जिनसे 1968–69 में एक लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी और वे योजनायें कहां कहां स्थित हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : उड़ीसा में 1968-69 के अन्त तक बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सींचा जाने वाला क्षेत्र लगभग 19 लाख एकड़ होगा। इसकी स्कीमवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1616/68] हीराकुंड बांध परियोजना तथा महानदी डेल्टा सिंचाई परियोजना से 1968-69 में एक एक लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हिन्दी में हस्ताक्षर

2717. श्री नायनार : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसा निर्णय किया है कि दस रुपये के नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर हिन्दी में होने चाहियें ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) दस रुपये के मूल्य के नये क्रम के बैंक-नोट जारी किए जा रहे हैं। इन नोटों का रंग और उनका

डिजाइन इस तरह का होगा कि लोग दस रुपये के इन नोटों को दूसरे सभी मूल्यों के नोटों से आसानी से अलग कर सकें। इन नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर आदि हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे।

Officers on Deputation

2718. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of such employees and officers of his Ministry as are on deputation in the Attached and Subordinate offices and in the autonomous bodies of his Ministry;

(b) the names of their original posts and also of the posts against which they are on deputation;

(c) the number of such persons out of them as are on deputation for more than two years;

(d) whether Government propose to call them back to their original posts so that the so called shortage of staff may be made up; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Government Officers on Deputation

2719. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of employees and officers of the Central Government are sent on deputation to other offices;

(b) whether it is also a fact that a big sum is spent on their deputation allowance;

(c) if so, whether Government propose to abolish the deputation allowance by treating the deputation as an ordinary transfer;

(d) if so, when it will be made effective; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) A large number of employees and officers of the Central Government are on deputation to other offices and draw deputation allowance at rates prescribed by Government;

(c) The general scheme of deputation allowance is under detailed review at present;

(d) and (e) Do not arise.

Pak. Plan to Construct A Dam on the Ganges

***2720. Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has prepared a scheme for constructing a dam over the Ganges near Hading Pool; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Pakistan proposes to construct a barrage near Hardinge Bridge in East Pakistan over the river Padma.

(b) The Government of India have lodged a protest with the Government of Pakistan against the construction of the proposed barrage which when completed will cause immense harm to large territories in India.

Electricity Rates for Tubewells

***2721. Shri Ram Swarup Vidyarthi**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the rates of electricity in respect of industries and tubewells for agriculture, separately State-wise;

(b) whether Government propose to treat agriculture also as an industry and to extend the same facilities in respect of electricity to farmers also as are being given to the industries; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Parsad): (a) A statement showing the rates for agriculture and industries within the areas of supply of Electricity Boards/Electricity Departments State-wise is attached. **[Placed in Library. See. No. L. T. 1617/68]**

(b) and (c) As indicated in reply to Lok Sabha Starred Question No. 986 on 1st April, 1968, the tariff for supply of power for agriculture and for industries are kept in separate categories since the supply voltage, minimum demand, consumption, and load factor are much higher in the case of industrial consumers than in the case of agricultural consumers. Power supply for agriculture generally is at 400 volts involving expenditure on transformation from high voltage and distribution at medium voltage, whereas power supply for heavy industries is made at high voltage. The load factor for industries is also much higher. For the above reasons, the tariff rates for heavy industries are lower than the tariff rates for agricultural purposes. As compared with tariff rates for small industries, the average rate for power supply for agriculture is either the same or lower in most of the States.

उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों को सहायता

2722. श्री रामस्वरूप विद्यार्थी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों से प्रार्थना प्राप्त हुई है कि उन राज्यों में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिये अपेक्षित कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये राशि आवंटित की जाये, जो धनाभाव के कारण रोकी पड़ी थी;

(ख) परियोजनायें स्थापित करने हेतु राज्यों को धन देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में वर्ष 1967-68 में कितनी सहायता दी गई और वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने अपनी-अपनी वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय, अपने-अपने विकास कार्यक्रमों के, जिनमें अनाज का उत्पादन बढ़ाने की योजनाएं भी शामिल हैं, वित्त-पोषण के लिए पर्याप्त रकम की मांग की थी। कुल उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत और राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी सिद्धान्तों के आधार पर इन राज्यों के लिए अधिक से अधिक यथासम्भव रकमें निर्धारित की गई हैं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

पश्चिमी बंगाल में मकान निर्माण योजनायें

2723. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1. राज सहायता प्राप्त औद्योगिक मकान निर्माण योजना, 2. गन्दी बस्ती सफाई योजना, 3. निम्न आय वर्ग मकान निर्माण योजना, 4. मध्यम आय वर्ग मकान निर्माण योजना 5. बागान श्रमिक मकान निर्माण योजना और 6. देहाती मकान निर्माण योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा पश्चिम बंगाल को अब तक कुल कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ख) इन कार्यों के लिये अब तक वास्तव में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक योजना के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल में अब तक कितने मकान अथवा फ्लैट बनाए जाने थे ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) वांछित सूचना का विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1618/68]**

दिल्ली नगर निगम पार्षदों द्वारा अनधिकृत निर्माण

2724. श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 23 जून, 1968 के 'सिटीजन' गजट में प्रकाशित इस समाचार की जानकारी है कि दिल्ली में नगर निगम के कुछ सदस्यों ने अनाधिकृत निर्माण किये हैं; और

(ख) क्या इनमें से कोई अनाधिकृत निर्माण दिल्ली वृहद् योजना के उपबन्धों के विरुद्ध है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायगी।

मद्रास तेल शोधक कारखाना परियोजना में हड़ताल

2725. श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री पी० राम मूर्ति :
श्री एस्थोस :
श्री नम्बियार :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास तेल शोधक कारखाना परियोजना के कर्मचारी मई, 1968 से हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) इस विवाद को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग) मद्रास शोधनशाला अभी निर्माणाधीन है । शोधनशाला ने अब तक कोई श्रमिक नियुक्त नहीं किया है । शोधनशाला के निर्माण पर ठेकेदारों के मजदूरों ने जून, 1968 में अपनी विभिन्न मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल की थी । बाद में हड़ताल समाप्त हो गई और अब स्थिति सामान्य है ।

Water Supply to Patna

2726. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the population of Patna City is more than four lakhs;

(b) whether it is also a fact that arrangements for water supply are not satisfactory;

(c) whether it is also fact that most of the localities of Patna city, particularly, the backward areas of the city experience acute water shortage in summer; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government to solve the water crisis in Patna ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (d) Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha when received.

Water-Logging in Patna

2727. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a grave problem of water-logging arises in Rajendranagar, Langartoli, Machuatoli, Saidpur, Daryapur, Biharisab Lane, Gobind Mitra Road, Kadam Kuan, Mandiri, Mussalahpur and many other localities of Patna city in the event of heavy rains;

(b) whether it is also a fact that last year, due to heavy rains, the lanes in Rajendranagar, Lohia Nagar, Chirraiyatond, Mandiri etc, flooded and water had entered in many houses in these localities;

(c) whether water-logging is due to lack of adequate drainage system;

(d) if so, whether Government have prepared any scheme to provide better drainage in the city; and

(e) if so, the features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heatlh, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (e) Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha when received.

बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों को सहायता

2728. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य को अलग-अलग कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गयी और खर्च न किये जाने के कारण सहायता की कितनी राशि वापस की गई;

(ख) क्या पिछले पांच वर्ष में राज्य सरकार ने अधिक राशि आवंटित किये जाने के लिये प्रार्थना की थी; और

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गई थी और सरकार ने उनकी प्रार्थना पर क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। दी गयी सहायता का कोई हिस्सा इस्तेमाल न किये जाने के कारण वापस नहीं किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) आयोजना में सम्मिलित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अतिरिक्त सहायता के लिये समय-समय पर राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए थे। इनमें से बहुत से अनुरोध आयोजना के लिए सामान्य सहायता के सम्बन्ध में थे और उनमें किसी विशिष्ट रकम की मांग नहीं की गयी थी। फिर भी निम्नलिखित कार्यक्रमों/प्रायोजनाओं के लिए विशेष अनुरोध प्राप्त हुए थे :

उत्तर प्रदेश : छोटे सिंचाई-कार्य (5.50 करोड़ रुपया), गांवों में बिजली लगाना (6 करोड़ रुपया) और पीने के पानी की पूर्ति की योजनाएं (4 करोड़ रुपया)

बिहार : गण्डक प्रायोजना (5.25 करोड़ रुपया), कोसी प्रायोजना (2 करोड़ रुपया), छोटे सिंचाई-कार्य (1 करोड़ रुपया) और गांवों में बिजली लगाना (7.45 करोड़ रुपया)

विभिन्न अनुरोधों की जांच की गयी थी और जिन मामलों में अतिरिक्त सहायता का दिया जाना उचित समझा गया, उनमें साधनों की उपलब्धि के सम्बन्ध में स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सहायता की मंजूरी दी गयी।

पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश और बिहार के लिये मंजूर की गयी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा सभा की मेज पर रखे गये विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क) पहली तीन पंचवर्षीय आयोजनाओं की अवधियों में राज्यों को दी गयी केन्द्रीय सहायता :

राज्य–बिहार	करोड़ रुपयों में
आयोजना की अवधि	केन्द्रीय सहायता (वास्तविक)
पहली आयोजना	55.00
दूसरी आयोजना	84.00
तीसरी आयोजना	213.00
उत्तर प्रदेश	
पहली आयोजना	87.00
दूसरी आयोजना	121.00
तीसरी आयोजना	332.00

(ग) 1963–64 से 1967–68 की अवधि में मंजूर की गयी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता :

(लाख रुपयों में)

1963–64

1. बिहार

1. कृषि कार्यक्रम (छोटे सिंचाई-कार्यों सहित)	100.00
2. कोसी और गण्डक प्रायोजनाएं	60.00
	160.00

1964–65

1. कृषि कार्यक्रम (छोटे सिंचाई-कार्यों सहित)	158.00
2. गण्डक प्रायोजना	100.00
3. गांवों में बिजली लगाना	20.00
	278.00

1965–66

1. कृषि कार्यक्रम (छोटे सिंचाई-कार्यों सहित)	199.88
2. कोसी प्रायोजना	50.00
3. गण्डक प्रायोजना	50.00
4. गांवों में बिजली लगाना	75.00
5. चौथी आयोजना की योजनाओं पर (कृषि से भिन्न) अग्रिम कार्यवाही	73.48
	448.36

1966–67

1. कृषि कार्यक्रम (छोटे सिंचाई-कार्यों सहित)	231.25
2. गण्डक प्रायोजना	95.00
3. गावों में बिजली लगाना	600.00
4. बड़े और दरमियाने दर्जे के सिंचाई-कार्य	30.00
5. जल-पूर्ति	100.00
6. अवमूल्यन के परिणामस्वरूप आयोजना में सम्मिलित योजनाओं पर बढ़े हुए खर्च के सम्बन्ध में अतिरिक्त सहायता	50.00
	1106.25

1967–68

शून्य

II. उत्तर प्रदेश

1963–64

1. कृषि-कार्यक्रम (छोटे सिंचाई-कार्यों सहित)	150.00

1964–65

1. कृषि कार्यक्रम (छोटे सिंचाई-कार्यों सहित)	330.00
2. उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिए विशेष सहायता	400.00
3. गांवों में बिजली लगाना	35.00
	765.00

1965–66

1. कृषि कार्यक्रम (छोटे सिंचाई-कार्यों सहित)	325.99
2. उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिए विशेष सहायता	450.00
3. गांवों में बिजली लगाना	225.00
4. अवमूल्यन के परिणामस्वरूप आयोजना में सम्मिलित योजनाओं पर बढ़े हुए खर्च के सम्बन्ध में अतिरिक्त सहायता	169.76
	1170.75

1966–67

1. कृषि कार्यक्रम (छोटे सिंचाई-कार्यों सहित)	454.20
2. गांवों में बिजली लगाना	600.00
3. जल-पूर्ति	200.00
4. अवमूल्यन के परिणामस्वरूप आयोजना में सम्मिलित योजनाओं पर बढ़े हुए खर्च के सम्बन्ध में अतिरिक्त सहायता	131.00
	1385.20

1967–68

शून्य

ऐलोपैथी दवाइयों का प्रमानकीकरण

2729. श्री गाडिलिंगन गौंड : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ ऐलोपैथिक दवाइयों का मानकीकरण नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप जन-स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी दवाइयां हैं तथा उनका मानकीकरण करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

बच्चों का कुपोषण

2730. श्री गाडिलिंगन गौंड : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक रूसी डाक्टर ओ० एफ० टारासोव ने बच्चों के कुपोषण को समाप्त करने के सम्बन्ध में भारत में लम्बी अवधि तक अनुसंधान करने के पश्चात् हमारी चिकित्सा प्रणाली में कुछ दोष बताये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके सुझाव क्या हैं और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) इस देश में बच्चों के कुपोषण की समस्या को समाप्त करने के सम्बन्ध में डाक्टर ओ० एफ० टारासोव के निष्कर्षों या सुझावों की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश को सहायता

2731. श्री गाडिलिंगन गौंड : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य को, योजना-वार, कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी और राज्य ने सहायता की कितनी राशि व्यय नहीं की;

(ख) क्या राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अधिक राशि की मांग की थी; और

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गई थी और सरकार ने उसकी प्रार्थनाओं पर क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है। सहायता की कोई भी ऐसी रकम बाकी नहीं है जिसे राज्य सरकार ने खर्च न किया हो।

(ख) जी, हां।

(ग) आयोजना में सम्मिलित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अतिरिक्त सहायता के लिए राज्य सरकार ने समय-समय पर अनुरोध किया था। इनमें से अधिकतर अनुरोध आयोजना के लिए सामान्य सहायता के लिए थे और किसी खास रकम की मांग नहीं की गयी थी। लेकिन निम्न कार्यक्रमों/प्रायोजनाओं के लिए विशेष रूप से अनुरोध किये गये थे।

छोटे सिंचाई-कार्य (7.5 करोड़ रुपये), नागार्जुनसागर प्रायोजना (25 करोड़ रुपये), तुंगभद्र उच्च-स्तरीय नहर (3.75 करोड़ रुपये) और श्री सेलम प्रायोजना (1.16 करोड़ रुपये)

विभिन्न आवेदनों की जांच की गयी और साधनों की प्राप्यता की स्थिति को देखते हुए जहां उचित समझा गया, अतिरिक्त सहायता स्वीकार की गयी।

पिछले पांच वर्षों में आन्ध्र प्रदेश को दिये जाने के लिए स्वीकृत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा सभा की मेज पर रखे गये विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क) पहली तीन पंचवर्षीय आयोजनाओं की अवधियों में आंध्र प्रदेश को दी गयी केन्द्रीय सहायता

आयोजना की अवधि	(करोड़ रुपयों में) केन्द्रीय सहायता (वास्तविक)
पहली आयोजना	61.00
दूसरी आयोजना	96.00
तीसरी आयोजना	222.00

(ग) **1963–64 से 1967–68 के दौरान आंध्र-प्रदेश सरकार को दी गयी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता**

	(लाख रुपयों में)
1963–64	
1. कृषि-कार्यक्रम (छोटे सिंचाई कार्यों सहित)	300.00
2. नागार्जुनसागर प्रायोजना	50.00
3. बिजली प्रायोजनाएं	130.00
	480.00
1964–65	
1. कृषि-कार्यक्रम (छोटे सिंचाई कार्यों सहित)	205.50
2. नागार्जुनसागर प्रायोजना	400.00
3. तुंगभद्र उच्च-स्तरीय नहर	125.00
4. गांवों में बिजली लगाना	20.00
	750.50
1965–66	
1. कृषि-कार्यक्रम (छोटे सिंचाई कार्यों सहित)	601.68
2. नागार्जुनसागर प्रायोजना	1000.00
3. तुंगभद्र उच्च-स्तरीय नहर	160.00
4. चौथी आयोजना सम्बन्धी योजनाओं (कृषि से भिन्न) पर अग्रिम कार्यवाही	324.75
5. गांवों में बिजली लगाना	75.00
	2161.43
1966–67	
1. कृषि-कार्यक्रम (छोटे सिंचाई कार्यों सहित)	161.87
2. नागार्जुनसागर प्रायोजना	800.00

3. गांवों में बिजली लगाना	150.00
4. अवमूल्यन के परिणाम-स्वरूप आयोजना सम्बन्धी योजनाओं के बढ़े हुए व्यय के लिए अतिरिक्त सहायता	155.00
	1266.87

1967-68

शून्य

संतति निग्रह के लिये देशी औषधि

2732. श्री गाडिलिंगन गौंड : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के कुछ देहातों में संतति निग्रह के स्थायी उपाय के रूप में स्त्रियों द्वारा कुछ औषधियों—पौधे या जड़ी बूटियों के सत का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके प्रभाव के अध्ययन करने का है और यदि अनुकूल हो तो क्या इसे समूचे देश में प्रयोग करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने अपने स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक को, भारत सरकार और भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद की स्वीकृति के लिए, परिवार नियोजन के वास्ते स्वदेशी जड़ी-बूटियों में अनुसन्धान कार्यक्रम के लिए एक ठोस प्रस्ताव बनाने के लिए कहा है। प्रस्तावित अनुसन्धान के पूरा होने पर उससे प्राप्त परिणामों के आधार पर देश भर में इस औषधि के प्रयोग को बढ़ाने के प्रश्न पर जांच-पड़ताल की जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती

2733. श्रीमती शारदा मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपेक्षित योग्यता तथा अर्हता वाले कार्यपालक अधिकारियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध के लिए नियुक्त करने की एक योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) 1965 में सरकार ने यह निश्चय किया था कि सरकारी उपक्रमों के ऊंचे पदों पर नियुक्तियां करने के

लिए सभी स्रोतों से उपयुक्त व्यक्ति ढूंढे जाने चाहिए। चूंकि भरती के लिए विभिन्न स्रोतों का पता लगाना पड़ता है इसलिए यह निश्चय किया गया, कि उपयुक्त व्यक्तियों की नामिका (पेनल) बनायी जाय, ताकि नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के पास ऐसे बहुत में व्यक्तियों के नाम हों जिनमें से वे अपनी पसद के व्यक्ति चुन सकें। इन निश्चयों के परिणामस्वरूप और सरकारी उपक्रमों के लिए व्यापक नामिकाएं बनाने के उद्देश्य से गैर-सरकारी क्षेत्र सहित सभी स्रोतों से उपलब्ध योग्य प्रबन्धकों को लेने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने 'कर्मचारी प्रबन्ध' के विषय में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की हैं सरकार उन पर भी विचार कर रही है।

Non-Acceptance of Cheques Certified in Hindi by State Bank

2734 Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of Finance be Pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Bank of India, Parliament Street, New Dehli does not accept those Cheques on which the signature of Payees are certified in Hindi and the Payees are told that Hindi signatures should be got transcribed into English by some official of the Bank;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action being taken by Goverment in this regard ?

The Deputy Prime Minister & Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a) and (b) As the books of accounts of the State Bank are maintained in English, signatures of drawers and Payees in languages other than English are transliterated into English by the bank's officials. Sometimes, when the dealing official was not conversant with Hindi, the Presenter might have been asked to go to some other official knowing Hindi to transliterate the signature in order to avoid delay and to expedite payment. This practice has, however, been stopped now and internal arrangements have been made to deal with cheques endorsed in Hindi.

(c) Does not arise.

मुंगेर जिले के उपमंडलों में मिट्टी के तेल की कमी

2735. श्री कामेश्वर सिंह: क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान जिला मुंगेर के खागोरिया उपमंडल में मिट्टी के तेल की भारी कमी की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इनकी सप्लाई में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

(ग) क्या खागोरिया और बेगुसरारी उपमंडलों को सप्लाई किये जाने वाले मिट्टी के तेल की मात्रा में बड़ा अन्तर है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों में खागोरिया और बेगुसरारी उपमंडलों के लिए कितना-कितना तेल आवंटित किया गया है; और

(ङ) इस अन्तर के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेंहता): (क) मौजूदा महीनों में बिहार के कुछ हिस्सों में, जिसमें खागोरिया शामिल है, मिट्टी के तेल की कमी की रिपोर्ट मिली है।

(ख) रेलवे बोर्ड के परामर्श से मिट्टी के तेल के रेलवे प्रेषणों को बढाया गया है। सडक द्वारा प्रेषण के लिए राज्य सरकार को संचालन बढ़ाने के लिए कहा गया है। मिट्टी के तेल की पर्याप्त सप्लाई रेल और सडक प्रेषण केन्द्रों पर सुनिश्चित की गई है।

(ग) राज्य सरकार ने बिहार के लिए आवंटित मिट्टी के तेल को विभिन्न जिलों में उप-विभाजित किया है। जिलों के विभिन्न उप-मंडलों के बीच जिला-वार आवंटन में और कोई खराबी नही हुई है। तेल कम्पनियों द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, पहली अगस्त, 1968 को तेल कम्पनियों के पास खागोरिया को मिट्टी के तेल का केवल एक टैंक वैगन लदान करने के लिये आदेश लम्बित था। वह पूरा किया जा रहा है।

(घ) पिछले तीन महीनों में खागारिया और बैंगसरारी को क्रमशः 502 किलो लिटरज और 124 किलो लिटरज मिट्टी का तेल भेजा गया।

(ङ) राज्य सरकार ने मिट्टी के तेल की सप्लाई में विभन्नता के जनसंख्या में अन्तर और दोनों उप-मंडलों की पिछली खपत, कारण बताये हैं।

गंगा नदी के पानी से रहीमपुर में भूमि का कटाव

2736 श्री कामेश्वर सिंह: क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान गंगा नदी के पानी से (खगोरिया उपमंडल) में रहीमपुर में बहुत तेजी से हो रहे भूमि के कटाव की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सिचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) (ख) और (ग) : रहीमपुर ग्राम गंगा के साथ रेल और सड़क से नदी की ओर स्थित हैं और यह 1967 के दौरान बाढ़ों से प्रभावित हुआ था। अभी तक गंगा द्वारा रहीमपुर में किसी प्रकार के कटाव की सूचना केन्द्र को नहीं मिली है।

तुंगभद्रा नदी के पानी से बिजली पैदा करना

2737 : श्री० स० अ० अगाड़ी क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने तुंगभद्रा नदी के पानी से बिजली पैदा करने की कोई मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश सरकार का बिजली पैदा करने के लिए कहां से तथा कितना पानी लेने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) हाल ही में रेल की हड़ताल के कारण आन्ध्र प्रदेश के ताप बिजली घरों में कोयले की भारी कमी हो गई, जिसकी वजह से आन्ध्र प्रदेश के मुख्य इंजीनियर ने दायीं ओर के बिजली घर से, जो आन्ध्र प्रदेश और मैसूर का साझा है, अधिक पानी छोड़ने के लिए प्रार्थना की। 19 जुलाई से पानी की अधिक मात्रा दी गई और अब 3200 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है जबकि साधारणत: 2600 क्यूसेक पानी दिया जाता था।

कनाट प्लेस पार्क, नई दिल्ली

2738 **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नई दिल्ली, नगरपालिका द्वारा कनाट प्लेस के पार्क को छोटा किये जाने पर जनता में व्यापक रोष है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास अधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा है कि कनाट प्लेस के पार्क को छोटा किया जाना दूरदर्शिता नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार राजधानी में नागरिकों के हितों में पार्क को बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास उप-मंत्री (श्री वी० एस० मूर्ति) : (क) कनाट प्लेस पार्क को छोटा किये जाने के विरोध में कोई अभ्यावेदन सरकार को नहीं मिला है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

जी० डी० एम० ओ० ग्रेड 2 अधिकारियों की पदोन्नति

2739 **श्री रा० द्वो० भंडारे** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली सूची संख्या एफ 1-4-67-सी० जी० एस० 11 दिनांक 21 अगस्त, 1967 के प्रकाशित होने के बाद से जी० डी० एस० ओ० ग्रेड 2 के कितने अधिकारी जी० डी० एम० ओ० ग्रेड 1 में पदोन्नति के पात्र बने;

(ख) सरकार का जी० डी० एम० ओ० ग्रेड 2 के ऐसे अधिकारियों की जिन्होंने पांच वर्ष पूरे कर लिये हैं ग्रेड 1 अधिकारियों के पदों पर तरक्की की अपनी अगली सूची कब प्रकाशित करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रति वर्ष ऐसी सूची के प्रकाशन की कोई तिथि निर्धारित करने का भी है और यदि हां, तो किस तिथि को ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब. सू. मूर्ति) (क) आज की तारीख तक 249

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड–1 के प्रारम्भिक गठन के हर तरह से पूरा होते ही ।

(ग) जी० डी० ओ० ग्रेड–1 अधिकारियों की सूची प्रतिवर्ष प्रकाशित करने के लिए कोई तिथि निर्धारित करने का विचार नहीं है ।

Lift Irrigation Scheme in Rajasthan

2740. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the time by which the lift irrigation scheme inaugurated by the Chief Minister of Rajasthan on the 5th July, 1968 to provide potable water in the saline water area lying between Rajasthan Canal and Loonkaransar and Bikaner is likely to be completed;

(b) the total amount to be spent on the scheme and the extent of central assistance therein; and

(c) the number of villages of Loonkaransar tehsil and Bikaner tehsil respectively to be covered by the scheme and the area of cultivable land to be brought under irrigation apart from providing potable water ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The scheme is expected to be completed by 1971–72.

(b) The estimated cost of the scheme is about Rs. 7.7 crores. Hundred percent earmarked central assistance within the State Plan ceiling is being given to the State Government for the Rajasthan Canal Project.

(c) 53 villages of Loonkaransar Tehsil and 16 villages of Bikaner Tehsil are likely to be covered by the scheme. The total area proposed to be brought under irrigation is about 1,2 ,000 acres.

बिना कष्ट मृत्यु (युथांसिया)

2741. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 230 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व के भिन्न-भिन्न देशों में लाइलाज तथा दर्दनाक रोगों के मामले में बिना कष्ट के मृत्यु को वैध बनाने के प्रति उनके रवैये के बारे में कोई जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) बिना कष्ट के मृत्यु (युथांसिया) को वैध करने के प्रश्न पर विभिन्न मंचों चिकित्सा संघों में विधि अधिकारियों द्वारा तथा कुछ राष्ट्रीय संसदों में, विचार किया जा चुका है, विश्व चिकित्सा संघ ने 1950 में न्यूयार्क में हुई अपनी बठक में इस विषय पर विचार किया था तथा बिना कष्ट-मृत्यु (युथांसियां) को वैध करने के किसी भी प्रयत्न को निन्दनीय समझा । उन्होंने सभी राष्ट्रीय चिकित्सा संघों से अनुरोध किया कि वे किन्हीं भी परिस्थितियों

में बिना कष्ट-मृत्यु (युथांसिया) के चलन की निन्दा करें। ब्रिटेन में युथांसिया को वैध करार देने के लिए विधेयक 1936 में हाउस आफ लार्डस् में प्रस्तुत किया गया था, किन्तु इस पर विचार नहीं किया गया। बतलाया जाता है कि इस विधेयक को ब्रिटेन की संसद् में पुनः प्रस्तुत करने की बात चल रही है। इसके बारे में कोई विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है।

बंजारों को अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों की सूचियों में शामिल करना

2742. श्री जे० एच० पटेल : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंजारों से मिलते-जुलते कुछ नामों तथा उप-जातियों को राजस्थान की अनुसूचित जातियों की सूची में 'एजावरिया' और हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली प्रदेश की सूचियों में 'सिरकीबन्द' के नाम से दिखाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मैसूर तथा उड़ीसा राज्यों में बंजारों तथा उनसे मिलते जुलते नामों को भी अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में दिखाया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बम्बई, हैदराबाद, मद्रास और कर्नाटक राज्यों में बंजारों को अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में नहीं दिखाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) राजस्थान के कुछ भागों में 'बावरिया' एक पृथक अनुसूचित जाति के रूप में (सूची में) शामिल है, तथा पूरे हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में 'सिरकीबन्द' एक पृथक अनुसूचित जाति के रूप में।

(ख) मैसूर राज्य के पुराने मैसूर क्षेत्र में 'बंजारा या लम्बानी' एक अनुसूचित जाति है। सारे उड़ीसा में 'बंजारा या बनजारी' एक अनुसूचित आदिम जाति है।

(ग) महाराष्ट्र और मद्रास में 'बनजारा' अनुसूचित नहीं है। आन्ध्र प्रदेश के पुराने आन्ध्र क्षेत्र में 'सुगाली (लम्बाड़ी)' अनुसूचित आदिम जाति है।

(घ) भारत की आदिवासी और अन्य जातियां एक संक्रमण काल में हैं, उनके विशिष्ट लक्षण राज्य-राज्य और क्षेत्र-क्षेत्र में विभिन्न है।

गोआ, दमन और दीव के हरिजन

2743. श्री जे० एच० पटेल : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ, दमन और दीव के हरिजनों को अनुसूचित जातियों में सम्मिलित करने के लिये अधिसूचना जारी कर दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा सरकार ने उन्हें अनुसूचित जातियां घोषित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) अतारांकित प्रश्न संख्या 911 के उत्तर, जो 19 फरवरी, 1968 को दिया गया, की ओर ध्यान आमंत्रित किया जाता है ।

Family Planning Programme

2744. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Chengalraya Naidu :
Shri N. R. Laskar :
Shri B. N. Shastri :
Shri Anbuchezhian :

Will the Minister of Health, Family Planning and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Swedish institution has taken a significant step to give assistance to India under the Family Planning Programme, if so, the details thereof;

(b) the names of the countries from which assistance is received by India for Family Planning and the annual amount of assistance received from each country; and

(c) the amount being spent by Government annually, throughout the country, on family planning since its inception ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Yes. A copy of the Agreement between the Government of India and Sweden signed on the 1st July, 1968, is attached. [Placed in Library See. No. L. T. 1619/68]

(b) **Agreements concluded/aid received during 1967–68.**

U.S.S.R. : A Vacuum Aspirator for facilitating easy termination of pregnancy.

Japan : Yen Credit to the extent of 0.4 million dollors for purchasing Contraceptives and equipment.

Denmark : 10,000 pieces of IUD (Antigon) for clinical trials.

Us Aid : Besides Consultants and short term fellowships, commodities approximately totalling 81.47 million were agreed to be provided for the Indian Family Planning Programme.

Agreement for aid concluded during 1968-69.

Sweden :

As at (a) above.

Usaid : Besides Consultancy services and short term fellowships, commodities approximately totalling 84.385 million have been agreed to be provided under Project Agreements entered into for advancement of Family Planning Schemes.

Besides, a loan agreement has also been concluded for $2.7 million towards purchase of imported components of vehicles required for the Family Planning Programme.

Usaid has also made available an amount of Rs. 85 million out of PL 480, 104 (H) Fund for use in the Family Planning Programme.

(c) Expenditure on Family Planning Programme since its inception is given below :—

	(Rs. in lakhs)
First Plan	14.51
Second Plan	215.58
Third Plan	
1961-62	139.31
1962-63	277.25
1963-64	217.24
1964-65	652.36
1965-66	1199.79
	2485.95
Post Third Plan	
1966-67	1337.64
1967-68	2653.01

कलकत्ता में कूड़े का जमा होना

2745. श्री गणेश घोष : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता एक बहुत बड़ा कूड़ाघर बन गया है;

(ख) क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार के गड़बड़ अपदूषण की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) सरकार के पास कुछ समय से कलकत्ता शहर में बहुत सा कूड़ा जमा हो जाने की रिपोर्टें मिलती रही है। यह पता चला हैं कि इस कूड़े के जमा हो जाने का कारण कूड़ा ले जाने वाली गाड़ियों की कमी थी जो उनको भली प्रकार रख-रखाव की व्यवस्था न होने के कारण पैदा हुई थी। क्योंकि कलकत्ता नगर निगम का मल-वाहन व्यवस्था उस स्थिति पर काबू पाने में असमर्थ थी, अत: राज्य सरकार ने जून, 1968 के अन्त में पश्चिमी बंगाल सरकार और कलकत्ता स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के एक-एक अधिकारी को कलकत्ता नगर निगम के विशेष उपायुक्तों के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त किया है। यह नगर निगम के परामर्श से किया गया है। क्योंकि नगर निगम की अपनी लारियों में से केवल लगभग 150 ही चालू हालत में थीं, इसलिए मल-वाहन सेवाओं के प्रभारी विशेष उपायुक्त ने अपेक्षित अतिरिक्त लारियां किराये पर ले ली। इन किराये की लारियों में कूड़ा लादने तथा अन्य फुटकर कार्य करने के लिये राष्ट्रीय स्वयं सेवी सेना के 400 सदस्यों और सचल-सिविल-आपाती सेना तथा पश्चिमी बंगाल की सिविल-आपाती सेना के 200 सदस्यों की सेवाएं 15 दिन के लिए विशेष रूप से ले ली गई। दूसरा विशेष उपायुक्त जिसे नगर निगम

की वर्कशापों, रेलवे, ग्राजों आदि का प्रभारी बनाया गया था, नगर निगम की क्षतिग्रस्त लारियों, गाड़ियों और रेल के इंजनों की मरम्मत करवाने तथा उनके सम्यक् रख-रखाव के लिए कदम उठाता रहा है जिससे मल-वाहन सेवाओं में सुधार किया जा सके।

जबसे विशेष उपायुक्तों की नियुक्ति की गई है कूड़ा हटाने की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है।

मलवाहन सेवाओं के प्रभारी विशेष उपायुक्त को अपने कार्यक्रम को इस प्रकार सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए ऐसे अनुदेश दिए गये हैं कि नगर निगम के सभी मलवाहन कर्मचारियों की सेवाओं का पूर्णरूपेण उपयोग किया जा सके और जमा हुए कूड़े के एक बार साफ हो जाने के पश्चात् नियमित सफाई कर्मचारियों द्वारा ही प्रतिदिन जमा होने वाले कूड़े को प्रभावकारी ढंग से साफ कराया जा सके। कूड़ा हटाने के लिए 50 नई कूड़ा ले जाने वाली गाड़ियों की खरीद करने का एक प्रस्ताव भी नगर निगम के विचाराधीन है।

आयातित रेडियो पुर्जों का दिल्ली में दुकानों से सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ा जाना

2746. श्री न० कु० सांघी :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 जुलाई, 1968 को दिल्ली में कुछ दुकानों पर सीमा-शुल्क विभाग के 50 अधिकारियों के एक दल ने छापा मारा था तथा उन्होंने आयातित रेडियो पुर्जे तथा अन्य पुर्जे पकड़े थे; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) 6 जुलाई, 1968 को सीमा-शुल्क के 30 कर्मचारियों के एक दल ने दिल्ली के चान्दनी चौक और लाजपत राय बाजार में 13 दुकानों पर छापे मारे और विदेशों में बने रेडियो के पुर्जे तथा अन्य वस्तुएं पकड़ीं जिनका मूल्य लगभग 64,000 रुपये होता है। जिन स्थानों पर छापे मारे गये उनका तथा रेडियो के पकड़े गये पुर्जों का एक विवरण-पत्र संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1620/68**]

नदी जल परियोजनायें

2747. श्री नाथूराम अहिरवार : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1947 के पश्चात देश में राज्यवार कितनी नदी जल परियोजनायें आरम्भ की गई?

(ख) कौन-कौन सी परियोजनायें पूरी हो गई हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया गया अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत किया गया अथवा योजना से बाहर या विदेशी सहायता से, और प्रत्येक मामले में ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) राज्यवार जानकारी का ब्यौरा सिंचाई और बिजली मन्त्रालय द्वारा जारी की गई पुस्तिका 'भारत—सिंचाई और बिजली परियोजनायें, में दिया हुआ है इस पुस्तिका की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ग) इन सारी परियोजनाओं पर राज्य के वित्तीय संसाधनों में खर्च किया गया था। इन संसाधनों को सम्पूर्ण योजना के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता द्वारा अनुपूरित किया गया था फिर भी 1968-69 के दौरान कुछ चुनी हुई बड़ी परियोजनाओं के लिये 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का प्रस्ताव है। यह सहायता योजना के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होगी। इसका ब्यौरा विवरण 1 में दिया गया है। जिन परियोजनाओं को विदेशी सहायता दी गई है उनकी सूची विवरण 2 में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1621/68]**

मध्य प्रदेश में मझली तथा बड़ी परियोजनाओं के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र

2748. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश से आरम्भ होने वाली नदियों से बड़ी तथा मझली परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1968–69 के अन्त में राज्यवार कितना क्षेत्र सींचा जायेगा;

(ख) बड़ी तथा मझली परियोजनाओं से 1968–69 के अन्त तक मध्य प्रदेश में कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई होगी; और

(ग) क्या किसी अन्य राज्य से आरम्भ होने वाली किसी नदी से मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र में सिंचाई होती है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियों पर बनाई गई बड़ी और मध्यम परियोजनाओं से 1968–69 के अन्त तक विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित क्षेत्र की सिंचाई होने की सम्भावना है :–

	राज्य	क्षेत्र (लाख एकड़ों में)
1.	मध्य प्रदेश	7.8
2.	राजस्थान	3.5
3.	उड़ीसा	20.5

4.	उत्तर प्रदेश	8.2
5.	बिहार	11.1
6.	गुजरात	2.2

(ख) मध्य प्रदेश में 1968–69 के अन्त तक कुल लगभग 19 लाख एकड़ सिंचित क्षेत्र होगा जिसमें योजना से पूर्व सिंचित क्षेत्र भी शामिल हैं।

(ग) मध्य प्रदेश का भूतल ऐसा है कि बहुत सी नदियां इस राज्य में से निकलती हैं किन्तु वे साथ वाले राज्यों की ओर बहती हुई जाती हैं। केवल साबरी तथा इन्द्रवती नदियां ही ऐसी हैं जो सहवर्ती राज्यों में से निकलती हैं और मध्य प्रदेश की ओर बह जाती हैं। इन नदियों पर मध्य प्रदेश में कोई बड़ी या मध्यम सिंचाई परियोजना नहीं है।

शोलापुर मेडिकल कालेज में दाखिले के लिए प्रति व्यक्ति फीस

2749. **श्री सोनावने :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर मेडिकल कालेज में प्रथम वर्ष में दाखिले के समय प्रति विद्यार्थी सात हजार रुपये प्रति व्यक्ति (कैपीटेशन) फीस ली जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस फीस के लिए जाने की मंजूरी दे दी है;

(ग) क्या कालेज को सरकार से सहायता अनुदान मिलता है और यदि हां, तो वह कितना है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस कालेज को अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस मन्त्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय शोलापुर मेडिकल कालेज एम० बी० बी० एस० (प्रथम वर्ष) के पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए प्रति छात्र 7,020 (सात हजार और बीस रुपये) प्रति व्यक्ति फीस लेता है।

(ख) शोलापुर मेडिकल कालेज एक प्राइवेट संस्था है इसलिए इसमें उसे केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस समय कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

(घ) केन्द्रीय सरकार इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव से अवगत नहीं है।

Construction of Minor Canals in Banda. U. P.

***2750. Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a survey was conducted to dig to minor canals from 'Kulava' Nos. 61 and 62 of Beberu distributory (District Banda-Uttar Pradesh) for the irrigation of land in the village Palwan;

(b) if so, the reasons for abondoning the work of halfdug minor canal from the right bank and when Government propose to dig this canal again;

(c) the time by which digging work of the one and half mile of the second minor canal from 'Kulava' Nos. 61 and 62 on the left bank, a survey in regard to which was also conducted, is likely to be completed;

(d) the nature of report submitted by the present Irrigation Engineer, Canal Division, Banda to the higher authorities in regard to the several memoranda submitted by a Member of Parliament for the digging of the said two minor canals; and

(e) action taken on the report and the reasons farnot taking in hand the digging work of the said two minor canals ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the house.

चौथी पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र की नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल करना

2751. श्री कृ० गु० देशमुख : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए नदी घाटी परियोजनाओं सम्बन्धी एक वरीयता सूची महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो सूची में दर्ज परियोजनाओं के नाम क्या है और क्या अपर वार्धा नदी घाटी परियोजनाओं को सूची में शामिल किया गयाहै तथा उसे कौन सी वरीयता दीगई है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपर वार्धा परियोजना के लिए तकनीकी तथा अन्य आवश्यक सरकारी मंजुरियां प्रदान कर दी हैं, ताकि राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सके ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक चौथी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया है और सिंचाई परियोजनाओं की कोई प्राथमिकता सूची नहीं बनाई है। महाराष्ट्र सरकार के सिंचाई अध्ययन दल द्वारा सिफारिश प्राप्त स्कीमों की एक सूची योजना आयोग को मिल गई है। इस सूची में अपर वार्धा स्कीम शामिल है।

चौथी योजना को अन्तिम रूप देते समय अपर वार्धा परियोजना को पास करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

धन नियतन के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार का ज्ञापन

2752. श्री देवेन सेन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पश्चिमी बंगाल सरकार से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिससे मांग की गई है कि पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से पहले वित्त आयोग द्वारा राज्यों को किये गये धन के नियतन का समय समय पर पुनर्विलोकन किया जाना चाहिये ताकि उनके वार्षिक व्यय में कम न की जा सकने वाली वृद्धि का अनुमान लगाया जा सके;

(ख) क्या यह सच है कि तीसरे वित्त आयोग द्वारा नियत की गई कुल राशि से राज्य का व्यय 150 करोड़ रुपये बढ़ गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा (अनकवर्ड) व्यय प्रति वर्ष 15 प्रतिशत बढ़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय पर पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुए ज्ञापन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ हैं ।

(ख) और (ग) तीसरे वित्त आयोग की रिपोर्ट में इस बात का कोई संकेत नहीं था कि आयोग ने राज्यों को अन्तरित किये जाने वाले साधनों सम्बन्धी अपनी योजना में पश्चिम बंगाल राज्य के खर्च की रकम को हिसाब में लिया है। फिर भी, राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अतिरिक्त करों में प्राप्त रकम को छोड़कर भी, 1962–63 से 1965–66 तक की अवधि में, जिसके सम्बन्ध में तीसरे वित्त आयोग ने रिपोर्ट दी थी, आयोजना से भिन्न राजस्व में बचत हुई थी।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

माढरपुर में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह

2753. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी सहयोग से गुजरात में माढरपुर में पैट्रो–रसायन उद्योग समूह स्थापित करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : गुजरात में कोयाली शोधनशाला में आस पसिएक पैट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें एक ऐरोमैटिक्स परियोजना और एक नेफ्था क्रैकर शामिल हैं। पूर्वोक्त के बारे में विदेश से सहयोग करार कर लिए गए हैं। उपरोक्त के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई गई है और परिक्षणाधीन है।

Water and Electricity Bill in English and Hindi in N.D.M.C.

2754. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of Health, Family Planning and Urban Development be pleased to state :

(a) whether if is a fact that the New Delhi Municipal Committee has taken a decision that it would take the option of its consumers whether the electric and water bills should be sent to them in English or in Hindi in future;

(b) whether the New Delhi Municipal Committee tried to ascertain during the last twenty years as to how much difficulty was being experienced by the people to receive the bills in English;

(c) if not, the reason for taking the option of the people now in this regard; and

(d) whether Government would direct the New Delhi Minicipal Committee to prepare bilingual bills instead of calling for the options and dividing the people in two categories of Hindi and English ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) This was not done earlier as English continued to be the official language of the N. D. M. C. till very recently. Hindi is now adopted as the official language.

(c) While Hindi in Devnagri script is now the official language of the N. D. M. C. it has been decided for the convenience of the public that both Hindi and English language shall be used **inter alia** for forms for public use, provided that notices and bills required to be sent to and correspondence with such persons as have dealings with the Committee as make specific requests for the use of English language therefor shall be in that language.

(d) As per directions issued by the Lt. Governor to the N. D. M. C., bills shall be sent in English to such persons as make specific requests for the same.

M/s Oriental Timber Trading Corporation

2755. **J. B. Singh** : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6701 on the 8th April, 1968 and state :

(a) whether the inquiry in respect of the accounts of M/s Oriental Timber Trading Corporation has since been completed;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons therefor and the time by which it is likely to be completed;

(d) whether Government propose to instruct the investigating officers to complete the inquiry by a specific date; and

(e) the Number of persons conducting the inquiry ?

The Deputy Prime Minister and Ministrer of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The enquiries for assessent year 1964-65 and 1965-66 have been completed and as repuired under the normal procedure, the evidence against the assessee has been put to him in order to give him an opportunity to explain the same. The assessments have necessarily to be kept pending until the assessee's replies are received and examined by the assessing officer.

(b) Since the assessments have yet to be completed, it is not possible to disclose the details.

(c) The assessments will be comleted as soon as the assessee's replies are received and the assessing officer has examined them. It is expected that the assessments will be completed within three months.

(d) As mentioned above, the enquiry for two years has already been completed. Judicial pronouncements require that in such cases, an adequate opportunity has to be given to the assessee to place his case before the Income-tax Officer and it will not be desirable to put a specific date for the completion of the assessments. The Income-tax Officer has, however, been asked to complete them as early as possible.

(e) One.

Jhuujhunwala Families having Shares in M/s Oriental Timber Trading Corporation

2756. **Shri J. B. Singh** : Will the minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6700 on the 8th April, 1968 and state :

(a) the names of those 16 members of the Joint Hundu Family of the Jhunjhunwala families, who hold shares in Messrs Oriental Timber Trading Corporation;

(b) the names of the other companies, besides Messrs Oriental Timber Trading Corporation, in which the aforesaid 15 shareholders are holding shares; and

(c) the amount paid by other firms to Government as Income-tax during the last three years ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The names of the 16 members of Jhunjhunwala families holding shares M/s Oriental Timber Trading Corporation are :

Shri Banwari Lal Jhunjhunwala.
Shri Banwari Lal Jhunjhunwala (HUF)
Shri Champa Lal Jhunjhunwala (HUF)
Shri Bhagwati Prasad Jhunjhunwala (HUF)
Smt. Gayatri Devi Ramji Lal
Smt. Lachhiya Devi Purshotam Lal.
Smt. Geeta Devi Banwari Lal.
Smt. Chandrakala Devi Champa Lal.
Smt. Bhanumati Devi Bhagwati Prasad.
Smt. Usha Devi Girdhari Lal.
Shri Babu Lal Jhunjhunwala.
Smt. Kusum Devi Babu Lal.
Master Vijay Kumar Banwari Lal.
Master Vinay Kumar Banwari Lal.
Master Shahi Kumar Champa Lal.
Master Rajendra Kumar Bhagwati Prasad.

(b) and (c) The information is being collected. It will be laid on the Table of the House.

M/S Oriental Timber Corporation.

2757 **Shri J. B. Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6697 on the 8th April, 1968 and state :

( ) Whether the inquiry in respect of M/S Oriental Timber Trading Corporation has since been completed;

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of persons conducting the inquiry and the date from which they are conducting the inquiry and whether Government proposed to appoint more officials to complete the inquiry expeditiously; and

(d) if so, their number ?

Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The enquiries in respect on the assessment years 1964-65 and 1965-66 have been completed. The assessments will be completed after the assessee's reply is received on the points emerging out of the enquiry.

(b) Since the assessments are still pending, the details of enquiries cannot be disclosed.

(c) Only one person is conducting the enquiries since July, 1967. There is no proposal to appoint more persons for enquiries in this case.

(d) Does not arise.

Paper Manufacturing Machinery Imported by M/S Oriental Timber Trading Corporation

2758. **Shri Onkar Singh :** Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6 03 on the 8th April, 1968 and state :

(a) whether any guarantee had been given to M/s. Oriental Timber Trading Corporation regarding the breakage etc. of the paper manufacturing machinery prior to its import from Japan;

(b) if so, the nature thereof;

(c) whether it is a fact that the machinery imported from Japan was an old one while permission was taken for importing new machinery; and

(d) if so, whether Government propose to conduct an enquiry in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Whether or not any guarantee was given to M/s Oriental Timber Trading Corporation by the Japanese exporter is not known to the Government.

(b) Does not arise.

(c) The machinery imported was a new one, according to the information available with the Government.

(d) Does not arise.

M/s Ramji Lal Jhunjhunwala.

2759. **Shri Onkar Singh :** Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6696 on the 8th April, 1968 and state :

(a) whether the enquiry in respect on firms of M/s Ramji Lal Jhunjhunwala has since been completed;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, whether Government propose to appoint more officials to complete the enquiry expeditiously; and

(d) If not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Appointment of more officials is not considered necessary.

Contract taken by M/s Oriental Timber Trading Corporation in Ootacamond.

2760. **Shri Onkar Singh :** Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8106 on the 22nd April, 1968 regarding the contract taken by M/s Oriental Timber Trading Corporation in Ootacamond and state :

(a) whether Government have since collected the information and if so, the detathereof; and

(b) if not, the reasons therefor and when the information would be laid on the Tab?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The information has since been collected and is as follows :-

The contract in Ootacamond was taken jointly by M/s Oriental Timber Trading Corporation and M/s McKenzies Ltd. on 27.2. 1962. The building is nearing completion. The contract related to the public sector-Central Government. The names of the directors of these two companies are :-

McKenzies Ltd. :-

Purshotamlal Jhunjhunwala
Ramjilal Jhunjhunwala.
Maneklal Premchand.
S. K. Handoo,
Girdharilal Jhunjhunwala.

Oriental Timber Trading Corporation ;-

Banwarilal Jhunjhunwala.
Bhagwatiprasad Jhunjhunwala.
Champalal Jhunjhunwala,
Radhakrishna B. Rungta.
Ashwinlal R. Shah.
Ghasiram J. Jalan.

These directors have paid a total tax of Rs. 6,76,254 during the last five years.

(b) Does not arise.

M/s. Oriental Timber Trading Corporation and M/s. McKenzies Ltd.

2761. **Shri Onkar Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8108 on 22nd April, 1968 and state :

(a) whether the information regarding the building contract taken jointly in Rourkela by M/s. Oriental Timber Trading Corporation and M/s. Mckenzies Ltd., has since been collected by Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor and when the information would be laid on the Table ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the statement implementing the assurance given in reply to Question No. 8108 dated the 22nd Aprial, 1968, is enclosed herewith: **[Placed in Library. See No. L. T. 1622/68]**

(c) Does not arise.

M/s. Oriental Timber Trading Corporation and M/s. McKenzies Ltd.

2762. **Shri Onkar Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8107 on the 22nd Aprial, 1968 regarding building contract taken by Messrs Oriental Timber Trading Corporation and Messrs McKenzies Ltd, in Ranchi and state :

(a) whether the information has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor and the time by which the said information would be laid on the Table ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) The building contract in Ranchi was taken jointly by M/s. Oriental Timber Trading Corporation and M/s. McKenzies Ltd., in January 1962, and the building is under completion. While the former company has six Directors the latter company has five, Their names are :-

MaKenzies Ltd.
Purshotamlal Jhunjhunwala.
Ramjilal Jhunjhunwala.
Maneklal Premchand.
S. K. Handoo.
Girdharilal Jhunjhunwala.

M/s. Oriental Timber Trading Corporation.
Banwarilal Jhunjhunwala.
Bhagwatiprasad Jhunjhunwala.
Champalal Jhunjhunwala.
Radhakrishna B. Rungta.
Ashwinlal R. Shah.
Ghasiram J. Jalan.

The taxes paid by these Directors for the assessment years 1966-67 and 1967-68 are as follows :-

Name of the Director.	Taxes paid for assessment Years.	
McKenzies Ltd.	**1966-67**	**1967-68**
Purshotamlal Jhunjhunwala	7,472	7,437
Ramjilal Jhunjhunwala	6,082	5,222
Maneklal Premchand	99,590	99,281
S. K. Handoo	16,158	15,027
Girdharilal Jhunjhunwala	3,632	7,399
Oriental Timber Trading Corporation Ltd.		
Banwarilal Jhunjhunwala	6,298	5.475
Bhagwatiprasad Jhunjhunwala	6,082	5,222
Champalal Jhunjhunwala	6,298	5,715
R. B. Rungta	nil	nil
Aswinlal R. Shah	345	1,017
Ghasiram J. Jalan	nil	nil

(c) Does not arise;

भारत के स्टेट बैंक द्वारा चांदी का निर्यात

2763. श्री नन्द कुमार सोमानी : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के स्टेट बैंक ने सरकारी खाते में निर्यात के लिए काफी मात्रा में चान्दी खरीदी है;

(ख) वर्ष 1967–68 के लिए चान्दी के अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य क्या है;

(ग) निर्यात के लिए कुल कितनी चान्दी खरीदी गई है और इस बारे में भावी कार्यक्रम क्या है; और

(घ) गैर–सरकारी अभिकरणों द्वारा वर्ष 1967–68 में चान्दी का कुल कितना तथा कितने मूल्य का निर्यात किया गया ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) भारत सरकार ने चांदी बेचने और खरीदने के लिए स्टेट बैंक को अपना एजेंट नियुक्त किया है। इस हैसियत से बैंक ने कुछ चांदी खरीदी है और कुछ का निर्यात किया है।

(ख) 1967–68 में भारत (बम्बई) में चांदी की अधिकतम और न्यूनतम हाजिर कीमतें (स्पाट प्राइसेज़) क्रमशः 565 रुपये और 346 रुपये प्रति किलोग्राम थी। 1967 और 1968 में लन्दन के बाजार में अधिकतम और न्यूनतम कीमतें निम्नलिखित थीः—

		(प्रति किलोग्राम)
1967	530 रुपये	314 रुपये
1968	624 रुपये	460 रुपये

(27 जुलाई 1968 तक)

(ग) यह बताना लोकहित में नहीं होगा।

(घ) शून्य। क्योंकि अक्टूबर 1966 से लेकर चांदी से बनी वस्तुओं को छोड़ कर, गैर–सरकारी पार्टियों को चांदी का निर्यात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है।

खाद्य प्रयोगशालायें

2764. श्री यशपाल सिंह : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की खाद्य प्रयोगशालाओं में प्रायः पूरे उपकरण नहीं होते हैं तथा खाद्य पदार्थों में बढ़ते हुए अपमिश्रण का उनमें पता नहीं लगाया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बी० एस० मूर्ति) (क) नित्यप्रति विश्लेषण के काम आने वाले उपकरण तो राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों

की प्रायः सभी खाद्य प्रयोगशालाओं में उपलब्ध हैं किन्तु विशेष प्रकार के परीक्षणों में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आमतौर पर उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों को आर्थिक सहायता देकर देश की खाद्य प्रयोगशालाओं को सशक्त करने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है ।

खगरिया में टी० बी० अस्पताल

2765. श्री कामेश्वर सिंह : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खगरिया (जिला मुंगेर) में टी० बी० क्लीनिक अस्पताल का भवन तैयार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अस्पताल के खोलने में बिलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) अस्पताल कब तक काम करना आरम्भ कर देगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उर्वरकों के मूल्य

2766. श्री कामेश्वर सिंह : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के सचिव के कथन के अनुसार भारत आयातित उर्वरकों के लिये अनावश्यक रूप से अधिक मूल्य दे रहा है: और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) (क) और (ख) जी, नहीं ।

उर्वरकों के मूल्य में सामान्य मन्दी हो जाने के कारण और क्रय के अधिक वैज्ञानिक ढ़ंग को अपनाने, बाजारों की स्थिति के अध्ययन तथा स्टाक की उपलब्धि आदि के कारण वस्तुतः प्रतियोगी मूल्य मिल सके हैं ।

"बी" क्रोस आर्मेचरों की खरीद

2767. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार राज्य बिजली बोर्ड के विभिन्न अधीक्षक अभियन्ताओं (सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियरों) द्वारा की गई 'बी' क्रॉस आर्मेचरों की खरीद की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ये आर्मेचर किन फर्मों से खरीदे गये थे तथा जनवरी, 1960 से जून, 1968 तक की अवधि में वे किस मूल्य पर खरीदे गये ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मंगवाई जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी महानिदेशक का पद

2768. श्री वे० अमात :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री गु० च० नायक :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री म० माझी :

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी महानिदेशक का पद कब बनाया गया था;

(ख) महानिदेशक को क्या काम करना होता है;

(ग) महानिदेशक के अन्तर्गत कितने क्षेत्रीय निदेशक तथा उपनिदेशक काम कर रहे हैं; और

(घ) क्षेत्रीय निदेशकों तथा उप-निदेशकों के कर्तव्य तथा कृत्य क्या हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी निदेशक का पद 20—11—1963 को बनाया गया था। 15-6-1967 को इसे पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी महानिदेशक के रूप में पुर्नानामोद्दिष्ट किया गया ।

(ख) महानिदेशक के मुख्य कृत्य इस प्रकार हैं:—

(i) पिछड़े वर्गों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों और नीतियों को रूप देने में सहायता करना ।

(ii) राज्य सरकारों तथा पिछड़े वर्गों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों से सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों से सम्पर्क रखना ।

(iii) इस क्षेत्र में कार्यक्रमों के कायन्विन की प्रगति पर दृष्टि रखना तथा रूकावटों को दूर करने में सहायता करना ।

(iv) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को अनुसन्धान परियोजनाओं, सामग्री एकत्रित करने, मूल्यांकन और जनता की शिकायतों का छानबीन करने में सहायता करना ।

(ग) क्षेत्रीय निदेशकों के पांच पद और उपनिदेशकों के नौ पद हैं ।

(घ) क्षेत्रीय निदेशकों और उपनिदेशकों के कर्तव्य और कृत्य महानिदेशक को उनके कर्तव्यों और कृत्यों, जो (ख) के अन्तर्गत बताए गए हैं, में सहायता करना है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के कृत्य

2769. श्री दे० अमात : **श्री गं० च० नायक**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव : **श्री म० माझी :**

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये महानिदेशक तथा क्षेत्रीय निदेशकों के पद बनाये जाने के पश्चात् अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के अब क्या कृत्य हैं;

(ख) क्या यह सच है कि क्षेत्रों (जोन) में नियुक्त अधिकतर अधिकारियों के पास कोई काम नहीं है क्योंकि कल्याण योजनाओं की क्रियान्विति राज्य सरकारों के माध्यम से की जाती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये पद अनावश्यक हैं और इनसे केवल प्रशासनिक खर्च ही बढ़ता है;

(घ) क्या यह भी सच है कि धनाभाव के कारण राज्यों के अधीन अनेक योजनाओं के लिये धन की व्यवस्था नहीं की जा सकी; और

(ङ) यदि हां, तो महानिदेशक के अधीन ऐसा विस्तृत तन्त्र बनाये रखने तथा क्षेत्रीय मुख्यालयों में बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करने की क्या आवश्यकता है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) (क) आयुक्त महोदय संविधान के अनुच्छेद 338 द्वारा उन्हें सौंपे हुए कृत्यों सम्बन्धी कार्य देखते हैं ।

(ख) और (ग) नहीं, उनके कर्तव्य और कृत्य साफ तौर पर परिभाषित हैं । कल्याण परियोजनाएं न केवल राज्य सरकारों अपितु भारत सरकार की सहायता से स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा भी कार्यन्वित की जाती हैं । पिछड़े वर्गों की प्रगति को सुनिश्चित करने संबंधी विशेष देखरेख की जिम्मेदारी में भारत सरकार और राज्य सरकारें साझीदार हैं । केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के कार्यान्वन तथा नए कार्यक्रमों के आविभाव में केन्द्रीय सरकार विशेष दिलचस्पी रखती है । इसके अतिरिक्त जनता की अनेक शिकायतों की ओर भी ध्यान दिया जाता है ।

(घ) नहीं, प्राप्य संसाधनों की परिसीमा में सभी आवश्यक कार्यक्रमों को निभाया गया है और कुछ नई परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र की बड़ी/ मध्यम नदी घाटी परियोजनाएं

2770. श्री कृ० गु० देशमुख : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गई बड़ी/मध्यम नदी घाटी परियोजनाओं की सूची में से नौ बड़ी तथा छब्बीस मध्यम नदी घाटी परियोजनाओं को अभी तक मंजूरी नहीं दी;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार के पास वे कब से पड़ी हैं और उन पर निर्णय कब तक करने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार की तीसरी योजना की सारी स्कीमें स्वीकार कर ली गई हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 15 नई बड़ी सिंचाई स्कीमों में से पांच पहले ही स्वीकार हो चुकी हैं। 36 नई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से 22 स्कीमें स्वीकार हो चुकी हैं। शेष 14 मध्यम सिंचाई स्कीमों में से छः स्कीमों के बारे में राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे इन के कुछ पहलुओं पर पुनः विचार करें। शेष 8 स्कीमें राज्य सरकार से पिछले दो महीनों में प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच हो रही है। जहां तक बड़ी स्कीमों का सम्बन्ध है, उनको पास करने के प्रश्न पर राज्य सरकार की चौथी योजना को अन्तिम रूप देते समय विचार किया जाएगा। इन बड़ी व मध्यम सिंचाई स्कीमों का एक ब्यौरा संलग्न है।

विवरण

	बड़ीस्कीमें		मध्यम स्कीमें
1	अपर तापी	1	गदादगद
2	अपर वार्धा	2	बोधेगांव
3	अपर पेनगंगा	3	करपरा
4	दुध गंगा	4	खण्डला
5	कुकड़ी	5	धमना
6	हिरण्यकेशी (बहु–प्रयोजनीय)	6	गिरोली
7	कसारी	7	डोंगरगांव
8	सहप्रकुंड	8	कल्याणगिर्जा
9	पेंय सिंचाई स्कीम	9	डरस्वारी
10	लेण्डी	10	भोजापुर
		11	चूल बंध
		12	एर्दीटेकमोर
		13	चारगांव
		14	तकली

राज्यों को साधनों का हस्तान्तरण

2771. श्री रा० बरुआ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत व्यापार मण्डल ने हाल ही में राज्यों को संसाधनों के हस्तान्तरण की समस्या पर पुनर्विचार के बारे में कुछ सुझाव दिये थे;

(ख) यदि हां, तो व्यापार मण्डल के सुझाव क्या हैं और इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या हैं; और

(ग) क्या पांचवां वित्त आयोग भी इस मामले की जांच कर रहा है और यदि हां, तो क्या आयोग ने इस बारे में सरकार को कोई अन्तरिम सिफारिशें की है ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों के अनुसार, आयोग और बातों के साथ-साथ केन्द्र और राज्यों के बीच बांटी जाने वाली करों और शुल्कों की वास्तविक रकमों के सम्बन्ध में सिफारिशें करेगा । आयोग को अपनी अन्तरिम रिपोर्ट 30 दिसम्बर, 1968 तक देनी है ।

आसाम में कच्चे तेल का सर्वेक्षण

2772. श्री रा० बरूआ : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में कच्चे तेल के सम्भावित भंडार के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या कच्चे तेल की उपलब्धता के बारे में आसाम सरकार द्वारा दिया गया अथवा प्राप्त किया गया प्राक्कलन उनके मन्त्रालय द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन से मेल नहीं खाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां, अब तक किये गये खोज कार्य के आधार पर यह आशा है कि 1970-71 तक आसाम में कच्चे तेल के सम्भावित भंडार प्रतिवर्ष लगभग 4.5 मिलियन मीटरिक टन होगा।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्था

2773. श्री रा० बरूआ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के सभापतित्व में नियुक्त कार्यकारी दल ने हाल ही में देश में एक राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्था स्थापित किये जाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी विशिष्ट सिफारिशें क्या हैं और क्या सरकार ने उनकी व्यवहार्यता पर विचार किया है ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) जी, हां।

(ख) कार्यकारी दल (वर्किंग ग्रुप) ने वाणिज्यिक बैंकों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए द्विस्तरीय गठन का सुझाव दिया है। पहले स्तर में एक केन्द्रीय अभिकरण अर्थात् राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान (नेशनल इंस्टिट्यूट आफ बैंक मैनेजमेंट) होगा, जो बैंक कारबार से सम्बन्धित राष्ट्रीय नीतियों को सार्थक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में परिणत करेगा और बैंक-क्षेत्र के सभी प्रशिक्षण और विकास कार्यों के सम्बन्ध में केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। यह संस्थान बैंक-प्रबन्ध की सामान्य समस्याओं के बारे में गवेषणा करेगा जिसमें यह बैंक सेवा का विकास करने के लिये नये अवसरों की गवेषणा पर खास जोर देगा। दूसरे स्तर में वाणिज्यिक बैंकों की अन्य सभी प्रशिक्षण संस्थाएं होंगी जिनमें उनके कनिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। कार्यकारी दल ने इन प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यों को सुदृढ़ बनाने और उनका विस्तार करने की सिफारिश की है, ताकि कनिष्ठ अधिकारियों की बहुत बड़ी संख्या की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रबन्ध-संस्थान अलग-अलग बैंकों को, इन संस्थाओं के उपयुक्त संगठन और प्रबन्ध के लिये सहायता प्रदान करेगा और उनका मार्गदर्शन करेगा।

सरकार सामान्यतः इन प्रस्तावों से सहमत है। राष्ट्रीय बैंक-प्रबन्ध संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा नियुक्त की जाने वाली समिति द्वारा जांच की जायगी। रिजर्व बैंक इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये आगे कार्यवाही करेगा।

आसाम के लिये केन्द्रीय सहायता

2774. श्री रा० बरुआ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में केन्द्रीय सहायता से अब तक कितनी परियोजनायें स्थापित की गई हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में केन्द्रीय सहायता से कुछ और परियोजनाओं के नियतन के लिये निवेदन किया था; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार की मांग क्या है तथा उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) चूंकि असम की सम्पूर्ण आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता दी जा रही है इसलिए आयोजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की जाने वाली हर प्रायोजना केन्द्रीय सहायता से स्थापित प्रायोजना समझी जा सकती है।

(ख) और (ग) नयी चौथी पंचवर्षीय आयोजना के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए आयोजना में और प्रायोजनाओं को शामिल करने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

डीजल तेल

2775. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात, गोहाटी और बरौनी में उत्पादित डीजल तेल का सीटेन नम्बर क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) गुजरात, गोहाटी और बरौनी शोधनशालाओं में उत्पादित हाई स्पीड डीजल तेल का सीटेन नम्बर क्रमशः 50, 45 और 45 है।

दिल्ली में एक गैर-सरकारी फर्म का विस्तार

2776. **श्री यशपाल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जुलाई, 1968 को "पैट्रियट" दैनिक समाचार पत्र में "न्यू देहली रिपोर्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि उनके मंत्रालय ने सम्बन्धित मंत्रालय से परामर्श किये बिना ही एक गैर-सरकारी फर्म को विस्तार करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह समाचार ठीक है; और

(ग) उस फर्म का नाम क्या है और उसे किन कारणों से ऐसा करने की अनुमति दी गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। औद्योगिक क्षमता का विस्तार करने या विदेशी सहयोग से पूंजी बढ़ाने के जो आवेदन कम्पनियों से प्राप्त होते हैं उन सब पर सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा या उनकी सलाह से विचार किया जाता है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Supply of Water from Gandak Project

*2777. **Shri K. M. Madhukar** : Will the **Minister of Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the supply of water would be started to farmers in the first priority zone of Gandak Project by the Scheduled date;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) the scheduled date for supplying water to the formers in the second priority zone;

(d) the estimated expenditure to be incurred on supply of water to the second priority zone and the manner in which the expenditure will be shared by the Central and the State Governments; and

(e) whether Government have fulfilled their obligation and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) : The answer is in the affirmative,

(b) : Does not arise;

(c) : It is proposed to start irrigation in the second priority zone of Tirhut Canal from 1968-70 Kharif i. e. from June, 1969.

(d) : A sum of Rs. 800 lakhs will have to be spent during the current financial year and a further sum of Rs. 250 lakhs from April, 1969 to June, 1969 on the Barrage and the Tirhut Canal System to complete the works to ensure supply of water to the second priority zone on Tirhut Canal.

The expenditure is the sole liability of the State Government but the Central Government will be advancing hundred per cent earmarked loan to meet the same.

(e) : Central Government have agreed to give hundred per cent loan assistance to meet the expenditure for works on the Gandak Project within the State Plan Ceiling. In addition Central Government have also agreed to provide funds as a grant towards the cost of Nepal Benefit Schemes. During the current year a sum of Rs. 1400 lakhs is proposed to be made available for this Project including Rs. 250 lakhs for Nepal Benefit Schemes.

Discussions Regarding Construction of Bunds and Projects in Bihar

*2778. **Shri K. M. Madhukar** : Will the **Minister of Irrigation and Power** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that he recently toured Bihar during which he held discussions with the concerned officials regarding the construction of Bunds on both the Banks of Sikavhana river and the implementation of Gandak Project;

(b) if so, whether Bagmati project was also discussed there; and

(c) if not, the steps being taken by the Central Government to check floods in the Bagmati area ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Prof. Siddeshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Proposals for construction of embankments upstream of Hayaghat on the left bank and Surmarhat on right bank up to Nepal border to provide protection to the areas which are inundated at present by floods in the Bagmati are under consideration.

Erosion Caused by Budhi Gandak to National Highway No. 28

*2779. **Shri K. M. Mudhukar**:Will the **Minister of Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that erosion caused by the Budhi Gandak river near Motipur in Distt. Muzaffarpur (Bihar) poses great danger to National Highway No. 28, Motipur Sugar Mill and to Muzaffarpur-Narkatiyaganj line of N. E. Railway;

(b) if so, the necessary steps taken to check the erosion of river Budhi Gandak near village Bariyarpur in Motipur; and

(c) if no steps have been taken or are proposed to be taken, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prashad) : (a) to (c) : The Burhi Gandak has been eroding its right bank near Motipur. The original flood protection embankment was eroded away and four retired lines have already been constructed at this site in the years 1962, 1963, 1965 and 1967.

In order to check the erosion near village Bariarpur in Motipur, construction work of a retired line and a few spurs are in progress and the following further steps have also been proposed to be taken :

(i) Strengthening, raising and widening the Zamindari embankments.

(ii) Construction of an altogether new embankment.

(iii) Strengthening the existing Sugar Factory Channel and construction of an embankment.

Death of a Woman Patient in Safdarjang Hospital, New Delhi

2780. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shrimati Malti Devi wife of Shri Kameshwar Prasad Shah had been admitted in the Safdarjang Hospital, New Delhi on the 2nd June, 1967 for the treatment of gastro-enteritis;

(b) whether it is also a fact that she was kept lying on a bed spread on the ground for about 15 hours before a bed was provided to her;

(c) whether it is also a fact that she died in Ward No. 2 on the 4th June, 1967, at 6.30 a.m.;

(d) the stage-wise details of the treatment given to her from the 2nd June to the 4th June.

(e) whether it is a fact that in the report sent by Safdarjang Hospital to New Delhi Municipal Committee, Cardio respiratory failure was stated to be the cause of her death while in the certificate issued under the signatures of Dr. Gurdev Singh of Safdarjang Hospital on the 30th April, 1968, 'peritonitis' was shown as the cause of her death; and

(f) the reasons for these contradictory reports and action proposed to be taken against the negligent staff and doctors concerned ?

Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) (a) Smt. Malti Devi, wife of Shri K. P. Shah was admitted in the Safdarjang Hospital on 2nd June, 1967, with provisional diagnosis of gastro-enteritis.

(b) She was kept on a mattress on the floor till next morning because of over-crowding in the ward as a result of heavy emergency admission at that time.

(c) She died in Ward No. 1 and not in Ward No. 2 on 4th June, 1967 at 6.30 a.m.

(d) A statement containing the required information is laid on the table of the Sabha. **[Placed in Library See No. L. T. 1623/68]**

(e) and (f) A death report for purposes of cremation was given immediately after the death of the patient. The house surgeon on duty presumably recorded in the death report the mode of death as 'Cardiao Respiratory Failure' (and not the name of terminal illness or cause of death). This practice of immediately issuing such death reports is in vogue to avoid delay in handing over the dead bodies to the relatives who require such certificate for the disposal of the dead bodies soon after death.

Later on, when the husband of the deceased requested for a death certificate on 10-4-1968 it was issued under the signature of Dr. Gurdev Singh indicating the name of the terminal illness-cause of death as 'Peritonitis due to perforation of Typhoid Ulcer', in accordance with the entry on the case sheet. However. a hospital order on 25-7-1968 has been issued that Medical Officers should record the cause of death as entered on the patient's case sheet while issuing the death report to patient's relatives and New Delhi Municipal Committee.

Scholarships for Scheduled Caste and Scheduled Tribe Students

2781. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government propose to sanction more funds for giving scholarships to the students of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in view of their ever-increasing number;

(b) whether Government have under consideration any scheme in regard to giving technical training to these students; and

(c) if so, the details thereof ?

Minister of State in the Department of Social Welfare : (**Dr. (Smt.) Phulrenu Guha**) : (a) Yes, Sir.

(b) Special incentives such as higher rates of stipends are already being afforded to students enrolled in Industrial Training Institutes, Polytechniques, Engineering Colleges and Medical Colleges. Several States are operating production-cum-training and crafts centres. New ideas in the field of technical training are now being discussed by fourth plan working groups.

(c) Detailed proposals will materialise when the fourth plan comes into operation. It is too early to give such details now.

केरल की पन-बिजली परियोजनाओं के कारण निष्कान्त व्यक्तियों को फिर से बसाना

2782. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अपने राज्य में पन-बिजली परियोजनाओं की क्रियान्विति के दौरान हटाये गये किसानों को फिर से बसाने की कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से किस रूप से सहायता मांगी है; और

(ग) इस प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : (क) से (ग) इदिक्की पन बिजली परियोजना के स्वीकृत अनुमानों में परियोजना के अधीन आई भूमि से विस्थापित व्यक्तियों तथा परिवारों के पुनर्वास के लिए 2.40 लाख रुपये का प्रबन्ध है। इस परियोजना के लिए निर्धारित केन्द्रीय ऋण सहायता दी जाती है। केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इस परियोजना के लिए 1968–69 में अपेक्षित धन के अनुमानों में परिवारों के पुनर्वास के लिए कोई विशेष सहायता नहीं मांगी गई है।

चिकित्सा स्नातक

2783. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री 29 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8836 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा स्नातकों के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब सभा पटल पर रखी जायेगी ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब०सू०मूर्ति): (क), (ख) और (ग) अभी तक जो सूचना उपलब्ध हुई है वह संलग्न विवरण में दे दी गई है, **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1624/68]** शेष सूचना एकत्र की जा रही है ।

गुजरात में मोरवी स्थित जीवन बीमा निगम के कार्यालय का बन्द होना

2784. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में मोरवी स्थित जीवन बीमा निगम के कार्यालय बन्द कर दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) इससे जीवन बीमा निगम के कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं और उसे निगम को प्रीमियम की राशि की कितनी हानि होगी; और

(ग) क्या इस कार्यालय को पुनः खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मोरवी उप-कार्यालय से प्राप्त होने वाले व्यापार की दृष्टि से वहां उप कार्यालय बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं था । अतएव, उसे "विकास केन्द्र" में परिवर्तित कर देने का निश्चय किया गया है ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन

2785. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या समाज कल्याण मन्त्री 8 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6729 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन राज्य-वार तैयार करने के सुझाव के बारे में इस बीच अपना निर्णय/प्रतिक्रिया बता दी है ताकि राज्य विधान मंडलों में उन प्रतिवेदनों पर लाभदायक चर्चा हो सके;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क), (ख) और (ग) : इस आशय की कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है, किन्तु आयुक्त की प्रतिक्रियाएं उनके आगामी प्रतिवेदन के विमोचित होने पर, प्रत्याशित हैं ।

पश्चिम बंगाल में चिकित्सा कालेज

2786. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार के नियंत्रणाधीन पांच चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्ष 1968-69 में प्रि-मैडिकल मैडिकल पाठ्यक्रमों में भर्ती के लिये कुल कितने स्थान उपलब्ध थे;

(ख) क्या यह सच है कि इन महाविद्यालयों में लगभग 655 स्थानों में केवल 18 और 8 के स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित किये गये;

(ग) यदि हां, तो इतने कम स्थान आरक्षित रखने के क्या कारण हैं; जबकि ऐसे महाविद्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये कम से कम क्रमशः 12½ प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का उपबन्ध है; और

(घ) इन महाविद्यालयों के अधिकारियों की इस नीति में तुरन्त ही यथोचित परिवर्तन कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री : (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) प्रि-मेडिकल 633

एम० बी० बी० एस० 705

(ख) प्रिमैडिकल पाठ्यक्रम की 633 सीटों में से 17 और 11 सीटें क्रमशः अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिये आरक्षित की गई हैं ।

(ग) अनुसूचित जाति और जन जाति के छात्रों के लिए सरकारी मेडिकल कालेजों में जहां पहले सदा 3 ही सीटें आरक्षित की जाती थीं, राज्य सरकार ने इस स्थिति का पुनरीक्षण किया और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन छात्रों में से बहुत से ऐसे भी हैं जो सामान्य प्रतियोगिता के माध्यम से खुली सीटों के प्रति भी प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं, इन सीटों की संख्या बढ़ा कर अब 28 कर दी है;

(घ) इस वर्ष उपर्युक्त व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना सम्भव नहीं समझा जाता, क्योंकि दाखले के लिए छात्रों के चयन का काम पहले ही चालू है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का कार्यालय

2787. **श्री दे० अमात :**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री गु० च० नायक :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का कार्यालय काफी बड़ा है; हालांकि उनका काम केवल आदिम जातियों के संवधानिक संरक्षणों का मूल्यांकन करना तथा उन पर प्रतिवेदन देना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी महानिदेशक का पद बनाए जाने के पश्चात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को सुपरवाइजरी काम से छुटकारा दे दिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि आयुक्त महोदय अपने वार्षिक प्रतिवेदन के लिये राज्य सरकारों से सामग्री तथा जानकारी प्राप्त करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो आयुक्त को इतना बड़ा संगठन रखना कहां तक युक्तिसंगत है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) आयुक्त के कार्यालय, जो मुख्यालय तक सीमित है, में पांच अनुसन्धान एकक और एक प्रशासनिक विभाग है ।

(ख) पुनर्गठन के पश्चात आयुक्त महोदय मुख्यतया वही कार्य, जो संविधान द्वारा उन्हें सौंपे गये हैं, देखते हैं ।

(ग) हां, किन्तु यह अन्य साधनों द्वारा भी सामग्री एकत्रित करते हैं स्वतंत्र अध्ययन करते हैं और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार सार्वजनिक शिकायतों की छानबीन करते हैं ।

(घ) आयुक्त की सिब्बन्दी का आकार उनके कर्तव्य की आवश्यकताओं के संमेय है ।

उत्तर प्रदेश में पूंजी विनियोजन के लिये संस्थागत् वित्त-व्यवस्था

*2788. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक विकास बैंक, राजकीय वित्त निगम, कृषि वित्त निगम, औद्योगिक वित्त निगम तथा जीवन बीमा निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में पूंजी विनियोजन के लिये मंजूर किया गया संस्थागत धन की मात्रा अपर्याप्त रही है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिक सहायता मांगी थी और उसे उसका हिस्सा नहीं दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इस धन को किस प्रकार बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) प्रश्न में उल्लिखित, जीवन बीमा निगम को छोड़, कोई भी संस्था राज्य सरकारों विनियोजन के लिये वित्तीय सहायता नहीं देती। जीवन बीमा निगम के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

स्वतंत्रता के बाद से अब तक विदेशी सहायता

2789. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक विभिन्न देशों द्वारा भारत को कितनी सहायता (रुपयों में) दी गई है; और

(ख) उस सहायता की कितनी राशि बकाया है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) दो विवरण संलग्न हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1625/68]

केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमा शुल्क कलक्ट्रेट, इलाहाबाद में निरीक्षक

2790. श्री रामजी राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1956 और 1961 में उनके मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमा शुल्क कलक्ट्रेट में निरीक्षकों के कितने छुट्टी रिजर्व पदों को स्थायी पदों के रूप में मंजूरी दी गई है;

(ख) इन मंजूरशुदा स्थायी पदों में से कितने पद अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित किये गये थे;

(ग) क्या यह सच है कि इन आरक्षित पदों पर गैर-अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को स्थायी किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को उनके लिये आरक्षित स्थायी पदों पर स्थायी न करने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख), (ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

इण्डिया गेट, नई दिल्ली में महात्मा गांधी की मूर्ति

2792. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डिया गेट, नई दिल्ली में महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस काम के लिये सरकार ने कोई समिति बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) समिति में निम्नांकित व्यक्ति हैं :—

(1)	इन्जीनियर-इन-चीफ़, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	... ...	अध्यक्ष
(2)	चीफ़ आर्कीटेक्ट, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	... ...	सदस्य
(3)	श्री ब्रजकृष्ण चांदीवाला	... .	सदस्य
(4)	श्री डी० के० गुप्ता, सचिव, राजघाट समाधि समिति	...	सदस्य
(5)	श्री एच० रहमान, सीनियर आर्कीटेक्ट, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग।	...	सचिव-सदस्य

समिति का कार्य होगा :—

(1) देश के कतिपय प्रख्यात-वास्तुविदों (एमीनेंट स्कल्पटर्स) से सम्पर्क स्थापित करना तथा प्रस्तावित मूर्ति के आकार प्रकार तथा लागत के विषय में अनुमान लगाना;

(2) इस देश के तथा विदेश के वास्तुविदों से इस कार्य के लिए प्रतियोगिता, डिजाइन आदि के आमंत्रण की शर्तें तैयार करना; तथा

(3) अन्य सम्बन्धित मामलों पर सरकार को परामर्श देना।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये दुकानें

2793. **श्री रामजी राम :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये सरकार ने दिल्ली में उन्हें अपनी कुछ दुकानें आवंटित करने के लिये आरक्षित की है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार को इस आरक्षण के लिये अनेक संसद सदस्यों से बार-बार अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस विषय पर कुछ संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) दुकानों का आवंटन टेन्डरों के आमंत्रण द्वारा किया जाता है न कि जाति विशेष के व्यक्तियों के आधार पर ।

"Nylon Recovered in Bombay"

2794. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that officers of Central Excise Department, Bombay, seized nylon worth rupees eight lakhs by conducting a raid in may, 1968; and

(b) if so, the number of persons arrested in this connection and action taken by Government against them ?

The Deputy Prime Minister & Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) & (b) On 23rd May, 1968 the officers of the Anti-Corruption Bureau of the Government of Maharashtra raided a godown in Bombay and seized 38 packages of nylon fabrics of foreign origin, the value of which has been appraised by Customs authorities to be about Rs. 5.25 lakhs. Further investigations in this case are being conducted by officers of the Bombay Central Excise Collectorate. So far one person has been arrested and subsequently released on bail. In addition, in seven more cases nylon worth Rs. 3.24 lakhs was seized in Bombay by the Customs and Central Excise officers and the Police authorities during the month of May, 1968. Seven persons were arrested and subsequently released on bail. One case is under departmentl adjudication and the other cases are under investigation.

सफदरजंग हवाई अड्डे को स्टेडियम का रूप देना

2795. श्री यशपाल सिंह : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग हवाई अड्डे के वर्तमान स्थान पर एक पूरा स्टेडियम बनाने के बारे में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास अधिकरण को कोई निदेश देने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास उप-मंत्री (श्री बी० एस० मूर्ति) : (क) सफदरजंग हवाई अड्डे को उसके वर्तमान स्थान से हटाने का प्रश्न विचाराधीन है । दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार इस क्षेत्र को, पार्कों, क्रीडांगनों तथा खाली-स्थलों जैसे मनोरंजन के प्रयोजनों के लिये काम में लाया जाना है ।

(ख) जी नहीं ।

निर्यात-आयात बैंक से सहायता

2796. श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात-आयात बैंक ने अमरीकी पूंजीगत उपकरण खरीदने तथा इससे सम्बन्धित सेवाओं के हेतु वित्त प्रदान करने के लिये भारत को 200 लाख डालर के ऋण की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या उपकरण खरीदे जायेंगे ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) यह ऋण 15 वर्षों की अवधि में चुकाना पड़ेगा जिसमें 3 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल हैं । ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज और ½ प्रतिशत वचन-बद्धता शुल्क देना पड़ेगा ।

(ग) इस ऋण से मिट्टी हटाने के उपकरण, निर्माण, खनन और भू-छेदन के उपकरणों आदि जैसे पूंजीगत उपकरण, प्रारम्भिक फालतू पुर्जे और सम्बद्ध सेवाएं तथा डीजल इन्जनों के निर्माण के लिए कुछ निजी सहायक हिस्से खरीदे जाने की सम्भावना है ।

उत्तर प्रदेश में जाली नोटों का परिचालन

2797. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिलों में 5 रुपये और 10 रुपये के काफी संख्या में जाली मुद्रा-नोट आ गये हैं;

(ख) क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) राज्य सरकार द्वारा दी गयी सूचना से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जाली करेंसी नोटों के निम्नलिखित मामले दर्ज किये हैं :—

मुरादाबाद	3
रामपुर	–
बदायूं	1
बरेली	2
शाहजहांपुर	1

इनमें से मुरादाबाद के दो मामले समाप्त कर दिये गये हैं क्योंकि अभियुक्त पकड़े नहीं जा सके । शाहजहांपुर वाले मामले में मुकदमा दायर कर दिया गया है और अन्य चार मामलों की जांच की जा रही है ।

बम्बई में चांदी का पकड़ा जाना

2798. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 जून, 1968 को बम्बई में केन्द्रीय राजस्व गुप्तचर विभाग के अधिकारियों ने चांदी की 194 सिलियां पकड़ी थीं;

(ख) यदि हां, तो पकड़ी गई चांदी का अनुमानित मूल्य कितना है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं; और

(घ) क्या ये तस्कर किसी अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह के सदस्य हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) बम्बई में केन्द्रीय राजस्व गुप्त सूचना विभाग के कर्मचारियों ने 9/10 जून, 1968 की रात को, (11 जून की रात को नहीं), चांदी की लगभग 5899 किलोग्राम वजन की 194 सिल्लियां पकड़ीं जिनका बाजार भाव पर मूल्य लगभग 34.8 लाख रुपया होता है ।

(ग) इस सम्बन्ध में 10 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ।

(घ) गिरफ्तार व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों के एक गिरोह से सम्बन्धित हैं ।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाने के लिये अमरीकी सहायता

2799. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने भारत सरकार को ट्राम्बे स्थित उर्वरक कारखाने के विस्तार के लिये 27 करोड़ रुपये का ऋण देना स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मशीनों के रूप में अथवा नकद राशि के रूप में, दिया जायगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत किसी भी स्थान से मशीन खरीदने के लिये स्वतंत्र होगा या कोई ऐसी शर्त है कि मशीनें अमरीका से ही खरीदनी होंगी;

(घ) यह कारखाना अनुमानतः कब तक पूरा होगा और इसके परिणामस्वरूप उसके उत्पादन में अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी;

(ङ) इससे देश की मांग किस हद तक पूरी होगी; और

(च) इस ऋण को किस प्रकार से चुकाया जायेगा ?

उपप्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने ट्राम्बे-स्थित उर्वरक कारखाने के विस्तार के लिए 369 लाख डालर (27.7 करोड़ रुपये के बराबर) की रकम का ऋण देने की मंजूरी दी है । ऋण-करार को अन्तिम रूप देने और उस पर हस्ताक्षर करने का काम अभी बाकी है ।

(ख) और (ग) यह ऋण, प्रायोजना के लिए आवश्यक अमरीकी वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले डालरों का खर्च पूरा करने के लिए ही मिलेगा ।

(घ) और (ङ) अनुमान है कि विस्तार-योजना :

(1) 1971–72 तक पूरी हो जायगी; और

(2) वहां 229,000 मैट्रिक टन नाइट्रोजन तथा 124,000 मैट्रिक टन पी$_2$ ओ$_5$ का उत्पादन होगा ।

(च) ऋण चालीस वर्ष की अवधि में चुकाया जायेगा, जिसमें 10 वर्ष की रियायती

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो म० प० तक के लिये स्थागित हुई ।

अवधि भी शामिल है । रियायती अवधि में 2 प्रतिशत और उसके बाद 2½ प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज लगेगा ।

पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश के लिए योजना विनियोग में असन्तुलन

2800. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहली तीन पंच-वर्षीय योजनाओं में केन्द्रीय औद्योगिक-परियोजनाओं पर 1,838 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से उत्तर प्रदेश का हिस्सा केवल 3.8 प्रतिशत था जबकि उसकी जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 17 प्रतिशत है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार वर्तमान असन्तुलन को किस तरह ठीक करने का है ?

उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) पहली तीन आयोजनाओं की अवधियों में विभिन्न केन्द्रीय औद्योगिक प्रायोजनाओं में लगभग 1884 करोड़ रुपया लगाया गया था । इस रकम में से, 72 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की प्रायोजनाओं में लगाया गया था, जो लगायी गयी कुल पूंजी का 3.8 प्रतिशत है ।

केन्द्रीय क्षेत्र में चालू किये जाने वाले उद्योगों के स्वरूप की दृष्टि से, ऐसे स्थान बहुत कम हैं, जो उनकी स्थापना के लिए चुने जा सकते हैं । इनमें से बहुत से उद्यमों के लिए उपयुक्त स्थान चुनमे में आर्थिक और तकनीकी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और व्यवहार में इनकी थोड़ी बहुत उपेक्षा की जा सकती है ; फिर भी, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया जाता है कि विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने की प्रायोजनाएं समान रूप से शुरू की जायं । यह बात उल्लेखनीय है कि दरमियाने पैमाने के उद्योगों और कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास, सम्बन्धित राज्य के लोगों के रहन-सहन के सामान्य स्तर पर स्थायी प्रभाव डालेगा, और इस तरह के विकास के प्रोत्साहन के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करना, जिसके लिए प्रायः केवल थोड़ी ही पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, प्रादेशिक विकास का प्रभाव-कारी साधन हो सकता है । उपयुक्त प्रमुख स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना औद्योगिक विकास निगमों द्वारा प्रोत्साहन के लिए सहायता दिया जाना और राज्य वित्तीय निगमों के द्वारा वित्तीय सहायता दिया जाना, इस दिशा में पहले से ही आरम्भ किये गये कुछ उपाय हैं ।

बिजली-तैयार करने सम्बन्धी योजनाएं

2801. श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री ओमप्रकाश त्यागी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 17 वर्षों में केन्द्र ने बिजली तैयार करने सम्बन्धी योजनाओं पर, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित किया गया, 373 करोड़ रुपये खर्च किये परन्तु उनमें से एक भी उत्तर प्रदेश के लिये नहीं थी, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने पिछले 17 वर्षों के दौरान दामोदर घाटी निगम, नेवेली लिग्नाइट निगम, तारापुर, राणा प्रताप सागर और कलपक्कम के अणु-शक्ति केन्द्र तथा बदरपुर के केन्द्रीय ताप बिजली घर की बिजली उत्पादन स्कीमों पर लगभग 215 करोड़ रुपये व्यय किए।

केन्द्रीय बिजली घरों का आयोजन सम्पूर्ण क्षेत्र की बिजली की आवश्यकताओं तथा प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। बदरपुर केन्द्रीय बिजली घर को सम्पूर्ण उत्तरी क्षेत्र को उपलब्ध उत्पादन क्षमता के प्रति बिजली की मांगों के संदर्भ में स्वीकार किया गया है।

ऋषिकेश में प्रतिजीवाणु (एन्टी बायोटिक) परियोजना

2803. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऋषिकेश में प्रतिजीवाणु परियोजना में वाणिज्यक प्रयोजनों के लिये प्रतिजीवाणु औषधियां अभी तक तैयार नहीं की जा सकी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में इतनी धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पोर्ट ब्लेयर में विमानों के तेल का जमा करना

2804. **श्री गणेश** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर, अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में भारतीय तेल निगम द्वारा विमानों का तैल जमा किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विमानों का तैल जमा करने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) इण्डियन एयर लाइन्स ने इण्डियन आयल कारपोरेशन से कहा है कि जब वह विसकाउण्ट विमानों को पोर्ट ब्लेयर तक। से चलाना शुरू करें तो निगम विमानन टरबाइन

तेल की सप्लाई की व्यवस्था करें। ज्योंही इण्डियन एयर लाइन्स निर्धारित तारीख की सूचना देगा तभी आवश्यक प्रबन्ध किये जायेंगे।

(ग) इस समय पोर्ट ब्लेयर में विमानन टरबाइन तेल की कोई नियमित खरीद नहीं है ताकि इण्डियन आयल कारपोरेशन इस तेल का स्टाक रखें।

अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में तेल के संसाधन

2805. श्री के० आर० गणेश : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में तेल के संसाधनों के पाये जाने की सम्भावनाओं के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया; और

(ख) क्या उक्त द्वीपसमूहों में गहरे समुद्र में छिद्रण करने की कोई योजना है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां, प्रारम्भिक अवस्था में है।

(ख) अभी नहीं।

सुन्दर नगर, नई दिल्ली में मोटर गैरेजों का दुरुपयोग

2806. श्री धुलेश्वर मीना : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री सुन्दर नगर नई दिल्ली के कुछ मोटर गैरेजों के वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये जाने के बारे में 16 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 946 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निगम द्वारा गैरेजों के मालिकों तथा उन पर अधिकार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चलाये गये अभियोगों का क्या परिणाम निकला;

(ख) क्या उन गैरेजों पर अधिकार करने वाले व्यक्तियों से उन्हें इस बीच खाली करा लिया गया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो गैरेजों को खाली कराने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) निगम ने पार्टी के विरुद्ध 21 अभियोग चलाए। अभी तक छः मामलों पर न्यायालय ने निर्णय दे दिया है तथा 150 रुपयों का जुर्माना किया है। अन्य 15 मामले विचाराधीन हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) पट्टेधारी को कहा गया है कि पट्टे की शर्तों की भग्नता को दूर करे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो परिसर में पुनः प्रवेश की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-भारित कर्मचारियों को छुट्टियां

2807. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-भारित कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये सभी सुविधायें मनीपुर के लोक निर्माण विभाग के कार्य भारित कर्मचारियों को मिलती हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो मनीपुर के लोक निर्माण के कार्यभारित कर्मचारियों को उपर्युक्त छुट्टियां न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1626/68]

(ख) जी नहीं।

(ग) मणीपुर लोक निर्माण विभाग के कार्यप्रभारी कर्मचारियों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यप्रभारी कर्मचारियों की अवकाश-सुविधायें देने का प्रश्न मणीपुर सरकार के परामर्श से इस मंत्रालय के विचाराधीन है।

माही नदी पर कडाना बांध

2808. **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार तथा गुजरात सरकार के बीच एक करार के फलस्वरूप माही नदी पर कडाना बांध बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे डूंगरपुर ज़िले में बोहरों के प्रसिद्ध तीर्थ-स्थल तथा राजस्थान की गढ़ी तथा बागीदारा तहसीलों के लोगों को भी वहां से हटाना पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मुआवजा देने अथवा उन्हें कहीं अन्यत्र बसाने के लिये दोनों राज्य सरकारों द्वारा की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस बांध के निर्माण से गलियाकोट के पुण्य स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु बंसवाड़ा ज़िले की गढ़ी और बागीडोरा तहसीलों के कुछ क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा। लगभग तीन गांव पूर्णतः और छः गांव अंशतः जल-मग्न हो जाएंगे।

(ग) दोनों राज्यों में जल-मग्न होने वाली भूमि तथा मकानों के मुआवजे देने के लिए कडाना परियोजना के अनुमान में 1.51 करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया है। इसमें प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 18 लाख रुपये भी शामिल हैं।

माही नदी पर कडाना बांध

2809 : श्री हीरजी भाई : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान तथा गुजरात के बीच हुए करार के अनुसार माही नदी पर बनाये जा रहे कडाना बांध से केवल राजस्थान क्षेत्र के ही लोग प्रभावित होंगे, जब कि इसका लाभ केवल गुजरात राज्य को प्राप्त होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र के जिन लोगों पर इस बांध का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा वे इस बारे में बहुत क्षुब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। कडाना जलाशय का कुल पानी लगभग 16424 हेक्टेयर (41059 एकड़) भूमि में फैलेगा जिसमें से 46% भूमि गुजरात की ओर 54% भूमि राजस्थान की होगी।

दोनों राज्यों में हुए समझौते के अनुसार गुजरात राज्य में कडाना बांध और राजस्थान राज्य में बंसवाड़ा बांध का निर्माण परिकल्पित है। कडाना बान्ध परियोजना से केवल गुजरात को ही लाभ पहुंचेगा किन्तु राजस्थान में बंसवाड़ा बांध से जिसकी कुछ लागत गुजरात भी वहन करेगा, राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों को लाभ होगा।

(ख) और ग): कडाना जलाशय से दोनों राज्यों में 1553 की आबादी के लगभग 166 गांव प्रभावित होंगे। दोनों राज्यों में जलमग्न होने वाले भूमि तथा मकानों के मुआवजे देने के लिए कडाना परियोजना के अनुमान में 1.51 करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया है। इसमें प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये 18 लाख रुपये भी शामिल हैं।

पूर्ति विभाग द्वारा विदेशों से सामान की खरीद

2810. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 में पूर्ति विभाग ने किन-किन देशों से सामान खरीदा, और

(ख) कौन–कौन सा सामान खरीदा गया और उसका मूल्य कितना था ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) लोक–सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है जिसमें यह बताया गया है कि 1967–68 में

पूर्ति विभाग द्वारा किस किस देश से सामान खरीदा गया। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1627-68]

(ख) प्रत्येक मद के अनुसार सूची तैयार करने में अत्यधिक समय तथा श्रम लेंगे या जोकि प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुरूप नहीं होगा। फिर भी अभी तक इक्ट्ठे किये गये आंकड़ों के आधार पर विभिन्न देशों से 1967-68 में की गई खरीदों का कुल मूल्य प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में पटल पर रखे गये विवरण में बता दिया गया है।

सेवा निवृत्ति वेतन के मामले

2811. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) 31मई, 1968 को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के कितने मामले सेवा निवृत्त वेतन/उपदान की अन्तिम स्वीकृति के लिए निलम्बित थे; और

(ख) ये मामले लगभग कितने समय से निलम्बित हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

स्वर्ण नियन्त्रण नियमों का उल्लंघन

2812. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में स्वर्ण नियन्त्रण नियमों के उल्लंघन किये जाने के कितने मामलों का पता चला ; और

(ख) किस प्रकार के उल्लंघन हुए तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

केरल से जवान लड़कियों का पश्चिम जर्मनी को भेजा जाना

2813. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री 1 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5831 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल से पश्चिम जर्मनी को भेजी गई जवान लड़कियों के बारे में जानकारी इस बीच एकत्रित की गई है;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री : (श्री ब. सू. मूर्ति) : (क) (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा चुकी है किन्तु दो भिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना में कुछ अन्तर है। इस अन्तर के सम्बन्ध में सूचना भेजने वालों को लिखना पड़ेगा तथा इसमें कुछ समय लग जाने की संभावना है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क कार्यालय दिल्ली से फाइलों की चोरी

2814. श्री लताफत अली खां : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1968 में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क कार्यालय (दिल्ली) से एक सन्दूक चुरा लिया गया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फाईलें थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री : (श्री मोरारजी देसाई) : (क) यह सही है कि 20 फरवरी 1968 को रात को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, दिल्ली के कार्यालय से एक सन्दूक चोरी गया था जिसमें कुछ फाइलें थी।

(ख) चोरी होने का पता 21 तारीख को सुबह को लगा और समाहर्ता ने इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को तुरन्त कर दी थी। दिल्ली के केन्द्रीय मण्डल के पुलिस अधीक्षक से वैयक्तिक रूप से भी कहा गया था और खोये हुए ट्रंक का पता लगाने के लिये पुलिस की सभी सुविधाएं दी गई थीं। तथापि, उस ट्रंक का पता लगाने में न तो अब तक पुलिस की जांच पड़ताल और न साथ साथ चालू की गई विभागीय पूछताछ सफल हुई है। समाहर्ता ने पुलिस से निवेदन किया है कि मामले में नये सिरे से कोशिश करें जिसमें आवश्यक हो तो गुप्तचर विभाग की भी सहायता ले लें।

(ग) समाहर्ता के कार्यालय में सुरक्षा का प्रबन्ध सुदृढ़ कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में समाहर्ता द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 1628–68]**

मनीपुर के छात्रों के लिए छात्रवृतियां

2814 क. श्री मेध चन्द्र : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 के लिए मनीपुर के कितने छात्रों को निम्न आय वर्ग छात्रवृत्तियां दी गई थीं ;

(ख) उसके लिए कितना धन खर्च किया गया ;

(ग) कितनी आय वाले अभिभावकों के बच्चों को ये छात्रवृत्तियां दी गई थी ; और

(घ) मनीपुर सरकार ने कितनी आय-सीमा के लिये जोर दिया था ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) 5355

(ख) 21, 13, 871, रुपये

(ग) और (घ) : 2000 रूपये प्रति वर्ष से कम ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

हिमालयवर्ती सीमा प्रदेशों से संयुक्त राज्य अमरीका के लिए प्रतिरक्षा सम्बन्धी जानकारी एकत्र करने के बारे में अमरीकी कांग्रेस के अभिसाक्ष्य में किया गया रहस्योद्घाटन

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : श्रीमान मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वैदेशिक-कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे प्रर्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"वाशिंग्टन में 18 जुलाई, 1968 को प्रकाशित अमरीकी कांग्रेस के अभिसाक्ष्य में किया गया यह रहस्योदघाटन कि भारत के हिमालयवर्ती सीमा प्रदेशों से कैलेफोरनिया विश्वविद्यालय समाज विज्ञान अनुसन्धान परियोजना' का वित्त-पोषण अमरीकी सरकार का प्रतिरक्षा विभाग संयुक्त राज्य अमरीका के लिए प्रतिरक्षा सम्बन्धी जानकारी एकत्र करने के लिए करता है ।"

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : वाशिंग्टन में हमारे दूतावास से उपलब्ध सूचना के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका की सीनेट की विदेश सम्बन्धी समिति जिसके सभापति सीनेटर फुलब्राईट थे के समक्ष वाइस एडमिरल रिकोवर द्वारा दिये गये अभिसाक्ष्य सीनेटर फुलब्राइट के हस्तक्षेप के दौरान प्रगट किये गये तथ्यों तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बेरेमन द्वारा समिति के सभापति को लिखे गये पत्र से मालूम होता है कि हिमालय क्षेत्र में मुख्यत: रूचि लेने की दृष्टि से अनुसन्धान कार्यों को समन्वित करने तथा उनका समर्थन करने के लिए सितम्बर, 1960 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में एक पर्वत योजना स्थापित की गई थी । इस परियोजना के पहले छः वर्षों में बहुत से विद्वानों ने हिमालय क्षेत्र के विभिन्न भागों में काम किया ।

विद्वानों द्वारा क्षेत्र कार्य तथा दूसरे अनुसन्धान कार्यों को जारी रखने के लिये परियोजना के अन्तर्गत इंस्टीट्यूट आफ इन्टरनेशनल स्टडीज, दि अमेरिकन इन्स्टीट्यूट आफ इण्डियन स्टडीज, दि सोशल साइंसिस रिसर्च कौंसिल और दि नेशनल साइंस फाउंडेशन सहित विभिन्न स्रोतों से अनुदान मिलते हैं। तथापि दि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने हिमालयवर्ती सीमा प्रदेश परियोजना के बारे में 1967 से शुरू होने तथा 1970 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये 60 प्रतिशत धन दिया। अब यह कहा जा रहा है कि उक्त विशेष एजेंसी संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के रक्षा विभाग का एक अंग है।

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के हिमालय के सीमावर्ती देश परियोजना के अन्तर्गत अनुसन्धान के लिए दो विषय भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं। प्रथम कार्यक्रम के अन्तर्गत एरिजोना विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर जे० डान्डस को मसूरी तथा उसके आसपास रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों की भाषा तथा संस्कृति के सम्बन्ध में अध्ययन करना है। दूसरे कार्यक्रम का, जो हिमालय में स्थित एक प्रशासन तथा धर्म सम्बन्धी केन्द्र के अध्ययन के सम्बन्ध में है, संचालन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान के प्रोफेसर जिराल्ड बेरेमन को करना है।

सरकार विदेशी विद्वानों द्वारा किये जाने वाले सच्चे तथा उचित अनुसन्धान कार्य को किसी तरह भी हतोत्साह नहीं करना चाहती बल्कि सरकार ऐसे अनुसन्धान कार्यों को प्रोत्साहन ही देती रही है। तथापि हम सीनेट की विदेश सम्बन्धी समिति में किये गये रहस्योद्घाटन के बारे में चिन्तित हैं। इन तथ्यों के आधार पर सरकार कैलिफोर्निया के हिमालयवर्ती सीमा प्रदेश परियोजना के अधीन अनुसन्धान के कार्यों को जारी रखने की अनुमति देने के औचित्य पर पुनः विचार कर रही है।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या सरकार के पास कोई अपनी ऐसी स्वतन्त्र व्यवस्था है जिसके द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य देशों से ऐसे निर्दोष दिखाई देने वाले प्रस्तावों तथा अनुसन्धान परियोजनाओं के बारे में छानबीन कराई जा सके।

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि हम ऐसे मामलों की बड़ी सावधानी से समीक्षा करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुरा) : इस बारे में समाचार प्रकाशित होने के बाद श्री काबजनबाब के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमरीका से एक शिष्ट मण्डल भारत आया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री भगत ने उनके साथ अपनी बातचीत के दौरान यह मामला उठाया था और यदि नहीं, तो क्यों नहीं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अमरीकी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रायोजित ऐसी परियोजनाओं पर उनके बारे में जानकारी प्राप्त होने तक प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर विचार करेगी और क्या इस परियोजना के सम्बन्ध में भारत में आये दो व्यक्तियों को भारत से चले जाने के लिये कहेगी।

श्री ब० रा० भगत : मेरी बातचीत के दौरान यह प्रश्न नहीं उठाया गया था। हम इन मामलों के बारे में जांच कर रहे हैं और अवश्य ही हम उन्हें उठायेंगे। हम इस परियोजना के

बारे में जांच करायेंगे और यदि हमें पता लगे कि यह परियोजना उचित नहीं है, तो हम अवश्य ही उन्हें इसे समाप्त करने के लिए कहेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह उत्तर ठीक नहीं है । स्पष्ट बात है कि वे लोग जब भारत आयेंगे तो उनका यहां आने का उद्देश्य कुछ और ही होगा और जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया है, उनके पास इसका पता लगाने का कोई स्वतन्त्र साधन नहीं है ।

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य जान बूझकर गलत निष्कर्ष निकाल रहे हैं : मैंने कभी ऐसा नहीं कहा है कि हमारे पास ऐसा कोई स्वतन्त्र साधन नहीं है ।

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : स्वयं डा० बेरमैन ने इस परियोजना में भाग लेने से इन्कार कर दिया है । अब वह यहां इस परियोजना के सम्बन्ध में नहीं बल्कि शिमला में किसी गोष्ठी में भाग लेने के लिए आये हुए हैं ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : मैं जानना चाहता हूं कि प्रति-गुप्त सूचना विभाग स्थापित करने अथवा उसे सक्रिय बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

क्या सरकार देश में स्थापित इस हिमालय केन्द्र की सभी कड़ियों की ध्यान पूर्वक जांच करेगी और उन कड़ियों को समाप्त करेगी तथा ऐसी गतिविधियों में रत व्यक्तियों को अवांछनीय व्यक्ति घोषित करेगी तथा उन लोगों को देश से निकालकर इस केन्द्र को बन्द करेगी । इसके अतिरिक्त देश में जासूसी के कार्यों को समाप्त करने के लिए सरकार क्या उपाय करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हमें प्रति-गुप्त सूचना व्यवस्था अवश्य स्थापित करनी चाहिये तथा जो भी आवश्यक हो सके किया जाना चाहिये, निश्चय ही, इसे रोकना सरकार का प्रमुख कर्तव्य हैं ।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि भारत में पर्यटकों, पर्यवेक्षकों, तथा कलाकारों के रूप में विदेशी ऐजेन्ट कार्य कर रहें हैं, और यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक हिमालयवर्ती क्षेत्र का सम्बन्ध है हम वहां आन्तरिक क्षेत्र में किसी विदेशी को जाने की अनुमति नहीं देते । केवल कुछ मामलों में अध्ययन के लिए हम बहुत कम लोगों को जाने की अनुमति देते हैं । हम इस बारे में जांच करेंगे । हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि वहां गुप्त सूचना प्राप्त करने की कोई गतिविधि न हो ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन तथा जारी रखना) अधिनियम 1968

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री डा० एरिंग) : मैं श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी की ओर से :—

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन तथा जारी रखना) अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 19) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 28 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी 1588–68]**

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 आदि के अंतर्गत अधिसूचनायें

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :-

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रतिः--

(एक) जी० एस० आर० 1315 जो दिनांक 13 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 25 मई, 1968 की जी० एस० आर० 987 का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(दो) जी एस० आर० 1383 जो दिनांक 17 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1589/68]**

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रतिः--

(एक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 14 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 937 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (बारहवां संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 13 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1300 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1590/68]**

(3) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (तीसरा संशोधन) नियम 1968 की एक प्रति जो दिनांक 27 जून, 1968 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 4 (28)/68-फिन (ई) (आई) में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1590/68]**

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का 1966/67 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

पैट्रोलियम, रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री को त्ता रघुरामैया) : मैं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के 1966–67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा-पटल पर रखता हूँ । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1591/68]**

अत्यावश्क वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय मे उपमन्त्री (श्री डा० एरिंग) : मैं श्री अन्नासाहब सिन्धे की ओर से निम्नलिखित पत्र-सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :–

(एक) जी० एस० आर० 1384 जो दिनांक 18 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 10 जून, 1966 मी जी० एस० आर० 914 में एक संशोध नकिया गया ।

(दो) भारतीय मक्का (गुजरात में माण्ड के निर्माण में अस्थायी प्रयोग) संशोधन आदेश, 1968 जो दिनांक 26 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1422 में प्रकाशित हुआ था ।

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12 क के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1396 की एक प्रति जो दिनांक 27 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर 1842 में एक संशोधन किया गया । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1592/68]**

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA-SABHA

सचिव : श्रीमान मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) कि 31 जुलाई, 1968 को हुई अपनी बठक में राज्य सभा सीमा सुरक्षा बल विधेयक, 1968 से, जो लोक-सभा द्वारा 24 जुलाई, 1968 को पास किया गया, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई ।

(दो) कि 1 अगस्त, 1968 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, संघ राज्य क्षेत्र (कार्यपालिक और न्यायिक कृत्यों का पृथक्करण) विधेयक,

1968 सम्बन्धी संयुक्त समिति में सम्मिलित होने की, लोक-सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य नामनिदिष्ट किये :—

(1) श्री पी० अब्राहम
(2) श्री एम० वेरो
(3) श्री एम० कृष्ण मोहन सिंह
(4) श्रीमती सत्यवती डांग
(5) कुमारी शांता वशिष्ठ
(6) श्री आई० के० गुजराल
(7) श्री सैयद अहमद
(8) श्री गोलाप बारबोरा
(9) डा० भाई महावीर
(10) श्री एम० रत्तनस्वामी
(11) श्री ए० पी० चटर्जी

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

इक्कीसवां प्रतिवेदन

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से, जो 2 अगस्त, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से, जो 2 अगस्त, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक-जारी
BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL-Contd.

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Sir, I would like to seek a clarification. The two paragraphs of Minute of Dissent should have been printed and they should also appear in the Gazette.

अध्यक्ष महोदय : वे गजट में छाप दिये गये हैं ।

Shri George Fernandes : Sir. I want to raise a point of order under rule 65. The purpose of the bill should be given in the Statement of Objects and Reasons. Clause 36A and D are important parts of the Bill. They impose a restriction on demonstrations etc. and provides for punishment to those who hold demonstrations. Such an important clause should have been referred to in the Statement of Objects and Reasons. I may point out that on a previous occasion when a mistake was pointed out in the Objects and Reasons Shri Jawaharlal Nehru agreed to make necessary modificationts.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : श्री जार्ज फर्नेन्डीज ने नियम 65 का उल्लेख किया है । इसमें रखा गया है :

"मंत्री के अतिरिक्त, कोई सदस्य....."

यह विधेयक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है न कि किसी अन्य सदस्य द्वारा ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के औचित्य प्रश्नों से केवल सभा का समय नष्ट होता है जब कि सरकार इस विधेयक को पारित करने के लिये काविल है; हमें इस प्रकार सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं जानता हूं सभा का समय बहुमूल्य है तथापि ऐसा उपबन्ध दन्ड प्रक्रिया संहिता अथवा भारतीय दंड संहिता अथवा औद्योगिक बिवाद अधिनियम में संशोधन द्वारा किया जाना चाहिये । कर्मचारियों की गतिविधियां तथा उनके मूल अधिकारों को समाप्त करने के लिये ऐसा बैंक अधिकारियों के साथ मिल कर जानबूझ कर किया जा रहा है, उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये ।

Shri Mohammed Ismail (Manjeri) : Sir, on a personal explanation.....

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य व्यक्तिगत स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो उन्हें मुझे लिखना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Minutes of dissent are appended after the report has been prepared. I would like to draw the attention of the Finance Minister to an important paragraph in our Minute of dissent. The paragraph relates to convention that the legislation involving labour relations and trade union rights should first be discussed by the Tripartite Labour Conference.

अध्यक्ष महोदय : यह मामला प्रवर समिति में उठाया गया था ।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 131 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मैं संशोधन संख्या 132 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री पी० विश्वम्भरन (त्रिवेन्द्रम) : मैं संशोधन संख्या 133 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री इरास्मो डी सेक्वेरा (मारमागोआ) : मैं संशोधन संख्या 134 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : इस विधेयक के चार मुख्य पहलू हैं। पहला, वाणिज्यिक बैंकों की बैंकिंग तथा ऋण सम्बन्धी नीतियों को नया रूप देना, दूसरा बैंकों के वैदेशिक बोर्ड के गठन के बारे में बैंकों के प्रबन्ध का पुनर्गठन करना; तीसरा, पूरे समय के लिए एक्जीक्यूटिव चैयरमैन की नियुक्ति तथा चौथे, कुछ श्रमिकों की संस्थाओं को ऋण देने तथा पेशगी देने पर प्रतिबन्ध लगाना और कुछ परिस्थितियों में कार्यपालिका के आदेश द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण।

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair* }

बैंकिंग तथा ऋण नीतियों के सम्बन्ध में उप प्रधान मंत्री ने गत वर्ष सभा में कहा था कि इस बारे में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कृषि, लघु उद्योग और निर्यात जैसे प्राथमिकता वाले बहुत से क्षेत्रों को बैंक ऋण का उचित भाग प्राप्त नहीं हो रहा है तथा बैंक पेशगी का अधिकांश भाग उद्योगों को दिया जाता है। परन्तु इसके लिए बैंकिंग प्रणाली उत्तरदायी नहीं है, अपितु 1948 के बाद के वर्षों में सरकार ने जिन नीतियों का अनुसरण किया है, वे ही इसके लिये उत्तरदायी हैं। भारत के रिर्जव बैंक के गर्वनर ने इस विधेयक पर प्रवर समिति में जो साक्ष्य दिया था, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है।

देश की ऋण सम्बन्धी नीति तथा बैंकिंग नीति रिर्जव बैंक द्वारा खातेदारों तथा जनता के हित में वाणिज्यिक बैंकों की नीति के बारे में अपनी अत्याधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित की जाती है, अतः बैंकिंग प्रणाली इसके लिये जिम्मेवार नहीं है, अपितु देश की स्थिति ही ऐसी है कि सरकार तथा रिर्जव बैंक के संकेत पर बैंकिंग प्रणाली का संचालन होता है।

1950 में ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने सिफारिश की थी कि कृषि ऋण के लिये समुचित क्षेत्र वाणिज्यिक बैंकों में नहीं बल्कि सहकारी बैंक प्रणाली में है। 1954 में रिर्जव बैंक द्वारा कराये गये ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण से भी यही निष्कर्ष निकाला गया था। 1960 में एक सहकारिता समिति के प्रतिवेदन में भी इसी आशय की सिफारिश की गई है। इन सिफारिशों के अनुसरण में वाणिज्यिक बैंकों को इससे बाहर रखा गया था। तब तक यह दृढ़ नीति थी कि कृषि योजनाओं को केवल सहकारी क्षेत्र के लिये ही रखा जाये। अब यह अनुभव किया जा रहा है कि वह नीति गलत थी। अब रिर्जव बैंक के गर्वनर कहते हैं कि कृषि एक नये प्रक्रम पर पहुँच रही है।

हमारे देश में जो तकनीकी परिवर्तन हुए हैं। उनके परिणामस्वरुप वित्तीय आवश्यकताओं के स्वरुप तथा आकार में भी परिवर्तन आ गया है। अब यह अनुभव किया जा रहा है कि व्यापारिक बैंकों को कृषि क्षेत्र का बैंकिंग व्यवसाय भी अपने हाथ में लेना चाहिये। परन्तु मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वाणिज्यिक बैंक कृषि क्षेत्र में बैंकिंग व्यवसाय आरम्भ न करने के दोषी है, क्योंकि पहले इस क्षेत्र को व्यापारिक बैंकों के व्यवसाय क्षेत्र से बाहर रखा गया था।

बैंकों के प्रबन्धक ढांचे के बारे में मैं अधिक कुछ न कहता हुआ यह कहना चाहता हूँ कि यह वांछनीय है कि बैंकों में निदेशक स्तर पर नीति निर्धारण के मामले में बैंकों में औद्योगिक और वाणिज्यिक विशेषज्ञों के अतिरिक्त अन्य विषयों के विशेषज्ञ भी होने चाहिये। यह उपबन्ध स्वीकार्य है। परन्तु इस विधेयक में निदेशक बोर्ड के अनुपात में जो परिवर्तन किया गया है, वह बिल्कुल अनावश्यक है। पहले केवल औद्योगिक तथा वाणिज्यिक विशेषज्ञों को ही निदेशक बोर्ड में लिया जाता था तथा अन्य विशेषज्ञों को नहीं लिये जाते थे परन्तु अब एक दम उनका अनुपात 51 प्रतिशत कर दिया गया हैं। अनुपात की यह वृद्धि बिल्कुल अचानक और अनावश्यक है।

जैसा कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन के पैरा 22 में उल्लिखित है, उप प्रधान मंत्री ने प्रवर समिति के सामने यह आश्वासन दिया था कि यदि रिर्जव बैंक किसी बैंकिंग कम्पनी के निदेशक बोर्ड के किसी निर्वाचित चैयरमैंन को अयोग्य होने के कारण उसके पद से हटाना चाहता है तो उसको केवल इस कारण से तंग नहीं किया जायेगा कि वह रिवर्ज बैंक की आर्थिक और बैंकिंग नीतियों अथवा केन्द्रीय सरकार की वित्तीय और आर्थिक नीतियों की आलोचना करता रहा है। जब उप प्रधान मत्री ने यह आश्वासन दिया था, तो मैं इस सम्बन्ध में संतुष्ट हो गया था, परन्तु यह बहुत खेद की बात है कि उस आश्वासन का इस विधेयक में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैंने इस सम्बन्ध में एक संशोधन रखा है कि उस आश्वासन को इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिये।

अब मैं धारा 36 क घ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं, जिस पर बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा घोर आपत्ति उठाई गई है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned till fourteen of the Clock

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक-सभा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at fourteen of the Clock

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*. }

मैं इस विधेयक के दूसरे भाग के बारे में बोल रहा था। विधेयक का पहला भाग निदेश-बोर्डों के पुनर्गठन, पूरे समय कार्य करने वाले अध्यक्षों की नियुक्ति तथा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आदि से सम्बन्धित हैं, जिनके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं। अब मैं उन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ जिन्हें बैंकों के कार्य संचालन में हानिकारक समझा जाता है। इस सम्बन्ध में मैं बैंकिंग विनियमन अधिनियम में शामिल की गई प्रस्तावित नई धारा 36 क घ का उल्लेख करता हूं। इस धारा के अनुसार बैंक कर्मचारियों पर कुछ पाबन्दियां लगाई गई हैं। हमें इस बात को देखना है कि यह पाबन्दियाँ उचित हैं अथवा अनुचित। मैं समझता हूँ इस विधेयक का सम्बन्ध खास तौर पर सम्पूर्ण बैंकिंग के विनियमन से है,

ताकि देश अपने आर्थिक विकास के उद्देश्यों को पूरा कर सके। इन परिस्थितियों में हमें इस बात पर विचार करना है कि कर्मचारियों की कुछ विशेष गतिविधियों को, जिन पर पाबन्दी लगाने की मांग की गई है, बैंकिंग के मामले में जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिये अथवा उन्हें मूल-भूत अधिकारों के विरुद्ध समझा जाना चाहिये।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कर्मचारियों की कुछ वैध गतिविधियां हो सकती है, परन्तु विधेयक में जिन गतिविधियों का उल्लेख किया गया है वो न तो मजदूर संघ की उचित गतिविधियां है और न उनका सम्बन्ध मूलभूत अधिकारों से है। इस सम्बन्ध में मैं बम्बई उच्च न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख करना चाहता हूँ। सिन्डीकेट बैंक लिमिटेड की, इसी तरह की गतिविधियों के एक मामले में बम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, जिसमें कहा गया है कि इस प्रकार की रोक से मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के आर्थिक विकास के लिये बैंकों का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापारिक बैंकों जैसी ऋण देने वाली संस्थाओं का सम्बन्ध चैकों का भुगतान करने, बिलों का भूगतान करने, खरीदने, तथा बिलों का बट्टा चुकाने, पैसा लेने देने और लोगों को अपना धन वापस लेने की अनुमति देने से है। बैंकों का दैनिक कार्य हमारे अर्थतंत्र का आधार हैं। अतः इस प्रश्न के औचित्य को देखते हुए मैं सभा से निवेदन करना चाहता हूँ कि बैंक कर्मचारियों की गतिविधियों का विनियमन किया जाना आवश्यक है।

यह स्पष्ट है कि यदि हम बैंकों के प्रबन्ध, निदेशक बोर्डों तथा नीतियों आदि के बारे में कोई विशेष कानून बनाना चाहते हैं, तो कर्मचारियों की गतिविधियों को भी अवश्य विनियमित किया जाना चाहिये। इस खण्ड में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि यह कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह इस तरह के कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू किया जा सकता है। मान लो यदि जमाकर्ता दंगा फिसाद मचाते हैं और लोगों को बैंकों में आने जाने से रोकते हैं, तो उस पर भी यह खण्ड लागू किया जा सकेगा। चूंकि यह विधि वाणिज्यिक बैंकों के दैनिक काम में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होगी इसलिये इस सम्बन्ध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम को, जिसका सम्बन्ध बैंक सम्बन्धी सभी कार्यों को नियंत्रित करने तथा तत्सम्बन्धी निर्देश देने से है, लागू करना ही उपयुक्त होगा।

इस विधेयक का तीसरा मुख्य उपबन्ध ऋणों तथा अगाऊ धन राशि से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकती कि उन निदेशकों को जिनका बैंक की नीति निर्धारण में सक्रिय हाथ होता है, ऋण दिये जाने पर रोक लगाई जानी चाहिये अथवा उन्हें ऋण नहीं दिया जाना चाहिये। परन्तु इस विधेयक में आवश्यकता से अधिक रोक लगाई गई हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह का उपबन्ध करना आपत्तिजनक है कि किसी संगठन को केवल इसलिये ही ऋण न दिया जाये कि बैंक का निदेश उस संगठन का भी निदेशक है। इस तरह का उपबन्ध करना जरूरत से ज्यादा सख्ती करना होगा।

विधेयक का अगला आपत्तिजनक भाग वह है जिसमें समय सीमा रखी गई है। प्रस्ताव यह किया गया है कि जब किन्हीं स्थायी उपबन्धों के अधीन किस संगठन को ऋण या अगाऊ धन राशि देने पर रोक लगा दी जाती है तो उस स्थिति में वर्तमान ऋण अथवा निधि अगाऊ धन राशि को एक निर्धारित कालावि धि के अन्दर समाप्त किया जाना चाहिये। समय सीमा निर्धा-

रित करने का औचित्य हमारी समझ में नहीं आता है। यह कोई छोटी धनराशि का मामला नहीं है। लाखों रुपये की पेशगी और ऋण सम्बन्धी सुविधायें दी जाती हैं। ऋणों और पेशगियों की राशि को बारह महीने की अवधि में समाप्त करने और हिसाब चुकता करने की व्यवस्था करने से या तो उस उद्योग में गड़बड़ी पैदा हो जायेगी या हमारे बैंकों का ऋण एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के पास चलता चला जायेगा, जब तक कि सम्पूर्ण मामला विधि संगत नहीं हो जाता। अतः यह पाबन्दी निरर्थक हैं। मेरा सुझाव है कि इन ऋणों को चुकता करने की अवधि और अधिक होनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि अधिक उचित तो यह होगा कि ऐसी फर्म को भविष्य में इस तरह का ऋण तथा अग्रिम धन नहीं दिया जाना चाहिये और उक्त फर्मों को किन्ही और बैंकों से ऋण लेना चाहिये।

अन्त में मैं इस विधेयक के उस उपबन्ध का उल्लेख करना चाहता हूँ जो मेरी राय में सबसे खतरनाक है। वह उपबन्ध है बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में। इस उपबन्ध के अनुसार कार्यपालिका को रिजव बैंक के आदेशों का उल्लघन करने पर किसी भी बैंक का राष्ट्रीयकरण करने की शक्ति दी गई है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक न केवल अनुचित है, बल्कि पूर्णतया असंवैधानिक है।

उपरोक्त आलोचना के बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि संयुक्त समिति को भेजे जाने के बाद इस विधेयक में काफी सुधार हुआ है। मुझे आशा है उप प्रधान मंत्री मेरी बातों पर ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: इससे पहले कि मैं किसी अन्य माननीय सदस्य को बोलने के लिये कहूं, मैं समय के वितरण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। व्यवस्था के प्रश्नों तथा अन्य बातों पर लगने वाले समय को यदि हिसाब में न लगाया जाये तो हमारे में इस विधेयक पर चर्चा करने के लिये 5 घण्टे का समय है। मैं समझता हूँ कि इन पांच घण्टों में से तीन घण्टे सामान्य चर्चा की जाये और दो घण्टे खन्डवार चर्चा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय मेरा निवेदन है कि समय बढ़ाया जाये। सामान्य चर्चा के लिये 5 घण्टे का समय होना चाहिये और खण्डवार चर्चा के लिये दो घण्टे को।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसके महत्व का पता है। कार्य मंत्रणा समिति में सब पहलुओं पर विचार किया गया था। अत: मैं संसद कार्य मंत्री को माननीय सदस्यों की भावना बताना चाहता हूं कि इस विधेयक के महत्व को देखकर माननीय सदस्य इसका समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मैं स्वेच्छा से तो केवल 1/2 घण्टे का समय बढ़ा सकता हूँ।

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं तो केवल यह कह सकता हूँ कि कार्य मंत्रणा सम्मति यह निर्णय सर्व सम्मिति से लिया था और 5 घण्टे का समय निर्धारित किया गया था।

श्री मोरार जी देसाई : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति में विचार किये जाने के समय भी यह विधेयक महत्वपूर्ण था तथा यह एक दम अभी महत्वपूर्ण नहीं बन गया है। हमें कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन के अनुसार काम करना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपको तथा उप प्रधान मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न को कार्य मंत्रणा समिति में भी उठाया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने कहा है मैं स्वेच्छा से तो केवल आधे घन्टे का समय बढ़ा सकता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : सभा का निर्णय लिया जाना चाहिये। कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय से सभा का निर्णय अधिक महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है। सभा का निर्णय सर्वमान्य है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि उत्तर देने के लिये उप प्रधान मंत्री को कितने समय की आवश्यकता होगी।

श्री मोरारजी देसाई : जितना समय आप उचित समझें। यदि आप आध घण्टा दें तो आध घण्टा और 15 मिनट दें तो 15 मिनट ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं 5 बजे उप प्रधान मंत्री को उत्तर देने के लिये कहूँगा और 5.30 तक वह अपना उत्तर देंगे। अतः आज 5.30 बजे तक सामान्य चर्चा पूरी हो जायेगी। खण्डवार चर्चा के लिये समय निर्धारित करने के लिये इस मामले को कार्य मंत्रणा समिति को सौंपा जायेगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : चर्चा में भाग लेते समय जैसाकि श्री दाण्डेकर ने कहा है यद्यपि इस विधेयक ने प्रवर समिति में बहुत से सुधार हुए हैं तथापि उस विधेयक से ऐसी धारणा बनती है कि इस विधेयक के द्वारा बैंकों के कार्य संचालन पर सरकार तथा रिजर्व बैंक का जो नियंत्रण होगा, वह लगभग नकारात्मक ही होगा तथा इस विधेयक के अधीन बैंक कुछ नहीं कर सकेंगे। विधेयक में निहित मुख्य भावना यही है। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की समस्या केवल नकारात्मक समस्या नहीं है। सामाजिक नियंत्रण का मूल आधार यह था सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बैंकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को ऋण दिया जाना चाहिये तथा इसलिये ही इस विधेयक की महसूस की गई थी।

श्री दाण्डेकर ने इस विधेयक के बारे में कई बातें कही हैं। मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो बातें कही हैं उनमें से कुछ बातें बहुत सही हैं और वित्त मंत्री महोदय को उन पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। उदाहरण के तौर पर उन्होंने निदेशक बोर्ड की 51 प्रतिशत सदस्यता की बात कही है जोकि विचारणीय है। विधेयक में उपबन्ध किया गया है कि निदेशक बोर्ड के 51 प्रतिशत सदस्य वे व्यक्ति होंगे, जिन्हें इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी होगी अथवा व्यावहारिक अनुभव होगा। विशेष जानकारी और व्यावहारिक ज्ञान में कभी कभी विरोध होता है। किसी व्यक्ति को व्यावहारिक अनुभव हो सकता है परन्तु उसे विशेष ज्ञान न हो। अतः व्यावहारिक अनुभव शब्द बिल्कुल अस्पष्ट है। अतः मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री महोदय

को इस बात पर विचार करना चाहिये कि व्यावहारिक शब्द का उनका वास्तविक आशय क्या है ? मुझे भय है कि इस खण्ड के अधीन किसी ऐसे सेवा निवृत सरकारी अधिकारी को भी, जिसका सरकार के वित्तीय मामलों से सम्बन्ध रहा हो, व्यावहारिक अनुभव वाला व्यक्ति माना जा सकता है। इससे यह भय है कि सरकारी अधिकारियों की सेवा निवृत होने पर बैंकों में नियुक्ति की जा सकेगी। हमें ऐसा न होने देने की व्यवस्था करनी चाहिये क्योंकि पहले ही यह कुचक्र चल रहा है कि अधिकांश सरकारी अधिकारी गैर सरकारी क्षेत्र की कुछ बड़ी बड़ी कम्पनियों में अपने लिये स्थान बना लेते हैं।

यद्यपि मैं सत्ताधारी दल से सम्बन्धित हूँ तथापि मैं कहना चाहती हूं कि निदेशक मंडल में राजनीतिज्ञों को शामिल करने की प्रवृति भी कम की जानी चाहिये और वित्त मंत्री महोदय को इस बात पर ध्यान पूर्वक विचार करना चाहिये।

अब मैं धारा 36 क ड़ के भाग II ग के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती हूँ। यद्यपि यह एक अच्छी बात है कि विधेयक में रिजर्व बैंक को बैंकों द्वारा की गई भूलों का पता लगाने की शक्ति दी गई है तथा बैंकों को भी यह बताने का अवसर दिया गया है कि यह भूलें कैसे हुई तथा गलतियों का स्पष्टीकरण करने के लिये एक विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मैं समझती हूँ कि एक विशेष समय सीमा निर्धारित करना अच्छा होगा। यदि प्रक्रिया में अधिक समय लगा तो बहुत सी चीजें छिप कर की जायेंगी और रिजर्व बैंक ने जिन कमियों का पता लगाया है, उनको वे इस देरी का लाभ उठा कर बदल देंगे।

श्री दाण्डेकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है तथा मैं उनके मत से सहमत हूं। उनका कहना है कि इस पद्धति के अधीन अन्तर्गठन पद्धति पैदा हो जायेगी। हमें इससे सावधान रहना चाहिये। यदि आप कुछ बड़े बड़े बैंकों, अर्थात, दि पंजाब नेशनल बैंक, दि बैंक आफ बड़ोदा, दि यूनाइटेड कामर्शियल बैंक तथा सेन्ट्रल बैंक इत्यादि के निदेशकों तथा अध्यक्षों की सूचियां देखे, तो आपको ज्ञात होगा कि बड़े बड़े बैंकों के निदेशकों का एक से दूसरे बैंक के साथ सम्बन्ध है और वे यदि एक कम्पनी के अध्यक्ष हैं तो दूसरे बैंक के निदेशक हैं। इस विधेयक पर दूसरे बैंक में कोई रोक नहीं लगाई गई है कि उनको ऋण न दिया जाय। वित्त मंत्री को इस अन्तर्गठन पद्धति की जांच करनी चाहिये। बैंक सावधिक ऋण देने, नये उपक्रमों की क्षतिपूर्ति की गारंटी लेने, विलम्बित ऋण की गारंटी देने आदि जैसे कई तरीकों से ऋण देते हैं। ये सभी मापदण्ड बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन की ओर हमें ध्यान देना चाहिये, ताकि किसी एक में अन्तर्गठन न हो जाये। यदि यह सावधिक उधार में नहीं होता तो विलम्बित अदायगी या नये निगमों को स्वयं में हो सकता है। इस स्थिति से लाभ उठाने के बारे में कोई पारस्परिक व्यवस्था हो सकती है। हमें इन सभी बातों के लिये इस विधेयक में कुछ व्यवस्था करनी चाहिये।

इस विधेयक में उद्योगों तथा बैंकों की पारस्परिक निर्भरता की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। वित्त मंत्री महोदय ने लगभग एक वर्ष पहले बैंकरों के साथ विचार-विमर्श किया था। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के बाद, जो बड़ी बड़ी कम्पनियां प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सकेगी, वे अप्रत्यक्ष ढंग से लाभ उठायेंगी। इससे संरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये।

खण्ड 36 क ध के सम्बन्ध में अधिकांश माननीय सदस्यों ने जो मत व्यक्त किया है, मैं उससे सहमत हूँ। इस समय देश का औद्योगिक ढांचा टूट रहा है तथा हमें उद्योगपतियों के निहित स्वार्थ को काम नहीं करने देना चाहिये। परन्तु मैं समझती हूँ कि इसके साथ ही कोई नई नीति भी बनाई जानी चाहिये। जिससे हम वास्तव में श्रमिकों की अनुशासनहीनता पर नियंत्रण कर सकें। परन्तु इस विधेयक में उस प्रयोजन के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कर्मचारियों की कुछ गतिविधियों पर रोक लगाने के उपबन्ध से यह भावना पैदा हो गई है कि इस विधेयक के द्वारा बैंक कर्मचारियों के प्रति भेदभाव किया जा रहा है, जबकि अन्य औद्योगिक कर्मचारियों के अधिकार ज्यों के त्यों रहेंगे। वित्त मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहिये।

यद्यपि इस विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि निदेशक मंडल में कृषकों, सहकारी समितियों तथा अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा, तथापि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे बैंकों के ऋणों का विविधिकरण सुनिश्चित किया जा सके। आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि नगरों की तुलना में बैंकों द्वारा ग्रामों में बहुत कम काम किया गया है। बैंकों का कार्य कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहा है।

श्री दाण्डेकर ने कहा था कि कृषकों को ऋण देना बैंकों का काम नहीं था, परन्तु मैं उन से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन के अनुसार कृषि ऋण की कुल मांग 1300-1500 करोड़ रुपये है, जिसमें से ऋण सहकारी समितियां कुल 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर सकती है। इसलिये मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हमें ऋण सम्बन्धी बाकी जरूरतों को पूरा नहीं करना चाहिये। हमारे बैंकों का अधिकांश काम काज बड़े बडे नगरों तक ही सीमित होता है। इस विधेयक में ऋण परिषद् और कुछ निदेशक मंडलों के प्रतिनिधित्व के सिवाय और कोई ऐसा संकेत नहीं है जिससे हम महसूस करें कि कृषि ऋण देने और कृषि वित्त बढ़ाने के लिये कोई कारगर कार्यवाही की जायेगी। दूसरी ओर उनके कार्य के क्षेत्र पर कोई सीमा नहीं रखी गई है। बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में बैंकों का कोई कार्यालय खोला जा सकता है। उन्हें देहाती क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं वित्त मंत्री को सुझाव देना चाहती हूं कि उन्हें यह व्यवस्था करनी चाहिये कि यदि किसी बैंक का मुख्यालय दिल्ली में है तो उसे केवल सीमित क्षेत्र में ही जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कार्य करना चाहिये। इससे बैंक देहाती क्षेत्रों में जायेंगे। यह एक गलत धारणा है कि देहातों में धन उपलब्ध नहीं है। सरकार की अपनी रिपोर्टों के अनुसार देहातों में 500 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है, परन्तु वहां कोई वित्तीय अभिकरण नहीं है। मेरे अपने गाँव में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है तथा वहां निकटतम डाकघर दो अथवा तीन मील पर है। बैंकों को ऐसे स्थानों में जाना चाहिये।

इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है कि भारत में काम कर रहे विदेशी बैंकों को लाइसेंस लेना होगा। मैं समझती हूँ कि यह उपबन्ध नये तथा पुराने दोनों बैंकों पर लागू है। इस समय देश में बैंकों के 6363 कार्यालय हैं जिनमें से 105 कार्यालय विदेशी बैंकों के है। विदेशी बैंकों की संख्या 13 है। यदि हम भारतीय और विदेशी बैंकों के खर्च की तुलना करें तो हमें मालूम होगा कि विदेशी बैंकों का खर्च भारतीय बैंकों की अपेक्षा 12 अथवा 13 गुणा है। मैं चाहती हूँ

कि वित्त मंत्री इस बात की जांच करें कि विदेशी बैंकों के मामले में इस प्रकार के व्यय अनुपात की अनुमति क्यों दी गई है। इसके अतिरिक्त उनका लाभ अनुपात भी भारतीय बैंकों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण यह है कि वे बड़ी बड़ी संस्थाओं को धन देते हैं। वे बड़े बड़े उद्योगों को चुन लेते हैं और इसलिये उनका लाभ ऊंचा होता है। वे मध्यम वर्ग की संस्थाओं या साधारण उद्योगों को कभी वित्तीय सहायता नहीं देते। इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिये। मेरा सुझाव है कि विदेशी बैंकों को अपने लाभ तथा अपनी जमा देनदारी के कम से कम 20 प्रतिशत भाग को भारतीय उद्योगों तथा इस देश की अर्थ व्यवस्था में लगाये जाने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये। ऐसा उपबन्ध किया जाना चाहिये कि वे विदेशी फर्मों को किश्त न दे सके, क्योंकि विदेशी फर्मों को जो किश्तें दी जाती हैं उनका अधिकांश भाग विदेशों में जाता है। बाटा तथा जॉनसन एण्ड निकलसन तथा अन्य विदेशी कम्पनियों के सब मुनाफे को विदेशों में भेजा जाता है। इसे विदेशों में भेजे जाने से रोका जाना चाहिये और इसका उपयोग देश में किया जाना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I generally agree with the broad objects of this Bill. I agree that during the past few years the people who controlled the banks in our country had misused their position to some extent. It is also correct that the money with the banks has not been utilised for the welfare of the commonman to the extent it was desirable. I am of the view and there can not be two opinions about it that the money with the banks should not be utilised only for the expansion of the business of its directors. It should be used for the common welfare and the farmer should also be benefited by it. I fully agree with these objects of the Bill. But I do not think that it is necessary to bring a new bill for achieving these objects because the Reserve Bank have already got such powers which could be need to achieve these objects. I cannot agree with the view that the desired objects will be achieved by giving unlimited and sweeping powers to the Reserve Bank. It is wrong to rest such sweeping powers in the Reserve Bank. I am of the view that instead of solving any problem, it will rather result in the deterioration of the situation. Our country is such a backward country that more control results in greater corruption and nepotism. I want to say to the hon. Minister that more control will not lead to efficiency.

Secondly I want to point out that the bill is political in nature. It has been brought to satisfy a section of the ruling party-Congress-who demanded the nationalisation of Banks. The Government in shaddle could not resist the demand of nationalisation of banks and so they have adopted in middle path.

श्री मोरारजी देसाई : बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग विरोधी पक्ष द्वारा भी की गई थी; न केवल कांग्रेस द्वारा।

Shri Kanwar Lal Gupta : My party never demanded nationalisation. So I was saying that it is political bill. It is a compromise between two groups of the Congress. No body can deny the fact that the sort of social control which is sought to be brought about through this Bill will be political in nature. I want to point out that if such sweeping powers, as have been proposed in the Bill are given to the Reserve Bank, the moneyed people will try to appease Bank authorities which will result in more corruption. I would like to know from the hon. Minister of Finance whether he is aware of the fact that shares worth lakhs of rupees of those paper which are running in loss, are being purchased because these are owned by some highly placed political persons. The moneyed men who purchase these shares naturally get undue advantage from that person. In my

opinion political corruption is the main reason of wide spread corruption in our country. The Congress party is divided in two groups and is pressurised by two opposite groups of capitalists.

Thirdly it has been said that credit facilities should be given to the villagers and more credit should be given to small scale industries. The banks have not advanced money to the farmers and small scale industries. But who is responsible for all this situation. I think it is Government and not the banks, who are responsible for this. After all Government have unlimited resources and more than fifty percent money is under Government's control through its agencies just as Industrial Development Corporation, Finance Corporation and Life Insurance Corporation etc. With all that Government had utterly failed in advancing money to farmers and small scale industries. No doubt that Government had declared more than once that socialism will be established. But nothing has been done in this regard. It is evident from the Monopoly Commission's report that 45 per cent finances are in the hands of 170 business houses. The Government have never realised the reality and that is why the country is facing crisis to-day.

I would once again emphasise that it will be unwise to give sweeping powers to the Reserve Bank. The Reserve Bank has already enough powers. It is within the power of the Reserve Bank to remove any director of a Commercial Bank. The new powers which are proposed to be given by this Bill are quite sweeping ones and there is every likelihood that these may be used for political ends. There is already a tendency to appoint defeated Ministers in the Board of Directors of the Banks. Now this will an new avenue for them to enter in Banks. So it will be a political control rather than social control. It is therefore necessary that it should be ensured that there is no political control.

Now coming to the proposed Section 36 AD I want to say that it is an anti labour provision. It is act of di crimination against the employees of the Banks. It crubs the trade Union rights of the bank employees. It is not known why this restriction is being put on bank employees alone, when employees of the otner industries enjoy those rights. The proposed clause is most unjustified. If it was necessary to enact a law, that should have been done by amending the Industrial Disputes Act, Therefore it is not possible for me to support this Bill and I strongly oppose it, though its object is good,

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की योजना की दशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों पर प्रभावी सामाजिक नियंत्रण करना है। सर्वप्रथम मैं इस विधेयक की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। कुछ समय तक देश में बैंकों के संचालन के बारे में चिन्ता व्यक्त की जाती रही थी और संसद के अन्दर तथा बाहर मांग की जा रही थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। इस मांग का कारण सम्पत्ति तथा आर्थिक शक्ति का कुछ ही हाथों में केन्द्रित हो जाना था। इसके साथ-साथ यह भी अनुभव किया जाता है कि जमाखोरी, सेयरों के सट्टे तथा कर अपवंचन आदि समाज विरोधी कार्यों के लिये ऋण देना बन्द किया जाना चाहिये। यह भी आम शिकायत थी कि देहाती क्षेत्रों में छोटे उद्योगों के लिये पर्याप्त धन राशि नहीं दी जा रही है। यह भी मांग की गई थी कि विशेष रूप से देहाती क्षेत्रों में लोगों की बचतों का अधिक सक्रिय ढंग से उपयोग किया जाना चाहिये, क्योंकि समूची ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन आ गया है।

अब प्रश्न यह है कि क्या इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक है अथवा नहीं। इसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सी बातें कही गई हैं। राष्ट्रीयकरण

के पक्ष में मुख्य तर्क यह पेश किया गया है कि उद्योगपतियों का बैंकों पर काफी प्रभाव है और वे बैंकों से काफी धन बटोर लेते हैं। वर्ष 1967 के लेखों का विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है कि 7.18 लाख लेखों पर केवल 10,000 रुपये का ऋण दिया गया, जबकि 562 लेखों पर 1 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि धन कुछ ही हाथों में केन्द्रित हो गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस धन के केन्द्रित होने का कारण यह है कि निदेशक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं तथा वे सारा धन स्वयं ले लेते हैं अथवा इसका कोई अन्य कारण भी है। मैं समझती हूं कि इसके अतिरिक्त धन के केन्द्रित होने का एक और कारण है और वह है बैंकों की नीति। बैंकों की नीति कुल मिलाकर बहुत रुढ़िवादी है और वे उदार नीति अपनाने से कतराते हैं। इसलिये बहुत सा ऋण केवल उन लोगों को ही मिलता है जिनकी प्रतिभूति का आश्वासन दिया जा सकता है। बैंकों की इस नीति को बदलने की आवश्यकता है।

अब मैं देहातों के ऋण के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती हूँ। देहाती क्षेत्रों तथा लघु उद्योगों को पर्याप्त ऋण नहीं दिया गया हैं। बैंक यह देखने के लिये अधिक सतर्क रहते हैं कि ऋण की ठीक ढंग से गारंटी दी गई है अथवा नहीं। जब उन्हें कोई सन्देह होता है कि गारंटी पर्याप्त नहीं है, तो वे ऋण नहीं देते। इस नीति पर भी पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त हमारी विचारधारा में भी परस्पर विरोधी बातें रही है। एक ओर हम कहते रहे है कि कृषि के लिये धन देना सहकारी बैंकों का काम है। दूसरी ओर वाणिज्यिक बैंकों पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उन्होंने कृषि के लिये ऋण नहीं दिया है। इस सम्बन्ध में भी कुछ पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

जहां तक देहाती क्षेत्रों के संसाधनों को जुटाने का सम्बन्ध है, इस क्षेत्र में पर्याप्त कार्य नहीं किया गया है। देहाती क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुआ हैं परन्तु संसाधनों को जुटाने के लिये बैंक आगे नहीं आये हैं। इसलिये बैंकों के लोगों के दृष्टिकोण में तथा देहाती क्षेत्र के संसाधन जुटाने के लिये कामकाज के तरीके में काफी परिवर्तन लाना आवश्यक है।

बैंकों ने योजना की प्राथमिकताओं पर विचार नहीं किया है। रिजर्व बैंक द्वारा जो निदेश दिये जाते हैं वे मुख्य रूप से सट्टा ऋण से बचने के लिये होते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों के लिये ऋण वितरण का निश्चय करने के लिये उचित निदेश जारी किये जायें। बैंक प्रबन्धकों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में आम परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

सामाजिक नियंत्रण योजना को क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा हाल में एक महत्वपूर्ण काम किया गया है और वह है राष्ट्रीय ऋण निगम की स्थापना। यह संस्थान अभी अपनी बाल्यअवस्था में है तथा इतनी प्रभावी नहीं है, परन्तु भविष्य में यह बहुत कारामद सिद्ध होगी, क्योंकि इसमे बड़े उद्योगपति, छोटे उद्योगपति, सहकारी समितियों के सदस्य तथा कृषक सब एक जगह मिल कर विचार-विमर्श कर सकेंगे।

सरकार ने इस बारे में कुछ कार्यवाही की है । लेकिन यह संस्थाएं इस प्रकार की हैं कि एक दिन में इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता ।

विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण उपबन्ध खण्ड 3 है । इसका उद्देश्य निदेशक मंडल में उद्योगपतियों को बहुमत प्राप्त करने से रोकना है । पहले ही बहुत से बैंकों ने निदेशक मंडलों के गठन में परिवर्तन किया है । यह एक अच्छा संकेत है । यह आवश्यक है कि अन्य तत्व भी इसमें शामिल हों और उनको उचित स्थान दिया जाये ।

जहां तक पूरे समय के लिये सभापति की नियुक्ति का प्रश्न है, इस बारे में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है । हमारे देश में यह परम्परा रही है कि एकाउन्टेन्ट और आडिटर स्वतन्त्र रूप से कार्य करते हैं । अतः इसी प्रकार यदि मुख्य बैंकों को स्वतन्त्र रूप में काम करने और निर्णय लेने की स्वतन्त्रता होगी तो इससे देश का बहुत लाभ होगा ।

इस विधेयक का दूसरा मुख्य उपबन्ध निदेशकों तथा उनकी संस्थाओं को ऋण तथा अग्रिम धन देने पर रोक लगाने के बारे में है । इस विषय पर यहां और प्रवर समिति में बहुत कुछ कहा जा चुका है । इस बारे में कठिनाइयां हो सकती हैं । लेकिन यह उचित है क्योंकि यह ठीक नहीं है कि निदेशक अपनी ही संस्थाओं से ऋण लें ।

बैंकों के अर्जन सम्बन्ध उपबन्ध के बारे में भी विस्तार से बहुत कुछ कहा जा चुका है । रिजर्व बैंक छोटे-छोटे कारणों पर बैंकों को अपने अधिकार में नहीं ले सकता । निदेशों को लिखित रूप में जारी करना होता है और वे नीति से सम्बन्धित होने चाहिये । इस पर भी यदि बैंक इनको मानने से इन्कार करते हैं तब ही रिजर्व बैंक हस्तक्षेप कर सकता है ।

संयुक्त समिति ने विधेयक में बहुत के परिवर्तन किये हैं । संयुक्त समिति में चर्चा के समय उपप्रधान मंत्री द्वारा अपनाये गये रुख के लिये मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ ।

धारा 36 ए० डी० से काफी द्वेष उत्पन्न हो गया है । मैं यह नहीं चाहती कि प्रशासनिक कारणों से इस धारा को लागू किया जाय । लेकिन इस बात को देखते हुए कि बैंक एक सार्वजनिक संस्था है जिसका हमारे देश के और औद्योगिक विकास में प्रमुख स्थान है, मैं उप-प्रधान मंत्री की बात से सहमत हूं । हम इस क्षेत्र में संकट सहन नहीं कर सकते । इस खण्ड के बहुत से अनावश्यक पहलुओं को पहले ही हटा लिया गया है । अतः इस बारे में आपत्ति करने के लिये कुछ नहीं रह जाता है । इस बारे में आपत्ति यह है कि जिस प्रकार का उपबन्ध किया जा रहा है वह केवल श्रम विधान के माध्यम द्वारा किया जाना चाहिये ।

मैं श्रमिकों को भी यही कहूँगी कि अधिक गड़बड़ से किसी का भी भला नहीं होता । कलकत्ते में हम इसके परिणाम देख चुके है । कलकत्ते में उद्योगों के बन्द होने के कारण 20 लाख व्यक्ति बेरोजगार हो गये थे । अतः विशेषकर बैंकों में श्रमिकों को अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिये । उन्हें अपने अधिकारों के लिये लड़ना चाहिये, परन्तु उचित तरीके से अर्थात् बातचीत द्वारा और शान्तिपूर्ण ढंग से । उन्हें हिंसा से काम नहीं लेना चाहिये । श्रमिक राजनीतिक निकायों द्वारा काम करते हैं । श्रमिकों का मामला राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उठाया जाता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से इस विधेयक के द्वारा केवल बैंकों के कर्मचारियों के मजदूर संघ सम्बन्धी अधिकारों पर नियंत्रण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

संविधान के कुछ निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार सरकार तथा राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वे कुछ लोगों के पास धन तथा आर्थिक शक्ति के जमाव को रोक सकते हैं । यदि इस दिशा में कुछ नहीं किया गया तो देश का विकास करना कठिन हो जायेगा । अतः यह आवश्यक है कि कुछ बड़े एकाधिकारियों तथा गैर-सरकारी बैंकों के बीच के सम्बन्ध को तोड़ा जाये । मूल्य में वृद्धि को रोका जाना चाहिये और बाजारों में सट्टे पर नियंत्रण तथा रोक लगाई जानी चाहिये । देश में उपलब्ध संसाधनों को, जहां तक सम्भव हो, अर्थ-व्यवस्था के नियोजित विकास के हित में लगाया जाना चाहिये । इस बात को ध्यान में रखते हुए हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं वह यह कि यह विधेयक केवल एक मजाक है । संविधान तथा इस सभा द्वारा स्वीकृत आर्थिक नीति संकल्प में उल्लिखित उद्देश्य तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक गैर-सरकारी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण न कर दिया जाये ।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए
Shri Thirumal Rao *in the Chair*]

संघ ने प्रवर समिति को भेजे गये अपने ज्ञापन में खुले रूप में कहा है कि विधेयक को उपबन्ध वित्त मंत्री के साथ हमारे संघ के प्रतिनिधियों की अनौपचारिक बैठकों के निष्कर्षों के अनुरूप हैं ।

विधेयक में बैंकों द्वारा निदेशकों और उनकी फर्मों को ऋण देने और अग्रिम धन देने पर नियंत्रण लगाने की व्यवस्था की गई है । लेकिन यह धनराशि 1963 से लगातार बढ़ रही है । इसका परिणाम यह होगा कि विभिन्न बड़े-बड़े बैंकों तथा उनके निदेशकों में और अधिक शक्ति केन्द्रित हो जायेगी और वे एक दूसरे को सुविधाएं प्रदान करेंगे ।

अनेक प्रकार के ऋण दिये जाते हैं । उदाहरण के तौर पर 'इन्डियन एक्सप्रेस' को 1.5 करोड़ रुपये का ऋण उसके अखबारी कागज के स्टाक पर दिया गया था । लेकिन बाद में पता लगा कि अखबारी कागज का स्टाक ही नहीं था । इस विधेयक में इसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

अनाज पर भी ऋण दिये जाते हैं । प्रत्येक वर्ष औसतन लगभग 35 से 40 करोड़ रुपये का ऋण अनाज के व्यापार के लिये देते हैं । 31 मार्च, 1966 को समाप्त होने वाले वर्ष में गैर-सरकारी बैंकों द्वारा 70 करोड़ रुपये से अधिक ऋण दिया गया । इन पर नियंत्रण करने के लिये इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गई ।

प्रवर समिति द्वारा किये संशोधनों के परिणामस्वरूप मूल विधेयक का रूप और बिगड़ गया है । छोटे पैमाने की उद्योग संस्थाओं की नई परिभाषा की गई है । इस परिभाषा के अनुसार छोटे पैमाने की उद्योग संस्था इस संस्था को कहा गया है जो 20 लाख रुपये तक विनियोजन करती है ।

जहां तक पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति का सम्बन्ध है, वित्त मंत्री ने सलाह दी है कि वे वर्तमान महा प्रबन्धकों को पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर लें। बहुत से बैंकों ने ऐसा पहले ही कर लिया है।

रिजर्व बैंक को पूरे अधिकार दिये गये हैं। लेकिन उसने कभी भी अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया।

देखा जाय तो इस खण्ड का विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। उदाहरण के तौर पर देश में एक मुख्य पत्तन नियास अधिनियम है। कल परिवहन मंत्री कहेंगे कि वह उस अधिनियम में एक धारा जोड़ना चाहते हैं वह यह कि पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों को इस प्रकार नियंत्रित करना चाहिये कि वे हड़ताल व प्रदर्शन न करें। मंत्री महोदय इस बारे में कोई स्पष्ट उत्तर देने में असमर्थ रहे हैं क्योंकि भारतीय श्रम सम्मेलन की स्थायी समिति जिसकी बैठक प्रत्येक वर्ष होती है, ने यह पवित्र निर्णय किया था कि श्रमिकों के बारे में कोई भी नया महत्वपूर्ण कानून न बनाया जाये जब तक उस विषय पर समिति की बैठक में चर्चा न कर ली जाये। यदि इस धारा के शब्दों को पढ़ा जाये तो इसका अभिप्राय यह होगा कि यदि बैंक के परिसर में हड़ताल होती हैं, यहां तक कि 'काम बन्द' हड़ताल होती हैं, जो बहुत सामान्य है, तो वह इस धारा के अन्तर्गत आती है जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस हडताल को वैध ठहराया है।

इसके अन्तर्गत शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है। नौकरों और मालिकों के बीच हुए समझौते के अनुसार स्थायी आदेशों के बारे में तीन वर्ष का समझौता हुआ था और इसे कानूनी मंजूरी तथा अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर करा लिया गया था। इन आदेशों के अनुसार यदि कोई बैंक कर्मचारी कदाचार का दोषी होता है तो उसे नौकरी तक से निकाला जा सकता है। उसे मुअत्तिल भी किया जा सकता है। लेकिन वित्त मंत्री अब कहते है कि उसे जेल भेजा जाना चाहिये।

बैंक के कर्मचारियों को सेवा से निकाले जाने के अतिरिक्त मुकदमा चलाने और उन्हें बन्दी बनाने तक की धमकियां दी जा रही हैं।

धारा 54 ए ए रिजर्व बैंक के अधिकारियों को यह शक्ति देती है कि वह रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को प्रति नियुक्ति भत्ता दिये बिना किसी भी स्थान में स्थानान्तरित कर दें। यह घोर अन्याय है। इस बारे में उन्हें फिर से विचार करना चाहिये।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : It is not proper if the use of this Bill may be used unpolitically for procuring administrative position.

The Banks should be nationalised.

The idea of the Deputy Prime Minister regarding Social Control on Banks, is praise worthy.

I want that a labour representative may also be included in the committee.

The Banking industry is directly related with public. It is, therefore, necessary, that there may not be any trouble in the Banking industry, it will go against the interest of the public.

It is not correct to say that only the employees create trouble. The trouble may be created by bad elements also. If the permission to create this trouble is given in the premises of the banks, it will injustice to public and to those whose money has been deposited in the banks. Appropriate demands of the labours should be fulfilled. If the negotiations are done peacefully, there will not be any disturbance in the working of the banks.

The matter can be solved by negotiations. Government should give assurance to the public that their money is safe in banks, Proper arrangement for the safety of their money should be made.

Taking this into view, I support Section 36 AD in it original form.

Capitalists only believe in money. They are not concerned with any party. The Congress Party has no incentive behind preparing the legislation or bringing the emendment for Banks. The Congress feels that it is in the interest of the public.

Section 36 AD is not against the labour. It teaches discipline to the workers. The workers should adopt means of negotiations for getting their appropriate demands fulfilled. They should not go for strikes. It is against the interest of the public. Atleast those members who believe in nationalisation of banks, should support our steps towards social control on banks.

श्री विश्वनाथ मेनन (एरणा कुलम) एरणा कुलम में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भी चुनाव से पहले बैंकों के राष्ट्रीय करण का प्रश्न आया था और कुछ सदस्यों ने अनुरोध किया था कि राष्ट्रीयकरण अवश्य किया जाना चाहिये। हम सब यह जानने के लिये उत्सुक थे कि आखिर वह सामाजिक नियंत्रण है क्या।

विधेयक द्वारा बैंकों पर और अधिक नये नियंत्रण नहीं किये गये हैं। प्रस्तावित नियंत्रण रिजर्व बैंक द्वारा इस समय किये गये नियंत्रण से अधिक कुछ भी नहीं है। विधेयक से यह विदित होता है कि वित्त मन्त्री एकाधिपतियों के साथ हैं।

सरकार केवल बैंक कर्मचारियों के श्रमिक संघ की गतिविधियों के बारे में चिन्तित है। यदि कोई बैंक का कर्मचारी आन्दोलन करता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है।

विधेयक में मेनेजिंग डाइरेक्टरों और चेयरमैनों को उनके कदाचार के लिये दण्ड देने की कोई व्यवस्था नहीं है। उनको केवल हटाया ही जा सकता है।

यह विधेयक पूंजीपतियों पर नियंत्रण रखने की बजाये बड़ी सभी औद्योगिक संस्थाओं में एकता ला रहा है और इस प्रकार ही देश में एकाधिकार पैदा करने का प्रयास कर रहा है।

ऐसे समय में जब देश में समाजवाद की नई कल्पनाएं और सिद्धान्त तैयार किये जा रहे हैं, तब यह विधेयक मजदूरों के हितों, उनके कामरोको, हड़ताल और बैंक भवनों के अन्दर प्रदर्शन के अधिकारों पर रोक लगाने का प्रयत्न करता है। जो भी अधिकार इस देश के मजदूर

वर्ग ने, वे भारी परिश्रम और कठिनाइयां सहन कर प्राप्त किये हैं, उन्हें इस कानून द्वारा छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर भी इस विधेयक में देश की बड़ी बड़ी एकाधिकार संस्थाओं पर किसी प्रकार का नियंत्रण लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

कांग्रेस, बिरला, टाटा और बजोरिया जैसे एकाधिपतियों की संस्था रही है। उसका कर्मचारी वर्ग और गरीब लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है।

यह कानून केवल बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध है। लेकिन हो सकता है कि यह कानून कल अन्य कर्मचारियों पर भी लागू हो जाये। यदि सरकार प्रजातंत्र और जनता से अधिकारों की रक्षा करना चाहती है, तो बैंक कर्मचारियों के मजदूर संघ सम्बन्धी अधिकारों पर रोक नहीं लगायी जानी चाहिये।

यदि रिजर्व बैंक के गवर्नरों को यह आशा होगी कि सेवा निवृति के बाद उनकी नियुक्ति गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में की जा सकती है तो बैंकों में भ्रष्टाचार होने पर भी वह उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

यह विधेयक लोक हित के विरुद्ध है तथा इसे पारित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) जिस रुप से यह विधेयक प्रवर समिति से वापिस आया है उससे हमारी आशाएं पूरी नहीं हुई हैं। सामाजिक प्रयोजनों के लिये बैंकों पर जो नियंत्रण लगाये गये हैं, प्रवर समिति की कार्यवाहियों की प्रक्रिया से वापिस लिया गया है।

राष्ट्रीयकरण द्वारा सामाजिक नियंत्रण का स्थान लिया जाना उचित नहीं है।

ऐसे सामाजिक नियंत्रण का क्या प्रयोजन है जिसके द्वारा किन्ही जनरल मैनेजरों को चैयरमैन में परिवर्तित कर दिया जाये और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ की कठपुतली बना दिया जाये ?

यदि हम इस विधेयक के उपबन्धों की ओर ध्यान दें तो हमें विदित होगा कि विधेयक द्वारा बड़े बड़े उद्योगों को अधिक कठोर नियंत्रण की शक्ति दी गई है।

2 फरवरी, 1960 को एक राष्ट्रीय परिषद् बनायी गई थी जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारी शामिल थे। आप बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के बारे में तब तक कैसे सोच सकते हैं जब तक कि बड़े बड़े उद्योगपति और बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थायें देश में सभी वर्गों के लोगों को मिलने वाली ऋण सुविधाओं पर नियंत्रण रखती हैं। हमारे बैंकों को राष्ट्रीयकरण किये जाने के सब प्रयास विफल किये जा रहे हैं। हम एक दल के रूप में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराने के लिये वचन बद्ध हैं। अतः उप-प्रधान मंत्री के लिये यह उचित नहीं होगा कि वह ऐसा विधेयक प्रस्तुत करें। चूंकि इसमें लाखों निर्धन और माध्यमिक वर्ग के जमाखोरों का हित निहित है। अतः इस विधेयक को लोकमत जानने के लिये परिचालित किया जाना चाहिये।

यह आश्चर्य की बात है कि इस विधेयक में छोटे पैमाने के उद्योगों की यह परिभाषा दी गई है कि वे ऐसी संस्थाएं हैं जो मशीनों पर 20 लाख रुपये की पूंजी लगा सकती है। वास्तव

में छोटे पैमाने के उद्योग अपने अस्तित्व के लिये कठोर परिश्रम कर रहे हैं और उन्हें समाज नियंत्रित बैंकों से ऋण सुविधाएं नहीं मिल पाती।

अतः इस विषय पर फिर से विचार किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय प्रश्नों पर सख्ती का उपयोग करने से स्थिति और पेचीदा हो जायेगी।

कर्मचारियों को बैंक संस्थाओं में प्रतिष्ठा, आदर शक्ति दी जानी चाहिये लेकिन इस विधेयक में इस बारे में कोई उपबन्ध की व्यवस्था नहीं है।

मैं उप-प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि यदि कर्मचारियों के प्रति कठोर व्यवहार को कम करने के लिये कुछ किया जा सकता है तो वह करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Deven Sen (Asansol) : I do not support the Bill. It has been stated that nationlization of banks have been done through the back door of this Bill. The proposed Section 36A will be harmful for labour agitation. The aim of this Bill is to impose restrictions on the activities of labour union. It may result in dangerous consequences.

The Government have shifted from its policy towards labour by introducing this section.

Automation has been introduced in order to reduce the strength of the labour. It is a very dangerous Bill. We have to oppose the different policies introduced for the labour.

There will not be any social control with the help of this Bill. According to Section 10 (G) (1) of the old law, the Chairman of the Bank was almost free. But now he has to act according to the instructions given by the Board of Directors of the Banks.

51% of the members in the Board of Directors will be appointed according to new law and 49% per cent according to old law.

"Small Scale Industries' have been defined to be such bodies which can invest in machineries Rs. 20 lakhs.

At present there are obout 5100 crore of rupees under circulation. Out of it Rs. 3400 crores have been deposited in the Scheduled Banks in the form of deposits. It means that 75% of deposits are under conthrol of the big capitalists like Birla, Jain and Tata.

The significance of the Bill could be understood, if the control of the big capitalists of banks might have been reduced. But it is not so.

In the present circumstances we will fight for our rights. With these words I oppose this Bill.

श्री हिम्मतसिंहका : (गोंडा) अधिकांश सदस्य प्रवर समिति द्वारा संशोधित खंड से सहमत हैं। कुछ सदस्यों ने इसका विरोध भी किया है। इस बारे में बैंकिंग संस्थाएं, जो रुपये पैसे का व्यापार करने वाली संस्थाएं हैं, और एक सामान्य वाणिज्य संस्था में अन्तर रखा गया है।

बैंक प्रारम्भिक रूप से सेवा संस्थाएं हैं और उन्हें कुशल और अनुशासित इकाईयों के रूप में काम करना होता है । उन्हें जनता और ऋण लेने वालों और जमा करने वालों के प्रति अनेक उत्तरदायित्वों को निभाना होता है । यदि उन्हें धमकियां देने और जान बूझकर अड़चने डालने दिया जाये, तो उसका परिणाम व्यक्तिगत व्यापारिक संस्थाओं में इस प्रकार के तरीके अपनाने के परिणामों की अपेक्षा बैंकों के मामले में अधिक गम्भीर होंगे । उन्हें तब तक बैंक को बन्द करने की अनुमति नहीं जब तक परक्राम्य पत्र अधिनियम के अनुसार छुट्टी घोषित न की गई हो ।

सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वह इस बात का विश्वास दिलाये कि बैंकों को काम करने दिया जायेगा ।

अतः यह विधेयक विधिवत हड़तालों अथवा विधिवत मजदूर संघ की गति विधियों के विरुद्ध नहीं है । इसका अर्थ ऋण संस्थाओं के कार्यसंचालन में जबरदस्ती बाधा डाले जाने को रोकना है । यदि आप सामाजिक नियंत्रण रखना चाहते हैं तो आप को इस बात का ध्यान रखना होगा कि धन जमा कराने वालों को तथा अन्य व्यक्तियों को जो धन निकालना चाहते हों, रक्षा की जा सके । अतः यह उपबन्ध बहुत आवश्यक है और इस पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिए ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि निदेशक अपनी स्थिति का लाभ उठाते हैं अथवा किसानों अथवा लघु उद्योगों को धन के लिये कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त नहीं हैं । वे लोग रिजर्व द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों के आधार पर अपनाई गई बैंक सम्बन्धी नीति को भूल जाते हैं ।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

अतः यह आलोचना कि कृषि अथवा लघु उद्योगों को धन देने हेतु कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं है, ठीक नहीं हैं । इन वर्गों को ऋण देने की अधिक गुंजाइश बढ़ा दी गई है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा यह कहा गया है कि विधेयक को बैंक मालिकों से चर्चा करने के बाद बनाया गया है । विधेयक 7 दिसम्बर, 1967 को पेश किया गया था जबकि ज्ञापन 5 फरवरी को दिया गया था । अतः चर्चा इस विधेयक के प्रस्तुत किये जाने के बाद ही की गई है।

जहां तक बैंकों के राष्ट्रीकरण का प्रश्न है स्टेट बैंक, डाकघर बचत बैंक आदि में कुल जमा खातों का 50 प्रतिशत जमा होता है । इस विधेयक के प्रस्तुत किये जाने से पूर्व नीति यह थी कि वाणिज्यिक तथा औद्योगिक बैंकों द्वारा किसानों को ऋण दिये जाने की आशा नहीं की जाती थी । वास्तव में सहकारी बैंकों द्वारा ऐसा किये जाने की आशा की जाती थी ।

जहां तक निदेशकों की गतिविधियों का प्रश्न है जो लोग गत 25 वर्षों से बैंक चला रहे हैं उन्होंने ऋण के रूप में दिया गया एक भी रुपया नहीं गंवाया है । अतः यह कहना कि उन्होंने अपनी स्थिति का लाभ उठाया है ठीक नहीं है । इस तथ्य को देखते हुए कि उन्होंने योजना के

उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन लगाया है यह सिद्ध हो जाता है कि वे औद्योगीकरण में सहायता कर रहे हैं। वास्तव में वे सरकार की नीतियों को पालन में सहायता कर रहे हैं। अतः विधेयक का पूरी तरह समर्थन किया जाना चाहिये।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : यद्यपि इस विधेयक का नाम बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक है तथापि जैसा उपप्रधान मंत्रीजी ने बताया इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण करना है। सामाजिक नियंत्रण के अनेक अर्थ निकल सकते हैं। क्या यह नियंत्रण सामाजवादी दृष्टिकोण से है अथवा इसका अर्थ समाज पर नियंत्रण करना है। यदि इस विधेयक का अर्थ सामाज पर नियंत्रण करना है तो इस विधेयक में परिवार नियोजन, शिक्षा आदि के बारे में भी खण्डों को सम्मिलित किया जाना चाहिये। अन्यथा हमें विधेयक में खण्ड 36 ए डी को शामिल करने में कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। क्या ऐसे विधेयक में धारा 36 ए डी का शामिल किया जाना आवश्यक है। स्वतन्त्र पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा इस धारा को उचित ठहराया जा रहा है। उनका कहना है कि चूंकि बैंकों पर नियंत्रण है, अतः मजदूरों पर भी नियंत्रण किया जाना चाहिए। कांग्रेस के कुछ सदस्यों द्वारा इसकी जोरदार आलोचना भी की गई है। धारा 36 ए डी में उप-खण्ड (ग) के अतिरिक्त कोई नई बात नहीं है। इस उप-खण्ड के अन्तर्गत बैंकिंग समवायों में जमाकर्ताओं के विश्वास को कम करने के लिए की गई गतिविधियां दण्डनीय हैं। परन्तु जमाकर्त्ताओं को यह कहने का पूरा अधिकार है कि बैंक अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा और इसलिए वे इस में राशि जमा नहीं करायेंगे। परन्तु नये उप-खण्ड (ग) के अन्तर्गत इसको दण्डनीय घोषित किया जा रहा हैं। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के इस बिचार का समर्थन करता हूं कि यह विधेयक एक धोखा है।

इस विधेयक में एक नई बात यह भी है कि रिजर्व बैंक को चैयरमेन तथा निदेशक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। वह किसी भी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त कर सकता है। अन्ततः यह नियुक्ति वित्त मन्त्री द्वारा ही की जायेगी क्योंकि वही रिवर्ज बैंक ने सर्वोच्च अधिकारी हैं। भारत के रिर्जव बैंक अधिनियम की धारा 9,10 और 11 के अधीन रिजर्व बैंक को पहले भी ये शक्तियां दी गई हैं। परन्तु उनके अधीन किस हद तक कार्यवाही की गई है ? इन वर्षों में रिजर्व बैंक अधिक जमाकर्ताओं को आकर्षित करने तथा बैंकों में अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने में असफल रहा है। अतः रिजर्व बैंक को धारा 10 (ग) के अन्तर्गत शक्तियां दिये जाने से कुछ अधिक लाभ नहीं होगा। इस विधेयक द्वारा बैंकों की सम्पत्ति को नियमित करने की व्यवस्था है, इसका अर्थ यह है कि उनको अपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध करने का अधिकार नहीं है इस खण्ड को असंवैधानिक भी घोषित किया जा सकता है। इस पर भी उप-प्रधान मन्त्री का कहना है कि यह राष्ट्रीयकरण से अधिक अच्छा है। राष्ट्रीयकरण से देश को लाभ हो सकता है परन्तु इससे कुछ लाभ नहीं होगा।

खण्ड 10 (क) में निदेशकों की अहर्ताएं दी गई हैं यदि इन अहर्ताओं वाला कोई व्यक्ति बैंक में न हो तो रिजर्व अपनी राय देगा कि अमुक व्यक्ति को निदेशक बनाया जाये। इसमें एक प्रतुन्क है जिसके अनुसार अन्य कारोबार करने वाला व्यक्ति निदेशक नहीं बन सकता। अतः रिजर्व बैंक को निदेशक अथवा चेयरमैन नियुक्त करने के लिए कहा जायेगा और उप-प्रधान मन्त्री के निदेशों अन्तर्गत के चुनाव में हारे कांग्रेस के लोगों को इन पदों के लियेचुना जायेगा।

जहां तक अन्य प्रश्नों का सम्बन्ध है रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन कर उनको पूरा किया जा सकता था। इस विधेयक के प्रस्तुत किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस विधेयक द्वारा बैंकों के कर्मचारियों को दबाने का प्रयत्न किया गया है।

प्रारम्भिक भाषण में उप-प्रधान मन्त्री ने कहा था कि यह कुछ रचनात्मक सुझाव दिये जाते हैं तो वह उनको स्वीकार कर लेंगे। इस आश्वासन को देखते हुए हमने कुछ संशोधन दिये हैं :

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

हमें आशा है कि उप-प्रधान मन्त्री कुछ संशोधनों को स्वीकार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि यह एक उत्पावधि उपाय है। अतः आशा की जाती है कि एक अथवा दो वर्षों में वह बैंकों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी एक अन्य विधेयक सभा में प्रस्तुत करेंगे।

श्री दडंपाणि (धारापुरम) : माननीय वित्त मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह लोकतंत्रात्मक समाजवाद के ढांचे के अन्तर्गत सामाजिक तथा आर्थिक जीवन को नियमित करने का उनका मूलभूत ध्येय है जिससे कि अर्थव्यवस्था की अधिकतम दर को प्राप्त किया जा सके और साथ साथ एकाधिकार की प्रवृत्ति, आर्थिक शक्ति के जमाव तथा संसोधनों के दुरुपयोग को रोका जा सके।

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक से देश के लोगों के मन में असंतोष फैला है। वित्त मन्त्री ने लोगों को यह समझाने का प्रयत्न किया है कि वह लोकतन्त्रात्मक समाजवाद लाना चाहते हैं परन्तु मेरे विचार में इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है।

जहां तक निदेशकों की नियुक्ति का सम्बन्ध है विधेयक में यह कहा गया है कि सम्बन्धित व्यक्ति को व्यवहारिक अनुभव अथवा विशेष जानकारी होनी चाहिए। व्यवहारिक अनुभव की तो बात समझ में आती है परन्तु विशेष जानकारी की बात समझ में नहीं आती कि इसका क्या तात्पर्य है, क्या माननीय मन्त्री बाहर के लोगों अथवा अपने दल के सदस्यों को इस पद पर नियुक्त करना चाहते हैं। विधेयक में जिन अनुभवों का उल्लेख किया गया है उसका अर्थ यह निकलता है कि कोई भी दलाल अथवा दुकानदार बैंक के निदेशकों के बोर्ड का चेयरमैन अथवा निदेशक बन सकता है। अब भी सभी अनुसूचित बैंकों ने अपने महा प्रबन्धकों को चेयरमैन नियुक्त कर रखा है।

माननीय वित्त मन्त्री ने यह कहा है कि साधनों का उचित वितरण नहीं किया गया है और वह चाहते हैं कि बैंकों के साधनों का कृषि और लघु उद्योग में भी वितरण किया जाये, भारत के स्टेट बैंक की फरवरी मासिक की समीक्षा में कहा गया है कि बैंक ने कृषि के लिए व्यक्तिगत किसानों को भी ऋण दिया है, यह बैंक बागान को भी सहायता देता है।

स्टेट बैंक व्यक्तियों तथा बड़े उद्योगों को अधिक से अधिक ऋण दे रहा है परन्तु इसके साथ साथ वह लघु उद्योगों को भी सहायता दे रहा है, यदि यह विधेयक पास कर भी दिया जाता है तो भी सभी बैंक स्टेट बैंक के आधारों पर ही कार्य करेंगे।

खण्ड 36 ए डी से मजदूर संघों के मूल अधिकारों पर आघात पहुंचा है, हमारे वित्त मन्त्री सदा मजदूर हितों के विरूद्ध रहे हैं। 1960 में स्टेट बैंक कर्मचारी संघ ने आन्दोलन किया था। कर्मचारी 22 दिन हड़ताल पर रहे परन्तु वे अपने उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सके माननीय वित्त मन्त्री उस समय भी मजदूरों के विरूद्ध थे। उन्होंने राष्ट्रीय न्यायाधिकरण कर्मचारियों पर ठोंस दिया था जबकि कर्मचारी मध्यास्थ निर्णय चाहटे थे, इसी प्रकार वह हम पर अब 36 ए डी ठोंस रहे हैं। इससे कर्मचारियों के हितों पर प्रभाव पड़ता है। मैं अपने दल की ओर से माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह इस खण्ड को समाप्त करदें।

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिये कार्य सलाहकार समिति ने 5 घन्टे दिये थे। हमने आज सारा दिन इस पर लगा दिया है, हमें कल एक अथवा दो घण्टे में इस चर्चा को समाप्त करना है।

श्री ही. ना. मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : माननीय वित्त मंत्री अपना उत्तर साढ़े पांच बजे पूर्व किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आवश्यक हुआ तो आधे घण्टे की चर्चा दस मिनट बाद में शुरू की जायेगी।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) ; In 1961 it was brought to the notice of the then Finance Minister and Prime Minister that crores of rupees have been embezzled in the Punjab National Bank. In U. P. and Rajasthan only lakhs of rupees were embezzled.

It was also brought to the notice of the Government that Directors and their supporters were mis-appropriating the public funds deposited in there banks. I raised this matter in the Rajya Sabha but the then hon. Minister concerned refused to accept that there have been any embezzlement in the Punjab National Bank. I met Shri T. T. Krishnamachari, the then Finance Minister and acquaint him about the facts of the case. After all the case was referred to the Central Bureau of Investigation in 1968.

I also got published a pamphlet 'Eye Opener' and distributed it amongst all the Members of Parliament and Ministers. After these years i. e. 1968 cases of embezzlement have been registered against two big officers and three brokers. I want to know why the cases have not been registered against the Director. Is this way an hon. Finance Minister wants to bring the social control of the Banks ?

I brought another case in the notice of the Government wherein 83 lakhs of rupees have been deposited in 'Benani' account in the Lakshmi Commercial Bank. Nothing has been done in this matter so far.

Money tenders are lending crores of rupees to the Amin Chand Pyare Lal black listed firm. No provision has been made in this Bill to check this sort of practice i. e. giving loan to the black listed firms.

This Bill is being brought to suppress the employees It is not going to help the agriculturists in any way.

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैंने चर्चा को पौने चार घंटे के लिए सुना है। यह स्वभाविक ही है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर तरह से संतुष्ट नहीं किया जा सकता।

यह कहा गया है कि मैंने इस विधेयक के पास होने से पूर्व ही बैंकों को चेयरमैनों के रूप में प्रबन्धकों (मैनेजरों) को नियुक्त करने को कहा है और कि मैं इस षडयंत्र में सम्मिलित था। यदि मैंने इस विधेयक के पास होने से पूर्व बैंकों को उक्त शब्द कहे हैं और बैंकों ने उनको क्रियान्वित किया है तो यह कोई षडयंत्र अथवा सांठगांठ नहीं है। यदि मैंने ऐसा कहा तो इसलिए कि मैं चाहता था कि बैंक उचित ढंग से कार्य करें। मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ गलत है। उनपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया। मैं उन उपबन्धों पर विधेयक के बनाये जाने के पश्चात चर्चा की थी। मैंने उनके साथ विधेयक के गुणोदोष पर चर्चा नहीं की। मैंने किसी व्यक्ति को मैनेजर अथवा चयेरमैन नियुक्त करने की सिफारिश नहीं की। मैंने उनको केवल मात्र संकेत किया था। यदि उन्होंने इस बारे में कार्यवाही की है तो मुझे तथा रिजर्व बैंक को आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है। मैंने कुछ बैंक कर्मचारियों से भी बातचीत की थी परन्तु उन्होंने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया।

मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने पंजाब बैंक का मामला उठाया था। मेरा उनका लम्बा पत्रव्यवहार भी हुआ है। कानून के अन्तर्गत जो कुछ किया जा सकता है वह किया जा रहा है।

विरोधी दलों के सदस्यों का ही नहीं बल्कि मेरे अपने दल के बहुत से सदस्यों का भी यह बिचार है कि बैंको को ठीक ढंग से चलाने के लिए उनका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। परन्तु सरकार का विचार ऐसा नही है। इस विधेयक को इसीलिए लाया गया है ताकि बैंक उनके लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार काम करें। ऐसा नही कि बैंकों ने देश में कुछ काम नहीं किया है बल्कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसलिए जब यह कहा जाता है कि बैंकों ने कृषि की उपेक्षा की है तो मैं कहता हूं कि यह गलत है। न केवल इस सरकार की बल्कि राज्य सरकारों की भी यह नीति रही है कि किसानों को सहकारी बैंक तथा सहकारी समितियां ही ऋण दें। दूसरे बैंकों को यह काम करने की अनुमति नहीं थी। अब भी अनेक मित्रों द्वारा ऐसे तर्क दिये गये हैं कि इसको इस ढंग से नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि सहकारी समितियां तथा सहकारी बैंक कमजोर पड़ जायें। हम इस बारे में सावधान है और हम नहीं चाहते कि इस प्रकार के नियंत्रण से सहकारी क्षेत्र के कार्यसंचालन में कमजोरी आ जाये। अतः हम ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कि सहकारी क्षेत्र भी मजबूत बने और वाणिज्यिक बैंकों को भी सहायता मिले। इस समूचे कार्य को उचित ढंग से किया जायेगा जिससे कि अन्ततः अपनाई जाने वाली नीति का अपवाद न हो।

हमें सामाजिक नियंत्रण में विश्वास है, अतः इसी कारण हम यह विधेयक लाये हैं। हम समाजवाद तथा लोकतंत्र में एक साथ विश्वास रखते हैं।

इस विधेयक द्वारा जो किया जा रहा है वह यह है कि अब बैंकों का प्रबन्ध उद्योगपतियों द्वारा नही किया जायेगा। उनका प्रबन्ध अब सभी सम्बन्धित हितों द्वारा किया जायेगा और

उद्योगपतियों का बहुमत नहीं होगा। बैंकों पर उद्योगपतियों का नियंत्रण इस कारण था, क्योंकि ये सभी बैंक अथवा इनमें से अधिकांश बैंक उद्योगपतियों द्वारा ही शुरु किये गये थे। यही कारण है कि उद्योगपतियों को इन बैंकों से आसानी तथा शीघ्रता से धन मिल जाता था। कभी कभी शायद आवश्यकता से अधिक भी मिल जाता था और इस प्रकार धन का दुरुपयोग भी होता था। हमने इन सभी बातों का उपाय ढूंढने का प्रयत्न किया है ताकि भविष्य में ऐसा न हो। हमने यह भी कहा है कि बैंक ऐसी किसी फर्म को धन नहीं देगा जहांकि निदेशक के अपने हित हों।

मैं राष्ट्रीयकरण के न तो पक्ष में हूँ और न ही इसके विरुद्ध हूँ। मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि जहां आवश्यक हो राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। जहां आवश्यक न हो वहां राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए चाहे उसके लिए कितनी ही मांग क्यों न की जाये। हम उत्पादन के सभी साधनों पर, उनके स्वामित्व के अधिकार प्राप्त कर ही, नियंत्रण करने पर विश्वास नहीं रखते। हम केवल कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं का ही स्वामित्व ग्रहण करने में विश्वास रखते हैं।

यह भी कहा गया है कि इन बैंकों पर रिजर्व बैंक का व्यापक नियंत्रण होगा, अतः इसका दुरुपयोग किया जायेगा। परन्तु मेरा कहना है कि किसी न किसी को तो इन पर नियंत्रण करना ही है। यही अच्छा है कि इस प्रयोजन की सविधि संस्था का इन पर नियंत्रण हो। यह नियंत्रण निर्धारित नीति के अनुसार किया जायेगा। ऋण सम्बन्धी नीति बनाने के लिये भी एक निकाय बनाया गया है जिसमें सभी हितों का प्रतिनिधित्व होगा और किसी का बहुमत नहीं होगा। जमाकर्ताओं के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। परन्तु उनके हितों की रक्षा का जायेगी।

यह सच नहीं है चेयरमैन को हटाया जा सकता है और उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को लगाया जा सकता है। चेयरमैन को अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जायेगा। इसके पश्चात किसी विशिष्ट आधार पर ही आदेश जारी किये जायेंगे। इसके बिना किसी को नहीं हटाया जा सकता। ऐसा नहीं कि किसी को बिना कारण ही निकाला जा सकता है। मैंने प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने सम्बन्धी प्रस्ताव करते समय यह आश्वासन दिया था। यह भी कहा गया है कि आश्वासनों पर अन्य लोगों द्वारा अमल नहीं किया जाता। मेरा निवेदन है कि जहां तक दूसरी सरकार का सम्बन्ध है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। परन्तु जो सरकार आश्वासन देती है वह प्रायः उनमें परिवर्तन नहीं करती। मुझे आशा तथा विश्वास है कि भविष्य में इस आश्वासन में किसी द्वारा भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

यह भी कहा गया है कि इस पद पर कांग्रेस दल के सदस्यों को लगाया जायेगा। मेरा ऐसा कोई ईरादा नहीं है। जो भी व्यक्ति बैंकिंग में विशेषज्ञ होगा उसको इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है चाहे वह कांग्रेस दल का हो अथवा किसी अन्य दल का। इस बारे में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस पद के लिए बैंकिंग समवाय स्वयं व्यक्ति का चयन करते हैं। यदि उनके विरुद्ध कोई आपत्ति होगी तभी रिजर्व बैंक के गर्वनर उसको हटाने के लिये तथा उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति नियुक्त करने के लिए कहेंगे।

यह भी कहा गया है कि यह नकारात्मक नीति हो हम उचित ऋण नीति निर्धारित करने जा रहे हैं। प्राथमिकताएं निर्धारित की जायेगी। जहां कहीं आवश्यक होगा निदेश जारी किये जायेंगे। यही कारण है कि उचित नियंत्रण सामाजिक नियंत्रण ही है ताकि बैंक समूचे राष्ट्र के हित में काम कर सकें और देश की आर्थिक स्थिति में शीघ्रता से सुधार कर सकें तथा अधिक से अधिक ऋण सुविधायें उपलब्ध कर सकें। इसलिये हम यह कह रहे हैं कि किसान भी बैंकों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। परन्तु गांवों में बैंकों की शाखाएं खोलने पर बहुत व्यय होता है; अतः उनको गांवों में चलाना कठिन हो जाता है। इसलिए इस बारे में विचार करना होगा क्योंकि बैंक पूर्णतया घाटे पर नहीं चलाया जा सकता।

खण्ड 36 ए डी के बारे में यह कहा गया है कि मैंने उचित कार्य नहीं किया है। कर्मचारियों को शान्तिमय हड़ताल करने से रोकने का कोई प्रश्न नहीं है। केवल बैंकों के अहातों में प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है। कर्मचारियों को यह अधिकार भी नहीं दिया जा सकता कि वे बैंकों के कार्यसंचालन में अथवा लोगों के अन्दर जाने तथा बाहर आने में बाधा डाले। शान्तिपूर्वक धरना देने पर भी रोक नहीं लगाई गई है। कार्यालय में भी यदि वे काम नहीं करते परन्तु शान्तमय रहते हैं तो उनके विरुद्ध कुछ नहीं किया जाता। परन्तु उनको अन्य अधिकारियों को काम करने से नहीं रोकना चाहिए। इसी प्रकार प्रदर्शन करने का अधिकार उनसे नहीं लिया गया है। वे केवल बैंकों के अहातों में प्रदर्शन नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय दिया गया है।

मैंने सभा में उठाई गई लगभग सभी बातों का उत्तर दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 2 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को, 1 नवम्बर, 1968 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha Divided

पक्ष में	27	विपक्ष में	73
Ayes	27	Noes	73

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 80, 131, 132 तथा 134 सभा में मतदान के लिए रखी गई तथा अस्वीकृत हुई।

The amendments Nos. 80, 131, 132, and 134 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के विस्तार और तत्संसक्त विषयों अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में आगे संशोधन करने वाले तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1955 मे भी आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।'

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में	70
Ayes	70
विपक्ष में	25
Noes	25

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

---

* स्कूटरों का निर्माण

** MANUFACTURE OF SCOOTERS

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

श्री स० च० सामन्त (तामलुक) : 1954 से हम स्कूटरों तथा सम्बन्धित वाहनों के देश में निर्माण के बारे में सुनते आ रहे हैं। सरकार के तीन अथवा चार एककों को लाइसेंस भी दिये थे और साथ ही सरकार ने और लाइसेंस देने पर रोक भी लगा दी थी। 1965 में इस रोक को समाप्त कर दिया गया था।

मैंने स्कूटरों के निर्माण के बारे में कुछ आंकड़े एकत्र किये जो इस प्रकार हैं कि 1965 में 20,000 स्कूटरों का निर्माण, तथा 1966 में 20,971 स्कूटर बनाये गये। 1967 में 30,296 और 1968 (6 महीनों मे) 17549 स्कूटरों का निर्माण किया गया है। स्कूटरों के निर्माण में वृद्धि हुई है। परन्तु मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि स्कूटरों के बनाने वाले एककों की क्षमता कितनी है और कि केवल इन तीन अथवा चार फर्मों को ही लाइसेंस दिये जाने के क्या कारण हैं ?

1964 से सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है कि स्कूटरों के लिए 3 लाख लोगों ने नाम रजिस्टर्ड करवा रखे है। परन्तु केवल 30,000 स्कूटरों का निर्माण किया जाता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि रोक को समाप्त किये जाने के पश्चात अन्य कारखानों को लाइसेंस न दिये जाने के क्या कारण है ? यह मामला आटोमोबाइल सम्बन्धी विकास

---

* आधे घण्टे की चर्चा

** Half an Hour Discussion

परिषद को सौंपा गया था। एक प्रश्न के उत्तर में अब माननीय मंत्री ने कहा है कि एक अन्य एकक स्थापित किया जायेगा और कि आगे लाइसेंस देने पर कोई रोक नहीं है। अतः कुछ अन्य कारखानों को स्कूटरों के जल्दी से निर्माण करने के लिए लाइसेंस न दिए जाने के क्या कारण हैं ? 23 मार्च, 1965 को सरकार ने कहा था कि वर्तमान उत्पादकों सहित अन्य लोगों को भी स्कूटरों के निर्माण के लिए कारखाने स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र देने के लिए कहा गया था। 190 एककों ने आवेदन पत्र दिये थे परन्तु फिर भी उन मामलों में कुछ नहीं किया गया। 1964 में पश्चिमी बंगाल सरकार केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए स्कूटरों के निर्माण सम्बन्धी एक योजना प्रस्तुत की थी। अब केवल एक एकक को स्कूटरों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि कुछ अन्य एककों को स्कूटरों के निर्माण की मंजूरी देने में क्या कठिनाई है ?

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूच बिहार) : मैं इसे स्कूटर काण्ड तो नहीं कहना चाहता लेकिन इस बारे में सन्देह है कि सरकार तथा सम्बन्धित मंत्री के दिमाग में वास्तव में क्या है ? स्कूटरों की मांग को देखते हुए ऐसा लगता है कि हम उसकी पूर्ति कभी नहीं कर पायेंगे। यह बात समझ में नहीं आती कि आखिर सरकार देश में और अधिक स्कूटरों के निर्माण की योजना क्यों तैयार नहीं करती। सरकार की नीतियों से साफ जाहिर है कि वह देश में सभी किस्म के एकाधिकारियों की व्यावहारिक रूप से पोषक है।

मुझे बताया गया है कि कलकत्ता की एक फर्म ने इस मंत्रालय को उसके विज्ञापन के उत्तर में अपनी दरें पेश की जिसमें खासतौर से यह बताया गया कि केवल दो प्रतिशत विदेशी पुर्जों की आवश्यकता पड़ेगी और वह भी केवल तीन वर्ष तक। और इन पुर्जों का मूल्य केवल 30 रुपये प्रति स्कूटर आयेगा। प्रश्न यह है कि जब हमारे यहां ऐसी फर्में हैं जो कम से कम मूल्यों पर स्कूटर बना सकती है और उनकी सप्लाई कर सकती है, और लोगों की स्कूटरों की मांगें पूरी की जा सकती हैं, तो फिर उस विशेष फर्म को और अधिक स्कूटर बनाने की इजाजत देने में संकोच अथवा कठिनाई क्या थी ? क्या सरकार इस कारखाने को पश्चिम बंगाल में हल्दिया में खोलने के लिये तैयार है ?

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : There is fairly a large number of unemployed persons in the country, particularly in cities and towns. The prevailing prices of scooters and scooter-ricksaws are beyond the purchasing capacity of a way or ordinary means and a common man. I want to know whether the Government have any scheme to manufacture scooters and scooter-ricksaws at lesser and lesser prices in order to give common-man an opportunity to ply them as ricksaws and motor-scooters. If there are made available to the consumers at the lowest rates, they would provide employment opportunities to many people who are in search of jobs. The Government should also state if there is in any cooperative society or other agency which could provide scooters on hire-purchase basis to those who want to ply them as a means of their livelihood. I want to know further whether Government have any scheme to provide common residences to scooter-drivers through cooperatives.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : औद्योगिक विकास मन्त्रालय के इतिहास में यह सबसे निकृष्ट अध्याय है। हर व्यक्ति जानता है कि स्कूटरों की कमी है, स्कूटरों की इतनी कमी है कि उनकी मांग पूरी करने में 10-15 वर्ष अथवा उससे भी अधिक समय लगेगा।

वास्तव में हमारे देश में औद्योगिक लाइसेन्स देने की प्रक्रिया ऐसी है जिसमें इतना अधिक समय लगता है और मंत्रालय पर भी अविश्वास होने लगता है। आज देश में स्कूटरों की चोर बाजारी हो रही है और उनके मूल्यों में वृद्धि हो रही है जिससे मध्यम वर्ग के लोगों में बड़ा क्षोभ है और वह जायज है। इसलिए यह जरुरी है कि मन्त्री महोदय इस मामले को व्यक्तिगत रूप से छानबीन करे और ज्यादा से ज्यादा फर्मों को लाइसेंस दें ताकि स्कूटरों का बड़े पैमाने पर निर्माण हो और चोर बाजारी समाप्त हो जाये।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : सभा के समक्ष दो प्रश्न उठाये गये हैं पहला यह है कि उनकी कमी है और दूसरा यह कि उन्हें उपभोक्ताओं को कम से कम मूल्य पर उपलब्ध कराया जाये। यह सच है कि उनकी वर्तमान मांग की तुलना में उनका निर्माण बहुत कम हो रहा है। 1964 तक यह विशेष उद्योग विदेशी मुद्रा की कमी के कारण निषिद्ध सूची में था और जब यह जरुरी समझा गया कि स्कूटरों का निर्माण बड़े पैमाने पर होना चाहिये, तो इसे उस सूची से निकाल दिया गया। लेकिन 1966 तक भी, विदेशी मुद्रा की कमी के कारण विभिन्न कारखानों में उनकी क्षमता के अनुसार स्कूटरों का उत्पादन नहीं हो सका, केवल अवमूल्यन के बाद ही जब विदेशी मुद्रा उपलब्ध हुई उन (रिफ्यूज्ड यूनिट्स) कारखानों में, जिन्हें लाइसेन्स दिये गये थे, पूरी क्षमता के अनुसार काम होने लगा है और अब वे प्रति वर्ष अधिक से अधिक स्कूटर तैयार कर रहे हैं।

जहां तक लाइसेन्स देने की वर्तमान नीति का सम्बन्ध है हमने लाइसेन्स प्राप्त कारखानों से पूछा कि क्या आप अपना विस्तार करने तथा स्कूटरों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ उनके मूल्यों में कमी करने के लिये सहमत हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया, तब हमने सोचा कि थोड़ा उत्पादन करने और वही कीमत स्तर रखने के लिये किसी विशेष कारखाने को लाइसेंस देने के बजाय बेहतर यह होगा कि कोई कारखाना लगभग 40,000 स्कूटरों का उत्पादन करने के लिये तैयार हो जाये और साथ ही साथ कीमत में पर्याप्त कमी करने के लिये भी सहमत हो जाये क्योंकि इसमें उपभोक्ताओं का भी हित है।

इसलिए इस बात को दृष्टि में रखते हुए आवेदन पत्र मांगे गये और इन मामलों में पूरी जानकारी प्राप्त करने, इसकी छान-बीन करने तथा उन पर विचार करने में समिति को कुछ समय लग गया। इस सम्बन्ध में स्थिति अब इस प्रकार है कि तीन फर्में हैं जिन्हें अन्तिम निर्णय के लिये चुना गया है। हम इन फर्मों से यह मालूम करना चाहते हैं कि वे किस कीमत पर स्कूटरों की सप्लाई करने के लिये राजी होंगे, इस समय तीन प्रकार के स्कूटरों के कारखाना निकलते मूल्य इस प्रकार है :- लम्ब्रेटा 2,388 रुपये, वैस्पा 2,402 रुपये और फन्टाबुलस 2300 रुपये, इन तीनों पार्टियों ने कीमतों की दरें बताई हैं और एक ने यह कहा है कि वह हमें स्कूटर 14,50 रुपये में दे सकेगा। दूसरी पार्टी ने 1640 रुपये बताये हैं। यदि उत्पादन 40,000 हो और आगे यह कहा है कि यदि उत्पादन 55,000 से अधिक हो, तो वह 1590 रुपये तक प्रति स्कूटर दे सकेगी, एक और पार्टी ने 1200 रुपये बताये हैं।

इनमें से एक पार्टी हरयाणा से भी अजीत सिंह है। दूसरी पार्टी पश्चिम बंगाल से माहेश्वरी है और तीसरी पार्टी लक्ष्मण इंजीनियरिंग उद्योग, उत्तर प्रदेश है। हमने उनसे यह पूछा है कि वे हमें बताये कि क्या वे इन कीमतों पर कायम रहेंगे। हमने उनसे यह भी कहा है कि वे हमें ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट पेश करें जिसके आधार पर एक पार्टी लगभग 50,000 स्कूटरों के उत्पादन के लिये चुनी जायेगी। हम लाइसेंस में वह कीमत निश्चित करेंगे जिस पर उसे उपभोक्ताओं को सप्लाई करना होगा। आशा है आगामी दो वर्षों के भीतर स्कूटरों का उत्पादन बढ़ जायेगा।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 6 अगस्त, 1968/15 श्रावण, 1890 के 11 बजे (म० पू०) तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, August 6, 1968/ Sravana 15, 1890 (Saka)